Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 5.999

Shodh Chetna

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal

Year : 8 **Vol. - 3** **(July to Sep., 2022)**

ADVISORY BOARD

- Dr. Surya Narayan Gautam
  (Director, Research & Development, Eklavya University, Damoh, M.P.)
- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareliy)
- Prof. S.P. Singh *(CM.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Editor
Dr. Sheetla Prasad Verma
Baba Barua Das PG College, Ambedkar Nagar
Mob. : 9415645164

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
E-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha, Prayagraj
Mob. : 9807520344
R.L. Vishwakarma, Rewa

Scan QR Code
for All Details

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
7. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)
8. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa)
9. Preeti Vishwakarma (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
10. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College Nashtigawan, Rewa, M.P.)
11. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
12. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
13. Ram Kumar Arya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
14. Sheetal Surothiya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
15. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
16. Dr. Shrikant Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित। (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com , website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

Registered Office :

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

Branch Office :

R.L. VISHWAKARMA

C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Sunil Chandra, Agronomy (Prayagraj)
6. Dr. Ramesh Chandra, Dairy Technology (Prayagraj)
7. Dr. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Aizaz Ahemad, Social Convention (Prayagraj)
12. Dr. Arvind Verma, Agri. Engg. (Mathura)
13. Dr. Saleem Uddin, Genetic & Plant Breeding
14. Dr. Sikha Verma, Education (Ayodhya)
15. Dr. Sandeep Kashyap, L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
16. Dr. A.K. Roy, Agri. Eco. (Prayagraj)
17. Dr. J.P. Verma, Economics (Lucknow)
18. Dr. Faizan, Political Science (Badaun)
19. Dr. Dinesh Kumar Patel, English (Badayun)
20. Dr. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
21. Prof. Gyan Prakash Verma, Commerce (Varanasi)
22. Dr. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
23. Dr. VIkram Singh, Physics (Prayagraj)
24. Dr. S.K. Tripathi, Agri. Chem. (Prayagraj)
25. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
26. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
27. Dr. Vinay Kumar Patel, Sociology (Bareily)
28. Dr. Manvendra Verma, Defence Studies (Prayagraj)
29. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
30. Dr. R.B. Singh, Statistics (Merrut)
31. Dr. Arun Kumar Verma (Hind), MDPG College, Pratapgarh

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

शाखा कार्यालय : **आर.एल. विश्वकर्मा,** अंगूरी बिल्डिंग, रीवा (म.प्र.)

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205, 9827262820

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III –खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity/	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education / Physical Education/Commerce /Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than Research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08

	(b) Translation works in Indian and Foreign		
	Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning padagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new carricula and courses	02 per curricula/course	02 per carricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (420 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/ paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10	10
4.	**(a) Research guidance**		

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

अनुक्रम

1. **चम्बल घाटी का पारिस्थितकीय व भौगोलिक आधार (1950-1985)** 11-14
एकता शुक्ला, प्रो. पी.के. श्रीवास्तव

2. **"Microfinance in India (with Special Reference Sidhi District Madhya Pradesh)"** 15-20
Manish Giri, Dr. Sunil Agrawal

3. **नारी चेतना और आधुनिक समाज का सह-संबंध** 21-22
पंखुड़ी शर्मा, डॉ. बी.एन. ओझा

4. **Patrick White's *A Fringe of Leaves :* Portrayal of Ellen's Existence through Hardship and Molestation** 23-27
Dr. Rajeev Kumar, Dr. Arvind Kumar

5. **बघेल राजवंश की स्थापना एवं बघेल शासक** 28-33
सुखेन्द्र सिंह

6. **आदर्श नारी का स्वरूप** 34-35
रत्ना शुक्ला, डॉ. बी.एन. ओझा

7. **भक्ति की विवेचना एवं स्वरूप** 36-37
कृष्णेन्द्र पाण्डेय, डॉ. बी.एन. ओझा

8. **गहोरा के बघेलों की प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था** 38-40
सुखेन्द्र सिंह

9. **Efficacy of homoeopathic drugs on aflatoxin G1 production in Groundnuts** 41-44
Dr. Shabnam Bee

10. **विक्रमादित्यदायादा खण्डकाव्य में वर्णित राजव्यवस्थाएँ : एक अध्ययन** 45-48
रवीना, प्रो. सूर्यनारायण गौतम

11. **बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध** 49-54
डॉ. राम किंकर पाण्डेय

12. **''श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में विसंगति एवं विडम्बना बोध''** 55-60
आकांक्षा द्विवेदी, डॉ. वंदना त्रिपाठी

13. ''नागार्जुन के काव्य में सामाजिक चेतना-यात्री कवि जनवाद के पक्षधर 61-63
मनोरमा गोस्वामी, डॉ. शिप्रा द्विवेदी

14. ''21वीं सदी का ख्वाजा जनजीवन एवं विविधता-उपन्यासों के संदर्भ में'' 64-69
सूर्यबाला मिश्रा, डॉ. शिप्रा द्विवेदी

15. जनसंचार साधनों का पिछड़ी जाति की महिलाओं पर विकास का प्रभाव 70-76
श्रद्धा शुक्ला, डॉ. के.के. सिंह

16. पारिवारिक जीवन में समाज के बदलते स्वरूप का अध्ययन 77-85
नीति मिश्रा

17. वैदिक धर्म एवं धार्मिक लक्षणों की उपयोगिता 86-90
केशव कुमार मिश्रा, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी

18. संजीव के उपन्यासों में लोकपक्ष (विशेष : पूरबी बयार) 91-93
आशा त्रिपाठी, प्रो. दिनेश कुशवाहा

19. अनुसूचित जाति के महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन 94-103
सरिता साकेत, डॉ. महानन्द द्विवेदी

20. महिला बाल विकास में शासन द्वारा संचालित योजना की भूमिका 104-108
अनुराधा त्रिपाठी, रजनी द्विवेदी, डॉ. एम.एन. द्विवेदी

21. ''लोक कल्याणकारी राज्य : जनोन्मुखी
क्रियान्वयन एवं सहभागिता'' 109-114
रजनी द्विवेदी, डॉ. एम.एन. द्विवेदी, डॉ. रामनिवास पटेल

22. भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में योग-क्रियाओं, आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं शैल्य
चिकित्सकीय शिक्षा से जुड़ी पद्धतियों का अध्ययन 115-121
डॉ. कल्पना दीक्षित

23. अनुसूचित जाति की महिलाओं में सशक्तीकरण सामाजिक, आर्थिक चुनौतियाँ 122-125
अनूपा साकेत, डॉ. महानन्द द्विवेदी

24. **Yield Analysis of Isabgol (plantago ovata Forssk.) With Special Reference to Rewa District** 126-128
Dr. Ashish Dwivedi

25. **1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम : विजयराघवगढ़ के ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह** 129-133
डॉ. रचना कोरी

26. **महिला उत्पीड़न एवं विधिक प्रावधान : समकालीन परिदृश्य** 134-137
शीतल सूरोठिया, डॉ. सुनीति श्रीवास्तव

27. **उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप** 138-142
डॉ. अनूप कुमार मिश्र

28. **हिंदुस्तानी संगीत में समय का प्रमाण : एक अध्ययन** 143-147
प्रकाश मिश्रा

29. **हमारे प्रकाशन** 148

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि

SHODH-CHETNA

शोध चेतना

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal
(Frequency - Quarterly)

में प्रकाशित माननीय लेखकों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय), शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से निःशुल्क भेजी जा रही है जिससे, इन शोध दृष्टियों से

'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'

का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

...प्रकाशक

आज ही आदेश करें।

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

© *Publishers*

Registration Fee :	**Rs. 1500.00**
Single Copy	**Rs. 250.00 (Individual)**
Annual (4 Issues)	**Rs. 1000.00 (Institution)**
Life Member Fee (Individual)	**Rs. 5000.00**
Life Member Fee (Institution)	**Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of

ghpublication@gmail.com

G.H. Publication
Union Bank of India
Chowk Branch, Prayagraj-3
A/c. 394301010122432
IFSC : UBIN0807095

Or

Phone Pay (M) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN0807095

Our New Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.
- Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh
- Baba Barua Das P.G. College, Ambedkar Nagar

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 5.999
Paper Recieved : 10th July 22 Paper Accepted : 25th July 22

चम्बल घाटी का पारिस्थितकीय व भौगोलिक आधार (1950-1985)

❐ एकता शुक्ला*
❐ प्रो. पी.के. श्रीवास्तव**

शोध सारांश

''प्रस्तुत शोध अंश चम्बल घाटी की दस्यु समस्या का इतिहास परक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन (1950–1985) विषयक शोध प्रबन्ध से लिया गया है। चम्बल घाटी के खतरनाक बीहड़ और दुरूह घाटियाँ दशकों तक दस्युओं की पनाहगाह रही है। चम्बल और उसकी सहायक आसुन पँहुज, पार्वती, सिंध और क्वारी आदि नदियों से घिरा यह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के डकैतों और बागियों को पारिस्थितकीय और भौगोलिक कारणों से सुरक्षित संरक्षण देता रहा है। हालांकि इस क्षेत्र को अभिशप्त क्षेत्र मानने का अंधविश्वास भी भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर आदि दस्यु प्रभावित जिलों में पर्याप्त प्रभाव रखता रहा है। यहाँ की मान्यताओं में यह कहा जाता रहा है कि इस क्षेत्र के मिट्टी और पानी में ऐसे रासायनिक तत्व मौजूद हैं जिसके कारण यहाँ की धरती से बड़े पैमाने पर बागी और डकैत पैदा होते आये हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में चम्बल घाटी की दस्यु समस्या के पारिस्थितकीय और भौगोलिक कारकों पर प्रकाश डाला गया है।''

मध्य प्रदेश राज्य भारत के मध्य में स्थित होने के कारण भारत का हृदय स्थल कहलाता है। चम्बल घाटी अधिकांश रूप में इसी प्रदेश का उत्तरी भाग है यद्यपि इसमें उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग भी सम्मिलित है। चम्बल घाटी में प्राचीन काल से ही दस्यु समस्या रही है। वर्तमान में 3 राज्यों का मिलाजुला सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ डकैतों को पर्याप्त प्रश्रय मिलता है। आसुन, क्वारी, चम्बल, यमुना आदि नदियों द्वारा निर्मित किए गए बीहड़ चम्बल के दस्युओं के लिए सदैव शरण स्थली रहे हैं। डकैतों को अपराध करके छिपने का यह स्थान इन बीहड़ों में मिलता रहा है।

भू–भाग के अनुरूप सभ्यता और संस्कृति भी बन जाती है। चम्बल घाटी के सन्दर्भ में यह तथ्य वस्तुपरक प्रतीत होता है। चम्बल, सिंध, क्वारी, पावती, आसुन, बेतवा, पहुँज आदि नदियों से घिरा यह क्षेत्र जहाँ

* शोधार्थी
** शोध निर्देशक, पूर्व विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय

उत्तरी सिरे पर बीहड़ों की गहन तथा भयावह लम्बाइयों तथा चौड़ाइयों उसे पटा है। वहीं श्योपुर, घाटीगांव, शिवपुरी, गुना, गिजौर, अटेर, पोरसा, सुमावली, मेहगांव, भिंड, इटावा आदि के घने जंगल हैं। यह क्षेत्र उभड़–खाभड़ तथा सैकड़ों फुट ऊँची–नीची घाटियों को निर्मित करता है। नदियों ने यहाँ पर विभिन्न आकार की घाटियाँ निर्मित की है। चम्बल घाटी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों का सीमावर्ती क्षेत्र है। एक राज्य से अपराध करके दस्यु बड़ी आसानी से दूसरे राज्य की सीमाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं।

जिस क्षेत्र में डकैती के प्रभाव, बढ़त और निरन्तरता देखी जाती है उसके भौगोलिक, प्राकृतिक स्थितियों को सार्वभौमिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। समाज में कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे क्षेत्र के वातावरण में वह तत्व निहित रहता है जिससे इस तरह के हत्यारे जो मजबूत कद काठी के, निर्मम, आक्रामक स्वभाव के और घमण्डी पैदा होते हैं। जबकि कुछ अन्य का मानना है कि पूर्व पौराणिक कथाओं में वर्णित मिथकों में चम्बल नदी के अभिशप्त होने के कारण चम्बल के पानी में वे रसायनिक तत्व मौजूद हैं जिन्हें पीने वाले दस्युता के लिए प्रेरित हो जाते हैं। (Singh 1977)

कहावत है कि ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया ने मुरैना के एक गांव 'कोन्थर' के कुएं का पानी टेस्ट किया जो सर्वाधिक क्रियाशील माना जाता था। जाँच में भी उसे रासायनिक तौर पर काफी प्रभावशील पाया गया। राजा को लगा कि वह उसे पीने के बाद स्वयं गर्भ स्वभाव के होने लगे हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने कूँए को मिट्टी से पटवा दिया और गांव वालों ने भी उसे बराबर कर दिया। भिंड और मुरैना के कोन्थर, नागरा आदि क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि पानी की विशेष क्रियाशीलता से इन इलाकों से बड़े पैमाने पर बागियों का जन्म होता है, लेकिन अगर इस गल्प को तथ्य माने तो यह भौगोलिक स्थितियाँ सब के ऊपर समान रूप से असरकारक होतीं, फिर बनिया अथवा दूसरी अन्य बहुत सी जातियाँ इससे बच कैसे जाती?

यह राजपूतों, गुर्जरों या सम्बन्धित जाति समूहों से ही ज्यादा क्यों बागी बनाती रही हैं। यद्यपि भिंड और मुरैना क्षेत्र में डकैती अथवा बगावत के कारणों की खोज के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रथम आयोग ऐसी किसी भी सम्भावना को खोज पाने में असफल रहा कि यहाँ पानी में कोई ऐसा रासायनिक तत्व है जो यहाँ के लोगों को बगावत के लिए प्रेरित करता है। (Govt. report 1953)

''इसमें कोई शक नहीं कि वातावरण और जल स्रोत इस क्षेत्र के परिस्थितिकी कारण बनते हों जिससे यहाँ के लोगों में ऐसी पीढ़ियाँ पैदा होती हों लेकिन मिट्टी, पानी अथवा वातावरण अपराधी नहीं पैदा करता'' (Rustam Ji 1961)

हालांकि यह सच है कि इस अंधविश्वास में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है जो दस्युता को भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़ता है फिर भी इस क्षेत्र में अजीबो–गरीब परिस्थितिकी है जो दस्युता को सदियों से संरक्षित करती आई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि दस्युता को भौगोलिक परिस्थितियों से चारा–पानी मिलता रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दुर्गम लकीरें ग्वालियर या सागर पर्वतमाला के घने जंगल और चंबल तथा उसकी सहायक नदियों की गहरी घाटियां दस्युओं को हमेशा सुविधाजनक ठिकाने प्रदान करती रहीं है। बागियों को इन घाटियों में घूमने, छुपने और अपने हमलावरों से बचने का आदर्श माहौल मिलता रहा है।

अतः यह स्पष्ट है कि चंबल घाटी की परिस्थितिकी दस्युओं को एक विशेष अभ्यारण्य प्रदान करती है। जिसकी घाटियों ने कानून से भागे इन डकैतों को संरक्षण प्रदान किया है।

चंबल घाटी क्षेत्र में वनों के विस्तार के कारण यहां दस्युओं की गतिविधियों का विस्तार हुआ और कानून व्यवस्था की बढ़ती ताकत के बावजूद इन पर नियंत्रण मुश्किल बना रहा। इस प्रकार इसके प्रमाण हैं कि

जैसे–जैसे पुलिस बल ताकतवर हुआ वैसे–वैसे दस्युओं ने भी खुद को बीहड़ों में फैला लिया। पुलिस के अभियानों और बढ़ती मुठभेड़ों के कारण होने वाली मौत और अपनी गिरफ्तारी का उन्हें भय सता रहा था।

उपरोक्त तालिका के आंकड़े में दस्युओं के बीहड़ों के साथ संतृप्ति को दर्शाया गया है। यह काफी हद तक सही है लेकिन प्रतिशत के आंकड़ों में वृद्धि की जा सकती है क्योंकि बीहड़ों का क्षेत्र परिवर्तनशील रहता आया है।

दस्यु प्रभावित क्षेत्रों की एक झलक (भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर)

1. भिंड :– मध्य प्रदेश का यह जिला भौगोलिक रूप से अपने बीहड़ों, उपजाऊ भूमि और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य मध्य भरत के 16 जिलों में से एक था, जिसका गठन 28 मई 1888 को किया गया था। इसके बाद नवंबर 1956 में राज्य के पुनर्गठन के पहले इसमें चार तहसीलें थीं। भिंड, मेहगांव, गोहद और लहार लेकिन वर्तमान में 7 तहसीलें हैं भिंड, मिहोना, अटेर, मेहगांव, गोहद, लहार और रौन। इतिहास के अनुसार ऋषि भिंड के नाम पर इसका नाम पड़ा। यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है जिसका आकार अर्ध गोलाकार है। यह उत्तर में यूपी के आगरा, इटावा जिले और दक्षिण में ग्वालियर, दतिया जिलों से घिरा हुआ है। पूरा जिला चंबल घाटी में स्थित है। पहाड़ियां केवल कुछ ही हैं। चंबल और सिंधु यहां की प्रमुख नदियां हैं। चंबल उत्तरी सीमा बनाती है। दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं इसलिए गंगा जल निकासी प्रणाली का अंग है, इसके अलावा भिंड की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं कुवारी, पहुंज, आसन और वैशाली हैं।

भिंड की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और चंबल सिंध और सहायक नदियों कुवारी और पहुंज द्वारा सिंचित है। बीहड़ों का क्षेत्र खेती और रहने के लिए अनुपयुक्त है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम को छोड़कर भिंड की जलवायु सामान्य शुष्कता वाली है। यहां औसत वर्षा दर 668.3 है। जिले में स्थानिक भिन्नता बहुत अधिक नहीं है। वर्षा का लगभग 92 प्रतिशत दक्षिण–पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। जिले में चंबल घाटी के बीहड़ और घाटियां दूर–दूर तक फैली हुई हैं जो दस्युओं को आदर्श स्थिति उपलब्ध कराती हैं। इसलिए यह क्षेत्र सदियों से दस्युओं, ठगों, लुटेरों का केन्द्र रहा है। मुगल काल में भी शक्तिशाली प्रशासन इनकी गतिविधियों को रोकने में विफल रहा। 1959 से लेकर 1963 तक अकेले भिंड जिले में 216 दस्युओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 697 को गिरफ्तार किया गया। 4459 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आबादी 1428559 थी तथा राज्य में यह जनसंख्या रैंकिंग में 20वें स्थान पर था। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलामीटर जनसंख्या 320 थी। 1901 से 1961 की आबादी से 41.68 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।

जिले की सबसे महत्वपूर्ण जाति भदौरिया राजपूतों की है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय यहां के शासक थे। यहां के गांव के नाम कुछ प्रमुख जातियों को प्रदर्शित करते हैं।

2. मुरैना :– उत्तरी मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना ग्वालियर से 39 किलोमीटर दूर है। यह एक कृषि व्यापार केन्द्र है तथा आगरा से रेल तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। तिलहन फसलें और कपास उत्पादन के कारण तेल मिलों और कपास बुनाई यहां के प्रमुख उद्योग हैं। निचले चंबल नदी के बेसिन के उत्तर में जलोढ़ पथ है जो घाटियों से कटा हुआ है तथा दक्षिण की ओर वन क्षेत्र हैं। गेहूं, तिलहन मुख्य फसलें हैं। यहां पत्थर उत्खनन का काम भी होता है।

चंबल, कुवारी, आसन, सांक नदियों द्वारा यहां के इलाके सिंचित हैं। यह चंबल की गहरी घाटियों पहाड़ियों और बीहड़ों से घिरा हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 50% खेती के लिए उपलब्ध है। जिले का लगभग 58.74% कृषि क्षेत्र सिंचित है। नहर सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। फसलों में गेहूं सर्वाधिक उगाया जाने वाला खाद्यान्न है। तिलहन में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रमुख खरीफ फसल बाजरा है। मुरेना एक समृद्ध कृषि क्षेत्र है।

रेलवे सड़क परिवहन संचार के मुख्य साधन हैं लगभग 15% गांव रेल या बस मार्गों से जुड़े हैं यहां 67 लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत हैं जो बानमोर

औद्योगिक विकास केन्द्र में हैं। अन्यत्र 23 लघु उद्योग इकाइयां संचालित हैं।

3. श्योपुर :– यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है तथा रेल व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। प्रमुख पर्यटक स्थल पर कूनों वन्य जीव अभ्यारण है। प्रसिद्ध काकेशश जलाशय भी स्थित है। यहां लकड़ी की नक्काशी का काम प्रमुखता से होता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर है और चंबल इसके 25 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। यहां तीन तहसील व तीन ब्लॉक हैं तथा चार नगरपालिका पंचायतें हैं।

लगभग 50% भौगोलिक क्षेत्रफल कृषि योग्य है। जिले का लगभग 58.75% क्षेत्र सिंचित है। नहर सिंचाई का मुख्य स्रोत है। गेहूं तथा सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसल बाजरा है। यहां पाइप, मुखौटे और खिलौने, फूलदान, पालना आदि की 156 लघु उद्योग इकाइयां हैं। यहां औसत वर्षा 750 मिली मीटर प्रतिवर्ष हैं और अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेट तक होता है। सामान्य भूभाग पहाड़ी हैं जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यहां की मिट्टी रेतीली और रेतीली दोमट है जो अस्थानिक भिन्नता को दर्शाती है। कुनो नदी चंबल की एक सहायक नदी है जो अभ्यारण को उत्तर से दक्षिण लंबवत रूप से विभाजित करती है।

श्योपुर जिले की ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाने के लिए कोई निर्णायक स्रोत उपलब्ध नहीं है। हालांकि 1026 ईसवी में एक जैन स्तंभ शिलालेख में श्योपुर किले के अस्तित्व का उल्लेख है। 11वीं सदी के प्रसिद्ध कवि खडग राय ने अपनी प्रसिद्ध रचना गोपांचल में श्योपुर का उल्लेख किया है। उनके अनुसार नरेश्वर के राजा अजय पाल (1194–1219) ने श्योपुर को अपनी राजधानी घोषित किया था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर कब्जा किया। उस समय श्योपुर किला हम्मीर देव के अधीन था। 1849 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने इसे जीता और मालवा में एकीकृत कर लिया। 1552 में शेरशाह सूरी ने श्योपुर किले पर कब्जा किया। उसके बाद बूंदी के राजा सूरजभान सिंह छड़ा ने श्योपुर के किले पर कब्जा किया। 1547 में अकबर ने इस पर कब्जा किया और परिणाम स्वरूप यह ग्वालियर महाराजा दौलतराव सिंधिया का हिस्सा बन गया।

4. ग्वालियर :– ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है शहर का नया खंड लश्कर कहलाता है, जो पुराने शहर से कुछ मील दूर दक्षिण में स्थित है। यहां कपास यार्न, पेंट, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, रसायन और चमड़े के उत्पाद वाले कारखाने हैं। ग्वालियर का केन्द्रक एक गढ़ है जो लगभग 91 मीटर ऊंची और 3.2 किलोमीटर लंबी और 830 मीटर चौड़ी एक चट्टान का शीर्ष है। कहा जाता है कि यह चट्टान 10 से अधिक सदियों से मजबूत पकड़ बनाती है। पुराना शहर चट्टान के पूर्वी छोर पर स्थित है। ग्वालियर शहर 1948 तक ग्वालियर रियासत की राजधानी था। 1948 से 56 तक मध्यभारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 1602981 थी। ग्वालियर का इतिहास आठवीं शताब्दी ईस्वी में एक किबदंती से मिलता है जब सूरज सेन नाम का एक सरदार घातक बीमारी से ग्रसित था तब एक साधू ग्वालिया द्वारा ठीक किया गया। उसकी कृतज्ञता के रूप में इस शहर की स्थापना हुई। महान राजवंशों ने ग्वालियर पर शासन किया। यहां के तमाम कवियों, संगीतकारों, संतों से इस शहर की पूरे देश में प्रसिद्धि है। तात्या टोपे और झांसी की रानी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक यहां स्थित है।

सन्दर्भ–

1. मध्य प्रदेश गवर्नमेन्ट रिपोर्ट (1953)
2. सिंह आर0जी0 (1977)– 'मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करने वाले डकैतों का पुनर्वास'
3. रूस्तमजी के0एफ0 (1961)– 'मध्य प्रदेश के डकैती की समस्या' पुलिस जर्नल खण्ड–7

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 5.999
Paper Recieved : 1st July. 22 Paper Accepted : 10th July. 22

"Microfinance in India (with Special Reference Sidhi District Madhya Pradesh)"

❒ Manish Giri*
❒ Dr. Sunil Agrawal**

ABSTRACT

The Eradication of poverty has been one of the most important agenda of most of the developing nations. The government and foreign aid worldwide have been trying to lift the poverty stricken individuals out of poverty and promote a sustained development. But many efforts like pure philanthropy did not fulfill its purpose as it failed to induce a sense of responsibility among the recipients. Many innovative many innovative approaches have been devised by the policy makers, international development agencies, non-governmental organizations and governments too for poverty reduction. Based on this many coordinated programmes and strategies have been launched in many developing countries. One such strategy of financial inclusion includes various approaches to poverty alleviation like microfinance. Since the early 1990s, financial inclusion and microfinance have become increasingly popular and they have helped to reshape the ongoing debate regarding poverty alleviation while keeping hope alive for the ultimate goal of poverty eradication.

Introduction:

Various programmes have been undertaken worldwide to combat poverty and the United Nations Millennium Declaration signed by all the 191 United Nation Member States, in September 2000 was a step towards it (World Health Organization 2016). The declaration was signed to combat poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation and discrimination against women. It consisted of following eight goals.

- Eradication of extreme poverty and hunger.
- Achieve universal primary education.
- Promote gender equality and empower women.
- Reduce child mortality.
- Improve maternal health.
- Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases.
- Ensure environmental sustainability.

* Research Scholar, Management, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.)
** Professor of Management, People's Institute of Management & Research, People's University, Bhopal (M.P.) India, Email - drsuagrawal@gmail.com

- Develop a global partnership for development. (World Health Organization 2016)

As per the United Nations report of 2016 "extreme poverty has declined significantly over the last two decades" and globally, the number of people living in extreme poverty has also decreased by more than half, falling from 1.9 billion in 1990 to 836 million in 2015 (United Nations, 2016). In this regard, most of the progress has occurred since 2000, the year in which the United Nations Millennium Declaration was signed.

The Sustainable development Goals superseded the millennium development goals is officially known as "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (United Nations 2016). It consists of 17 "Global Goals" with 169 targets between them to be achieved by 2030. Few Goals are -

- No Poverty.
- Zero Hunger.
- Good Health and Well-being.
- Quality Education.
- Gender Equality.
- Clean Water and Sanitation.
- Affordable and Clean Energy.
- Decent Work and Economic Growth etc. (United Nations, 2016)

As per the latest survey of the planning commission (2011-2012), 31.65% of the people live below the poverty line in Madhya Pradesh as compared to the all India average of 19.82% (Planning Commission 2011-12). The Success of such poverty alleviating programmes like microfinance is much required in Madhya Pradesh Demographically Madhya Pradesh comprises of a significant population of SC and ST which has been historically marginalized. The upliftment of such section is an imperative for the society, policymaker and government. In this regard, the present study is an attempt to get an insight on the success of microfinance program in the Sidhi district of Madhya Pradesh.

Sidhi is one of the favorite tourist spots of the Madhya Pradesh state mainly because of its famous Sanjay National park. The district is fluxed with tourists throught the year giving an excellent employment opportunity to the people residing here mainly in the dairy, vegetables and making sector. This focuses on studying the impact of microfinance in one of the backward district within the state of Madhya Pradesh. To understand the context of the study with regard to the underlying poverty alleviating strategy and framework is important. This chapter throws light on the status of microfinance in India. Madhya Pradesh and Sidhi. The research motivation, objective, research approach and methodology along with the scope of the study and limitations are also discussed. The service offered under microfinance include savings, credit, insurance, payment services as well as social intermediation like group formation etc. (Lidgerwood 1999). In the Indian setting, Microfinance has been defined as: "an economic development tool whose objective is to assist the poor to work their way out of poverty. It covers a range of services which include, in addition to the provision of credit, many other services such as savings, insurance, money transfers, counseling etc." (Reserve Bank of India 2011). Despite higher GDP growth rates achieved by India in the last decade, over 350 million rural Indians face chronic poverty (NABARD, 2015) . The 11th Five Year Plan of the Indian government aimed at inclusive growth and faster reduction of poverty. Further the 12th Five Year Plan (2012-17), plans to reduce poverty in the country by 10% (2% annually). (Planning Commission, Government of India, 2013).

The microfinance ecosystem in India has the following major players: Central and State Governments, Microfinance Institutions (MFIs), Non-Governmental Organizations (NGOs), Self Help Groups (SHGs), Banks (commercial, Rural and cooperatives) and Governing/Promoting

Agencies like Reserve Bank of India (RBI), NABARD. The major modes of microfinance in India are: Subsidized Bank Loans, Self-help group–bank linkages, Microfinance Institutions-Joint Liability Groups, Direct Benefit Transfers and community- based microfinance institutions like cooperatives and Post office based schemes (Chidambaranathan, Premchander, & Raj, 2013). India currently has 76.97 Lakhs SHGs with 58% of them have credit outstanding (NABARD, 2015) . Further, approximately 268 Microfinance Institutions are known to operate in the country. (91 Non-Banking Financial Companies and 132 Societies/Trusts) (Sa-Dhan, 2014) . Three states with the highest number of MFIs are West Bengal (45), Tamil Nadu (33) and Odisha (29) (Sa-Dhan, 2014).

In India, the Eleventh Five Year Plan aimed at an inclusive growth and faster reduction of poverty (Planning Commission, Government of India, 2013). The planning commission reports state "Microfinance can contribute immensely to the financial inclusion of the poor without which it will be difficult for them to come out of the vicious cycle of poverty." There is a need to strengthen all the available channels of providing credit to the poor such as SHG- Bank Linkage programmes, Microfinance Institutions, Cooperative Banks, State financial corporations, Regional Rural Banks and Primary Agricultural Credit Societies in order to enable the poor people to access credit is the fact which has been acknowledged by the planning commission report of 2013.

Sidhi District - Indicators and Status of Microfinance:

It lies in the eastern part of India with bordering states of Bihar (North), West Bengal (East), Odisha (South), Chhattisgarh (West) and Uttar Pradesh (North West). As per the 2001 census of India, the state has a population of approximately 3.29 croes distributed in 24 districts and 333 blocks (Government of Madhya Pradesh 2013). Madhya Pradesh is known for its plethora of tribal groups (total 32 distinct groups) which constitute 26.3 percent of the total population (Government of Madhya Pradesh 2016). Also Madhya Pradesh is well known for its mineral resources and leads the country in the production of Iron ore, Copper, Mica, Kainite, Uranium, Asbestos etc. (Government of Madhya Pradesh 2016). Key social indicators of Madhya Pradesh are presented in Table 1.1 (Department of Planning and development, Government of Madhya Pradesh 2018).

Table-1 : Key social sector statistics : Madhya Pradesh and Sidhi

Statistic	Madhya Pradesh	Sidhi District
Number of administrative block	333	10
Number of Gram Panchayats	23006	41
Number of Villages	55425	1059
Number of Households	1.51	2.38
Average Household Size	6.23	2.39
Area (in sq. km.)	308245	4851
Male Population (in crores)	3.76	0.058
Female Population (in crores)	3.50	0.055
Proportion of SC in population	15.62	11.55
Proportion of ST in population	21.09	27.8
Literacy Rate : Male	70.60	64.43
Literacy Rate : Female	67.23	53.52

Source : Department of Planning and Developent, Govt. of Madhya Pradesh 2018-19

Sidhi one of the districts of Madhya Pradesh is located. It is famous for being a pilgrimage center and attracts many tourists every year. Sidhi district is located in the western portion of the division Madhya Pradesh and its administrative headquarters are based in the town of Sidhi (Government of Madhya Pradesh 2016). In constitutes of the following 05 administrative blocks : Sidhi, Sihawal, Majhauli, Kushmi and Rampur Naikin (Department of planning and development, Government of Madhya Pradesh 2014). Key social indicators of Sidhi are presented in Table 1.1 (Department of Planning and Development, Govt. of Madhya Pradesh 2014). Sidhi has a total of 10 banks and 75 cooperative societies. There is a total of 224 branches of bank and cooperatives operating across the district. As of 2010, 4 MFIs and 4000 SHGs were working in the district (NABARD-2012).

Research Motivations:

The motivation for the research came after very closely observing the fact that microfinance is not only one of the potent tools for reducing poverty but also has the potential to make a positive change in the society in terms of empowerment of women and socio-economic upliftment of people residing below the poverty line.

Once the idea was formed, interactions with guides, peers and teachers helped to freeze the idea so that the research could move to the next level. The studies was undertaken in the Madhya Pradesh state mainly because Madhya Pradesh though has a plethora of natural resources and minerals yet it battles with a high level of poverty. Where in 36.96 percent of people live below poverty line, as per the latest BPL report 2011-12 of Madhya Pradesh. The state has also a large number of disadvantaged castes and tribes. Many studies related to microfinance have targeted areas where microfinance activity and its growth have been robust like the southern and western part of India. On the other hand in Madhya Pradesh the performance and growth of microfinance have not been satisfactory as per the multiple reports published by the NABARD. Insights on the reasons of this unsatisfactory growth and the ensuing impacts on microfinance borrowers in Madhya Pradesh could be valuable. Such insights could through light on how to improve microfinance services in Madhya Pradesh and Sidhi in particular.

Objectives of the Study:

Microfinance has grown 62% annually in terms of the number of clients served and 88% annually in terms of the gross loan portfolio, between 2005 and 2010 (M -Cril, 2011) making India the largest microfinance industry in the world. In this scenario where microfinance industry is booming and has been accepted worldwide as an important tool in alleviating poverty, the implementation of microfinance in Madhya Pradesh, a state, which is having a significant infrastructure gap, poor social indicators and a high index of poverty proper can help in alleviating poverty.

Further Sidhi "comes under 'C' category, i.e., the most backward district for industrial activities." (Government of India). Also, Sidhi was named as a backward district and hence came under the Backward Regions Grant Fund Programme (BRGF) of the Government of India. (Ministry of Panchayati Raj, 2009). A reality check of the impact of this programme on the upliftment of the socio-economic factors namely Income, Income distribution, Savings, Expenditures, Employment, Literacy and Migration will be of vital importance. This research consists of four distinct yet connected studies. The prime objective of the present study is to gauge the impact of microfinance on the social, economic and capability well being of the respondents and their satisfaction level. The detailed objectives are, however, delt in the chapter 4 of the present study. By achieving these objectives, the study intends to attain a nuisance

understanding of the various socio-economic dimensions of microfinance impact.

Research Approach and Methodology:

The study uses the mix method approach, offering a combination of qualitative and quantitative research questions. The Mixed method approach studies allow for the inclusion of both qualitative and quantitative methods of data collection and analysis to achieve a range of outcomes as discussed by Creswell (Creswell, 2005); and Greene et al. (Greene, Caracelli & Graham, 1989).

Using inductive derivation *Study 1* uncovers key dimensions like distance from city centre, the scope of future migration, etc. Combining the variables identified in Study 1 with other deductively isolated impact variables like saving, income, social status, migration, and education. *Study 2 & 3* focuses on measuring and analyzing the various impacts on microfinance borrowers in Sidhi District, Madhya Pradesh. While the *study 4* gauges the satisfaction level of the borrowers. The basis of selection of mixed methods approach was done upon the analysis of the overall purpose of the study and the research questions identified. The mixed method approach was deemed necessary as any one methodological approach does not provide a holistic view of the microfinance impact in Sidhi district. Both qualitative (semi-structured interviews, case studies) and quantitative techniques (OLS regression, ANOVA with post hoc analysis, t-tests) were used.

Scope of the Study:

The study undertakes an in-depth analysis of microfinance loan borrowers in the eastern Indian state of Madhya Pradesh. A relatively backward district of Sidhi was selected to better access the impact of microfinance on the social, economic and capability well- being of the borrowers. The study involved only the women respondents, as microfinance schemes are largely focused on women members of the society. In an attempt to build a nuanced understanding of the impact, various impact and grouping variables are utilized. The impact variables are income, family support, social status, migration, training/ skill, education and saving while the grouping variables are age of the borrowers, caste, distance from the district headquarter, loan cycle, and education level.

Conclusion:

The present study holds importance as there had been very few studies in the Eastern region of India in the field of microfinance. Madhya Pradesh is one of those eastern region states of India where according to the planning commission report of 2011-12 about 36.96% of the people live below the poverty line as compared to the all India average of 21.92% (Planning Commission., 2011-12). The Success of such poverty alleviating programmes like microfinance is much required in Madhya Pradesh as microfinance through various previous research studies carried out worldwide has established itself as a potent tool for poverty alleviation.

Madhya Pradesh demographically comprises of a significant population of SC and ST which has been historically marginalized. The upliftment of such section is an imperative for the society, policy maker, and government. Sidhi “comes under C‘ category, i.e., the most backward district for industrial activities” and it receives the Backward Regions Grant Fund (BRGF) from the Government of India. (Ministry of Panchayati Raj, 2009)

References:

- Agricultural Finance Corporation, L. (2008). *"Assessing Development Impact of Microfinance Programmes"A Study Commissioned by SIDBI*. Retrieved from www.sidbi.in AIMS. (2001). *Conceptual Framework for Assessing the Impacts of Microenterprise Services.*
- Washington D.C.: Assessing the Impact of Microenterprise Services (AIMS), USAID.
- Albino, M., & Subramanian. (2008). —Reaching out to the Unbanked in Madhya Pradesh . *Institute of Financial Management and Research- Centre for Micro Finance, Case Study*.
- Anitha, H. S., & Revenkar, A. D. (2007). Micro Credit through SHG for Rural Development. *Southern Economist, 46*(8).
- Barua, R., & Sane, R. (2014, May). *Discussion Papers in Economics Repayment in microfinance:The role of financial literacy and caste.* Retrieved 04 16, 2016, from Indian Statistical Institute, Delhi.
- Chandrakumarmangalam, S., & Vetrivel, s. c. (2012). Impact of Group-Based Microfinance on Rural Households in India. *The IUP Journal of Management Research, Vol. XI*(No 2).
- Chidambaranathan, M., Premchander, S., & Raj, M. (2013, June). Community-based microfinance: The potential and challenges of self-reliant, self-help group cooperatives. *Enterprise Development and Microfinance, 24*(2), 118-134.
- Department of Planning and Development, Government of Madhya Pradesh. (2014, 11 17). *Madhya Pradesh Social Sector Statistics 2014.* Retrieved 04 15, 2016, from Department of Planning and Development, Government of Madhya Pradesh.

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 15th July 22 Paper Accepted : 20th July 22

नारी चेतना और आधुनिक समाज का सह-संबंध

❐ पंखुड़ी शर्मा*
❐ डॉ. बी.एन. ओझा**

शोध सारांश

भारतीय संस्कृति में अनादि काल से नारी चैतन्य थी। हर समय, हर युग में वह अपनी शक्ति, सामर्थ और बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। वह कभी पिछड़ी नहीं रही। उसका घर के अंदर एवं बाहर दबदबा था और आज भी है। नारी के जो विविध रूप हैं, उनमें अमर्यादित एवं कुल्टा की ही निन्दा होती है। हाँ, नारी अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह से जानती है। चाहे वह माँ, पत्नी, कन्या, बहन, भौजाई आदि किसी रूप में हो, उसकी सच्चरित्रता और कर्त्तव्यता सदा प्रशंसनीय रही है।

मुख्य शब्द :– बुद्धिमत्ता, चैतन्य, सामर्थ, अमर्यादित, कर्तव्यता, सच्चरित्रता, प्रशंसनीय, आदेशित, कुल्टा इत्यादि।

प्रस्तावना :–

नारी शास्त्र एवं शस्त्र दोनों की ज्ञाता थी। तभी तो राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी को युद्ध भूमि में ले जाते थे और उन्हें असीम प्रेम करते थे।

''मा रौत्सार्मा च कार्षीस्त्वं देवि सम्परिशोषणम्।
अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम।
दरिद्रः को भवेदाढयो द्रव्यवान् वाप्यकिंचनः।
अहं च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः।
न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे।।
आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्।''1

महाराज दशरथ कुपित रानी से प्रसन्नता पूर्वक पूँछते हैं कि तुम्हारे नाराज होने का क्या कारण है? या फिर तुम्हारी जो इच्छा हो उसे शीघ्र बताओ मैं उसे पूरा करूँगा। किस निर्दोष को मृत्यु दण्ड और किस राजा को कंगाल बनाना है। हम और हमारे सैनिक तुम्हारे अधीन है। तुम जैसे चाहो आदेशित कर सकती हो। तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति होगी। चाहे उसके लिए मुझे प्राणों की बाजी लगानी पड़े। इसलिए बिना किसी संकोच के तुम मुझसे अपनी बात कह सकती हो।

इस श्लोक में हम देखते हैं कि महाराज दशरथ जो एक चक्रवर्ती राजा हैं। अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। इस प्यार में भले ही उन्हें धोखा मिल जाए लेकिन राजा का समर्पण अद्वितीय है। नारी अपना अधिकार और कर्त्तव्य दोनों जानती थी। नहीं तो कैकेयी अपने वरदान के लिए कोप भवन में क्यों जाती ? उन्हें पता है कि राजा ने हमें जो दो वरदान दिए थे, उनके पास वह धरोहर है। त्रैलोक्य विजयी राजा दशरथ रानी के प्रेम, सौन्दर्य और रूप लावण्य में मोहित हैं। वे हर असंभव कार्य को करने के लिए उतावले हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रानी ने किस प्रकार युद्ध भूमि में दशरथ जी के प्राण बचाए थे।

* शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक एवं विभागध्यक्ष, श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, रीवा (म.प्र.)

"पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः स्वयम्।
इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः।।
जगाम सेनया सार्धं त्वया सह शुभानने।
युद्धं प्रकुर्वतस्तस्य राक्षसैः सह धन्विनः।।
तदाक्ष कीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः।
त्वं तु हस्तं समावेश्य कीलरन्ध्रेऽतिधैयेतः।।"2

प्राचीन काल में जब देव असुर संग्राम हो रहा था, उस समय देवताओं के राजा इन्द्र ने महाराज दशरथ से सहायता माँगी थी। दशरथ जी सेना के साथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी को भी उस संग्राम में ले गए थे। जब राजा दशरथ दानवों से लड़ रहे थे, उसी समय उनके रथ की धुरी की कील टूट गई। राजा युद्ध में व्यस्त थे। कैकेयी जी ने जब यह देखा तो उन्होंने बड़े साहस और धैर्य के साथ कील के स्थान पर अपना हाथ लगा दिया। युद्ध के पश्चात् महाराज ने जब रानी के इस कार्य को देखा तो उन्हें उस वीरांगना के अदम्य साहस की भूरि–भूरि प्रशंसा की और फिर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया।

महारानी कैकेयी अनुपम सुंदरी के साथ रण कौशल में भी प्रवीण थीं। तभी तो राजा दशरथ उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। उनके लिए प्राणों की वाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते थे। महारानी के उस अद्भुत आश्चर्य जनक एवं अभूतपूर्व कार्य से महाराज के प्राण बच गये और वे युद्ध में विजयी हुए।

आज भी पतिव्रता स्त्रियाँ अपने पति के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वे पति के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। पर्वतों पर चढ़ना, घुड़सवारी करना, युद्ध कला अभ्यास आदि कार्य में स्त्रियाँ दक्ष हैं। समय आने पर वे हर एक क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही हैं। पुरुष और स्त्री का भेद न तो उस समय था और न आज है। अपवाद हर समय हुआ करता है।

आज नारियाँ, पुलिस, सेना आदि क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उनके इस कार्य के लिए सरकार समय–समय पर उन्हें पुरस्कृत भी करती है, जिससे उनका हौसला घटे न।

रानी कैकेयी के दृष्टांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल की स्त्रियों युद्ध कला में दक्ष होने पर रण भूमि में चण्डी का रूपधारण कर शत्रु का संहार करती थीं।

स्त्री जब रूठ जाती है, तब पुरुष उसे मनाता है। मन चाही वस्तुओं को देता है। जैसे कैकेयी के रूठने पर राजा दशरथ उन्हें मनाते हैं। वे बुद्धिमती भी थी। उन्हें पता था कि कौन–सा कार्य करेंगे तो राजा मुझे मनाने आएँगे। फिर वरदान कैसे माँगना है, इसकी भी युक्ति उनके पास थी।

"इति ब्रूवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि।
शनैर्विमृज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत।।
यदि सत्यप्रतिज्ञोऽसि शपथं कुरुषे यदि।
याच्वां मे सफलां कर्तुं शीघ्रमेव त्वमर्हसि।।"3

सौगंध को कल महत्व दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। अपनी बात को मजबूत करने के लिए लोग अपने प्रियजनों की कसम खाते हैं। कसम इसलिए खाते हैं कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। जैसा कह रहे हैं, वैसा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को विश्वास दिलाने के लिए श्रीराम की सौगंध खाते हैं। जब रानी ने सुन लिया कि वे अब अपनी प्रतिज्ञा प्राण देकर भी पूरी करेंगे, तब उन्होंने अपनी माँग राजा के समक्ष रखी। अर्थात् रूठने मनाने का सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है।

निष्कर्ष :– इस तरह हम देखते हैं कि भले ही समाज पुरुष प्रधान रहा हो लेकिन स्त्रियों का शासन हमेशा रहा है। कैकेयी के समक्ष नत मस्तक हो जाता है।

संदर्भ सूची :–

1. वा.रा.–02 / 10 / 32–34 1 / 2
2. अध्यात्मरामायण– 02 / 02 / 66–68
3. अध्यात्म रामायण– 02 / 02 / 15,16

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
SHODH CHETNA Year 2022 Vol. 3 PRAYAGRAJ
Paper Recieved : 20th July. 22 Paper Accepted : 30th July. 22

Patrick White's *A Fringe of Leaves:* Portrayal of Ellen's Existence through Hardship and Molestation

❐ Dr. Rajeev Kumar*
❐ Dr. Arvind Kumar**

ABSTRACT

The paper throws light on Ellen's ultimate experience, conscious control and unconscious impulse. Ellen makes a journey from civilization into savage, darkness and emerges back to civilization. It has attempted to demonstrate White's use of landscape that reflects his personal struggle with native people of Australia. White has created various conditions of characters who reflect the aspects of uncertainty or various existential concerns. White has attempted almost all the genres in English literature. He exceeds this as; "wanted to discover the extraordinary behind the ordinary". (White 15) His characters are visionaries and have a special quest and vision. For making their vision true, they struggle and finally achieve the goal. White moves with subtle presentation with close integration of close narrative and thematic development. He is a unique craftsman who carefully depicts his characters. *A Fringe of Leaves* is based on the true incident occurred with Eliza Frazer in 1836. She was shipwrecked off the coast of Queensland while returning to England. The inhabitants of the coast, known as aborigines, captivate and enslave her for months where she suffers brutalities and humiliations. White fictionalizes his novel *A Fringe of Leaves* on the survivor's experience of captivity. The protagonist Ellen Roxburgh suffers for her existence gets married with Austin. Both visit Australia to meet Garnet, younger brother of Austin. Accidentally, she falls prey to Garnet who molests her. While returning, they are captivated after shipwreck. The story of Ellen Roxburgh undergoes the several transformations before reaching the place of safety called Moreton Bay. In *A Fringe of Leaves*, Ellen is imprisoned from the natural world. She comes out from different circumstances in her own lives. The study is the presentation of win and defeat. Here, White's characters struggle for the meaning of their lives in disharmony.

Keywords: Patrick White, Brutality, Molestation, Suffering, Savagery and Civilization.

* Dept. Applied and Humanities, Sunder Deep Engineering College, Ghaziabad
** Dept. of English, GMV Rampur Maniharan, Saharanpur
Email Id: arvindkumarsisana91@gmail.com

Patrick Victor Martindale White, an Australian writer, is widely regarded as one of the most important novelists of the 20th century. He delineates characters that are very sensitive. White's characteristic strength is powerful. His chief character struggle and finally achieve their identity. In *A Fringe of Leaves*, White introduces Ellen, the single survivor of the shipwreck of Australia where she undergoes both physical and mental torture. She finally achieves her identity by undergoing a total transformation of herself.

A Fringe of Leaves deals with metaphysical experiences of his characters. White presents them with a strong grip and exposes the realities of human life in his works. A reading of *A Fringe of Leaves* reveals a fresh insight into White as a novelist. He may also be called a feminist who creates especially Ellen Roxburgh is concerned. The quest of White's women towards self-actualization does not involve a rejection of the world of men; rather their initiation is one that signals attainment of a state of enhanced gender equality. In Australia the initial immigrant population was largely from the British Isles and British settlers in Australia often found it difficult to determine the nature of their identity in a strange land.

In this novel, Blacks and European colonizers contribute to the narrative events. The plot revolves around the lives of the European settlers and Aborigines. The concept of the novel is a discussion of existence with a special reference to Ellen Roxburgh. In *A Fringe of Leaves*, White unveils a woman's struggle to define her individuality through extraordinary behind the ordinary whether Ellen's struggle leads to triumph or capitulation. The novel is one of the well-constructed novels of White. The plot is debated on different aspects of the heroine Ellen- she comes from the urban life, her encounter with Garnet in Van Diemens Land, and her torture by Aborigines. Finally she meets a convict and Oake's family members.

White has always insisted that his novels are autobiographical to some extent but this appears to be more explicitly than the others. Suffering is one of the most striking features of the novel. The novel is based between the two cultures England and Australia; the former being referred to as a place of refined and civilized people, with Ellen and her moralistic mother in law. But Australia is discussed as; "a country of thorns, whips, murderers, thieves, shipwreck and adulteresses".(280) White tackles existential concerns as well as myriad human flaws, weaknesses and hypocrisies in this work. The heroine, a young Ellen is trained in the 'Cornish Beliefs' of her family who comes from a small rural village. She had lived a hard life with a drunken father on the crude Cornish farm, and married a man twenty years older than her and a convalescing lodger:

> A lonely childhood, followed by marriage with a man twenty years her senior, had inclined her reverie. Perhaps her most luxurious indulgence was a self conducted tour through the back waters of experience. (White 280)

The novel is set in the Australia of the 1840s. Vimala Rao says that *A Fringe of Leaves*, as a "powerful narrative and moral visionary" (109). The action of the story in fact starts around 1835. Ellen and Austin Roxburgh are the married couple never separated except at the moment of the death. Austin is a rich man whose copy of 'Virgil' is a closer companion to him than his wife. Ellen is uneducated and is twenty years younger than her husband.

The story is based on the account of Mrs. Eliza Eraser's shipwrecking. The composition of the novel is organized around the voyage but a return voyage when the Roxburghs return from Australia. Ellen is a rough Cornish girl who is a modest and sensible. She has full of gratitude to her husband who is a rich but weak and twenty years older than her. Austin, a learned man from Cheltenham, suffers from a poor health. He is a bibliophile and always carries books of classical literature. They eventually get married. But Austin's lack of love forces Ellen to follow the path of hell. Soon she diverts her attention towards

Garnet Roxburgh. Although Ellen outwardly dislikes her brother-in-law but inwardly she is attracted towards him. One day when Ellen falls from the mare, Garnet offers her his help. But she protests; "Don't, please! I'm most obliged. It's nothing –Garnet". (102), but finally she gives up her self-control and submits herself to him:

She was again this great green, only partially disabled, obscene bird, on whose breast he was feeding, gross hands parting the sweeping fold of her tormented and tormenting plumage; until opening and closing, she might have been rather, the green, fathomless sea, tossing, threatening to swallow down the humanly manned ship which had ventured on her. (102-103)

After leaving Garnet, Ellen is closely devoted to her husband. She finds a transformation in Austin Roxburgh. He protects his wife, "… whose value had been increased by this child of theirs hidden inside her. He loves her, he felt, as he had never been capable of loving any other human being, excepting, perhaps, the imagined brother of his childhood"(177). But her happiness is short-termed. She gives birth to a premature in the ship but the infant dies soon due to some reason. When the ship is wrecks, the white people are encircled by the savages. Mr. Roxburgh feels elated as well as frightened. A spear from the cannibals hits Austin. Austin, at that moment, asks Ellen to pray for him. Ellen, out of pain at her heart cries, "Oh, no, Lord! Why are we born, then?"(215). Ellen's only hope is gone. The person who offers her his love is no more. She feels that there is no one in this world to love her.

Once Austin and Ellen both visited Garnet's farm named Van Diemens Land in Australia. Ellen is seduced and raped by him there in the bush. After molestation, Ellen boards on the Bristol Maid, a ship that will shortly be sailing for London. Soon the Bristol Maid wrecks. Mr. and Mrs. Roxburgh are too shocked to understand the situation and restore courage in the crisis. They find no shelter but somehow they come on the land. The land is full of aboriginals who kill Captain Purdew, captain of the ship and Austin. Now Ellen mourns alone helplessly for her dead husband, "Awwwh!, Ellen cried out from what was again an ignorant and helpless girlhood". (214) "Oh, no! No, no!" shrieked Ellen. The open eyes of the dying man realized that his wife was different;

Ellen, you are different. The light...or brim of that ...huge...country...hat. Raise it, please.... so that I can see... The last sentence which the husband uttered in front of the blubbering, bellowing wife who was sitting on her knees in front of "the calf with the knife at the throat of him. 1 forgot, Pray from me Ellen. (White 240)

Ellen survives in the midst of the savages. The aboriginal women fling sand at her face. She is totally shattered by their inhuman attitudes. They remove her clothes and disappear into the bush. Ellen is left alone. She wears only a fringe of vine leaves around her waist. She experiences the alienation of humanity for the first time in her life. There is a sense of lifelessness in her. But she musters courage to face the situation.

Ellen, the only survivor, faces the cannibals. The eating of human flesh by the aborigines may seem savage in a civilized society's view. But it is the same society which barbarically punishes fellow humans with penal laws. This questioning is provided by Jack Chance, the escaped convict who helps Ellen to return to society. Jack tells her; "Man is unnatural and unjust." Further, Veronica Brady says that White has tried to point out in the novel as to how; "aboriginal culture which acknowledges the debt to nature is closer to human truth than White colonial society which doesn't." (Brady 114)

They enslave her and torture physically and mentally. Her encounter of human cannibalism with the aborigines' captivity is a tragic experience in her life. She is forced to undergo physical suffering, humiliation and hardship. The native aboriginal women torn Ellen's clothe. They leave her naked and she weaves a fringe of leaves for herself. They throw sand at her, pinch her and shave her to make her ugly.

Ellen is surrounded by a group of savage women who are in no way noble. They prod her, jeer at her and soon strip her. She drapes her nakedness with the fringe of leaves. Her body and face are smeared with disgusting hide of animals and they paint her with charcoal. She is humiliated and is forced to nurse a sick child. She behaves like an animal when she is driven to extreme hunger. Now her 'self' withdraws. Mrs. Roxburgh completely identifies herself with the blacks. All her sufferings arouse an instinct of love in her and she loves one of the aboriginal girls. The blacks order her to climb trees. She is subjected to worse humiliation when the women were searching their own and their children's heads for vermin. She participates in the ritual of eating human flesh.

As time passes Ellen gives up hope of returning to normal life. There is no chance for escape. They torture her physically and mentally. She becomes a beggar and weaker than an old woman. She has to climb the trees and becomes a part of the savage acts. She also tastes human flesh. Ellen endures the life there and slowly learns to forget the past.

Her suffering goes back when she meets Jack Chance, a convict from the mainland. She is afraid of him but dares to talk the savage man. She interacts with him and shares her own inner pathetic voice and tragedy. She feels half died among the blacks but her inner voice assures her to come to end the tortures. Jack Chance, a convict comes along with the black convicts inhabited on the island among them. Ellen meets him and they create deep intimacy in each other. They live like partners in life for quite some time. After a period Chance sympathizes with Ellen and convinces her to seek a better future. Jack decides that she must start a new life and makes her return to civilization. He facilitates her to escape from the savage island to a safe place in the mainland. Mr. and Mrs. Oakes give her a new lease of life. Ellen has completely changed and regained energy and courage to face the world boldly. She now waits for meeting a widower merchant, Mr. George Jevons to be her partner.

She is greatly moved by his story and begins to love him more. She tries to make him believe in a true love. She genuinely pities the convict and likes to heal his innermost wounds. She treats him as a child and offers to make amends for his sufferings. She insists him; "We shall have to trust each other, she persisted. Only bring me to Moreton Bay and I promise they'll give you your pardon". (252). Her meeting with the escaped convict, Jack Chance puts her back on the road to civilization. She parts from Chance at the edge of the forest. She again enters a civilized background as she steps onto the Oakes' farm. She comes back to life like a new born baby. Mr. and Mrs. Oakes slowly coax her into a normal kind of existence.

Ellen's life long quest for making her identity and existence closely relates to her sexual relationship with people. Her feeling of love is stronger than her sexuality. She has a strong dream in her mind and hopes to full fill it sooner or later. The dream is that a lover will come out of the sea and she will sail away with him to Tintagel. In her dream, she wishes for Austin before she marries him; "It is my ambition to see Tintagel". But neither her love nor her sexuality has found a proper outlet during her life with her husband. Ellen Roxburgh, writes in her journal; "Virgil often makes me jealous!" Ellen feels that the whole of her life had been spent listening to men telling stories and smiling to encourage them.

In spite of all the scars remaining with her from a devastating past, Ellen is still vulnerable. She is solidly concerned with what is right. She still retains that hunger to love and to be loved. The last reality that Ellen has to accept is the relationship with Mr. George Jevons and the expectation that love might be possible between them. Miss Scrimshaw, Ellen's friend believes that her condition will restore soon.

Patrick White has quoted Louis Aragon's words as his final epigraph: "Love is your last chance. There is really nothing else on earth to

keep you there." (6). This serves very well to express the final meaning of the novel. Ellen's one aim in life as seen throughout the novel is to be a woman, true and good. She herself is not aware of the depth of goodness in her. She retains this quality of loving others, even when the others are cruel to her. Right from her father and ending with her cultivating a feeling of love towards Mr. Jevons in the last part of the novel, Ellen has sustained her own spirit on this spirit of love.

Ellen's life comes to a full cycle when she returns to her society. Her suffering in the bush has been extreme. She emerges as a self-accepting, compassionate woman who empathizes with the pain of the chained convicts and the vulnerability of children. John Colmer has noted that Ellen "finds a freedom and joy among them [the natives] that she lacked in the stultifying social circles at Cheltenham with Austin" (77). Her life in the jungle has another side. It does not reproduce her life as Mrs. Roxburgh or as Ellen Gluyas, but allows her to discover her own, unique sense of self.

Ellen's cannibalism shatters the division between Ellen Gluyas and Mrs. Roxburgh by uncovering her essential, naked self. She expresses a new sense of identity by believing that, for the first time in her life, she can make "… a decision more positive than any she had hitherto made in a life largely determined by other human beings or God: she must resolve whether to set out on the arduous, and what could be fatal, journey to the settlement at Moreton Bay". (247). After seeing an escaped convict, Jack Chance, she takes her most significant action. She promises him a pardon if he takes her back to civilization.

Finally Ellen insists that she is bound by duty to ask for Jack Chance's pardon: 'For the convict', she said, 'the man Chance- to whom I owe my survival'. 'And why must I be reminded? My purpose at Moreton Bay is to see that justice is done'. (356). When she turns to go into the boat taking her back to England, she utters with satisfaction; "I have done my duty, I hope, by everybody."(361)

Thus, the novel "A Fringe of Leaves" shows the individual's quest for existence which she achieves through the painful experiences. Now she is free from savagery and returns to society with a new understanding of herself.

REFERENCES

1. White, Patrick. *A Fringe of Leaves*. Random House, Australia. 1976.
2. Marr, David. Patrick White, a life. Milsons Point, 1991.
3. Walsh, William. Patrick White's Fiction. George Allen and Unwin. 1978.
4. Marr, David. Patrick White: A Life. Vintage, London, 1992.
5. Rajasri. K. The Theme of Self- Realisation in Patrick White's *A Fringe of Leaves* Language in India, Vol. 16:8, pp. 155-172.

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 5th August 22 Paper Accepted : 20th August 22

बघेल राजवंश की स्थापना एवं बघेल शासक

❒ सुखेन्द्र सिंह*

शोध सारांश

कर्ण बाघेला को उलाऊद्दीन खिलजी के आकस्मिक आक्रमण का सामना करना पड़ा जिसके लिये वे बिल्कुल तैयान नहीं थे। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी तथा सत्ता लोलुप शासक था। वह सत्ता के लिये अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात में आक्रमण पूर्व नियोजित नहीं था। गुजरात अपनी उर्वरा भूमि तथा व्यापार के कारण सम्पन्न था। यह एक व्यापारिक केन्द्र था अरब तथा फारस से व्यापार इसके बन्दरगाहों से ही होता था। व्यापार के कारण यह एक धनी राज्य था। अलाउद्दीन खिलजी को इसके वैभव ने आकर्षित किया था। उसने गुजरात को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। अलाउद्ददीन ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिये उसके आक्रमण किये किन्तु गुजरात में उसका पहला आक्रमण था। जो अभी तक किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने नहीं किया था। गुजरात के लिये राजस्थान या मालवा से होकर पहुँचा जा सकता था जो अभी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन नहीं था। अतः अलाउद्दीन के आकस्मिक आक्रमण का कोई न कोई तात्कालिक कारण अवश्य रहा होगा। इस शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं को ज्ञात करने का प्रयास है।

मुख्य शब्द–बघेल, राजवंश, स्थापना, बघेल, शासक, गुजरात, आक्रमण, व्यापारिक, अलाउद्दीन आदि।

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र में हम राजपूत चारण नैणसीख्यात से अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के तात्कालिक कारणों का आभास होता है।[1] गुजरात के बघेलराज्य का मंत्री माधव अपने राजा कर्ण बघेला से अप्रसनन था क्योंकि राजा कर्ण उनकी पत्नी रूपसुन्दरी का अपहरण कर लिया था। कर्ण बघेला के विरुद्ध मंत्री माधव ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी थी। इसकी पुष्टि रासमाला से भी मिलती है।[2] अलाउद्दीन खिलजी ने इस आन्तरिक कलह का भरपूर फायदा उठाया तथा अन्य राज्यों को छोड़कर गुजरात में आक्रमण करने का निश्चय किया। इसका कार्यभार उलुग खॉ और नुसरत खॉ को सौंपा। नुसरत खॉ दिल्ली से 24 फरवरी 1299 ई. को दिल्ली से प्रस्थान किया और उलुग खॉ सिन्धु से आगे बढ़कर राजस्थान में चित्तौड़ के निकट नुसरत खॉ से जा मिला। उसके

* शोधार्थी इतिहास, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

बाद दोनों सेनापतियों की संयुक्त सेना चित्तौड़ राज्य से होती हुई बनास नदी पार करती हुई उड़ीसा दुर्ग में अधिकार कर लिया। उलुग खॉ गुजरात में प्रवेश किया तथा व्यापक लूटपाट की। राजाकर्ण इस आकस्मिक आक्रमण से घबरा गया तथा अपनी सुरक्षा के लिये अपनी पुत्री देवलदेवी को साथ लेकर दक्षिण की ओर देवगिरि भाग गया। उसने अपनी पटरानी कमलादेवी जो राजा कर्ण से क्षुब्ध थी राजनिवास से नहीं ले गया। राजा कर्ण की इस कायरतापूर्ण कार्य से मुस्लिम सेना के हौसले बुलन्द हो गये। सभी समृद्ध नगरों को लूटने का मौका मिल गया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार और जैन जिन प्रभासूरी ने मुसलमानों के इस बर्बरतापूर्ण लूटमार का अच्छा वर्णन किया है।[3] इस लूटमार में मुस्लिम सेना को शाही खजाना के साथ राजनिवास में बघेल पटरानी कमला देवी के साथ अन्य महिलायें भी प्राप्त हुईं। राजधानी अन्हिलवाड़ा के साथ सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। इसके साथ ही अन्य मंदिरों मठों तथा महलों को भी लूटा इसी लूटपाट में एक व्यापारी से काफुर[4] को भी छीन लिया। जो अलाउद्दीन का अत्यन्त विश्वसनीय तथा योग्य सेनापति बना। सारा गुजरात लूटने के पश्चात् शाही सेना वापस लौटी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अपने साले अलप खॉ को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया।

बघेलों का विन्ध्यांचल में प्रवेश–

मुस्लिम सेनाओं की लूट से आश्रय की तलाश में इस राजवंश के दो भ्राता वहाँ से पलायन करके विंध्य श्रृंखला से गुजरते हुए मध्यपूर्ण में आश्रय लिया हो तो कोई अत्युक्ति नहीं। भौगोलिक दृष्टि से स्पष्ट है कि विन्ध्य की पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात की गिरनार की पहाडियों के रूप में फैली हुई है। विन्ध्य क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुरक्षित तथा सम्पन्न क्षेत्र था। इसी कारणवश गुजरात से मध्यपूर्व विन्ध्य को अपना आश्रय क्षेत्र बनाया। इसका उल्लेख ''एकता बान्धवगढ़''[5] में इस प्रकार किया गया है–

''कालिंजर आई दुई भाई भर राजा के चाकर में, वीसलदेव जेठे भीमलदेव लहुरे गहोरहि आय। पुरिखा सात भीर गहोरा रहे। ठाकुर कहावै लागि। भीमलदेव गहोरा लोधिन कह मारि के गहोरा छडाई लीन्हेन पुनि गहोरा कोरि राज कालिंजर के भीमलदेव का दीन्हेनि''।

इसी संदर्भ में खासकली व वंशावली में भी वर्णन किया गया है–''कालिंजर आई भर राजा के वीसलदेव चाकर में। गहोरा जागीर पाइन। तिवारी मिलाई के आधाराज देइ काही हिसा। लोहिन का मारिन। गहोरा अयल भा गहोरा रहे पुरिखा सात।''[6] जनश्रृति से ज्ञात होता है कि इन बघेलों का आदि पुरुष व्याघ्रदेव थे।[7] हीरानन्द शास्त्री ने वीरभानूदयकाव्य[8] में अप्राप्त व्याघ्रदेव, कर्णदेव? सोहागदेव, सारंगदेव, वीसलदेव, दलकेश्वर, मलकेश्वर और बरियारदेव जैसे आठ नामों को कल्पित कहा गया है।[9] ये नाम वीरभानुदय काव्य में नहीं है। वीरभानुदय काण्यम् में बघेलवंश की शुरुआत भीमलदेव से होती है।[10] बघेलवंश वर्णनम् में इनके पहले शासक का नाम कर्णदेव बघेल(कर्ण बघेला) किया गया है जिस गुजरात से उत्पन्न बताया गया है।[11]

यह वही कणदेव बघेल (कर्ण बघेला) थे जो गुजरात में उत्पन्न हुये थे तथा अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। जैसा की विदित है कि अलाउद्दीन के गुजरात के आक्रमण में भीषण लूट–पाट हुई। (सन् 1299) कर्णदेव बघेला देवगिरि भाग गया तथा राजवंश के दो भ्राता यहाँ से पलायन करके विंध्य श्रृंखला से गुजरते हुए मध्य पूर्व विंध्य में अपना ठिकाना बनाया। इन्होंने सर्वप्रथम कालिंजर के भर शासकों के यहाँ सेवा दी तथा शक्ति संचय करने पर गहोरा के शासक बन गये।

बघेलों का राज्य केन्द्र गहोरा–एक परिचय

गहोरा स्वाधीन बघेलों की पहली राजधानी थी जो रेवा पठार के तलहटी क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में गहोरा बांदा चित्रकूट (उ.प्र.) में स्थित है। कर्बी से 14 मील पूर्व रयपुरा गांव बसा है।[12] यहाँ दो नदियाँ

प्रवाहमान है। इन्हीं दो नदियों के संगम में 'गहोराखास' नामक गांव बसा है। ये दोनों नदियाँ जल परिखा का काम करती है। वास्तविक नगर नदी के दूसरे किनारे प्रारम्भ होता है। इन दोनों भागों में दूरी कुछ भी नहीं है। केवल नदी के कारण विभाग हो गया है। वास्तविक नगर में महल, मंदिर, कुण्ड तथा नागरिकों की बस्ती के चिन्ह अब तक भली–भाँति पाये जाते हैं। असली नगर वाला हिस्सा, 'खेरवा' नाम से विख्यात है। 'खेरवा' से अभिप्राय खेर अथवा डीह से है अर्थात् वह स्थान जो किसी समय आबाद रहा हो किन्तु अब उजड़कर खेती के काम आता हो।''[13]

इसी खेरवा में एक स्थल पर 'सतीचौरा' के चिन्ह मिले जहाँ रानियाँ सती होती थी। यहाँ एक सती स्तम्भ मिला है जिसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा बुल्तार देव की मृत्यु पर उनकी दो रानियाँ सती हो गयी थी।[14] गहोरा गन्ता नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके उत्तर–पश्चिम में गन्ता नदी तथा पूर्वी दिशा में घिरमा नदी इस क्षेत्र को घेर कर बहती है। गहोरा खास गन्ता नदी के किनारे बसा था।

गहोरा के प्रारम्भिक बघेल राजा

वीरभानुदय काव्य में बघेलवंश की शुरुआत भीम (भीमलदेव) से मानी जाती है।[15] भीमलदेव के पुत्र अनीकदेव को वीरभानुदय काव्य में पहला जागीरदार शासक माना गया है। अनिकदेव के पश्चात् उनके पुत्र बलनदेव को गहोरा का स्वामी माना गया है। प्रारम्भ में बघेल मात्र जागीरदार थे तथा शक्ति सम्पन्न हो जाने के बाद स्वामी बन गये।

गहोरा का प्रथम बघेल राजा बुल्लारदेव– बालनदेव के पश्चात् उनके पुत्र बुल्लारदेव गद्दी पर बैठे। ये पहले स्वाधीन शासक थे। जिन्होंने ''महाराजाधिराज'' की उपाधि धारण की थी।[16] बुल्लारदेव ने लगभग 1351 ई. से 1360 ई. तक शासन किया था। उनकी रानी का नाम राजला देवी था जो धार्मिक व परोपकारी स्वभाव की थी। उसने बड़ा सरोवर खुदवाया और राजमंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में गहोरा खास के निकट रायपुरा में एक बहुत बड़ा जल सरोवर है जो रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। बुल्लार देव सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के समकालीन थे जिनके सिक्के बघेलखण्ड क्षेत्र में मिलते हैं।[17] फिरोज तुगलक के शक्तिहीन होने पर सभी सूबे स्वतंत्र होने लगे तो बुल्लारदेव ने स्वयं को भी स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बुल्लारेदव के पुत्र सिंहदेव ने त्रिवेणी (प्रयाग) में जल समाधि लेकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बुल्लारदेव ने अपने पौत्र वीरमदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाया।[18]

काव्यग्रन्थ में उल्लेख मिलता है कि मुस्लिम पठानों के साथ युद्ध किया थे। उसका राज्य काल में गहोरा के पूर्व गंगा–यमुना तथा विंध्याचल के बीच तरिहार में एक पट्टी के रूप में सीमित था। उचेहरा में उसका समकालिक वीरराजदेव परिहार एक शक्तिशाली शासक था तथा उसे भी महाराजाधिराज कहा गया है।

रेवा–पठार का उपरिहार क्षेत्र संभवतः अभी इसी परिहार शासक के अधीन था। अपने इस सीमित क्षेत्र में बुल्लारदेव छोटे–छोटे सामन्त बना लिये होंगे किन्तु उसके शासन प्रबंध की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

बघेल शासक सिंह देव–बुल्लार देव के पश्चात् उनके पुत्र सिंहदेव ने शासन किया। कथा सरित्सागर बघेलवंश में एक शिलालेख का वर्णन किया गया है।, जिसके अनुसर सिंह देव का युद्ध चन्देलों से रघुराजनगर के दक्षिणी भाग पर हुआ था। इस युद्ध में विजयश्री बघेल शासक सिंहदेव को मिली थी। कुछ इतिहास कार ऐसा नहीं मानते हैं उनका मानना है कि सिंहदेव यहाँ के शासक थे। बुल्लारदेव के पश्चात् उनके पौत्र वीरमदेव गद्दी में बैठे थे, सिंहदेव त्रिवेणी (प्रयाग) में जलसमाधि ले लिये थे।[19]

वीरम देव (भैरम देव)–बुल्लारदेव के पश्चात् उनके पौत्र वीरमदेव (सिंहदेव के पुत्र) गहोरा की गद्दी पर बैठे। बघेल शासक वीरमदेव बहुत पराक्रमी थे

उन्होंने लम्बे समय तक शासन किया तथा इन्होंने हुण्डा राज्य पर विजय प्राप्त की थी। इनके पड़ोसी राज्यों में कालपी के मलिकजादा, नागौद के परिहार, मालवा के खिलजी, जौनपुर के शर्की व दिल्ली के 'लोदी' थे। कालपी के मलिकजादाओं वे वीरमदेव के मध्य हमेशा तनाव बना रहता था। दोनों राज्यों की विभाजक रेखा केन नदी थी। इन्होंने अपने शासन काल में गहोरा के अतिरिक्त बान्धवगढ़ को अभेद्य सुरक्षा स्थल के रूम में विकसित कर लिया था। कैमोर के दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त था, वहाँ आर्थिक दृष्टि से गहोरा क्षेत्र की अपेक्षा भिन्न था। अतः शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जौनपुर के शर्कियों से बघेल शासकों के मैत्रिक संबंध थे। मलिकजादाओं के विरुद्ध शर्कियों ने बघेलों की अनेक बार सहायता की थी।[20]

नरहरि देव–बीरम देव की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र नरहरिदेव गद्दी में बैठे। इन्होंने राज का विस्तााार किया। नरहरिदेव के समकालीन महमूद खिलजी था। सिंहान हकीम की पुस्तक मासिर–ए–महमूद शाही में लिखा है। नरहरिदेव ने अपने पिता का अनुसरण करते हुये महमूद शर्की से मित्रता कायम रखी थी। तथा उसके कालपी सैन्य अभियान में सहायता प्रदान की थी।[21] महमूद शाह खिलजी हाथियों की खोज में विंध्य क्षेत्र में घुसा था। वह हाथियों की खोज में सरगुजा जा रहा था।[22] वीरभानु काव्य में नरहरि का बखान करके लिखा है कि नरहरि देव ने सागर पर्यान्त अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी। रीवा स्टेट गजेटियर में तथ्यों के आधार पर प्रथम बघेल शासक व्याघ्रदेव से नरहरिदेव तक का शासनकाल 1234 ई. से 1470 ई. के बीच रहा बताया गया।

भीरदेव (भैद चन्द्र 1470–1495 ई.)–नरहरि बघेल के पश्चात् भैदचन्द्र गहोरा की गद्दी में बैठे इनका शासनकाल 1470 ई. से 1495 ई. तक रहा। इनके शासन काल से बघेलखण्ड रियासत के इतिहास का दूसरा युग प्रारम्भ होता है। इसी शताब्दी के मध्य में बघेल शासकों के संबंध में ऐतिहासिक लेख भीरदेव (भैद चन्द्र) के शासनकाल में प्राप्त होते हैं। जिस समय भैदचन्द्र शासक बने उस समय दिल्ली सम्राट बहलोल खॉ लोदी था। मुस्लिम इतिहासकारों ने भैदचन्द्र को राज मीट अथवा पन्ना नरेश भी लिखा। इसका यह था कि उस समय गहोरा में बुन्देलखण्ड अधिकांश नाम सम्मिलित था। ये गहोरा के शक्तिशाली शासक थे तथा अपनी योग्यता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया।[23] भैदचन्द्र ने 1488 ई. में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी के विरुद्ध जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की की सहायता की थी। भैदचन्द्र का साम्राज्य उत्तर में अरैल (इलाहाबाद) और कन्तित (मिर्जापुर) तक, पश्चिम में गहोरा और कालिंजर तथा दक्षिण में सरगुजा और बान्धवगढ़ तक फैला था।

भैदचन्द्र बहलोल लोदी के विरुद्ध शर्की सुल्तान, हुसैनशाह की सहायता की थी।[24] इस घटना से लोदी तथा बघेल संघर्ष का सूत्रपात होता है। 1492 ई. में भैदचन्द्र ने लोदियों द्वारा नियुक्त कड़ा के प्रशासक मुबारक खॉ नुहानी को बन्दी बना लिया। इससे बघेल लोदी संघर्ष खुलकर सामने आ गया। बघेल शर्की संबंधों के साथ ही कड़ा की घटना ने सिकन्दर लोदी को सतर्क कर दिया। 1494 ई. में सिकन्दर लोदी ने बघेल शासक के ऊपर आक्रमण कर दिया। वह कन्तित तक बढ़ आया।[25] बघेलों के लिये विकट स्थिति बन गयी। राजा भैदचन्द्र ने स्वयं सिकन्दर लोदी के शिविर में पहुँचकर आधीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर लोदी बघेल शासक के इस व्यवहार से विशेष बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कन्तित राजा भैदचन्द्र को वापस कर दिया तथा वापस दिल्ली प्रस्थान कर गया। यह स्थिति बहुत समय तक यथावत नहीं रह पायीं 1495 ई. में सिकन्दर लोदी ने पुनः आक्रमण किया। भैदचन्द्र की उम्र अधिक हो चुकी थी। लोदी–बघेल सेनाओं में एक विकट युद्ध कठौली घाट या खानघाटी में हुआ।[26] इसका नेतृत्व भैदचन्द्र के युवा नाती वीर सिंह देव ने किया। भैदचन्द्र घबराकर सरगुजा की तरफ पलायन कर गये तथा वृद्धावस्था के

कारण मार्ग में ही भैदचन्द्र की मृत्यु 1495 ई. में हो गयी। बघेल शासन तंत्र में सामन्ती व्यवस्था समयानुसार चलती रही और सामन्त शासन के प्रमुख अंग बन गये।

शालिवाहन (1495–1500 ई.)–भैदचन्द्र के पश्चात् उसका पुत्र शालिवाहन गद्दी पर बैठे। शालीवाहन में सैनिक क्षमता का अभाव था परन्तु कूटनीतिक क्षमता अद्वितीय थी। जब शालिवाहन गद्दी पर बैठे उस समय सिकन्दर लोदी पपौध में भी जो बान्धवगढ़ से 21 मील उत्तर में स्थित है।[27] पपौंध में सिकन्दर लोदी की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। यहाँ के अभियान में उसके बहुत घोड़े मर गये थे तथा रसद व अफीम भी नहीं मिल पा रही थी। जिसका वह आदी था। इसकी जानकारी भैदचन्द्र के पुत्र लक्ष्मीचन्द के माध्यम से यह संदेश जौनपुर के शर्की शासक हुसैन शाह शर्की को भेजा। संदेश मिलते ही हुसैन शाह शर्की बड़ी सेना की साथ लोदी के विरुद्ध आक्रमण कर दिया।

सिकन्दर की स्थिति और भी दयनीय हो गयी। इस सन्दर्भ में जीतन सिंह ने लिखा है कि सिकन्दर कुछ दिनों तक नबाब (हुसैनशाह शर्की) के साथ युद्ध करना युक्तिपूर्वक टालता रहा। नये महाराजा शालिवाहन के पास मैत्री पत्र तथा सहानुभूति पत्र भेजता रहा और महाराजा शालिवाहन को अपना सहायक बनने के लिये राजी कर लिया।[28] शालिवाहन ने शर्की–बघेला परम्परागत मित्रता को त्यागकर सिकन्दर लोदी की सहायता के लिये बड़ी सेना भेज दी। बघेल सहयोग मिलने के पश्चात् सिकन्दर लोदी ने बनारस के निकट हुसैनशाह शर्की को पराजित कर दिया। किन्तु बघेल शासकों तथा लोदी शासकों की मित्रता ज्यादा दिनों तक नहीं चली। सिकन्दर लोदी सहयोग से प्रसन्न होकर शालिवाहन की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव भेजा।[29] किन्तु शालिवाहन ने इस प्रस्ताव को ठुकराकर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। सिकन्दर लोदी इससे अप्रसन्न हुआ तथा उसे यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि हुसैन शाह शर्की को जानकारी देने वाला शासक बघेल शासक ही थे। उसने बघेलराज्य में आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिये शालिवाहन बिल्कुल तैयार न थे।

वे भागकर बान्धवगढ़ दुर्ग में शरण ली। सिकन्दर लोदी सन् 1499 ई. में बान्धवगढ़ को घेर लिया तथा इस अभेद्य दुर्ग को विजित करने का पूरा प्रयास किया किन्तु सफलता न प्राप्त हो सकी।[30] वह कई महीनों तक बान्धवगढ़ दुर्ग में घेरा डाले रहे किन्तु इस दुर्गम गढ़ को तोड़ने में वे असफल रहे। किले में रसद खत्म हो गई तो महाराज ने किले को छोड़ने का विचार किया। किवदन्ती है कि उस समय पर स्थानीय महिला ने विरहा गाया–

बान्धव भई बघैनी, भइ तुरकानी राज,
विटिया होई अवतरने राजा सालिवाहन,

इसको सुन्दर शालिवाहन में उत्साह का संचार हुआ तथा सिकन्दर लोदी से लोहा लेने का निश्चय किया।[31] सिकन्दर लोदी भी थक गया था अतः वह वापस चला गया और बान्धव गद्दी विजयी हो गयी। सन् 1500 ई. में बघेल नरेश शालिवाहन की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र वीर सिंह देव गद्दी पर बैठे।

संदर्भ स्रोत

1. नैणसीख्यात भाग–1 पृ. 213
2. रासमाला–(फोवर्स) पृ. 278
3. अमीर खुसरों–खजाएनुल फतूह पृ. 43
4. यह वही काफुर है जो मलिक काफुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
5. एकत्रा बान्धवगढ़ (जमाबन्दी
6. खासकलमी व वंशावली रीवा किला
7. खासकलमी व वंशावली रीवा किला
8. माधव, वीरभानुदय काण्य जो संभवतः 1553 ई के आस–पासस लिखा गया है।
9. हीरानन्द शास्त्री से वीरभानुदय काण्य बडोदा 138 पृ. 16–17
10. माधव, वीरभानुदय काण्य सर्ग–1 श्लोक 6–8
11. रूपणी शर्मा 'बघेलवंश वर्णनम्' श्लोक–4 कर्णदेव प्रवभूत गुर्जरे।

12. अभय राज सिंह परिहार–''किसी समय इसमें बड़े–बड़े मकानात रहे होंगे परन्तु यह वह स्थान नहीं है यह गहोरा का एक मोहल्ला मात्र था।'' गहोरा का ऐतिहासिक अनुसंधान पृ. 17
13. अभय राज सिंह परिहार–''किसी समय इसमें बड़े–बड़े मकानात रहे होंगे परन्तु यह वह स्थान नहीं है यह गहोरा का एक मोहल्ला मात्र था।'' गहोरा का ऐतिहासिक अनुसंधान पृ. 17–18
14. अभय राज सिंह परिहार–''किसी समय इसमें बड़े–बड़े मकानात रहे होंगे परन्तु यह वह स्थान नहीं है यह गहोरा का एक मोहल्ला मात्र था।'' गहोरा का ऐतिहासिक अनुसंधान पृ. 18 व 34
15. माधव वीरभानुदय काण्य सर्ग–1, श्लोक 6–8
16. हरि प्रसाद शास्त्री 'गहोरा संभव'
17. फिरोजशाह तुगलक के सिक्के का एक हांड़ा सीधी स्थित कठौली से मिला था, जिसमें चांदी के 36 सिक्के थे। ये सिक्के भगवत सिंह चौहान को प्राप्त हुये थे उन्होंने उसे सीधी कोशालय में जमा करा दिया था जो आज भी उपलब्ध है।
18. माधव वीरभानुदय काण्य सर्ग–1, श्लोक 31–36
19. वीरभानुदय काव्यम, श्लोक 6–8
20. विक्रम सिंह बघेल, रीवा राज्य के पर राष्ट्र संबंध, पृ. 39
21. सिहाब हाकिम, मासिर–ए–महमूदशाही पृ. 59–61
22. एस.आर. वर्मा, कालपी के मलिकजादा
23. सिहाब हाकिम, मासिर–ए–महमूदशाही, पृ. 59–61
24. भारत का इतिहास'' खण्ड–5 इलियट एवं डाउसन (अनु मथुरालाल) पृ. 99
25. रीवा स्टेट गजेटियर पेज, 13 (डॉ. एस. अखिलेश)
26. रीवा राज्य दर्पण, अध्याय–2, जीतन सिंह पृ. 49
27. पपौध वर्तमान शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील में स्थित है।
28. जीतन सिंह ''रीवा राज्य दर्पण''
29. इलियट और डाउसन–भारत का इतिहास भाग, पृ. 94
30. राजीव लोचन अग्निहोत्री–बघेलखण्ड के सांस्कृतिक काण्य पृ. 24
31. डॉ. एस अखिलेश–रीवा राज्य का इतिहास, पृ. 46

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 5th August 22 Paper Accepted : 25th August 22

आदर्श नारी का स्वरूप

❑ रत्ना शुक्ला*
❑ डॉ. बी.एन. ओझा**

शोध सारांश

आदर्श का अर्थ श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम् होता है। अर्थात् नारी के जो उच्च गुण हैं, वही उसे आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। आदर्श नारी पति के अनुकूल चलती है। पति के हाव–भाव से वह उसके विचार जानकर उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। तभी तो श्रीराम के वनगमन के दौरान सीताजी महल का सुख त्याग कर वन–वासियों जैसा जीवन बिताने के लिए सहर्ष तैयार हो जाती हैं। इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध–पत्र में उल्लिखित करने का प्रयास है।

मुख्य शब्द–आदर्श, नारी, स्वरूप, श्रेष्ठतम, अनुकूल, वन–वासियों, रामायण, उपदेशात्मक आदि।

प्रस्तावना

आदर्श नारी वही है, जो पति के सुख–दुःख में साथ दे। पति के दुख को अपना दुख माने, उसके कार्य में सहयोग प्रदान करे। सदा उसके अनुकूल आचरण करे।

हम अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वाल्मीकि जी के 'रामायण' में उद्धृत सीता के आदर्श को व्यक्त करना चाहते हैं। जब श्री राम अपनी भार्या सीता से बताते हैं कि पिता ने उन्हें वन का राज्य अर्थात् 14 वर्ष का वनवास दिया है। इसके पहले ही श्रीराम की मुख मुद्रा देखकर सीता को आभास हो जाता है कि उनके स्वामी किसी संकट से घिरे हुए हैं–

**"अद्य बार्हस्पतः श्रीमान् युक्तः पुष्येण राघव।
प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः।।
अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव।
अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते।।"**[1]

रघुनन्दन की उदासी को देखकर सीता रोने लगती है। तब श्रीराम कहते हैं–हे जनक नंदनी! मेरे आदरणीय पिताजी ने मुझे वनवास दिया है।

**"इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः।
सीते तत्रभवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्।।"**

आगे राम ने सीता से कहा मैं पिता जी के वचन को पूरा करने के लिए वन को जा रहा हूँ। तुम धीरज रखना। मेरे माता–पिता की सेवा करना। अपने धर्म का निष्ठा के साथ पालन करना–

**"अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन्।
वनमद्यैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि।।
माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्शिता।
धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति।।"**[2]

राम ने सीता को अनेक उपदेशात्मक वचनों से समझाया। जिससे वे वन न जाएँ। वे जनकनंदिनी सीता को अयोध्या के महल में ही रखना चाहते थे।

* शोधार्थी संस्कृत, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म.प्र.)

कारण यह कि वे सुकुमारी हैं, जंगल का मार्ग कठिनाइयों से भरा है।

सीता एक आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित है। वे राम से कहती हैं–आर्य पुत्र! माता, पिता, भ्राता, सुत और वन्धु ये सभी अपने–अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। संसार में केवल पत्नी अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती हैं, इसलिए मैं आपके साथ वन चलूँगी। नारियों को संसार में एवं संसार के बाद मात्र पति का आश्रय मिलता है। सीता ने यहाँ तक कहा कि पति के अलावा मातृ–पितृ और पुत्र कोई भी स्त्री की सहायता करने में असमर्थ हैं। अतः पति ही पत्नी का सर्वस्व है।

''आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा।
स्वानि पुण्यानि भुंजानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते।
भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ।
अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि।।
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजनः।
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा।''[3]

इतना ही नहीं आगे सीता कहती हैं–रघुनन्दन! बड़े–बड़े प्रासादों में निवास करना, वायुयानों में बैठकर भ्रमण करना, अणिमा आदि सिद्धियों के माध्यम से गगन में विचरण करना, इन सब की अपेक्षा नारी के लिए हर स्थिति, परिस्थिति एवं दशा में पति का संग और उसके चरणों का आश्रय या स्थान ही महत्वपूर्ण है।

''प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहायसगतेन वा।
सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते।।
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्।
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया।।''[4]

सीता जी यहां स्पष्ट कह रही हैं कि मेरा धर्म क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? यह मुझे अपने माता–पिता से बचपन में ही जानकारी मिल चुकी है। विवाह के उपरांत पति के सिवाय पत्नी का वास्तविक साथी कोई नहीं होता। पति कष्ट सहे वन–वन भटके और पत्नी राज प्रासादों के सुख का भोग करे यह किसी भी तरह उचित नहीं है। अर्थात् पति जिस तरह जीवन व्यतीत करता है उसी तरह उसकी पत्नी को भी व्यतीत करना चाहिए–

''सुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः।
अचिन्तयन्ती त्रींल्लोकांश्चिन्तयन्ती पतिव्रतम्।।''[5]

सीता जी अपने स्वामी राम से कहती है कि वन में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आपका साथ पाने के लिए मैं तीनों लोगों के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। समस्त वैभव, ऐश्वर्य एवं सम्पदा को आपकी सेवा में कर न्योछावर हैं। पत्नी का पतिव्रत धर्म ही संसार में सर्व श्रेष्ठ है–

''अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि।
इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च।।
द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता।
हंसकारण्डवाकीर्णाः पद्मिनीः साधु पुष्पिताः।।''[6]

वे कहती मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, आप पर भार नहीं बनूँगी। आपके आगे–आगे चलूँगी। जिससे राह में आने वाली समस्या का सबसे पहले मुझसे सामना हो। आपके भोजन के उपरांत जो कुछ शेष बचेगा, उसी को पाऊँगी। कभी असंतोष व्यक्त न करूँगी। मैं आपके साथ जंगल में निर्भय होकर घूमूँगी, पहाड़ों तालाबों और झीलों को देखकर महल के सुखों को भूल जाऊँगी। मैं सबसे ज्यादा आपके साथ रहने में खुश रहूँगी। आपके बिना महलों का यह सुख मुझे काटने दौड़ेगा। जंगल में अभाव होते हुए भी भावों में आप्लावित रहूँगी।

निष्कर्ष–

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नारी के जो उच्च गुण हैं, वही उसे आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। आदर्श नारी पति के अनुकूल चलती है। पति के हाव–भाव से वह उसके विचार जानकर उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। भारतीय नारी पति के रूप को देखकर उसमें सेवाभाव से संलग्न हो जाती है।

संदर्भ स्रोत–

1. वा.रा.–02/26/9,18
2. वा.रा.–02/26/28,31
3. वा.रा.–02/27/4–6
4. वा.रा.–02/27/9,10
5. वा.रा.–02/27/12
6. वा.रा.–02/27/17,18

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 5th August 22 Paper Accepted : 20th August 22

भक्ति की विवेचना एवं स्वरूप

❐ कृष्णेन्द्र पाण्डेय*
❐ डॉ. बी.एन. ओझा**

शोध सारांश

भगवान् के प्रति भक्त का समर्पण भाव ही भक्ति की श्रेणी में आता है। वह परम पिता परमेश्वर से असीम प्रेम करता है। संसार के कण–कण में उसी की सत्ता का प्रतिपल अनुभव करता है। प्रभु के लिए उसके हृदय में प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है। उसी धारा को वह भगवद् चरणों की ओर मोड़ देता है। हृदय में भक्ति का आविर्भाव होने पर व्यक्ति का मन शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। वह भगवान् के सगुण रूप की निःस्वार्थ पूर्ण सेवा करता है। उसका चित्त सदा उनके चरणों में लगे रहने पर उसे धन्यता की अनुभूति होती है।

श्रीमद्भागवत के अनुसार भक्ति के नौ प्रकार बताए गए हैं–

"श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।।"

हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद से पूँछा कि बताओ वेटा। तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तब उन्होंने उपर्युक्त तरह से भगवान् की भक्ति करने का उत्तम सूत्र बताया। पहली भक्ति है जहाँ भी भगवान् की कथा हो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उनके गुणों का सदैव कीर्तन करते रहना भक्ति का दूसरा प्रकार है। उनका स्मरण, चरण सेवा, विभिन्न सामग्रियों द्वारा अर्चना, पूजा, स्तुति, सदा उनके अधीन रहकर दास्य भाव से या सख्य भाव से आत्मनिवेदन करना श्रेष्ठ भक्ति है। इन नियमों से भगवान् की सेवा करते करते भक्ति का उदय हृदय में अपने आप हो जाता है।

इस प्रकार का मनुष्य सर्वत्र ईश्वर की सत्ता को देखता है। फिर संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। वह निर्भीक एवं दुःखों से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। उसका अपने प्रभु पर अटूट श्रद्धा और विश्वास का भाव होता है। भक्त के हृदय का यही भाव उसे भक्ति की ओर उन्मुख करता है।

"सङ्कीर्त्यमानो भगवाननन्तः
श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्।
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं
यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवातिवातः।।
मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा
न कथ्यते यद् भगवानधोक्षजः।
तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं
तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम्।।"[1]

संकीर्तन करने से प्रभु की मूर्ति सहृदय के हृदय में विराजमान हो जाती है। फिर वह भगवान का नाम, लीला और गुणों का निरंतर गान करता है। अहर्निश श्रीकृष्ण के नाम का स्मरण साधक के सभी पापों और तापों को जलाकर नष्ट कर देता है। ऐसे भक्त को संसार के दुख नहीं व्यापते वह उन्हीं की

* शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म.प्र.)

महिमा आदि का गुणगान करता एवं सुनता है। हृदय में हृदयेश के आ जाने से दुनिया की दुविधा मिट जाती है। मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। संसार लोग उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को समूल नष्ट कर देती हैं, बादलों को हवा छिन्न–भिन्न कर देती हैं ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के सारे दुर्गुणों को दूर कर हृदय में भक्ति का प्रकाश उद्घाटित करता है।

वाणी वही सार्थक है, जिसके द्वारा कण–कण में व्याप्त सर्वेश्वर की महिमा गाई जाए। भले ही वाणी मधुर हो और उसके द्वारा दुनिया के प्रसंग किए जाएं संसारियों की प्रशंसा की जाए लेकिन भगवद् नाम बिना वह निरर्थक ही है।

भगवान के नाम रूप और गुणों को गाने से वचन निर्मल एवं पुनीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व विश्व का कल्याणकारी होता है। भक्त अपनी वाणी, कर्म और मन से कभी किसी का अहित नहीं चाहता। फिर उसके विचारों से सदा अमृतमय धारा प्रवाहित होती है। वह अपने साथ अन्य लोगों का भी मंगल करता है।

''यशः श्रियामेव परिश्रमः परो
वर्णाश्रमाचारतपः श्रुतादिषु।
अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो–
र्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः ।।
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च।
सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्।।''[2]

नियमानुसार आचरण, साधना, स्वाध्याय एवं तप में कठोर मेहनत की जाती है, तब जाकर कहीं सिद्धि प्राप्ति होती है। इस सफलता को संसार के लोग यश और धन के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत भगवद्गुणानुवाद भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करता है। उनके चरणों की भक्ति का यह फल होता है कि मनुष्य के सारे संताप एवं अनिष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं और मन में अनंत सुख एवं शांति की अनुभूति होती है। ऐसे पुरुष का अंतस्थ शुद्ध हो जाता है और वह भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करता है।

इस तरह हम देखते हैं कि तमाम उपक्रम करना व्यर्थ है। सच्चा सुख तो भगवान की भक्ति में ही मिलता है। भक्त के सारे मनोरथ उसके इष्ट पूर्ण करते हैं। वह केवल अपने प्रभु पर अटल भरोसा रखता है। इसके फलस्वरूप दुनिया की समस्त झंझटों से भगवान रक्षा करते हैं। अतः भक्तिमार्ग सर्वश्रेष्ठ है। भगवान अपने भक्त से किसी सांसारिक पदार्थ की आशा नहीं करते। वे तो केवल उसके प्रेम–भाव के भूखे होते हैं।

''पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः।।''[3]

भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम अथवा भक्ति भाव के साथ पत्र, फूल, फल एवं जल अर्पित करता है, तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

स्थायी सुख एवं परमानंद की प्राप्ति के लिए योग्य पुरुष को चाहिए कि वह संसार के विषय भोगों से मन को हटा कर श्रीकृष्ण के चरणों में लगाए। उनकी भक्ति मिल जाने के बाद इस लोक एवं परलोक में कुछ भी असंभव नहीं होता। समस्त सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भक्त द्वारा भेंट की गई छोटी से छोटी वस्तु को भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। वे तो प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम–भक्ति से युक्त मनुष्य सहज में उनका आत्म साक्षात्कार कर लेता है।

भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत मेवे, पकवान की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भाव से मन द्वारा अर्पित चीजों को भी वे प्राप्त कर परमसुख का अनुभव करते हैं। उन्हें भक्त बहुत प्रिय होता है। उसके स्नेह भाव को प्राप्त कर सकता। उसे तो केवल भक्त ही रिझा सकता है। भक्त के पुष्प, पत्र और जल पर भी वे रीझ जाते हैं। भक्ति के कारण हृदय की मलिनता एवं अज्ञानता दूर होती है। साधक का मन–मस्तिष्क में स्थिरता आती है। उसके अंदर का अंहकार नष्ट हो जाता है। वह भगवद्प्रेम के सुंदर झरने में स्नान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीमद्भागवत–महापुराण, 12/12/47,48
2. श्रीमद्भागवत महापुराण–गीता प्रेस, गोरखपुर
3. श्रीमद्भगवद्–गीता, 9/26

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 10th August 22 **Paper Accepted : 25th August 22**

गहोरा के बघेलों की प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था

❐ **सुखेन्द्र सिंह***

शोध सारांश

हम देख चुके हैं कि बघेल मूलतः चालुक्य थे। वे गुजरात से आकर विन्ध्य के इस तलहारी क्षेत्र में बसे और अन्ततः गहोरा में अपनी सत्ता की स्थापना की। उनके शासन व्यवस्था की समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि गहोरा के बघेलों की शासन व्यवस्था मूलतः गुजरात के चालुक्यों की शासन व्यवस्था पर आधारित रही होगी और इसके साथ ही उनकी यहाँ की शासन व्यवस्था में स्थानीय तत्व भी प्रविष्ट हुए होंगे इस प्रकार गहोरा के बघेलों की शासन व्यवस्था का सर्जन हुआ होगा। गहोरा के बघेलों की शासन व्यवस्था एवं नीति को इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य शब्द—गहोरा, बघेलों, प्रशासनिक, सैनिक, व्यवस्था, अभिलेख आदि।

प्रस्तावना

गहोरा के बघेल शासन व्यवस्था में राजा प्रमुख होता था। राजा में देवत्व माना जाता था। वह नर रूप में देवता था।[1] चालुक्य अभिलेखों में भी राजा को साक्षात् देवता कहा गया है[2] और उसकी तुलना कुबेर, वरुण, इन्द्र या यम आदि से गई है।[3] माधव कवि से ज्ञात होता है कि गहोरा के प्राकार सीमान्त पर कुबेर की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी।[4] चालुक्य शासन व्यवस्था में राजा को शासन व्यवस्था की धुरी माना जाता था। यही स्थिति गहोरा के बघेल शासन व्यवस्था में भी थी। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा ही शासन, सेना व न्याय का प्रमुख होता था। सैनिक क्षेत्र में वह बड़े–बड़े युद्धों का संचालन करता था, जैसा कि राजा वीरसिंह बघेल ने अपनी सेना का संचालन खानवाह (1527 ई०) के युद्ध में किया था। राजा में असीम शक्ति होती थी, पर वह निरंकुश नहीं होता था। चालुक्य अभिलेखों में राजा को वरूण, इन्द्र, धनद और यम के समान शक्तिशाली बताते हुए शरण में आये हुए की रक्षा करने वाला बतलाया गया है।[5] बघेल राजा रामचन्द्र ने इसी प्रकार गाजी खाँ तन्नौरी की सहायता की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे मुगलों से पराजय खानी पड़ी और अपनी राजधानी गहोरा से बान्धवगढ़ करनी पड़ी।[6] चालुक्य राजाओं को चरित्रवान् कहा गया है, वही चरित्र गहोरा के बघेल राजाओं का भी मिलता है। राजा का प्रमुख उत्तरदायित्व प्रजा की सुरक्षा एवं संरक्षण माना जाता था। यहाँ के राजाओं में सैनिक एवं न्यायिक अधिकार केन्द्रित थे। राजा अपनी सेना से राज्य की रक्षा एवं सत्ता विस्तार करता था। राजदण्ड का प्रयोग प्रजा की रक्षा व पालन के लिए करता था।[7] विद्वानों ने इस राजदण्ड को सजा नहीं वरन् धर्म का हेतु माना है।[8] गहोरा के बघेल राजा में सम्पूर्ण सैनिक शक्ति केन्द्रित होती थी। उसके पास एक बड़ी सेना होती थी। वीरसिंह की सैनिक शक्ति के विषय में वीरभानूदय काव्य में उल्लेख है कि उसने एक एक विशाल सेना का गठन किया था, जिसमें

* शोधार्थी इतिहास, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

हस्तिदल व वीरसिंह ने कई बड़े युद्धों को आसानी से जीता था। वीरसिंह ने कई राजाओं को घुड़सवार थे। उसकी घुड़सवार सेना (रिसाला) इतनी रणकुशल थी कि उसके बल पर का विस्तार किया था। उसका राज्य संभवतः उत्तर में सई से दक्षिण में उड़ीसा तक पश्चिम में धसान से पूर्व में बिहार तक फैला था। इसकी पुष्टि वीरभानूदय काव्य भी करता है।

चालुक्यों की शासन व्यवस्था में राजा का ज्येष्ठ पुत्र युवराज होता था, यही व्यवस्था गहोरा के बघेलों में प्रचलित थी । माधव कवि ने बघेलों के युवराज्याभिषेक जाता था। प्रत्येक राजवंश का कोई न कोई राजकीय तथा कुलचिन्ह का भी उल्लेख किया है। राजा के छोटे पुत्रों को विविध इलाकों का शासक बना दिया द्वारा उसकी सत्ता का बोध होता था। ऐसा ही राज चिन्ह था।[9] चालुक्य अभिलेखों में राजा के मंत्रिपरिषद का कहीं यही स्थिति हमें गहोरा के बघेल शासन में भी मिलती है। पर राज्य के कार्य के लिए मंत्री या मंत्रियों के संदर्भ अवश्य मिलते हैं। ऐसे ही राजा वीरभानू बघेल के विद्वान् मंत्री गणेश राउत का उल्लेख माधव कवि ने किया है।[10] गणेश राउत, होता था, जिसके गहोरा के बघेलों का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। गहोरा के बघेल नरेश वीरभानू का एक विद्वान मंत्री था और राजकुमार रामचन्द्र का वीरभानू ने गणेश राउत को पुरस्कार स्परूप जागीरदारी दी थी। राज्य में उन्हें अन्य कार्य शिक्षक के रूप में भी था। राजा को दुर्गपति भी बनाया जाता था और समयानुसार गणेश राउत को राजा वीरभानू के समय में सौंपा गया था। मंत्री का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना था। कामन्दकनीतिसार के अनुसार राजा को त्रुटिमय मार्ग से हटाना मंत्रियों का परम कर्त्तव्य है और मंत्रियों की मंत्रणा को सुनना राजा का परम कर्त्तव्य है।[11] शुक्रनीति में बताया गया है कि मंत्रियों को राजा के प्रति स्वामिभक्त होना चाहिए। यह व्यवस्था गहोरा के बघेल प्रशासन में भी देखी जा सकती है।[12]

गहोरा के बघेल शासन के संचालन हेतु अनेक उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे। दुर्भाग्यवश हमें इन प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके विभागों आदि की पूरी जानकारी नहीं मिलती । गहोरा राज्य के प्रशासन में राजा का एक प्रमुख सहयोगी युवराज होता था, जो भावी शासक एवं प्रशासनिक कार्यों में उसका सहायक होता था। बघेल शासक कभी–कभी अपने जीवन काल में ही राजकाज का भार युवराज पर डाल, स्वयं मुक्त हो जाते थे । प्रायः राजा के मरणोपरान्त ही युवराज राजा बनता था। गहोरा के बघेल शासकों के प्रशासनिक अधिकारियों के समान ही उनके प्रशासनिक विभागों की भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। पर बघेल प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही उनके प्रशासनिक विभाग भी रहे होंगे।

बघेल राजवंश राजा[13] सजग, गुणवान् और प्रशासन में सहयोग लेता था[14] वीरभानूदय काव्य में राजा द्वारा नियुक्त प्रमुख अधिकारियों में अमात्य, सचिव और मंत्री जैसे तीन पदों का उल्लेख मिलता है। इस काव्य में गणेश राउत को मंत्री व सचिव दोनों कहा गया है। इसलिए यहाँ के बघेलों की शासन व्यवस्था में ये शब्द पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। मंत्री अनेक होते थे, जिनकी संख्या निश्चित न थी माधव ने लिखा है कि बघेल शासन व्यवस्था में मंत्री के हितैषी, उसे सही सलाह देने स्मृतियों के ज्ञाता होते थे।[15] इन मंत्रियों से राजा दैनिक और राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करता था। राजा और मंत्री के बीच होने वाली चर्चा एवं उसकी मंत्रणा को गुप्त रखा जाता था। इस काव्य से यह भी ज्ञात होता है कि प्रमादी मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया जाता था।[16] गहोरा के बघेल प्रशासन के अन्य पदों के विषय में इस काव्य से कोई जानकारी नहीं मिलती। काव्य में भृत्य व नियोगी के उल्लेख मिलते हैं। बघेल दुर्ग की रक्षा के लिए कुलीन, सजग, सुपरीक्षित एवं अभेद्य भृत्य की नियुक्ति दुर्ग रक्षक के रूप में होती थी। बघेल प्रशासन में कार्य करने वाले भृत्यों के प्रमुख गुण इस प्रकार थे अप्रमत्त, राजा के हितैषी, कुल परम्परा पालक, राज्य वृद्धि में सक्षम एवं आचरण में शुद्ध।[17] राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के सामन्त देखते थे। उल्लेखनीय है कि योग्य एवं कार्य में सफल भृत्यों व प्रशासन के अनुकूल सामन्तों को सम्मानित किया जाता था।[18] भृत्य व सामन्त यदि व्यवस्था का उल्लंघन करते, भ्रष्ट एवं प्रमादी हो जाते तो उन्हें दण्डित भी किया जाता था।[19] राज्य भक्ति[20] गहोरा के बघेलों की राज व्यवस्था एवं राज्य प्रसार में

सैन्यबल का प्रमुख स्थान था। बघेल सैन्य बल के लिए अच्छे घोड़े मगाये जाते थे। वनायु देश के घोड़े अच्छे माने जाते थे। इनके सैन्यबल में घोड़े, हाथी, ऊँट, सेना के साथ ही पैदल सैनिक भी होते थे।[21] राज्य की सेना के लिए हाथी विन्ध्य क्षेत्र से ही संगृहीत किये जाते थे।[22] घोड़ों व हाथी को पौष्टिक आहार दिए जाते थे। राजधानी गहोरा में इनके लिए अश्वशालाओं व गज शालाओं का निर्माण किया गया था।[23] बघेल सामन्तों की अपनी सेनायें होती थीं, जो युद्ध के समय राजा के उपयोग में आती थीं। इस काल के युद्धों में तलवारों के साथ ही धनुष–बाण का भी प्रयोग किया जाता था।[24] बघेलों के आक्रमण गुप्तचरों की सूचना पर किये जाते थे।[25]

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गहोरा का प्रथम शासक बुल्लारदेव जिन्होंने गहोरा राज्य की स्थापना की उन्हें गहोरा राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। गहोरा का अन्तिम बघेल शासक राजा रामचन्द्र था, जो योग्य शासक ही नहीं संस्कृति प्रेमी भी था। अपनी कला प्रियता के कारण उसने संगीतज्ञ तानसेन को आश्रय दिया और साथ ही अनेक विद्वानों को प्रश्रय दिया। राजा रामचन्द्र अकबर का समकालिक था। उसने अपनी शक्ति के बल पर मुगलों से लोहा लेने का प्रयास किया। परन्तु उसे मुगलों से पराजित हो कर बान्धवगढ़ पलायन करना पड़ा। परिस्थितिवश गहोरा के बघेल राजा रामचन्द्र को बान्धवगढ़ में अपनी राजधानी बनानी और सत्ता जमानी पड़ी।

संदर्भ स्रोत

1. मनुस्मृति, 7 / 8
2. का0इ0इ0 4, पृ० 169 एहोल अभिलेख, श्लोक 21
3. का०इ0इ04–1
4. माधव, वीरभानूदय काव्य, सर्ग 5 / 24–30
5. का० इ०३० वही, 'शरणागत वत्सल' देखें, परिच्छेद 11, अनु0 3 / ग–5, परि0 12 अनु01
6. राजनीति प्रकाश पृ० 245–55
7. का0इ0इ0 भाग–4, पृ0 159
8. मनुस्मृति, 7218
9. बघेल राजवंश राजचिन्ह
10. माधव वीरभानूदय काव्य, सर्ग 8 / 2–5
11. माधव, वही, सर्ग 8+44, हीरानन्द शास्त्री–बघेलखण्ड में 'जुझोतिया ब्राम्हण' 'राउत' बोले जोते थे। वीरभानूदय क्रिटिकल एन्लसिस पृ0 19
12. कामन्दकनीतिसार, 4/41–49
13. माधव–वीरभानूदय काव्य, गणेश राउतः । मन्त्रिणां, गणनामेति, गणेषु 8 / 3 विलोक्य तं सचिवं ।श 8 / 4, सचिव 8/43
14. माधव श्श्री वीरभानुरथ मन्त्रिगणैः समेतः । सर्ग 9/41
15. माधव माधव श्निरन्तरं यस्य सभासु चर्चा राज्य स्थिरत्वस्य भवत्यशेषा । द्वेष च रागं च भयं च मुक्त्वा प्रस्तूयमाना दुष्टै' 5/70 श्मंन्त्र करोति प्रतिवासरं स........ ज्ञातोडभवत् कैरपि नैव मन्त्रा. .. द्य सर्ग 5/106
16. माधव 'नृपति / प्रमत्तानमात्यवर्गानवमन्यते स्म।' सर्ग 5 / 136
श्रक्षात्मनस्तेन विभीतिनाडपि मौलैः कृतातेन भवन्तु जातु।
भेदा रिपुणां द्रविणैर्महर्धैः शीलं प्रणाम कृतमंत्रः चास्ति।। सर्ग 5 / 49
दुर्गे ... हितैर्षिमिः पालयते स भृत्यैः 5/48
17. माधव माधव–'नियोगिनस्ते विधिषु प्रयुक्तास्तेन स्वचिंह दधतिस्मयेडमी ।
वृद्धिक्षमा राज्यपदस्थभक्तः जिष्णोरिवात्यक्त कुलक्रमाश्च।।' 5/54
18. वीरभानूदय काव्य, सर्ग 5/148, 5/142, 5/140, 5/144
19. माधव–वही, 5 / 17, 5 / 39, 5 / 48–49, 5 / 815/65, 3/72–79
20. माधव–वही, 6 / 39
21. माधव–वही, सर्ग 3 / 39
22. माधव–वही, श्यत्राश्वं शालाः सुतराविशालाः ।श सर्ग 2 / 14
23. माधव–वही, सर्ग 5 / 61
24. माधव–वही, सर्ग 8 / 7–12
25. माधव–वही, सर्ग 5/102–3 5 / 151

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 20th August 22 Paper Accepted : 30th August 22

Efficacy of homoeopathic drugs on aflatoxin G1 production in Groundnuts

❒ Dr. Shabnam Bee*

ABSTRACT

Antiaflatoxic properties of three homoeodrugs each in seven potencies were against aflatoxin G1 Production an groundnuts pre inoculation treatment Bryonia 1M, 10M, Thuja 3, 1M and 10M appeared as most effective. Post inoculation treatments, Bryonia 10M, Coffea cruda 12,200 and Thuja 12 appeared as most effective. Hence, aflatoxin G1 on could be controlled quite successfully by these homoeodrugs.

Key words- Aflatoxin, *Aspergillus parasiticus*, Groundnuts, Homoeopathic Drugs.

Introduction

Aflatoxins consists of a group of approximately 20 related fungal metabolites, although only aflatoxins B1, B2 ,G1&G2 are normally found in foods. They are produced by at least three species of *Aspergillus* , *Aspergillus flavus* , *Aspergillus parasiticus* and *Aspergillus nominus* and can occur in a wide range of important raw food commodities, including cereals, nuts, spices, figs and dried fruit (European mycotoxins awareness network, 2003). Alarming level of aflatoxins contamination in a array of crops including peanuts have been reported the world (Giorni*et al*.2007, Jiang *et al*. 2005, Levic 2013, Shephared 2004, Waliyer*et al.* 2003) .Very high levels of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in peanuts. Groundnuts being a subterranean legume is susceptible to contamination from the soil that serves as a reservoir for *Aspergillus*. The developing peanut pods are indirect contact with soil populations of these two aflatoxigenic species that inhabit soils as conidia sclerotia. While frequent droughts and high temperatures can cause the pods to shatter, damaging tissues, thereby increasing the chances of pre harvest infection, drought adaptation in peanuts is not necessarily linked to the level of resistance to *Aspergillus flavus.* Invarion and aflatoxin accumulation (Hamidou *et al* 2014)However, development of varieties with desirable genetic resistance to pre harvest infection by *Aspergillus flavus* and aflatoxine contamination has remained a challenge for peanut breeding programmes Bhatnagar – Mathur *et al*.(2015), Janila and Nigam (2013). Antifungal and antiaflatoxic action of homeopathic drugs has great potential as they are easy to prepare to apply (Bee and Atri 2012 , Bee 2018) a few workers (Shinha and Singh (1983), Shrivastava and Atri 1998 , Bee and Atri 2013, Bee and Atri 2012 a, Bee and Atri 2012 b) have already reported homoeodruges posseing antifangal and antiaflatoxic properties.

* Professor of Botany, Eklavya University, Damoh (M.P.), INDIA

Material and methods

Fungal strain and Growth condition

In this study *Aspergillus parasiticus,* strain MTCC No. 411, the test pathogen in the present investigation was obtained from IMTECH, Chandigarh. The strain was grown on the malt salt agar medium at 28oC for 7 days and stored at 4oC. For experimental purposes, three homoeopathic drugs (Table) belonging to centesimal potencies marked as 3, 6, 12, 30, 200, 1M and 10M were used (customarily suffix c representing centesimal potency is dropped). They belonged to Medisynth Chemicals Private Limited Navi Mumbai. In homoeopathy, concentration of drugs is inversely proportional to their potencies. Hence, drug concentration in 3, 6, 12, 30, 200, 1M and 10M potencies used in the present investigation were of the order of 10-6, 10-12, 10-24, 10-60, 10-400, 10-2000 and 10-20000 dilutions respectively. From any standard these are ultramicrodilutions.Drugs were randomly picked up from materia medica devoted for human sufferings. In fact, a parallel materia medica should be developed for the treatment of plant sufferings.

In Vivo Effects

For pre-inoculation treatments, 10.0g healthy groundnut seeds were surface sterilized with 0.1% mercuric chloride solution, washed thoroughly with distilled water and dried. Then they were soaked in different drug solutions (1:25 VèV) of different potencies for 1 hour. Such treated seeds were inoculated with 1.0 ml aqueous spore suspension of the test pathogen and incubated at 28± 1oC for 10 days In post-inoculation treatments, seeds received homoeodrugs treatment after inoculation with the test pathogen, rest of the procedure remaining the same. Seed lots soaked in ethylated water (1:25 VèV) served as controls. All treatments were triplicated. Subsequently, 10.0g seed samples from treated and control sets were processed for the quantitative estimation of aflatoxin G1 as per the methods mentioned above.

Result and Discussion

Effect of homoeodrugs expressed as responses toward aflatoxin G1 production could be placed in to certain specific categories (table 1). Some drug protencies worked better as prophylactives or preventives ; for example Bryonia 3, Coffea cruda 3 and Thuja occidentalis 10M however, were fund to be significantly fungitoxic as they brought about more than 60-80% inhibition. A few drugs on the other hand showed stimulation rather than inhibition.

Efficacy of Homoeopathic Drugs on aflatoxin G1 production in Groundnuts
POTANCY

Drugs	Percent Inhibition or Stimulation (-)													
	3		6		12		30		200		1M		10M	
	PR	PO	PR	PO	PR	PO	PR	PO	PR	PO	PR	PO	PR	PO
Bryonia	82.85	71.45	54.32	22.85	85.71	85.71	34.19	51.38	85.7	68.67	100.00	65.71	91.42	100.00
Coffea cruda	34.19	68.67	85.71	62.85	69.71	100.00	37.19	74.28	65.7	94.28	62.85	74.28	77.14	77.14
Thuja occidentalis	100.00	88.57	25.71	49.71	00.00	97.14	57.14	59.99	57.14	74.28	97.14	39.99	97.14	88.57
Control	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

As is obvious from the data (Table) would also exhibit certain unconventional features of homoeopathic drug action. Three homoeopathic drugs each in seven potencies were used, and though some of them emerged as strong fungicide, yet none could suppress mycelia growth totally. Such workers using homoeopathy Sinha and Singh (1983), Shrivastava and Atri (1998), Bee and Atri (2012a), (2012b) and (2013). Reasons for such happening are not clear. Homoeopathy, unlike allopathy, considers host as the main site action where basic contractions of health and disease operate, wherefrom the drugs amass their powers to fight against the pathogen, the latter being considered as playing the second fiddle in producing the disease Goswami and Das(1980), Dua and Atri (1986-87). Another characteristic striking in majority of cases was that several drug response were not proportional to the concentration of the drug . This is the unlike conventional substance where drug responses are usually concentration dependent . the mode of drug preparation which uniquely involves potentization might account for this feature Gibson (1968),Pelican and Unger (1971), Rowson (1976). The process of potentization presumably produces different physical forms of the drog molecules, each from endowed with a distinct medicinal property , suggestive of multipalsitexin of homeopathic drugs Gibson (1968), Pelican and Unger (1971), Rowson (1976); hence sinusoidal responses over a range of drug potencies. Earlier worker Khare and Atri (1995) have observed the same. If such is the case then it would not possible for the pathogen to devolve resistance against homeopathic drugs through alternative pathways conventional substances are site specific selective fungicides and do not demonstrate this property. This could possible be the reason why pathogens evolve resistance against conventional substances Dekker (1976), Georgopulos (1977) and Owens (1969).

References :

1. Bee S., Effect of homoeopathic drugs to control growth and aflatoxin G1 production by *Aspergillus parasiticus*. Int. J. of Science, Engineering and Management. Vol. 3, Issue 5, May (2018).
2. Bee S. and Atri D.C., Inhibitory effect of Homoeopathic drugs on the production of aflatoxin B1 in groundnuts. Int. J. pharmacy and pharmaceutical Science. S(1),73-75, (2013).
3. Bee S. and Atri D. C., Control of aflatoxin G1 Production on groundnut by Homeopathic drugs. Int. J. Pharm Bio Sci.; 3(4) :896-901,(2012).
4. Dua V.K. and Atri D., C., Antifungal activity of certain Homeopathic drugs. Bull. Bott. Soc.;33-34:4-6, (1986-87).
5. Dua V.K. and Atri D.C., Antifungal activity of certain Homeopathic drugs.Bull Bot. Soc., 33-34:4-6, (1986-87).
6. European mycotoxins awareness network , (2003).
7. Hamidou, f., Rathoure ,A., Waliyar, F. and Vadez, V., Althought drought intensity increases aflatoxin contamination, drought tolerance does not lead to less aflatoxin contamination. Field Crops Res. 156, 103-110,(2014).
8. Georgopolous S.G., Development of fungal resistance to fungicides in antifungal compounds. H.S. Seslar and S R Sigel (eds.), Vol 2, Dekker, New York, (1977).
9. Gibson RG, The Biological Signature of succession. Br. Hom.J., 57(3):157-163, (1968).
10. Goswami N. and Das D., Possibility of homeopathic treatment in plant and animal disease. Hahn. Glean., 47:332-341, (1980).
11. Jenila, P. and Nigam, S.N., Phenotyping for groundnut (*Arachis hypogaea L.*) improvement. Phenotyping for plant breeding. In Phenotyping for Plant breeding: Applications of Phenotyping Method for crop improvement (Panguluri, S.K. and Ashok Kumar, A.,eds), pp. 129-167.New York : Springer .doi: 10.1007\978-114614-8320-5, (2013).
12. Jiang, Y., Jolly, P.E., Ellis, W.O., Wang, J.S., Phillips, T.D. and Williams, J.H. aflatoxin B1 albumin adduct levels and cellular immune status in Ghanaians. Int. Immunol. 17,807-814, (2005).

13. Levic, J.,Gosic-Dondo,S., lavanovic ,D, Stankovic, S., Krnjaja, V ., Bocarov-Stancic, A. and Stepanic, A. An outbreak of *Aspergillus* Species in response to environmental condition in Serbia. Pestic. Phytomed. 28,167-179, (2013).
14. Pelican W and Unger G. The activity of potentized substances experiments on plant growth and statistical evaluation. Br. Hom. J.; 60:233-266, (1971)
15. Rawson D S on the nature of serial dilution and succession with a note on Homoeopathic proving. The Hahn. Glean.; 43(12):538-544,(1976).
16. Sinha K. K. And Singh P. L , Homeopathic drugs inhibition of growth and aflatoxin production by *A. parasiticus*. Indian Phytopath, 36(2):356, (1983).
17. Shrivastava J and Atri D. C., Effect of the Homoeopathic drugs on the production of aflatoxin B1 by *A. flavus*. J. Phytol. Res, 11(1):45-49, (1998).
18. Shepherd,S., Mycotoxins worldwidw: current issues in Africa. In Meeting the mycotoxin menace (Barug,D.,VanEgmond,H.,Lopez-Garcia, R., Van Ossenbruggen, T. and Visconti, A.,eds), pp.81-88. Wageningen Academic : Wageningen, (2004).
19. Walliyar, F., Thraore,A., Fanondji, D. and Ntare, B,R., Effect of irrigation interval, planting date ,and cultivar on *Aspergillus flavus*: impact on aflatoxin contamination of peanut in a sandy soil of Niger . Peanut Sci. 30,79-84, (2003).

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 20th August 22 Paper Accepted : 30th August 22

विक्रमादित्यदायादा खण्डकाव्य में वर्णित राजव्यवस्थाएँ : एक अध्ययन

❑ रवीना*
❑ प्रो. सूर्यनारायण गौतम**

शोध सारांश

'विक्रमादित्य दायादाः' खण्ड काव्य राजनीति कूटनीति तथा धर्मनीति से परिपूर्ण खण्ड काव्य है। गुप्त साम्राज्य का काल भारतीय संस्कृति एवं भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रकृत कथन द्वारा शासकों की राजव्यवस्था कार्यशैली एवं नीति–निपुणतास्वतः बोधगम्य हो जाती है मनुस्मृति द्वारा प्रति पादित लक्षण के सदृश ही गुप्त सम्राटों में समस्त गुण विद्यमान थे। यथाः–

यस्यप्रसादे पद्मश्रीः जियश्चपराक्रमे।
मृत्युश्चवसतिक्रोधेसर्वतेजमयोहिसः।।

धर्मव्यवस्था एवं राजव्यवस्था का मूलभारती शास्त्र (प्राचीनग्रन्थ) है। समस्त राजाओं द्वारा मार्गदर्शक के रूप में शास्त्रों का सम्यक्तया अनुसरण किया जाता था। जिन ग्रन्थों के अन्तर्गत मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विदुरनीति चाणक्य नीति आदि का विशेषतः समावेश होता है।

प्रस्तुत समस्त ग्रन्थ भारतीय राजव्यवस्था की आधारशिला है आचार्य रामशंकर अवस्थी महोदय द्वारा विरचित विक्रमादित्य दायादाः खण्डकाव्य में इन्हीं आदर्श ग्रन्थों का अनुसार दृष्टिगोचर होता है।

शब्द कुंजी–राजव्यवस्था, धर्म व्यवस्था, आधिकारिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, दण्ड व्यवस्था।

राजव्यवस्था :–

गुप्तकाल में अन्तर्गत प्राचीन काल से प्रचलित संघात्मक (राजतंत्रात्मक) शासन प्रणाली का दर्शन होता है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शासक वंश परम्परा अनुसार उत्तराधिकार के रूप में राज्य को प्राप्त करता है अथवा सिंहासनारूढ़ राजा जिस पात्र (व्यक्ति) का चयन करे वह राजसत्ता प्राप्त करता था। गुप्तकाल अन्तर्गत उक्त दोनों प्रणालियों का प्रयोग हुआ था। ज्येष्ठ तथा योग्य पुत्र को मुख्य शासक के रूप में सिंहासन का उत्तराधिकार तथा अन्य पुत्रों को विभिन्न प्रान्तों के शासक के रूप में नियुक्त किया जाता था।

* शोधार्थी, संस्कृत विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू, राजस्थान
** शोध निर्देशक, संस्कृत विभाग, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनू, राजस्थान

यथाः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य को गुप्त सम्राट तथा अन्य पुत्र गोविन्दगुप्त को मालवा के राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। गुप्त सम्राट (अथवा शासक) न्याय पूर्वक प्रजा का पालन तथा वीरता पूर्वक उनका रक्षण करते थे।

गुप्तकाल भी प्रशासनिक व्यवस्था सम्यक् प्रकार से चलायमान रखने हेतु विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। अर्थात् आधिकारिक व्यवस्था, प्राशासनिक व्यवस्था का पूरक था। राज्य में अनेक संभाग तथा अनेक उत्तर दायित्व का संचालन मात्र अकेले राजा द्वारा संभव नहीं है अतः गुप्त काल में निम्न व्यवस्थाओं द्वारा राज व्यवस्था को सुचालित किया जाता था।

आधिकारिक व्यवस्था :–

गुप्तकालीन राज व्यवस्था का प्रमुख आधार राजा था समस्त क्षेत्र तथा समस्त शक्तियां राजा के अधिकृत थी राजा द्वारा राज व्यवस्था को सुयोग्य रूप से चलायमान रखने हेतु मन्त्री परिषद् सैन्य विभाग कोष अध्यक्ष तथा अन्यान्य विभागों की स्थापना की गई थी।

सर्वप्रथम विश्वस्त तथा बुद्धि चातुर्य से युक्त पात्र को मन्त्री के रूप में नियुक्त होता था। गुप्तकाल में सर्वोच्च श्रेणी के पदाधिकारी को कुमारामात्य की संज्ञा दी जाती थी। पुनः कुमारामात्य द्वारा समस्त विभागों का नेतृत्व करने हेतु योग्य व्यक्तियों का मन्त्री परिषद् द्वारा चयन होता था। तथा विभिन्न अधिकारियों के ऊपर भी महा–अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी।

उदाहरण स्वरूप गुप्त काल के विभिन्न पदों तथा उनके अधिकारियों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं यथाः–

- राजकीय भोजनालय के अध्यक्ष को 'खाद्यपाटिक',
- सेना के सर्वोच्च अधिकारी को 'महा सेनापति'
- अन्तः पुर के रक्षक को प्रतिहार
- राजमहल के रक्षकों के प्रधान को महाप्रतिहार,
- न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी को 'दण्डपाशिक'
- राज्य सभा के सदस्यों को प्रस्तुत समस्त संज्ञाएँ गुप्त काल में ही प्रयोगान्वित थी अन्य शासक के काल में अन्य संज्ञा होती है।
- धर्मसम्बन्धी मामलों के प्रधान अधिकारी को विनयस्थिति स्थापक'
- सेना में सामानों के व्यवस्थापक को 'रण भांडागरिक'
- युद्ध में प्रधान एवं शत्रु पक्ष में शान्ति प्रस्ताव क्षेत्र के मन्त्री को 'महासन्धि–विग्रहक'
- हस्ति सेना के प्रधान अधिकारी को 'महापीलुपति'
- अश्वसेना के प्रधान अधिकारी को 'भटाश्व पति' तथा 'सभेय' कहा जाता था।

आर्थिक व्यवस्था :–

गुप्त काल में प्रशासन चलायमान रखने हेतु सेना धन तथा शास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। पुनः शासन व्यवस्था प्रमुख आधार नहीं होता है गुप्त काल धन धान्य द्वारा में अत्यधिक समृद्ध था। गुप्त शासन में राज्य की आर्थिक व्यवस्था का आधार तथा प्रजा की आय का प्रमुख स्त्रोत कृषि थी समस्त जन निर्विघ्नता पूर्वक विभिन्न क्षेत्रों में कृषि करते थे।

बंजर भूमि का दान आदि कार्य में उपयोग कर गुप्त शासक उसको प्रजा के अधीन कर उपजाऊ बनाते थे। प्रजा में पानी की पूर्ती हेतु गुप्त कालीन शासक सरोवर बॉध, नहर, कूप, तालाब इत्यादि का निर्माण कर कृषि क्षेत्र को अत्यधिक समृद्ध बनाते थे। कृषि की प्रमुखता के कारण गुप्तकाल में धान्य का लेशमात्र भी अभाव नहीं था पुन समस्त गुप्त सम्राट स्वयं के शासन काल की विभिन्न आकृतियों से युक्त मुद्राएं प्रकाशित करते थे। जो मुद्राएं राज्य के अन्तर्गत क्रय विक्रय की प्रक्रिया में सामान्य प्रजाजनों द्वारा उपयोग में ली जाती थी।

गुप्तकाल के अन्तर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थो धातुओं वस्त्रों रत्नों पशुओं आदि का क्रय विक्रय होता था। राजधानी के अन्तर्गत समस्त व्यापारिक प्रक्रियाएँ अत्यधिक गतिशील होती थी व्यापारिक मुद्राओं में गुप्त काल के अतिरिक्त विदेशी मुद्राएं भी सम्प्राप्त होते है जिससे गुप्त साम्राज्य तथा विदेशी साम्राज्य के मध्य व्यापारिक प्रक्रिया का अनुमान होता है।

प्रस्तुत समस्त व्यापारिक गतिविधियों द्वारा गुप्तकालिक आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ थी।

समस्त आर्थिक गतिविधियों केन्द्रित करने हेतु विविध प्रशासनिक अधिकारों को नियुक्त किया जाता था।

धर्म व्यवस्था :–

गुप्त साम्राज्य में विभिन्न धर्मो के अनेक समुद्राय निवसित थे, परन्तु गुप्त शासकों के द्वारा परधर्म के समुदायों में भेद तथा निज–धर्म के समुदायों पर विशेष अनुकम्पा सदृश धार्मिक भेदभाव कहीं भी दृष्टि गोचर नहीं होता। गुप्त शासक धर्म निरपेक्षता एवं धार्मिक सहिष्णुता को अपनाते हुए स्वयं की व्यवस्था का सुयोग्य रूप से निर्वह नकरते थे। सामान्यतः समस्त गुप्त वंश हिन्दू धर्मी था परन्तु गुप्त वंश पर बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव शिलालेखों द्वारा प्रमाणित होता है। प्रस्तुत उदाहरण द्वारा धर्म निरपेक्ष शासन प्रणाली का दर्शन होता है।

तदनन्तर शैव, वैष्णव एवं शाक्त आदि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की प्रसन्नता हेतु अनेक शासकों द्वारा यत्र–तत्र मन्दिरों का निर्माण किया गया। गुप्तकाल में राजव्यवस्था अत्यधिक समृद्ध थी परन्तु मनुस्मृति के कथन अनुसार राज्य को निरन्तर समृद्धता प्रदान करने हेतु पुनः व्यापारों में किंचिद् अंकुश हेतु कर व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। यथा :–

क्रय विक्रय मध्यानं क्रंचसापरिव्ययम्।
योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दाप्येतकारान्।
यथा फलेन युजयेतराजा कर्ताचकर्मणाम्
तथा वेक्ष्यनृपोराष्ट्रेकल्प येत्सततंकरान्।।
धान्यानामष्टमोभागः शष्ठोद्वादशएववा।

सैन्य व्यवस्था :–

गुप्त सम्राटों का समय भारतीय संस्कृति का स्वर्ण सुग था। स्वर्ण सुगीन शासन द्वारा शासन व्यवस्था की उत्कृष्टता का अनुमान स्वतः हो जाता है। गुप्तकाल में प्रजा को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता थी। पुनः शासक भी समस्त कलाओं के ज्ञाता तथा विद्वान थे।

भारतीय साहित्य के कालिदास, धन्वतरी आदि नवरत्न गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में विराजते थे, अर्थात गुप्त काल में कला अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता थी, विद्वज्जनों का आदर सम्मान होता था तथा उनको विशिष्ट स्थान (रत्न संज्ञा प्रदान) अर्पित कर उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाता था। न केवल कला को प्रोत्साहन मिलता था अपितु उन विद्वानों को राज्य कार्यभार में भी सहायता करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्राप्त थी।

यथाः–युद्ध में शान्ति–सन्धि वैवाहिक सन्धि, मैत्री सन्धि आदि विशेष अवसर पर विद्वानों की कला एवं बुद्धिचातुर्य का उपयोग किया जाता था। गुप्तकाल की राज–व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख अंगत था सहकारी के रूप में कला तत्वज्ञों स्थान द्दष्टिगोचर होता है गुप्त काल के अर्न्तगत विद्वानों में तथा रचनाकारों ने समस्त स्थान पर भारती संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। गुप्त काल में परिभ्रमण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा साहित्य की अभिवृद्धि द्वारा प्रजा एवं शासक का साहित्य प्रेम दृष्टिगोचर होता है।

पुनः गुप्तकाल की सैन्य व्यवस्था में अत्यधिक सुदृढ़ थी। गुप्तकाल के प्रारंभ से ही गुप्त साम्राज्य की सेना अत्यधिक सुसंगठित तथा विशाल थी। विशाल सैन्य द्वारा गुप्त शासकों ने समस्त भारत वर्ष पर अपना अधिपत्य स्थापित किया। गुप्त कालिक राज अत्यधिक वीर तथा युद्ध कला में पारंगत थे, राजा स्वयं प्रत्येक युद्ध में भागले कर सैन्य का उत्साहवर्धन करते थे। गुप्तकाल की सैन्य व्यवस्था में योद्धाओं को विविध विभागों में विभाजित किया जाता था। यथा पदाति, अश्वारोही, एवं हस्तिपाल। सामान्य सैनिक समूह को चाट अथवा चमू कहा जाता था। गुप्त राजव्यवस्था के सदा ही सौन्य व्यवस्था भी अत्यधिक समृद्ध थी। परन्तु, धनुष, भिन्दिपाल, खड्ग, तोमर, नारच, सदश विभिन्न शस्त्र, असंख्य पदाति सैन्य समूह रथरोही सैन्य समूह अश्वारोही सैन्य समूह तथा गज सैन्यों द्वारा गुप्त सेना समस्त प्रकार से परिपूर्ण थी।

राजभवन सीमाएं, सामान्य स्थल तथा संपूर्ण राज्य में प्रजा की रक्षा हेतु सैनिकों को नियुक्ति किया जाता था। जिससे अन्य राजकार्य तथा प्रजाकार्य निर्भता पूर्वक संपन्न होते थे। सेना में भण्डार खादय सामग्री तथा विविध अस्त्र–शास्त्र के संरक्षण हेतु शस्त्रागार तथा कोठारों की व्यवस्था की जाती थी। समस्त सैन्य विभागों के विभिन्न अधिकारी था उच्च पदस्थ अधिकारीयों की व्यवस्था भी गुप्त काल की सैन्य व्यवस्था के अन्तर्गत की जाती थी। प्राचीनकाल से प्रचलित दिवानी तथा फौजदारी (सैन्य कानून)

कानून की व्याख्या सर्वप्रथम गुप्तरा राज व्यवस्था के अन्तर्गत की गई।

दण्ड व्यवस्था :–

राजव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है दण्डव्यवस्था। इसके द्वारा दुष्कृत्यों अथवा अत्याचार युक्तकार्यो में अवरोध उत्पन्न किया जाता था। समस्त समाज में न करने योग्य कार्य को अकृत्य घोषित कर दण्ड का विधान निर्मित किया जाता था।

जैसे षड्यंत्र द्वारा चोरी हत्या बलात्कार भ्रष्टाचार आदि निन्दनीय कृत्यों को बाधित करने हेतु दण्ड विधान आवश्यक है दण्डविधान द्वारा राज्य में प्रजा में विश्वास निर्भयता, स्वतंत्रता, एवं अनुशासित तथा मर्यादित जीवन शैली का सृजन होता है गुप्तकाल में भी दण्ड विधान का वर्णन प्राप्त होता है चीन यात्री फाह्यान के अनुसार गुप्त काल का दण्डविधान अपेक्षाकृत अत्यधिक कोमल था। दण्डविधान की कोमलता गुप्त साम्राज्य में मानव अधिकारों के प्रधानता तथा मानव धर्म के दर्पण को प्रस्तुत करती है।

इस प्रकार अधिकारियों पर राजा का अंकुश सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था, सुरक्षित सैन्य व्यवस्था, कोमल दण्ड–व्यवस्था, धार्मिक–साहित्यिक–तथा कला स्वतंत्रता पुनः धर्मानुसार शासन प्रणाली के द्वारा गुप्तसाम्राज्य की उत्कृष्ट राजव्यवस्था का प्रकृत काव्य में दर्शन होता है। आचार्य रामशंकर अवस्थी द्वारा वर्णित खण्डकाव्य में समस्त व्यवस्थाओं के विविध उदाहरण प्रस्तुत है। उदाहरणों के माध्यम से गुप्त कालीन राजव्यवस्था की प्रमाणित पुष्टि होती है।

राजव्यवस्था के अतिरिक्त सामान्य रूप से भी गुप्तसम्राट स्वयं को प्रजा का सेवक तथा धर्म कार कमानते थे, अतः निरन्तर प्रजा रक्षाकों ही धर्म मान कर शासन करते थे। पुनः प्रजा की आवश्यकता अनुसार उद्यानों विहार स्थलों उपयोगी जलाशयों, सुन्दर सरोवरों आस्था तथा श्रद्धा से जुड़े विविध देवों तथा देवियों के देवालयों विशाल मूर्तियों आदि का सामाजिक संतुष्टि हेतु निर्माण किया जाता था।

समस्त राजनैतिक शासन व्यवस्था तथा कार्यो को प्रजाहित प्रजा संतोष के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूर्ण किया जाता था। भारतीय राज नीति तथा भारतीय संस्कृति के स्वर्णकाल का समानार्थक शब्द गुप्तकाल ही है।

गुप्तकाल द्वारा आचार्य वर ने प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारितयों की कार्य सिद्धि को प्रतिपादित करते है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य स्कंदगुप्त क्रमादित्य नरसिंहगुप्त बालादित्य भानुगुप्त बुधगुप्त आदि समस्त ग्रन्थ में वर्णित गुप्त शासक राज व्यवस्था के अत्यधिक सुन्दर तथा सुदृढ़स्वरूप के साक्ष्य है आचार्यवर ने सरसता द्वारा गूढ़ राजनैतिक कार्यो को भी अत्यधिक सरल स्वरूप में प्रकट किया है–

आसीत्स्कन्दोह्दय सितयापावनी व्योमगंड्गा।
हर्तुभीत्या गहनतम संभास्वरोराम आसीत्।
भूम्यामभ्रेगुणगणनिधिर्नामरत्नाकरः सः
रागेघ्जागः सुरभिमतनोदूर्भिसेवाप्रयागे।।

निष्कर्ष–

डॉ. रामशंकर अवस्थी द्वारा विरचित विक्रमादित्यदायादा खण्डकाव्य आधुनिक समाज के लिए अध्ययन की महत्वपूर्ण विषयवस्तु है। इसके अध्ययन से न केवल संस्कृत साहित्य का ज्ञान होता है वल्कि ऐतिहासिक तथ्यों का भी ज्ञान होता है। धर्मशास्त्रों के मूल उद्देश्यों का भी ज्ञान होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाशः, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना।
2. काव्यालंकारः, आचार्य भामहः, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, प्रकाशन, वाराणसी। वि.सं. 2009।
3. काव्यादर्श, डॉ. जमुना पाठक, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, 2001।
4. काव्यालंकार कारिका–डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी 2001
5. ध्वन्यालोकः, आचार्य आनन्दवर्धनः डॉ. कृष्णकुमारः–साहित्य भण्डार सुभाष बाजार–मेरठ। 1977

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 5.999
Paper Recieved : 20th August 22
Paper Accepted : 30th August 22

बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध

❐ डॉ. राम किंकर पाण्डेय*

शोध सारांश

विगत कुछ वर्षों मे भारत की विदेश नीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसी वर्ष दिल्ली मे आयोजित रायसीना मे भारत ने कहा था की "भारत गुटनिरपेक्ष के अतीत से बाहर निकल चुका है और आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है" ज्ञातव्य है की वर्तमान मे भारत विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है अधिकांश बहुपक्षीय संस्थान में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है विशेषज्ञ का मानना है कि भविष्य में भारत की विदेश नीति इस बात पर निर्भर करेगी कि 20 और इंडो–पेसेफिक क्षेत्र में वह किस प्रकार की भूमिका निभाता है।

शब्दकोश–अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्ध।

परिचय–

विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार, बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग–अलग स्वरूपों यानि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है।

कूटनीति–वहीं कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को समझने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कौशल है। भारत, दुनिया भर के 201 राज्यों के साथ राजनयिक संबंध रखता है, 199 मिशन और पद विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, जबकि 2020–21 में नए मिशन खोलने की योजना है, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र के 11 सदस्य देशों ने की है। विदेश मंत्रालय (भारत) (MEA), जिसे विदेश मंत्रालय भी कहा जाता है, भारत के विदेशी संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है। भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है, एक परमाणु शक्ति, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, वैश्विक शक्ति और एक संभावित महाशक्ति है। भारत एक बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और वैश्विक मामलों में एक प्रमुख राष्ट्र है।

भारत की विदेश नीति, मुख्य उद्देश्य–

1. किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने 'राष्ट्रीय हितों' को सुरक्षित करना है।

2. उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिये 'राष्ट्रीय हित' का दायरा अलग–अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिये हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना,

* सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र विभाग, यमुना प्रसाद शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेमरिया, जिला-रीवा (म.प्र.)

सीमा–पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं।

3. अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिये भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे–मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिये भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी की जरूरत है।

4. उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफी अधिक ध्यान दिया है।

5. भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय को संलग्न कर वहाँ उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है, इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की विदेश की मुख्यतः 4 महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं–

1. भारत को पारंपरिक और गैर–पारंपरिक खतरों से बचाना।

2. ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिये अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से–गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँच सके।

3. यह सुनिश्चित करना की वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे–आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके।

4. विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना।

बदलती भारतीय विदेश नीति–

भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास बात यह है की इसमे पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है, भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है।

Ref- The Hindu, The Indian Express, Business Line -

डोकलाम में भारत की कार्रवाई और वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की स्पष्टता दिखाई देती है। बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

अमरीका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इस तथ्य के प्रमुख उदाहरण है–

1. भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है।

2. भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है।

3. डोकलाम में भारत की कार्रवाई और वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं।

4. कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की स्पष्टता दिखाई देती है।

5. बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है।

प्रधान मंत्री मोदी के शुरुआती कार्यकाल मे भारत तथा अमरीका के बीच वस्तुओ तथा सेवाओ का

द्विपक्षीय व्यापार राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय निर्धारित 100 बिलियन डालर के लक्ष्य को पर कर गया था ओबामा ने 2017 तक बहार्ट मे 126.4 डालर का निवेश किया था। 2017 मे US FDI के साथ भारत मे अमरीका का निवेश 15% वृद्धि के साथ देखा गया वही अमरीका की कुल वृद्धि मे 11.5% की अधिकता पाई गई।

महत्वपूर्ण रूप से, मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ पारस्परिक संबंधों, रक्षा व्यापार और बल को बढ़ाया कोई यह तर्क दे सकता है कि यह काफी हद तक अमेरिका की तरफ भारत का खुव है परंतु स्वतंत्र और खुले इंडो–पैसिफिक के संबंध में हितों के अभिसरण से और अमेरिका के बीच भारत का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होने पर आम सहमति नई दिल्ली के रणनीति का हिस्सा है।

हालाँकि, अमेरिका के साथ उभरते हुए रणनीतिक संरेखण में भी एक वास्तविक राजनीति है। नीचे दिए गए विवरण मे मोदी के पहले ओर मोदी के बाद की बदली हुई विदेश नीति।

Figure 1: India–US Bilateral Trade and FDI

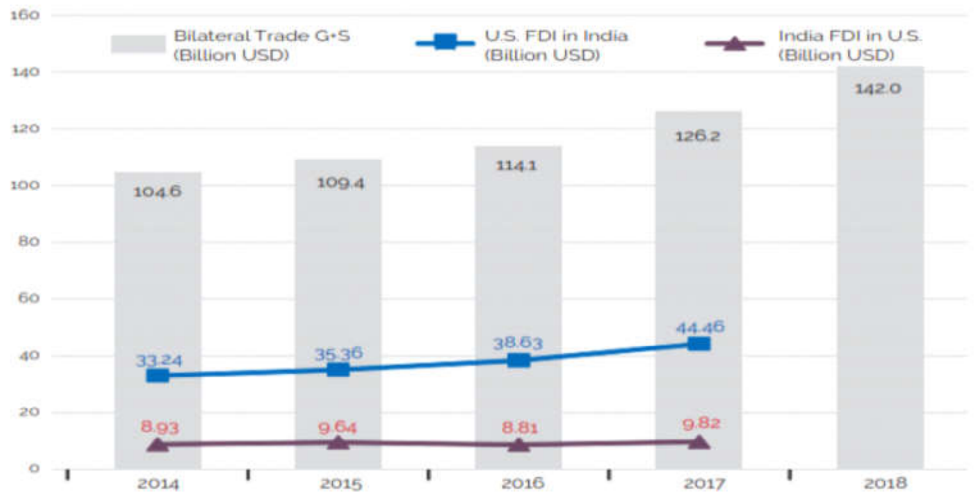

Source for Indo-U.S. Bilateral Trade: https://ustr.gov/countries-regions/south-central-asia/india
Source for India's FDI in the U.S.: https://www.statista.com/statistics/188940/foreign-direct-investment-from-india-in-the-united-states/
Source for U.S. FDI in India: https://www.statista.com/statistics/188633/united-states-direct-investments-in-india-since-2000/

वास्तव में भारत अमरीका रक्षा व्यापार 2008 मे 1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर आज 18$ (डालर) से भी अधिक हो गया है, 2013 से 2017 के बीच मोदी की विदेश नीति के नए परिणाम देखने को मिले।

अमरीका भारत को हथियार निर्यात करने वाला दुसरा सबसे बड़ा देश है।

पहला कार्यकाल–अमरीका को भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनाना, भारत को अमेरिकी हथियारों के निर्यात में 550 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक की वृद्धि देखी गई, इसके परिणामस्वरूप, भारत अब दूसरे सबसे बड़े सी–17 ग्लोबमास्टर पी–18 का संचालन करता है। मोदी सरकार ने इसके इस तरह के संबंधों को विकसित करने की दिशा में कदम उठाए हैं विभिन्न स्तरों पर भारतीयों के बीच संवाद की शुरुआत और विदेशी और रक्षा मंत्रिमंडलों के अमेरिकी सचिव इकट्ठा हो सकते हैं। नीति पर अमेरिकी प्रतिबंधों (जैसे CAATSA)

की संभावनाओं को कम करने में रूस और ईरान जैसे अमेरिकी विरोधी देशों के साथ भारत के संबंधों पर मतभेद, नई सार्वजनिक–निजी भागीदारी की पहचान के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाना आदि कई कार्य विदेश नीति मे सम्मिलिट है।

चीन का उदय ओर भारत का आर्थिक विकास–

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य काल के दौरान भारत चीन संबंधों को समझने के लिए एशिया मे काम कर रही तेजी से बदलती राजनीतिक ताकतों को समझना होगा द्यष्चीन का उदय, और कुछ हद तक, भारत का आर्थिक विकास" के रूप मे परिभाषित किया गया है इसके साथ ही भारत चीन के संबंधों को दो एशियाई दिग्गजों के बीच संवाद मंचों, जैसे कि ब्रिक्स, और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के रूप मे बढ़ावा दिया गया है। चीन और भारत अकसर अपनी सीमा संबंधी विवाद मे आमने–सामने हो जाते है, फिर भी व्यापार और जलवायु जैसे मुद्दों पर वैश्विक क्षेत्र में समान स्थिति के बचाव मे चीन और भारत अक्सर मिल जाते थे। जैसा की विदित है भारत चीन संबंधों को एशियाई शताब्दी, आपसी सौहार्द, संबंधों के बीच उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा और कटुता के लिए परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक परिद्रश्य मे देंखे तो चीन के नेत्रत्व वाली संस्था भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। इस संस्था मे जिसे व्यापक रूप से एशिया के उदय एवं अमरीका के वैश्विक प्रभाव के बीच एक जुड़ाव के रूप में मान्यता दी गई। साइबर स्पेस से लेकर बहुपक्षीय व्यापार तक, बीजिंग का नेतृत्व राजनीतिक, आर्थिक संगठन के लिए विशिष्ट एशियाई समाधान विकसित कर रहा है। दूसरी ओर, भारत भी चतुर्भुज पहल के पुनरुद्धार में निवेश कर चुका है। एशियाई महाद्वीपों का एक लोकतान्त्रिक समूह क्वाड जैसी संस्थाओ के माध्यम से लोकतान्त्रिक शासन चाहता है। जैसे एससीओ की तरह, क्वाड का सहयोग बहुआयामी है और इसमें बुनियादी ढांचा निवेश, साइबर मानदंड और समुद्री सुरक्षा शामिल है। हालांकि इस बार भारत ने चीन को उसके समुद्री दखल के जवाव मे भारत ने अपना रुख साफ किया है।

भारत चीन व्यापार पिछले कुछ वर्षों मे।

भारत रूस संबंध–

वर्ष 2014 भारत और रूस दोनों के लिए नए विकास के द्वार के रूप मे चिह्नित किया गया था। रूस द्वारा उस वर्ष में भारत मे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन देखा गया। उस वर्ष मई में नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला, और रूस के साथ क्रीमिया और यूक्रेन संकट को लेकर पश्चिम के साथ बिगड़ते संबंधों का असर दोनों देसो के रिश्तों पर पड़ा। उससे समय के साथ, यह धारणा बन गई थी कि भारत–रूस संबंध स्थिर हो रहे हैं क्योंकि दोनों देशों ने न केवल बदलती दुनिया में अपनी–अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे बल्कि उनके द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही 2014 मे अमरीका भारत के लिए सबसे बड़ा सैन्य शक्ति का आपूर्तिकर्ता बन गया और रूस दूसरे स्थान पर आ गया। इसके साथ ही 2016 मे भी पहले की तरह जब अमरीका का विनियोग बढ़ गया तब रूस का आमने सामने का संवाद शुरू हुआ। 2018 लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर (LEMOA, 2016) समझौते का और साथ ही संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA, 2018)। आदि जैसी अपनी दशकों पुरानी नीति से पलट गया और उसने चीन को 2014 के बाद चीन को उन्नत हथियारों की आपूर्ति की, जिसमे सुखोई 36 और 400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सहित सिस्टम शामिल है। इसके साथ ही रूस ने पाकिस्तान को मई–35 की बिक्री के साथ सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया जो की भारत के लिए बहुत ही निराशा की बात थी।

Figure 7: India–Russia Bilateral Trade (2014–17)

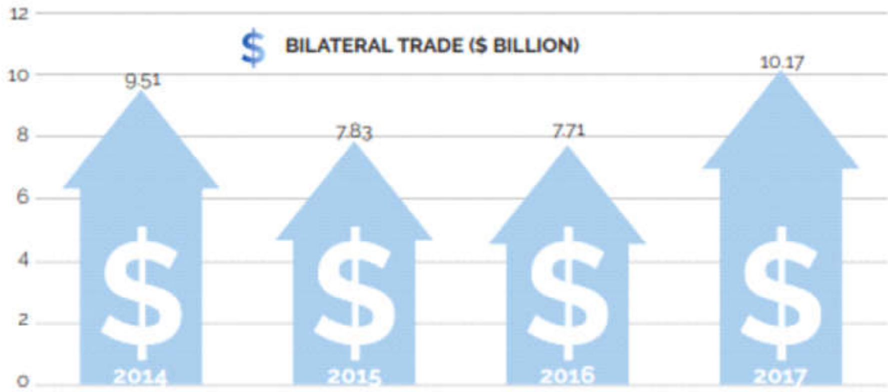

Source: Ministry of External Affairs, GoI, NDTV, The Hindu.

वर्ष 2017 मे भारत एवं रूस के मध्य राजनयिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ पे कई समझोतों पर हस्ताक्षर किए गए। इतने वर्षों मे पहली बार इन्द्र प्रारूप के तहत भारत "शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)" मे पूर्णसदस्य के रूप मे शामिल हुआ। निवेश के मामले में दोनों देशों ने 2025 तक US$ 30 बिलियन का लक्ष्य रखा था। यह लक्ष्य 2017 तक हासिल किया गया कर लिया था, और नया लक्ष्य 2025 तक US$ 50 बिलियन का है।

Figure 8: India–Russia Defence Deals (2018–19)

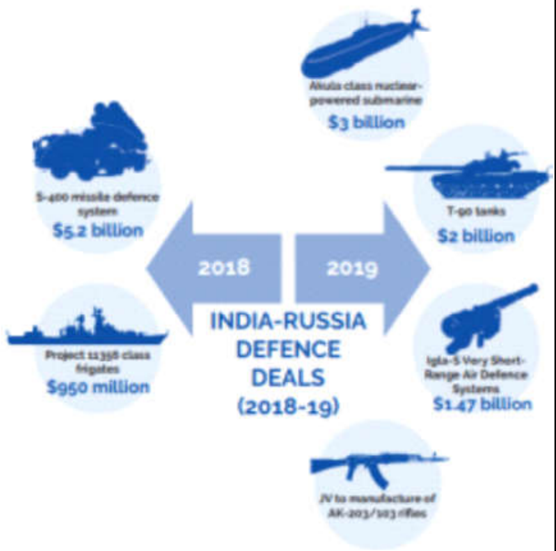

Source: Ministry of External Affairs, GoI, NDTV, The Hindu.

निष्कर्ष :–

यद्यपि कार्रवाई की स्पष्टता एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु जटिल मुद्दों और नीतियों के लिये बारीक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में कमी आ सकती है, अतः आवश्यक है कि संबंधों में संतुलन बनाए रखा जाए। विदेश नीति का घरेलू राजनीतिकरण एक चिंता का विषय है। जिसके चलते विदेश नीति का निर्णय लेते समय नेतृत्व को घरेलू कारकों का ध्यान देना पड़ता है और विदेश नीति प्रभावित होती है।

संदर्भ –

1. Harsh V- Pant.
2. Indian Foreign Policy: The Modi Era (New Delhi: Har-Anand Publishers, 2018).
3. USTR Report, “U.S.-India Bilateral Trade and Investment,” Office of the United States Trade Representative, 8 April 2019, https:\\ustr.gov\countries-regionsèsouth-central-asia\india.
4. Prashant K. Nanda, “Flow of Indian students to US slows to a five-year low,” Live mint, 14 November 2018, https:\\www.live-mint.com\Politics\ XIMkOAAr2Tcehex-fAHj5DJ\Number-of-Indians-studying-in-US-up-by-54- since-last-year.html. 5 Ibid.
5. Dhruva Jaishankar, “Survey Of India’s Strategic Community,” The Brookings Institution, 1 March 2019, https:\\ www.brookings.edu\research\ intro-duction-survey-of-indias-strategic-community\.
6. David Vine, “Where In The World Is The U.S. Military?” Politico Magazine, July\August2015, ttps:\\www.politico. com\ magazine\story\2015\06\usmilitary-bases-around-the-world-119321.

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 5th Sept. 22
Paper Accepted : 10th Sept. 22

''श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में विसंगति एवं विडम्बना बोध''

❐ आकांक्षा द्विवेदी*
❐ डॉ. वंदना त्रिपाठी**

शोध सारांश

श्रीलाल शुक्ल स्वातंत्र्योत्तर काल के उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। उनके साहित्य में भारत का यथार्थ की तीक्ष्णता, जिम्मेदारी एवं चिन्तन के साथ प्रकट हुआ है। हिन्दी के औपन्यासिक साहित्य में उनका योगदान प्रशंसनीय है। उनका सृजन विसंगतियों के बीच नयी मानवीय नैतिकता की खोज का अनवरत् प्रयास है। उन्हें अपने जीवन के प्रारम्भिक संघर्षो ने आम आदमी का पक्षधर बनाया है। उनका अध्ययन संकीर्णताओं का अतिक्रमण करता है। उनमें आजादी के बाद के छटपटाते समाज को चित्रित करने की शक्ति है। वे प्रेमचन्द के बाद सही अर्थों में समाजदृष्टा साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं। भारत के जनसाधारण के जीवन में सदैव दुःख दर्द मौजूद हैं। इस दुःख दर्द का निवारण छोटे–मोटे तात्कालिक संघर्षो से नहीं होता है, इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण एवं सोच में बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है। इसीलिए वे यथार्थ का चित्रण नहीं, बल्कि यथार्थ का मूल्यांकन करते हैं।

श्रीलाल शुक्ल जी ने 'सूनी घाटी का सूरज' से लेकर 'राग–विराग' तक उनकी समूची सृजन यात्रा एक गंभीर लेखक होने का प्रमाण देती है। उनकी सम्पूर्ण रचना यात्रा मानवीय स्थितियों की अलग–अलग व्याख्या करती है। श्रीलाल शुक्ल के सभी उपन्यास आजादी के बाद के विशेष रूप से शहरी समाज से बहुत गहराई से संबंध हैं। इनके उपन्यासों की कथावस्तु मध्यवर्ग और उनकी समस्याओं के इर्दगिर्द घूमती है और अपनी परिधि के भीतर समाज के शेष वर्गों को भी समेट लेती है। लोकतंत्र, प्रशासन, शिक्षा, कानून, न्याय व्यवस्था, दाम्पत्य जीवन, अपराध, महँगाई, शोषण, चुनाव, भ्रष्टाचार, प्रेस, समाचारपत्र, शहरीकरण, बेरोजगारी, भूदान आदि अनेक समस्याएँ उनके उपन्यासों का ताना–बाना है। उपन्यासकार के रूप में श्रीलाल शुक्ल ने हिन्दी साहित्य को 'सूनी घाटी का सूरज', 'अज्ञातवास', 'राग दरबारी', 'आदमी का जहर', 'सीमाएँ टूटती हैं', 'मकान', 'पहला पड़ाव', 'बिस्रामपुर का संत', और 'राग–विराग' उपन्यास दिये हैं।

मूल शब्द–शुक्ल, विसंगति, उपन्यास, जीवन, संकीर्णता।

* शोधार्थी (हिन्दी), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), मो. 7354652144
ईमेल : dwivediakanksha598@gmail.com
** शोध निर्देशक, प्राध्यापक शा. कन्या स्नात. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

व्याख्या–

मैं ह्रदय से स्वीकार करती हूँ कि श्रीलाल शुक्ल हिन्दी के सिद्धहस्त रचनाकारों में एक हैं। 'रागदरबारी' नामक कालजयी रचना लिखकर हिन्दी व्यंग्यकारों की जमात में उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। ये हिन्दी के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण उपन्यास 'रागदरबारी' के साथ कहीं भी उसके शिल्प और लेखन की पुनरावृत्ति होने नहीं दी। उनके साहित्य का समग्र अध्ययन करने पर यह प्रतीति होती है कि ये रचनाएँ अलग–अलग रचनाकारों द्वारा लिखी हुई हैं। वे अपनी प्रत्येक रचना में एक लेखकीय संघर्ष से गुजरे हैं।

स्वातंर्त्र्योत्तर हिन्दी रचनाओं में श्रीलाल शुक्ल हिन्दी खड़ी बोली गद्य का एक नया शक्तिशाली चेहरा लेकर हमारे सामने आते हैं। वे अपने समय को एक ऐसे लेखक हैं, जिनके साहित्य में पिछली अर्धरात्री का यथार्थ समाया हुआ है। उनके साहित्य का प्रयोजन रहा है–आपके समय में अपने समाज को खोखला और उसकी वास्तविकता को पुनः सृजन करना। उन्होंने साहित्य लिखने के लिए कभी भी किस्सागोई का सरल मार्ग नहीं अपनाया, न इतिहास या पुराण की शरण ली। उनके लिए अपना समय, अपना समाज और अपने लोग ही सब कुछ हैं।

श्रीलाल शुक्ल के व्यक्तित्व में सृजनात्मकता के बीज बचपन से ही विद्यमान थे, जिन्हें गाँव के साहित्यिक माहौल में पनपने का अवसर मिला। 'स्वर्णग्राम' और 'वर्षा' नामक निबंध से श्रीलाल शुक्ल की गद्य लेखन की मंदाकिनी स्वतः प्रवाहित हो उठी। इसके पश्चात् हास्य–व्यंग्य, निबंध, सामान्य लेख, कहानियाँ तथा उपन्यास–अंश हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ ज्ञानोदय, धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कल्पना, नई कहानियाँ आदि में प्रकाशित होने लगे। रचनाएँ प्रकाशित करवाने के लिए अन्य लेखकों की तरह श्रीलाल शुक्ल को संघर्ष नहीं करना पड़ा। उन्हीं के शब्दों में ''लेखक की हैसियत से दुकान बैठालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई।प्रकाशन के लिए मुझे कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं झेलना पड़ा जिसकी में डींग हाँक सकूँ। साहित्य में मुझे सामान्य तथा प्रोत्साहन और सद्भाव के साथ ग्रहण किया गया ।''

श्रीलाल शुक्ल के पास व्यापक अनुभव है, पैनी दृष्टि हैं तथा सुन्दर कल्पनाशक्ति हैं। ये तीनों का त्रिवेणी संगम उनके कथा–साहित्य में मिलता है। श्रीलाल जी का संबंध कितना शहर के साथ है उतना ही गाँव के साथ रहा है। वे शहर का वर्णन कर रहे हो, चाहे, गाँव का अभिव्यक्ति का संकट उनके सामने कभी नहीं आया। उनके भीतर शब्दों का झरना सदा बहता रहा है। उन्होंने कभी शब्दों को तोड़ा–मरोड़ा नहीं। सूक्ष्म दृष्टिः के कारण वह छोटी–से–छोटी बात पकड़ लेते हैं, जिसकी ओर स्वतः हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। वे अपने आस पास जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं उसे अपने साहित्य में सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की भाँति आते हैं। ममता कालिया ने इस संदर्भ में लिखा है–''श्रीलाल शुक्ल जी की सबसे बड़ी खासियत मेरी नजदीक यह है कि वे अपनी रचनाओं की कथा–भूमि अपने कार्यालय के कुरुक्षेत्र में ही ढूँढ़ निकालते हैं। रोजमर्रा के गैर दिलचस्प कार्य–कलापों के मध्य ही उनका साहित्य प्रसव व पोषण पाता है। 'रागदरबारी' व 'मकान दफ्तर' के दैनिक दुष्कर्मों से जनित नौकरशाही के दबंग दस्तावेज है।''

श्रीलाल शुक्ल की लेखन प्रक्रिया अन्य लेखकों से एकदम अलग है। रचना प्रक्रिया में न जाकर ये विषय निरूपण में एकाग्रचित होते हैं। कई बार एक ही चीज चार–चार, पाँच–पाँच बार ये लिखते हैं। 'रागदरबारी' जैसा महाकाव्यात्मक उपन्यास उन्हें छह–सात बार संशोधित करना पड़ा था तथा इसे लिखने में छह वर्ष लगे थे। शुक्ल जी स्वयं लिखते हैं–'''रागदरबारी' ने मुझे लगभग छह साल बीमारी की हालत में रखा। उन गँवार चरित्रों के साथ दिन–रात रहते हुए मेरी जबान खराब हो गयी। भद्र महिलाएँ खाने की मेज पर कभी–कभी मुझे भौहें उठाकर देखने लगी, मैं परिवार से, परिवार मुझसे कतराने लगे।''

पारिवारिक विसंगतियों एवं सामाजिक विडंबनाओं का जो सामना किया तथा उसके लिए जिस प्रकार का संघर्ष उनके जीवन में हुआ वह उनकी लेखनी में उपन्यसो के माध्यम से अवतरित हुआ है। शुक्लजी को जिन्दगी में गहरा विश्वास है। कुछ–कुछ गालिब की तरह वे भी जीवन रस की आखिरी बूंद तक गद्य का स्वाद पाना चाहते हैं। श्रीलाल शुक्ल ने अपनी और अपने बाद की पीढ़ी के ऐसे गद्य लेखक हैं, जिन्होंने गद्य के सर्वाधिक रूपों में अपने समय को अभिव्यक्त किया है। उनके साहित्य के बीच से गुजरते समय मैंने कुछ ऐसे सार्थक क्षणों का अनुभव किया है, जो मेरी अविस्मरणीय उपलब्धि है।

आजादी के बाद कुकुरमुत्ते की तरह पनपे उन नेताओं का खुलकर वर्णन लेखक ने किया है। नेता ऊपर से संत दिखाई देते हैं और भीतर से शैतान हैं। स्वातंर्त्र्योत्तर परिस्थिति को व्यापक रूप से यहाँ समेटा है। 'राग दरबारी' के माध्यम से शिवपालगंज के द्वारा भारतीय खंडित मूल्यों और निरंतर बढ़ती समस्याओं का चित्रण किया है। लेखक की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण और पैनी है कि स्वातंर्त्र्योत्तर भारतीय जनजीवन में कैसे–कैसे उतार–चढ़ाव आते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। सामाजिक मानवीय मूल्यों की विसंगतियों के लिए व्यंग्य का उपयोग किया है। स्वातंर्त्र्योत्तर हिन्दी के व्यंग्यात्मक उपन्यासों की परम्परा का राजमोड श्रीलाल कृत 'राग दरबारी' ने प्रस्तुत किया है। 'रागदरबारी' के व्यंग्य तेवरों को लेखक द्वारा ऐसे भव्य रूप में प्रस्तुत करना हिन्दी उपन्यासों की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

परिवार के कुछ बुजुर्ग लेखकों की नकल करते हुए बचपन से ही लिखना प्रारंभ कर दिया। वे स्वयं कहते हैं–"चौदह–पन्द्रह साल की उम्र तक में एक महाकाव्य (अधूरा) दो लघु उपन्यास (पूरे), कुछ नाटक, कई कहानियाँ लिख चुका था। नये लेखकों को सिखाने के लिए उपन्यास लेखन की कला पर एक ग्रंथ भी शुरू किया था, पर वह दो अध्यायों के बाद ही बैठ गया।"[9] शिक्षा काल में गाँव के वास्तव्य में श्रीलाल शुक्ल ने दो उपन्यास लिखे थे। पड़ोस के लड़के द्वारा साहित्य की पांडुलिपियाँ चोरी से कबाड़ी के हाथ बेची गयी। साहित्य के इस प्रकार विनष्ट होने की यह पहली पीड़ा उन्हें बहुत व्यथित कर गयी। उस सदमे के कारण कुछ समय तक लेखन कार्य छोड़ भी दिया था। दूसरी बात यह है कि उन्हें कविता के साथ उस समय के प्रेमाचार से अनेक फायदे हुए उन्हें हाईस्कूल और इण्टर के दिनों में कवि सम्मेलनों से कभी–कभी महीने भर का खर्च चलाने के लिए रुपया मिलने लगा, लोगों से परिचय होकर साहित्य अध्ययन की प्रेरणा मिली। श्रीलालजी लिखने से विरत हो जाने के दिनों में भी आधुनिक हिन्दी और अंग्रेजी साहित्य बराबर पढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आ जाने के बाद सन् 1953–54 में हमीरपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हुए वहाँ के अपेक्षाकृत शांत जीवन में उन्हें पुनः लिखने की प्रेरणा मिली।

विसंगति का तात्पर्य इनकी रचनाओं में उसी प्रकार से है, जिस तरह से सामान्यतः जीवन यापन करने वाले मनुष्य को एक नयी दुनिया में भेजकर उसकी समस्याओं को और अधिक बढ़ावा दिया जाय। रागदरबारी में यह विसंगति देखने में आयी है–"ये बुद्धिजीवी जीवन, संघर्ष, समस्या या परिस्थिति को झेलने के बजाय उनसे दूर भागना चाहते हैं। रंगनाथ जैसे बुद्धिजीवियों की पलायन प्रवृत्ति तो यही कहती है। वह अपनी निराशा और दुख को दूर करने के लिए अतीत में छिप जाता है, या भाग जाता है। वर्तमान को झेलने का, जीने का, उससे जूझने का साहस भला इनमें कहाँ?"

नोबेल पुरस्कार–

विजेता उपन्यासकार विलियम फाकनर ने एक अच्छे लेखक की तीन विशेषताएँ बतायी हैं "अनुभव, सूक्ष्मदृष्टि और कल्पनाशीलता।" श्रीलाल जी में इन तीनों विशेषताओं का सामंजस्य है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास 'रागदरबारी' एक महत्त्वपूर्ण रचना माना जाता है। इसका कारण स्पष्ट है कि, इस रचना के भीतर जीवन मूल्यों की तथा मानवीय मूल्यों की विषद

व्याख्या लेखक ने की है और यह रचना जीवन को कई कोणों से विश्लेषित करती है। 'राग दरबारी' जिन्दगी का दस्तावेज है। इस जिन्दगी से शिवपालगंज की कुछ संस्थाओं को केन्द्र में रखकर दिखाने का प्रयास किया है। ग्रामीण जीवन की प्रारंभिक विसंगतियों एवं होने वाले कुछ विशेष कारणों की जड़ को तलाशकर उन्होंने इस रचना का निर्माण किया है।

'आदमी का जहर' उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज में पनपने वाली ज्वलंत समस्या, अपराधवृत्ति की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता है। यह उपन्यास हिन्दी के उन असंख्य कथा–प्रेमियों को सस्नेह समर्पित है जिसकी परिधि में दास्तावासकी से लेकर काफका और कामू तथा जैनेन्द्र से लेकर अज्ञेय और निर्मल वर्मा जैसे विशिष्ट लेखकों का अस्तित्व को दर्शाता है। आज भारतीय शहरी समाज में पति–पत्नी के सम्बन्धों में दरार पड़ गयी है। वह दरार शंका की है। इसका व्यवस्थित वर्णन 'आदमी का जहर' उपन्यास में हुआ है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी रूबी पर शंका करता है और इसी संदर्भ में वह अजीत सिंह को गोली मार देता है। यहाँ अपराध की जासूसी और सामाजिक–राजनैतिक परिस्थितियाँ अलग प्रकार का माहौल पैदा करती हैं। उपन्यास का आरम्भ रूबी और हरिश्चंद्र के तनावपूर्ण दाम्पत्य जीवन से होता है। रूबी की एक मजबूरी है जिसके कारण उसे अजीत सिंह के साथ सम्बन्ध स्थापित करने पड़ते हैं। यही सम्बन्ध हरिश्चंद्र की पीड़ा बन जाती है। रूबी का अजीत सिंह से मिलना जुलना बन्द नहीं होता। लगातार चलता ही रहता है। हरिश्चंद्र अजीत सिंह और रूबी के साथ रंगे हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वह उसमें सफलता प्राप्त नहीं होता। पत्नी की हरकत को बरदाश्त न कर पाने से वह आवेश में आकर पिस्तौल में कारतूस भरकर प्रेस की ओर चल पड़ता है। वहाँ भी उसे रूबी और अजीत सिंह नहीं मिले। नौकर से पता चलता है कि अभी अजीत सिंह किसी स्त्री के साथ डायमण्ड होटल गया है। हरिश्चंद्र अपने आप पर काबू न रख पाता और वह अजीत सिंह के खून का प्यासा हो गया। कुल मिलाकर यह उपन्यास पाठकों का मनोरंजन तो करेगा ही, साथ ही साथ में उन्हें कुछ सोचने के लिए भी मजबूर कर देता है। श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि अपराध रहस्यकथा जैसे उपन्यास में साधारण दिखने वाला हत्याकाण्ड असाधारण रहस्यमयता से घिरता जाता है और अप्रत्यक्षित तनाव बिन्दु तक जा पहुँचता है आदि विषयों पर वर्णन किया है।

'सीमाएँ टूटती हैं' उपन्यास में अपराध कथा न होते हुए भी उसमें अपराध कथा जैसा प्रवाह है। मानवीय सम्बन्धों में विश्वास और प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम और विश्वास के खोने पर सम्बन्ध टूटने लगते हैं, और निरर्थक लगने लगते हैं–''शुरू से याद करो : इस मुसीबत में उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया? पापा के मुकदमें सारी पैरवी उन्होंने की। हममें से किसी को इसका तजुर्बा नहीं था।'' दुर्गादास दिल्ली का रहने वाला था। उनके दो लड़के तारानाथ और राजनाथ, लड़की चाँद थी। धरम पर विश्वास रखने वाला तारानाथ एक छोटे कस्बे के इन्टरमिडिएट कॉलेज का प्रिन्सिपल था। विमल दुर्गादास के परिवार का विश्वास पाने के लिए अपने सर हत्या का आरोप लेने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार धर्म, अपराध जैसी वृत्तियों में बँधी जिन्दगी वह जी रहा था। आदि ऐसे विषयों पर वर्णन करने का प्रयास लेखक ने किया है।

'पहला पड़ाव' उपन्यास में पारिवारिक समस्याओं से त्रस्त मध्यमवर्ग की विडम्बनाओं का चित्रण है। मध्यमवर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके पास जीने योग्य सुविधाएँ भी पर्याप्त नहीं हैं। उसी की पूर्णता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष से जूझता है। व्यक्ति अपने परिवार में ही अपने को मेहमान की तरह अनुभव करता है। पारिवारिक अधूरेपन का चित्रण इस उपन्यास में मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया हैं। जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी उल्लेख हुआ है। श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास में मजदूरों का शोषण को स्पष्ट किया है। अपनी असमर्थता

के कारण मजदूर लोग बड़े लोगों के हाथ में पिस रहे हैं। दिन–रात काम करवाकर उनके रक्त को चूस रहे हैं–''कानून की पढ़ाई मेरे लिए अब पेट पालने की मजबूरी नहीं, एक लौह जाल तोड़ने की तैयारी होगी।'' उनकी दयनीय स्थिति का चित्रण 'पहला पड़ाव' में किया है। राजनीति के नाम पर आज अनेक हड़ताल चल रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता को मारना या कार्यकर्ताओं का मारना ये सब एक तरह से राजनीतिक गुंडागर्दी है। 'पहला पड़ाव' में लेखक ने विविध स्तरीय जीवन का चित्रण किया है। उन्होंने विविध स्तरों को प्रभावित करने वाले तत्त्वों के अन्तर्गत महँगाई, उपभोग, रिश्वत और भ्रष्टाचार, निर्धनता आदि का चित्रण किया है।

'मकान' उपन्यास की विषय वस्तु का आरम्भ प्रधान पात्र नारायण से हुआ है। वह शहरी जीवन का अभ्यस्त है। विषयवस्तु का विकास नारायण की दैनंदिन जीवन की घटनाओं से है। नारायण की हत्या से उपन्यास का समापन होता है। उपन्यास के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस उपन्यास की मूल कथा मकान से सम्बन्धित है। नारायण एक सितारवादक है, अपने जीवन उपाय के लिए वह शहर छोड़कर दूसरे शहर लखनऊ में आता है। जहाँ पर वह अपने अतीत में रह चुका है। वह मकान की तलाश में नगर निगमों के चक्कर काटता रहता है, किन्तु उसे कहीं मकान नहीं मिलता है। वह एक होटल में रहकर मकान ढूँढ़ता रहता है। वह होटल में भी संगीत साधना करता है तो दूसरे लोगों को दिक्कत पड़ती है। एक दिन होटल मालिक नारायण को सितार बजाने पर रोक लगा देता है। नारायण को बहुत बुरा और अपने आप पर दुःख व्यक्त करता रहता है। दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि से वे परिचित हैं और साथ में भाई भतीजावाद को अपनी आँखों के सामने साकार होता देखता है। सिम्मी, नारायण, श्यामा और बारीन दा के माध्यम से लेखक ने जीवन के बिखराव तथा जीवन की विसंगतियों को व्याख्यायित किया है। वस्तुतः संगीत की पृष्ठभूमि पर कलाकर के जीवन की आकांक्षाओं, जिम्मेदारियों, तनावों को केन्द्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास पहला है। कुछ दिनों तक कलाकार की हत्या को लेकर शहर का वातावरण गर्म रहता है, पर धीरे–धीरे शान्त हो जाता है। नारायण के बाद उसकी पत्नी मीनाक्षी तथा पुत्र पिन्टू को रियायती दर पर मकान दिया जाता है। नारायण की चपलता, सुन्दरता, रागात्मकता का वर्णन भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कलाकार अपनी मंजिल की खोज में निरंतर भटकता रहता है। तब उसे अपनी मंजिल नजर आती है तब उसकी जीवन ज्योति बुझ जाती है। उपन्यास का अन्त करुणाजनक है। उसका अंतिम दृश्य बड़ा हृदय विदारक है।

'बिस्रामपुर का संत' उपन्यास की विषय वस्तु आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन पर केन्द्रित है। कथा के केन्द्र में महामहिम कुँवर जयंती प्रसाद सिंह हैं। वे कामासक्ति के अनुरूप सौन्दर्य, प्रेम, राजनीतिक लाभ आदि एक मात्र साध पाना चाहते हैं। सुन्दरी के आश्रम जाते समय जयंती प्रसाद सिंह अपने अतीत में खो जाते हैं। उनके बड़े भाई ताल्लुकेदार थे। वे राजनीतिक प्राणी थे और अंग्रेजों के जमाने में सत्याग्रह करके जेल गये थे। भूदान यज्ञ की चर्चा शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों आदि में न मिलेगी। विनोबा भावे उसके आदि प्रस्तोता थे। वही उसके अधिष्ठाता, वहीं यजमान थे। इस यज्ञ के बारे में उनका संदेश था–हवा और धूप एक की नहीं सबकी है। वैसे ही जमीन भी। भूदान यज्ञ और ग्रामदान का उल्लेख किया है। सर्वोदय दर्शन और आन्दोलन के सिद्धान्तों की कुछ जानकारी दी है। यह संघर्ष महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय–दर्शन के सर्वथा विपरीत था। आचार्य विनोबा भावे जी का भूदान आन्दोलन 19वीं शताब्दी के छठे और सातवें दशक में एक सशक्त आन्दोलन के रूप में विकसित हुआ थ, आदि विषयों पर वर्णन किया गया है।

'राग–विराग' इस उपन्यास में प्रेम कथा के माध्यम से विकसित होती हुई यह कथा प्रेम कहानी के आवरण में जीवन जगत् के गहरे यथार्थ को प्रस्तुत

करती है। यह यथार्थ अनेक सन्दर्भों और अनेक आयामों को अपने भीतर समेटे हुए है। प्रेमकथा के ताने बाने लेकर लिखा गया यह उपन्यास जीवन की अनेक जटिलताओं से हमारा परिचय करवाता है। इस उपन्यास में जाति, वर्ग, संस्कृति, बाजारवाद आदि अनेक समस्याएँ मौजूद हैं। 'राग–विराग' हिन्दी का पहला उपन्यास है, जो प्रेम कथा के जरिए ऊबड़–खाबड़ राष्ट्रीय यथार्थ का पाठ प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष–

अंत में मैंने इन महान स्वातंर्त्र्योत्तर कालीन उल्लेखनीय साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल के सारे उपन्यासों को पढ़ने और अनुशीलन करने पर उनके उपन्यासों में स्थित विषयों को नए ढंग से सोचने का प्रयास किया है। उन उपन्यासों में स्थित विषय को नये ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास जो पाठक को एक सूत्र में बाँधने की कोशिश नये ढंग और नई शैली से की है, वह उल्लेखनीय है। मानवीय मूल्यों को नया दृष्टिकोण और बदलती भ्रष्टाचार व्यवस्था, राजनीति परिवेश एक तरफ है तो दूसरी ओर उपन्यासों में भूख, बेरोजगारी आदि के दर्शन कराते हैं। जीवन के सारे पहलुओं को छू कर उसमें मानवीय मूल्यों को नये सिरे से ढूँढ़ने का प्रयास जो किया है वह देखने योग्य है। लेखक के विचार, चिंतन पाठक को नये सिरे से सोचने के लिए मजबूर करता है।

उनके प्रत्येक उपन्यास में एक अलग दृष्टिकोण पर विचार, संघर्ष एवं अंत में समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है, तो कुछ उपन्यासों में पाठक को सोचने के लिए मजबूर किया है। प्रत्येक उपन्यास में जीवन को अलग–अलग पहलुओं पर विचार किया गया है। कहीं शोषण–शक्ति है तो कहीं राजनीतिक संघर्ष। कहीं ग्रामीण जीवन की झलक और कहीं शहरी सभ्यता का क्रूर चिंतन, एक ओर जीवन का खोखलापन है, तो जीवन का पश्चाताप, एक ओर जीवन का अपराध का चित्रण है, तो दूसरी ओर जीवन जोड़ने का प्रयास, कहीं युवा पीढ़ी का संघर्षमय चित्रण है तो दूसरी ओर जीवन का निराशापन। एक तरफ जीवन का भूदान आन्दोलन का जिक्र है तो दूसरी ओर भू–हड़पने की लालसा । एक ओर प्रेम की तड़प तो दूसरी ओर सामाजिक चरित्र । इस प्रकार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों की विपरीत दशाओं को, विषयों और शैलियों को नये सिरे और चिंतन से सोचने का प्रयास मैंने किया है।

संदर्भ सूची–

1. श्रीलाल शुक्ल–एक अध्ययन, डॉ.सुरेश पटेल, साधना प्रकाशन कानपुर 50–बी, राजीव बिहार चन्दीपुरवा रोड, कानपुर नौबस्ता संस्करण 2009
2. पहला पड़ाव–श्रीलाल शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 1976
3. राग विराग–श्रीलाल शुक्ल, किबाबघर प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण 2002
4. मकान–श्रीलाल शुक्ल–राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण 1998
5. श्रीलाल की दुनिया–अखिलेश राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2000
6. हिन्दी उपन्यास का इतिहास–राय गोपाल–राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण 2002
7. आधुनिक साहित्य पत्रिका–2001,2012,2019

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 20th August 22 Paper Accepted : 30th August 22

''नागार्जुन के काव्य में सामाजिक चेतना- यात्री कवि जनवाद के पक्षधर

❐ मनोरमा गोस्वामी*
❐ डॉ. शिप्रा द्विवेदी**

शोध सारांश

सामाजिक जड़ता के कारण ही विषमता और अन्याय के विरोध का स्वर, उस विरोध का स्वर प्रभावी नहीं हो पाता है। महान कवियों की प्रतिरोध चेतना कविता की उस धार को अपनी कलम से घिस–घिस कर उसमें सान चढ़ाता है, उसे तीक्ष्ण बनाता है। नागार्जुन अपने इस भाव को 'प्रतिहिंसा' कहते हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं कि जनता की हालत में सुधार करना है तो उसे बौद्धिक जड़ता से निकालना पड़ेगा, राजनीति को वास्तविक रूप से समझने में सहायता देनी पड़ेगी, संघर्ष में उतरने के लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जनता के साथ हमदर्दी और हिस्सेदारी की जरूरत है। अपनी इस हिस्सेदारी को निभाने में राजनीतिक कविताओं की भूमिका को अच्छी तरह पहचान कर ही नागार्जुन ने अन्याय, दमन, शोषण का विरोध (सक्रिय प्रतिरोध) करने के लिए उनका उपयोग किया।

मूल शब्द–नागार्जुन, राजनीति, मनोवैज्ञानिक, प्रतिहिंसा, जनवाद, चेतना।

व्याख्या–वास्तव में यह प्रतिहिंसा ही नागार्जुन की कविता का स्थायी भाव है। जो कवि जनता से दूर रहता हो, सत्ता के साथ अपनी साँठ–गाँठ को ही सच्ची क्रान्तिकारिता मानता हो वह साधारण जनता के जीवन की घुटन और संघर्ष को नहीं समझ सकता। वो नहीं समझ सकता कि जनता की तकलीफें और संघर्ष उसकी अन्याय, दमन और शोषण का परिणाम है जिसके खिलाफ कटुता (वास्तव में घृणा) नागार्जुन के काव्य में भरी पड़ी है।

नागार्जुन का यह संघर्ष जाग्रत है। उनके संघर्ष में आवेग है, जिद्द है और वह इसलिए भी है कि उन्होंने सक्रिय संघर्ष में हिस्सेदारी ली है। शोभाकान्त कहते हैं, 'जीवन में बाबूजी मात्र कलम या रचना को ही हथियार नहीं बनाया खुद जन संघर्षों में हिस्सा लिया है।

नागार्जुन रचना की सार्थकता संघर्ष में मानते थे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिरोध चेतना में मानते थे। इस संबंध में श्री राजकुमार सैनी ने (जनयुग, 10

* शोधार्थी (हिन्दी), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), मो. 7440922065
ई-मेल : manoramagoswami75@gmail.com
शोध निर्देशिका, प्राध्यापक हिन्दी, शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अप्रैल 1983) में नागार्जुन से अपनी बात के हवाले लिखा है कि ''नागार्जुन कहते थे कि उनके संघर्ष के पीछे भी सौंदर्यबोध का उद्देश्य था। जब हम संघर्ष को महत्व देते हैं तो किसलिए? आखिर सौन्दर्य और प्रेम की रक्षा के लिए ही।

प्रतिरोध किसलिए? समाज को सुन्दर बनाने के लिए। नागार्जुन का यह प्रतिरोध अन्याय को निर्मूल करने के उद्देश्य से है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, समता मूलक समाज के लिए। अनाचार, अन्याय, शोषण के बढ़ते फन को कुचलने के लिए उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना, गतिरोध पैदा करना, प्रतिकार करना। पूँजीवादी व्यवस्था श्रमिक जनता का आर्थिक रूप से ही शोषण नहीं करती वह उसके सौन्दर्यबोध को कुण्ठित करती है उसके जीवन को घृणित और कुरूप भी बनाती है। फूलों और फव्वारों से सजे बाग–बगीचे पूँजीपतियों और उनकी रखैलों के लिए है, मजदूरों के लिए गन्दी वस्तियों की तंग कोठरियाँ हैं। मैनेजर पाण्डे के शब्दों में ''बड़ा कवि वह होता है जो सूक्ष्मताओं के सौन्दर्य से लेकर विराटता के आश्चर्य तक को अपनी कविता में जगह देता है।''

इस दृष्टि से देखा जा सकता है–

''मानव होकर मानव के ही चरणों में मैं रोया
दिन बागों में बिता रात को पटरी पर मैं सोया!
कभी घुमक्कड़ यार दोस्त से मिलकर, कभी अकेले
एक–एक दाने के खातिर सौ–सौ पापड़ बेले।''

इस प्रकार नागार्जुन को जीवन के आरम्भिक काल में ही जठराग्नि से परिचय हो गया उसके पीड़ा की सच्ची अनुभूति उन्हें मिली। इसीलिए तो अकाल का जैसा वर्णन बाबा ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इतना चित्रमय इतना मनोवैज्ञानिक वर्णन उसी कवि की लेखनी से सकता है जिसने अकाल की वास्तविक पीड़ा महसूस की हो–

''कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास
कई दिनों तक कानी कुतिया सोयी उन पास
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकिलियों की गश्त
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।''

वे मातृभूमि को प्रणाम कर विदा हो गए। बाद में श्रीलंका चले गए पर इस गृह त्याग का कारण क्या था? बाबा लिखते हैं–

''दुखोदधि सँ संतरण हेतु
चिर विस्मृत वस्तुक जागरण हेतु
हम छोड़ि रहल छी अपना गाम
माँ मिथिले, ई अंतिम प्रणाम।।''

मैथिली साहित्य के आलोचक, मोहन भारद्वाज एक जगह लिखते हैं कि–''हिंदी में ओ एकठाम लिखने छथि जे 'प्रतिहिंसा' हुनक स्थायी भाव छनि ध्यान वेबाक अछि जे ओ हिंसा के नहिं प्रतिहिंसा के स्थायी भाव कहलेन अछि। प्रतिहिंसा राग–चेतनाक प्रति स्थायी होइत अछि ओहुना राग शब्दक अर्थ प्रेम त होइते अछि तामस सेहो होइत अछि।"

नागार्जुन का यह गृह त्याग बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण जैसा है क्योंकि यात्री भी दुःख के समुद्र से उद्धार के लिए घर छोड़ते हैं। इसीलिए तो उन्हें जन बिरादरी का पहरेदार कहा गया है–''वह जो भारत की जन बिरादरी का पहरेदार है। तुच्छजनों का 'अ' तुच्छ हिन्दी कवि। जितना ठेठ मैथिल, उतना ही ठेठ हिंदीव, जितना दरभंगिया, उतना ही कलकतिया। जितना बनारसी–इलाहाबादी, उतना ही भेलसाई (विदिशा का मध्यकालीन एक नाम)। जितना मैदानी, उतना ही पठारी। जितना ग्रामंचलीय, उतना ही उपनगरीय।

''कुछ–कुछ अष्टावक्र तेवर!
बहुत कुछ दुर्वासाई अन्दाज!!''

इस उपस्थिति और पहरेदारी के पीछे उनकी यही प्रतिरोधी चेतना है। वे सम्पूर्ण शासन व्यवस्था को अहं की व्यवस्था करार देते हुए कहते हैं–

''हजार फन फैलाए
बैठा है मार कर गुंजलक
अहं का शेषनाग
लेटा है मोह का नारायण वो देखो नाभि
वो देखो संशय का शदतल
वो देखो स्वार्थ का चतुरानन

चाँप रही चरण कमल लालसा–लक्ष्मी
लहराता है सात समुद्रों का एक समुद्र
दूधिया झाग–दूधिया झाग।।''

वस्तुतः व्यवस्था में छिपी जड़ता ही अहं को जन्म देती है और अहं शोषण करता है। राम विलास जी के शब्दों में–''नागार्जुन जितने क्रान्तिकारी सचेत रूप से हैं उतने ही अचेत रूप से भी हैं। उनका क्रान्तिकारित्व एक ओर साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूँजीवाद की प्रखर आलोचना में प्रकट होता है, दूसरी ओर वह उनकी कला द्वारा हिंदी जातीयता के स्तर पर विभिन्न जनपदों की श्रमिक जनता को एकताबद्ध करने में भी प्रकट होता है।''

निष्कर्ष–

नागार्जुन की कविता का धरातल अत्यंत विस्तृत है। यह विस्तार उन्हें अपने दीर्घ अनुभव, विभिन्न स्थान, परिवेश के जन–समुदाय से उनका सीधे संवाद से प्राप्त हुआ है बचपन में मातृहीन वैद्यनाथ अपने पिता (गोकुल मिश्र) के कंधों पर बैठकर जहाँ तहाँ भटकते, फिर किशोरावस्था में बंधन मुक्त हो, क्योंकि घर पर पूछने वाला कोई था नहीं। सारा दिन सब जाति–बिरादरी के बच्चों का साथ उठते–बैठते। 1934 में घर छोड़े। सिंधल में बौद्ध दीक्षित हुए पालि सीखा। 1938 में भारत आए। अकबारी (बिहार) के अत्याचारी भू–स्वामी के विरुद्ध राहुल सांकृत्यायन ने नेतृत्व किया। नागार्जुन उस संघर्ष में लग गए। छपरा और हजारीबाग जेल में दस महीने रहना पड़ा। दूसरी बार भागलपुर सेन्ट्रल जेल में आठ महीने रहे। नागार्जुन कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बने किन्तु भारत पर चीनी आक्रमण से आहत होकर सदस्यता छोड़ दी। नागार्जुन किसी धारा में बँधने वाले नहीं थे। उनका वैचारिक धरातल इतना विस्तृत था कि वे किसी फ्रेम में समा ही नहीं सकते थे। इसीलिए उनकी कविताओं का कैन्वास बहुत बड़ा है।

संदर्भ सूची

1. नागार्जुन और थॉमस हार्डी के आँचलिक उपन्यासों की तुलना–डॉ0 राखी बालगोपाल, अभय प्रकाशन, आवास विकास, हंसपुरम् कानपुर, संस्करण 2016
2. हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों का लोकतात्विक अध्ययन–डॉ0 कलावती प्रकाश, ज्ञानपूर्णा प्रकाशन, संस्करण 1990
3. नागार्जुन रचनावली–खण्ड–एक–संपादक संयोजन शोभाकान्त, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली पटना इलाहाबाद,दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, संस्करण 2011
4. नागार्जुन संवाद, विजयबहादुर सिंह, वाणी प्रकाशन, 21–ए, दरियागंज, नयी दिल्ली, संस्करण 2009
5. नागार्जुन एक अध्ययन–ललिता अरोड़ा, भारतीय ग्रंथ निकेतन, संस्करण 1982
6. नागार्जुन : व्यक्तित्व एवं कृतित्व–प डॉ0 अजिनाथ नागरगोजे, जगत भारती प्रकाशन इलाहाबाद, संस्करण 2012
7. पहल त्रैमासिक–पत्रिका, संपादक ज्ञानरंजन, अप्रैल–जून, जबलपुर 1996

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 20th August 22
Paper Accepted : 30th August 22

''21वीं सदी का ख्वाजा जनजीवन एवं विविधता-उपन्यासों के संदर्भ में''

❑ सूर्यबाला मिश्रा*
❑ डॉ. शिप्रा द्विवेदी**

शोध सारांश

उपन्यास समानांतर रूप से इस समुदाय के लिए बनाये गए विधान की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाता है। पहचान पत्र, जनगणना में इनकी पहचान के लिए तृतीय विकल्प 'अन्य' का अर्थ है–मुख्य धारा से अलग हाशिए पर कुम्भीपाक में अनन्त काल के लिए निर्वासन पर कानूनी मोहर का लगना। उपन्यास केवल विनोद समुदाय की नहीं बल्कि मनुष्य की अस्मिता की प्रमाणिकता और पहचान की लड़ाई की शुरुआत है।

उद्देश्य–किसी रचना का सृजन आकस्मिक नहीं होता उसका सीधा और गंभीर नाता अतीत और वर्तमान से होता है। कोई भी लेखक अपने परिवेश से विच्छिन्न नहीं हो सकता। इसीलिए साहित्य सदैव जीवंत रहता है। समाज से उसका जीवंत संबंध होता है। जिंदगी, समाज, सत्ता और मनुष्य के अंतर्विरोधों के गहरे तल में उतर कर कहानी का जन्म होता है। जितना वह इसमें सफल होता है उतना ही रचना पाठकों की संवेदना का अंग बनती है। लेखिका की अंतर्दृष्टि अतिविरल है। उन्होंने समय, समाज और मनुष्य के अंतर्विरोधों को गहराई से समझा है। उपन्यास विनोद उर्फ बिन्नी के माध्यम से समाज में अरसे से चली आ रही प्रतिष्ठा के थोथे चलन का प्रतिरोध करता है, जिसके कारण मनुष्य का उपहास–उपेक्षा उसकी दैहिक विकृति के कारण किया जाता है।

प्रश्न यह उठता है। कि जब मूक, बधिर दृष्टिबाधित या दूसरी विकलांगताएँ समाज में सह्य है तब कमर से नीचे की विकृति क्यों त्याज्य मान ली जाती है? उपन्यास में समाज की निस्संगता, अमानवीयता पर प्रश्न के साथ विचार किया गया है कि मनुष्य की चिंताएँ इतनी आत्मकेंद्रित क्यों हो गई हैं? उपन्यास का प्राप्य यह है कि पाठक को अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से बाहर निकल कर अनुभूति के वृहत्तर संसार से जोड़ता है।

मूल शब्द–किन्नर, निरर्थकता, वेदना, आत्मसम्मान, जीवन।

* पी-एच.डी. शोधार्थी (हिन्दी), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), मो. 7440569464
ई-मेल : mishrasurybalaanihar@gmail.com
** शोध निर्देशिका, प्राध्यापक, ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

व्याख्या–

उपन्यास विनोद के माध्यम से पूरे किन्नर समुदाय की व्यथा, यातना, समाज की सोच बदलने की गाथा के समानान्तर बिटविन द लाइन्स अंतर्कथाओं–प्रसंगों के द्वारा समाज में स्त्री की स्थिति, प्रेम के गहरे अर्थ, विवाह, देह की जरूरत, नैतिक मूल्यों की निरर्थकता, राजनीति में चेहरों के पीछे छिपे चेहरों की हकीकत, निस्वार्थ प्रेम, सदाशयता जैसे अनेक सवाल उठाए गए हैं। इन सबके बीच बचे रह गए सपने और स्मृतियाँ हैं।

प्रेम के अनेक आयाम उपन्यास में हैं। प्रेम का अर्थ बिना किसी चाहत के केवल देना है। पूनम चंद्रा, सायरा ऐसे निस्वार्थ चरित्र हैं। भले ही विनोद की कल्पना हो लेकिन प्रेम और विवाह के संबंध में एक नयी अवधारणा ज्योत्स्ना के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई है–'बा, मैं कुछ बन जाता तो उससे (ज्योत्सना) व्याह जरूर करता। सब कुछ बता देता उसे कह देता, तू मुझसे फेरे भर ले ले अपनी इच्छाएँ जीने के लिए तू स्वतंत्र है।... जिससे मर्जी हो बच्चा पैदा कर ले। खुशी–खुशी मैं उसे अपना नाम दूँगा।' यहाँ पति–पत्नी के बीच सेजल भाभी और भाई सिद्धार्थ के विपरीत सोच है। सिद्धार्थ तो पत्नी सेजल पर हमेशा शक करता और उससे उसके प्रेमी के लिखे वे पत्र माँगता है जो उसने कभी लिखे ही नहीं।

उपन्यास के केन्द्र में जरूर विनोद है लेकिन उसके चतुर्दिक परिक्रमा वृत में अनेक स्त्रियाँ हैं। माँ के रुप में वंदना बेन की अप्रतिम छवि उभरती है। पुत्र के प्रति असीम स्नेह लगाव जो पूरे जीवन बड़े बेटे के दबाव, आशंका, सामाजिक भय के बावजूद कभी मिटता नहीं। वह अपने अनिर्णय और उस चुप्पी पर हमेशा पछताती रही है। एक अखंड आत्मा के अलग हुए दो टुकड़े... माँ को ईश्वर का प्रतिरूप कहा गया है। तभी जब विनोद रोज नहाने के बाद ध्यान–मुद्रा में बैठता है, 'बा, ध्यान में आ जाती है तेरे कृष्ण नहीं, ' पूनम, चंद्रा, सायरा किन्नर समुदाय की वे स्त्रियां हैं जिनके अंदर का स्त्रीत्व, करुणा सदाशयता बरकरार है। माँ को लिखे पत्र में विनोद का कथन–स्त्री दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा है...। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों से लेकर दार्शिनिक, क्रांति सृष्टा से लेकर संत, फकीर, राजा, महाराजा, रंक, पराक्रमी, औरत ने ही तो पैदा किए। औरत न होती तो विज्ञान जन्मता? साहित्य लिखा जाता? सच बचा रहता? जीवन जन्मता?

चित्रा जी के उपन्यासों में राजनीति की दुरभिसंधियाँ, दोहरे चेहरे, अंतर्विरोध बखूबी चित्रित हुए हैं। इस उपन्यास में विधायक जी स्वयं रिफ्यूजी रहे हैं उनका रहन–सहन सादगी जीवनचर्या, वक्तव्य उनकी महानता का ऊपरी रूप है। जिसकी चमक में उनके क्षेत्र की जनता पूनम, विनोद भी भ्रमित हो जाते है। परन्तु इसके पीछे राजनीति की चिर–परिचित विद्रूपता है। किन्नरों के प्रति सहानुभूति अवदान केवल उनके वोट–बैंक को भुनाने के लिए है। भतीजे बिल्लू के अपराध को नादानी मानने वाला व्यक्ति स्वार्थ के लिए विनोद की हत्या करवाने से गुरेज नहीं करता। उपन्यास के नायक विनोद की अप्रतिम सदाशयता है कि उसके अंदर किसी के प्रति कटुता नहीं है। माँ के पावों की आकृति ही उसके मन में बस गई है। पिता जी उसे पलायन से रोकने में सक्षम थे। मनसुख भाई पुलिस अधीक्षक तो पप्पा के दोस्त थे, लेकिन रोक नहीं सके। उनकी बीमारी, ब्लड प्रेसर की चिंता उसे सालती रहती है। बड़े भाई सिद्धार्थ जिन्होंने उसे बलात् चंपा बाई को सौंपा है, विनोद के मन में कभी भी उनके, उनके होने वाले बेटे, भाभी के प्रति शिकायत का भाव नहीं उपजता। बड़े भाई की अपनी होने वाली संतान के प्रति आशंका उसे अनुचित नहीं लगती। भतीजे को देखने की उत्कंठा बार–बार उसके पत्रों में प्रकट होती है।

परन्तु मनुष्यता के शिखर पर आसीन इस चरित्र (विनोद) के अंदर असीम सदाशयता, दूसरों के प्रति चिंता, एक प्रकार का अद्वैत का भाव होते हुए भी गहरे तलों में दबी कुंठा कभी–कभी उभर आती है। स्कूल में अव्वल आने वाले किशोर के अंदर प्रश्न उत्पन्न होता है–'और अगर मान लो बा, मैं अव्वल

नहीं आता, तब भी क्या सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार न होता मेरा? इसी तरह मेरी मौत की घोषणा तेरे सामने ही तो पप्पा ने की होगी। तू क्यों नहीं उस घोषणा को रुकवा सकी?' प्रीति, सदाशयता परानुभूति के बीच दर्द का उभारना अस्वाभाविक नहीं है–'जिस नरक में तूने और पप्पा ने धकेला है मुझे वह एक अंधा कुआं है। जिसमें सिर्फ सांप–बिच्छू रहते हैं, सांप–बिच्छू बनकर वे पैदा नहीं हुए होंगे। बस, इस कुएं ने उन्हें आदमी नहीं रहने दिया।'

विस्मृति, 'स्मृतियों' के स्थगन की अल्पकालिक प्रक्रिया मात्र है। स्मृतियाँ कभी मिटती नहीं। 'भूलते क्यों नहीं कीलों से चुभते प्रसंग। क्यों घुमड़ आते हैं तेरी स्मृतियों के कंधों पर। स्मृतियाँ तो मेरी साँसों में घुली हुई हैं। बा! उन्हें अपने से अलग करूँ तो कैसे अलग करूँ!' रचनाकार का उद्देश्य समाधान देना नहीं होता। लेकिन उपन्यास के कथा–वितान में उसके चरित्र–पात्र मानवीय सन्दर्भों में जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उससे पाठकों का विवेक निश्चित तौर पर सहमत होगा।

कहानी–उपन्यास के स्वरुप, बनावट में चाहे जितना बदलाव आ रहा हो लेकिन उसकी कथनीयता–किस्सागोई कभी नहीं खत्म होगी। लेखक की क्षमता और सामर्थ्य का आधार यही होते हैं। कहानी को कहानी रहने देने की प्रतिबद्धता के साथ भाषा–शिल्प के स्तर पर यह उपन्यास सहज संवेदनात्मक, गहरी विचार दृष्टि के साथ अन्याय और विसंगति का प्रतिवाद करता है। लेखिका के शिल्प की साथ विशिष्टता है। उनकी प्रत्येक रचना कथ्य स्थितियों के अनुसार अलग–अलग विकसित हुई है। एक अरसे बाद लेखन में विस्मृत पत्र–शैली में औपन्यासिक कृति आई है। (यद्यपि उपन्यास में यह पत्र केवल विनोद के हैं। परन्तु बेटे के पत्रों में ही माँ द्वारा दिए उत्तर पूरे सन्दर्भ को स्पष्ट कर देते हैं) समीक्ष्य उपन्यास में माँ–बेटे के बीच संवाद के माध्यम से हाशिए में पड़े इंसान का समाज इतिहास, प्रकृति, मनुष्यता–पूरी सृष्टि से एक मौन संवाद है। माँ और संतान का रिश्ता एक ही आत्मा के खंडित हुए दो अलग–अलग रूपों में दिखाई देते हैं। सदा मिलने को आतुर व्याकुल घर परिवार से निष्कासित विनोद की मर्मान्तक पीड़ा माँ (वा) को लिखे पत्र पाठक को झकझोर देते हैं। 'बाहर और भीतर एक साथ मेघ बरस रहे हों जैसे भाषा में काव्यात्मक प्रयोग उपन्यास की संवेदना को घनीभूत करने के साथ उपन्यास को पठनीयता बढ़ाते हैं।

एक अनवरत संघर्ष की असमाप्त गाथा–मैं पायल–

महेंद्र भीष्म एक संवेदनशील, परिवेश और समाज के सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। उनके लेखन में एक ओर क्षरित होती मानवीय संवेदनाओं की तलाश दूसरी ओर तथाकथित आधुनिकता की दौड़ में शामिल जिंदगी की विवशताओं में अपसंस्कृति की गर्त में धंसते जा रहे क्षरित जीवन मूल्यों के चित्र उभरते हैं। इस क्रम में निम्न–मध्य वर्ग जिंदगी के समूचे दायरे में प्रवेश कर चरित्रों को खंगालते हैं। लेखक ने शोषण–विषमता अन्याय के प्रतिरोध में संवेदना को हथियार बनाया है। जिस प्रकार हिंसा के सामने अहिंसा को बनाया गया था। लेखक का व्यक्तित्व और कृतित्व विनम्रता का द्योतक है। यह उनकी संवेदनशीलता और दृढ़ता का प्रतिरूप है। इस क्रम में लेखक के पात्र पलायन नहीं करते। कथ्य और विचारों के विशाल फलक पर उनकी रचनाएँ अदृश्य क्षितिजों के पार जाकर मानवीय संवेदना की तलाश करती और मानवीय सरकारों से जुड़ती हैं।

उनके चर्चित उपन्यास 'किन्नर कथा' के बाद इसी परंपरा में उनका नया उपन्यास 'मैं पायल... एक नए विषय, समाज में उपेक्षित, उपहास के पात्र माने जाते वर्ग हिजड़ाओं, जिन्हें परिमार्जित भाषा में किन्नर कहा जाने लगा है की वेदना, दुश्वारियों, परिवार–समाज में उनके प्रति नजरिये की अंतर्कथा है। समाज में शोषित–विस्थापित–दमित लोगों की पीड़ा और भेदभाव की अनेक परतें हैं। जाति, धर्म, वर्ग आदि की गैर–बराबरी के बावजूद इनमें मनुष्य होने की गरिमा

मौजूद है। लेकिन किन्नर समुदाय की त्रासदी है कि इन्हें कभी मनुष्य नहीं समझा गया। विडंबना है कि जहाँ अन्य शारीरिक विकृतियाँ उपहास का कारण नहीं बनती, लैंगिक विकृति से ग्रस्त शिशु का अस्तित्व परिवार के लिए अवांछनीय बोझ ही नहीं त्याज्य हो जाता है। पायल के माध्यम से, उपन्यास, समाज में अरसे से चली आ रही प्रतिष्ठा के थोथे चलन का प्रतिरोध करता है। जिसके कारण मनुष्य का उपहास–उपेक्षा उसकी दैहिक विकृति के कारण किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि जब मूक, बधिर, दृ ष्टिबाधित या दूसरी विकलांगताएँ समाज में सह्य है। तब कमर से नीचे की विकृति क्यों अवांछित मान ली जाती है?

सभ्यता के जिस सोपान पर आज मनुष्य खड़ा है वह वास्तव में मानवीय मूल्य खो चुकी है। संवेदनहीनता, आत्म–केन्द्रीयता, स्वार्थ के चलते दूसरे मनुष्य ही नहीं अपनी संतान को ही हिकारत से देखता है। सभ्यता के विकास की विडंबना है कि इसके मूल में दोहरे मूल्यों के बीच जीने की अभिशप्त प्रवृतियाँ विद्यमान हैं। आदमी के रूप में मनुष्य को गरिमा से जीने का अधिकार जन्म से मिलता है। जिसे कोई व्यवस्था, नीति, कानून नहीं छीन सकता। लेकिन समाज की परम्पराएँ और समुदाय द्वारा रूढ़ियों के चलते उन्हीं जैसा व्यक्ति अलग–थलग छोड़ दिया जाता है। रिश्ते–सम्बन्ध जो जीवन को अर्थ, स्थिरता और मकसद प्रदान करते हैं अवसर मिलते ही रूढ़ियों, लोकापवाद, असुरक्षा की आशंका से हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। जिसके दंश और अपराधबोध में जलना दोनों ही पक्षों की नियति बन जाती है।

'मैं पायल' यातना, संघर्ष और जिजीविषा की अनवरत यात्रा है। एक और मनुष्य के अंदरूनी संसार की कशमकश और आत्मबल, दूसरी और निर्मम दुनिया में जीने–अस्तित्व की रक्षा, पहचान की स्वीकृति के लिए निरंतर संघर्ष, उपन्यास पाठकों को यथार्थ के उस रूप से परिचय करता है जो उसके अनुभव के दायरे से, रोज देखते सुनते हुए भी छूट जाता हैं। लेखक के साथ हम ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहाँ होकर भी हम नहीं होते।

उपन्यास का कथ्य एक महानगर के पड़ोस स्थिति कस्बे के निम्न मध्य वर्गीय परिवार में चौथी लड़की के जन्म से प्रारम्भ होता है। पुत्र की उम्मीद में अवांछित एक अप्रिय आवाज, 'राम बहादुर के एक और लड़की हुई' । कन्या के जन्म के लिए रूढ़ियों के अनुसार इसका 'सारा दोष माँ' पर मढ़ दिया जाता है। शराबी–गुस्सैल निर्दय ड्राइवर पिता–माँ, पांच बहन–भाई, दाऊ, बाबा बचपन की स्मृतियों के, जुगनी द्वारा वर्णन (उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है) के साथ कहानी का विकास होता है। जुगनी की दैहिक सच्चाई की जानकारी के साथ, जब पिता दारू के नशे में कोसते–'ये जुगनी! हम क्षत्रिय वंश में कलंक पैदा हुई है, साली हिजड़ा।' सच्चाई पर आवरण डालने, अपने को ही धोखा देने अथवा सामाजिक अपवाद से बचने के लिए पिता जुगनी को जुगनू सिंह के रूप में पालने, स्कूल भेजने का आदेश देते हैं। बेटी की लैंगिक विकृति के जाहिर होने से सामाजिक अवमानना, अपनी आन–बान पर धब्बा समझने की मनोवृत्ति, बड़े बेटे की आवारगी की कुंठाओं से ग्रस्त पिता एक दिन जुगनी को पानी में नहला गीले बदन पर चप्पलों से पीट–पीट कर अधमरी कर देते हैं। इसके पहले अक्सर पिटाई तो होती ही थे।

इस बार पीटने के बाद पिता जुगनी को समाप्त करने के लिए गले में फंदा डाल कर टांग देते हैं। माँ द्वारा उसे बचा लिया जाता है। यातनाओं से ग्रस्त जुगनी आत्हत्या करने के लिए निकलती है। मृत्यु भय, पैर में काँटा लगने की असह्य पीड़ा या नियति द्वारा तय भविष्य, वह ट्रेन के एक डिब्बे में बैठ अनजानी यात्रा में चल देती है इसके बाद प्रारम्भ होता है–यंत्रणाओं और संघर्ष का दूसरा दौर, यौनिक उत्पीड़न, भूख, जीने के लिए संघर्ष, मिलाने वाली शरण स्थलियों में प्रवंचना और आत्मीयता। उसकी अटूट जिजीविषा का अनवरत सफर जिसमें यौन वुभीक्षित सफेदपोश प्रौढ़–पुलिस कांस्टेबिल, दयालु

भिखारी, शरणार्थी परिवार का अनवर अनेक चेहरे सामने आते हैं। यह चेहरे आकस्मिक रूप से आए लोगों के नहीं पूरे समाज और स्थितियों के प्रतिबिम्ब हैं। उम्र बढ़ने के साथ जुगनी अपनी शारीरिक सच्चाइयों से वाकिफ हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से उसे पहचान बदल कर रहना पड़ता है। कानपुर में सिनेमा टाकीज के रेस्तरां में बैरे, पूनम टाकीज में गेट कीपर, प्रोजेक्टर चलाने के क्रम में जुगनी अपना प्राकृतिक रूप नहीं भुला पाती—'मेरे किन्नर शरीर में आत्मा तो पूरी तरह एक स्त्री की वास करती है, जिसे पुरुष ही पसंद आता है, स्त्री नहीं'। यही लालसा उसे स्त्री वेशभूषा में लखनऊ ले आती है। यहाँ एक कीर्तन मंडली के जागरण में थिरकते—नाचते सुबह तक थक के चूर हो जाती है। लौटने के पहले बीच सड़क से एक किन्नर मंडली द्वारा उसको अपहृत कर लिया जाता है। उसे भूखा—प्यासा रख बधाई के लिए घर—घर जाने के लिए विवश किया जाता है। परवर्ती कथाक्रम में पप्पू, अशोक सोनकर हैं।

संघर्ष के दौरान 'पायल' की आत्मीयता पाने की तलाश में किसी के द्वारा जरा भी सहानुभूति प्रकट करना उसके कोमल मन को संवेदित कर देता है। परंतु यही कोमल मन दूसरी और दृढ़ता का परिचायक है। किसी का अधिपत्य एकाधिकार अथवा प्रतिबन्ध उसकी अस्मिता को स्वीकार नहीं। वह पूरी शिद्दत से, पप्पू हो या ओझा नाम का सिपाही, प्रतिरोध ही नहीं करती अवसर मिलने पर भरपूर प्रतिशोध भी लेती है।

यह प्रतिशोध वर्षों से उसके अवचेतन में व्यवस्था और शोषण के विरोध में दबा आक्रोश है—न केवल प्रमोद व पप्पू बल्कि शायद ट्रेन में मिले प्रौढ़, कांस्टेबिल, अनवर की मौत के लिए जिम्मेदार सिपाही जिसके डंडे की चोट से गिरने पर उसका शरीर रेल से कट कर दो टुकड़ों में बट गया था या पूरी व्यवस्था के विरोध में क्षोभ। उपन्यास 'उस दुनिया' से पलायन नहीं, दुश्वारियों के बावजूद, सार्थक मार्ग प्रशस्त करता है। पूरी कथा उस प्रवाहमान नदी में बदल जाती है जिसमें सब अवांछित बह जाने के बाद भी नदी हमेशा पवित्र पावन बनी रहती है।

उपन्यास के केन्द्र में जरूर 'पायल' और 'किन्नर समुदाय' की व्यथा—यातना संघर्ष है। लेकिन उसके चतुर्दिक परिक्रमा वृत्त में पूरा समाज, व्यवस्था और व्यक्ति के अन्दर छिपी कलुषित प्रवृत्तियाँ, स्त्री की नियति, कच्चे बाल मन की यौनिक जिज्ञासाएँ, प्रेम के गहरे अर्थ, देह की जरूरत, नैतिक मूल्यों की निरर्थकता, अमानवीय सामाजिक विषमता, गरीबी अभाव, भूख की त्रासदी, भ्रष्टाचार, बच्चों किशोरों के अपराध में लिप्तता, निस्वार्थ प्रेम, सदाशयता, माँ की ममतामयी छाँव की अपरिहार्यता और उसे महत्व देने की जरूरत जैसे अनेक सवाल उठाए गए हैं। उपन्यास उठाता है—'किशोर अनवर जैसे अनेक लोगों की अपराध लिप्तता के लिए कौन उत्तरदायी है? अनवर की मृत्यु क्यों किसी इतिहास का हिस्सा नहीं बनेगी? कौन व्यवस्था जिम्मेदार है इस सबका?' पायल का अभीष्ट केवल अपनी मुक्ति नहीं बल्कि उस समुदाय वर्ग के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का प्रश्न है, जिसके साथ नियति ने उसे जोड़ दिया है।

उपन्यास केवल 'पायल' या 'किन्नर समुदाय' की नहीं बल्कि मनुष्य की अस्मिता की प्रमाणिकता और पहचान की लड़ाई की शुरुआत है। उपन्यास का प्राप्य यह है कि पाठक को अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से बाहर निकल कर अनुभूति के वृहत्तर संसार से जोड़ते हुए अनेक आयामों तक उपन्यास का विस्तार हुआ है।

उपन्यास में पायल की अप्रतिम सदाशयता के साथ विसंगतियों से लड़ने—संघर्ष की अपूर्व क्षमता है। माँ के पावों की आकृति ही उसके मन में बस गई है। पिता जो हमेशा उसके प्रति कटु रहे, चप्पलों से पीटा, जान से मारने की कोशिश की उनके प्रति भी उसके मन में रोष नहीं है। वह उनकी स्थिति मजबूरियों को समझती है। उनकी बीमारी की चिंता उसे सालती है। माँ के रूप में अप्रतिम छवि उभरती है। बेटी के प्रति असीम स्नेह—लगाव, जो पूरे जीवन पति और सामाजिक

दबाव, आशंका, सामाजिक भय के बावजूद कभी मिटता नहीं। एक अखंड आत्मा के अलग हुए दो टुकड़े, माँ को ईश्वर का प्रतिरूप कहा गया है। प्रकारांतर में स्त्री की महत्ता–औरत न होती तो न जीवन होता, न मानव सभ्यता ।

विस्मृति, 'स्मृतियों' के स्थगन की अल्पकालिक प्रक्रिया मात्र है। स्मृतियाँ कभी मिटती नहीं। भूलते क्यों नहीं कीलों से चुभते प्रसंग। रचनाकार का उद्‌देश्य समाधान देना नहीं होता। लेकिन उपन्यास के कथा–वितान में उसके चरित्र–पात्र मानवीय सन्दर्भों में जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उससे पाठकों का विवेक निश्चित तौर पर सहमत होगा।

कहानी–उपन्यास के स्वरुप, बनावट में चाहे जितना बदलाव आ गया हो लेकिन उसकी कथनीयता–किस्सागोई कभी नहीं खतम होगी। लेखक की क्षमता और सामर्थ्य का आधार यही होते हैं। इस दृष्टि से लेखक ने कथ्य और शिल्प में नया प्रयोग किया है। यथार्थ को खंगालते हुए आत्मकथा में उपन्यास, किन्नर गुरु पायल की स्मृतियों को शब्द देकर और उपन्यास में आत्मकथा का प्रतिस्थापन किया है। यथार्थ के धरातल पर उपन्यास का विन्यास लेखक का कल्पना से जीवनी या आत्मकथा से ऊपर उठकर एक नई विधा की स्वतंत्र सत्ता के रूप में निरूपित किया गया है।

कहानी को कहानी रहने देने को प्रतिबद्धता के भाषा–शिल्प के स्तर पर यह उपन्यास सहज संवेदनात्मक, गहरी विचार दृष्टि के साथ अन्याय और विसंगति का प्रतिवाद करता है। काव्य की तरह एक सफल कथाकृति में भी रचना के मार्मिक अंशों के पाठक के साथ साधारणीकरण के बिंदु होते हैं। लेखक के प्रकट वर्णन के बिना भी पाठक उन बिन्दुओं से साक्षात्कार करता है। यह रचना और पाठक के एकात्म का क्षण होता है। समीक्ष्य कृति में ऐसे अनेक स्थल हैं। भूख के कारण 'जूठे दोने से चाट का चाटना', 'प्लेटफार्म पर फेंके गए सड़े भोजन को खाना', 'अनवर के शरीर का दो हिस्सों में कट जाने ऐसे अनेक प्रसंग रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये केवल करुणा ही नहीं जगाते उस व्यवस्था पर सोचने के लिए विवश करने के साथ आक्रोश जगाते हैं, जो इसके लिए उत्तरदायी है। भाषा और शिल्प की सहजता उपन्यास की संवेदना को घनीभूत करने के साथ पठनीयता बढ़ाये हुई है।

संदर्भ सूची–

1. तीसरी दुनिया का यथार्थ–एक मूल्यांकन–संपादक डॉ. जयश्री एस.टी.विकास प्रकाशन, विश्वबैंक बर्रा, कानपुर, 208027, संस्करण 2021
2. थर्ड जेण्डर–अस्मिता और संघर्ष, डॉ.विजेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ.रवि कुमार गोंड–अमन प्रकाशन रामबाग कानपुर 208012, संस्करण 2020
3. थर्ड जेण्डर : अतीत और वर्तमान, डॉ. एम.फिरोज़ खान, विकास प्रकाशन, कानपुर संस्करण 2009
4. जनकृति–अंतराष्ट्रीय पत्रिका, थर्ड जेण्डर विशेषांक
5. हिन्दी उपन्यासों के आइने में थर्ड जेण्डर, डॉ. विजेन्द्र प्रताप सिंह, अमन प्रकाशन कानपुर
6. थर्ड जेन्डर : कथा आलोचना–डॉ. एम. फिरोज़ खान, अनुसंधान पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स चमनगंज थाना रोड, कानपेर संस्करण 2017
8. आजकल पत्रिका–मासिक जनवरी से मार्च–अंक 2000

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 1st Sept. 22 Paper Accepted : 10th Sept. 22

जनसंचार साधनों का पिछड़ी जाति की महिलाओं पर विकास का प्रभाव

❒ श्रद्धा शुक्ला*
❒ डॉ. के.के. सिंह**

शोध सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं की संख्या आधी अर्थात् 50 प्रतिशत के लगभग है। विकास के अधिकार प्रमुख क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति में पुरुष की तुलना में अन्तर देखा जा रहा है। इसी अन्तर को कम करने के लिए हर वर्ष 08 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस समय सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर महिलाओं को सशक्त व अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये कई रोजगारोन्मुख योजनायें बनायी गई हैं साथ ही महिलाओं में जागरूकता लाने और समाज को महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनियाँ आदि आयेाजित की गयी। महिलाओं के संवैधानिक अधिकार के प्रति भारतीय संविधान वर्ष 1950 में अस्तित्व में आया। इसने सभी को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय देने में संविधान सभा के निर्णय से अवगत कराया गया। जिसके बाद महिलाओं को सुरक्षित और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संविधान में विविध प्रावधान बनाये गये हैं। इस शोध पत्र में इन्हीं पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द–जनसंचार, साधन, का पिछड़ी जाति, महिलाओं, विकास, प्रभाव इत्यादि।

प्रस्तावना–भारत गाँवों का देश है। भारत एक विकासशील और धर्म प्रधान देश है। सम्पूर्ण भारतीय जीवन पर किसी न किसी रूप में ग्रामीण संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। इस देश की मुख्य समस्याएँ भी सीधे गाँव से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में गाँवों में जीवित है। नगरीय संस्कृति भौतिक, मशीनी, बनावटी और मिली–जुली होती है। इतना ही नहीं नगरीय तथा औद्योगिक विकास, बल्कि सम्पूर्ण देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति ग्रामीण–आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। ग्रामीण निवासियों की बहुआयामी समस्याएँ और क्रियाएँ हैं। सम्पूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज का ताना बाना विचित्रताओं से परिपूर्ण है। इनकी अपनी विशेषताएँ हैं। इनकी अपनी समस्याएँ हैं।

भारत में 72.22 प्रतिशत जनसंख्या गँवों में ही निवास करती है और इन गाँवों की संख्या 5.7 लाख

* शोधार्थी समाजशास्त्र, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** सेवानिवृत्त प्राध्यापक समाजशास्त्र, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

है। ग्रामीण समाज अपनी संरचना, जनसंख्या, रीति रिवाज आदि विशेषताओं के कारण दूसरे मानव समुदाय से अलग होते हैं, परिवर्तन से यह अछूता नहीं है, इसी कारण ग्रामीण समाज, जो कुछ समय पहले स्थिर थे, उनमें वर्तमान समय में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगे हैं। ग्रामीण समाज को परिवर्तित करने में विभिन्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिसके अंतर्गत जनसंचार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के जनसंचार माध्यमों जैसे–समाचार–पत्र, टी० व्ही०, रेडियो ग्रामीणों के विचारों, मनोवृत्तियों, मानवीय रूचियों इत्यादि स्तर को प्रभावित किया है जो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन एवं जनसंचार विषय इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन हेतु चयनित किया गया है कि परिवर्तन की प्रक्रिया प्रत्येक समाज सुनने से ग्रामीणों के खान–पान, रीति–रिवाजों, विचारधाराओं, रहने के स्तर सोचने समझने की क्षमता, आदि क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आये हैं।

गाँव या 'ग्राम' शब्द का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। किसी भी देश की संस्कृति नगरों में नहीं गाँवों में जन्मती है। वही उसका मूल स्थान व स्त्रोत है। गाँव पहले बने है और नगर बाद में। इसीलिए आज हमारे देश की जो भी भाषा, वेशभूषा, परम्परायें, प्रथायें, नीतियाँ, लोक विश्वास, धर्म और आदर्श है वे कही न कही और किसी न किसी रूप में गाँवों से जुड़ी है। इसलिए गाँव से परिचित हुए बगैर भारतीय संस्कृति को न तो समझा जा सकता है और न ही जाना जा सकता है। ग्राम भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्राचीन समय से ही एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण इकाई रहा है। प्रत्येक गॉव लोगों का एक समूह है जो एक निश्चित भू–क्षेत्र में बसा होता है और जो कुछ दूरी पर बसे ऐसे ही समूह से भिन्न होता है। गाँव की पृथकता, वहाँ यातायात एवं सड़कों की कमी, अधिकतर लोगों की कृषि पर निर्भरता, समुदाय के लोगों की आर्थिक दृष्टि से पारस्परिक निर्भरता, समुदाय के सामान्य अनुभव एवं परम्पराएँ, सामुदायिक उत्सवों एवं त्यौहारों का महत्व, आदि कारकों की उपस्थिति गॉव की एकता को सम्भव एवं स्वाभाविक बनाती है। गाँव उस स्थान को कह सकते हैं जहाँ सबसे पहले कृषि कार्य की शुरूआत हुई हो क्योंकि कृषि ने ही मनुष्य को स्थायित्व प्रदान किया और इसके द्वारा निर्मित की गई व्यवस्था को गाँव कहा जा सकता है। प्राचीन ग्रन्थों से पता चलता है कि गाँव से ही आदि मानव ने अपने अस्थायी जीवन को स्थायी रूप देने की शुरूआत की थी। धर्म ग्रन्थों में भी गॉव का वर्णन मिलता है जिसमें ऋग्वेद के अनुसार समाज की शुरूआत में सबसे पहली इकाई गृह या कुल था एवं उसके बाद आगे ग्राम, विश, जन तथा राष्ट्र की इकाइयॉ थी। ऋग्वेद में गॉव या ग्राम के मुखिया को ''ग्रामिणी'' कहा गया था।

जनसंचार माध्यम विज्ञान की प्रगति और तकनीकी विकास के साथ–साथ मानवीय जीवन में परिवर्तन के सर्व शक्तिशाली साधन बन गये है। सूचना और विचार के सम्प्रेषण से मानव मन को प्रभावित करने के जरिए आज के जनसंचार माध्यम जिस श्रेणी तेजी और मजबूती के साथ लोकमत बनाये या बदलने की क्षमता रखते हैं वैसा सामाजिक क्षेत्र का कोई और उपकरण नहीं रखता। संचार और यातायात के अत्यंत विकसित साधनों वाले आज के युग में जनसंचार माध्यम भूमण्डल की विस्तृत दुनिया के देशों को जोड़ने और प्रभावित करने वाली बहुत बड़ी शक्ति है।

संचार का मानव–जीवन के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। संचार की बात करते हैं तो हमारा आशय वाह्य संचार–प्रक्रिया से होता है। जो जनसम्पर्क का मुख्य माध्यम है। बातचीत और संकेत के जरिए हम अपना अभिप्राय और विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं। बातचीत द्वारा प्रत्यक्ष सम्पर्क की अपनी सीमा होती है। गोष्ठी, सभाओं और मेले तमाशाओं में एक व्यक्ति या कई व्यक्ति एक बड़े समूह तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं। मानव इतिहास के एक लम्बे काल तक कोई भी संदेश दूसरों तक पहुँचाने हेतु सीमित दायरे और तदनुकूल सीमित प्रभाव वाला यही वाचक माध्यम ही रहा है। लिखित संदेश या मन्तव्य यातायात के साधनों की क्षमता के अनुसार दूर तक और उस संदेश की प्रतिलिपियाँ कराकर एक समय में एक साथ कई स्थानों और कई लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता रहा है।

आज जनसंचार माध्यम की देन है कि नारी की साक्षरता एवं वर्चस्व दिनों–दिन बढ़ रही है, किन्तु निरक्षर महिला घूंघट की ओट में सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति बन सब कुछ सहन कर रही है, पर्दानशीं होकर, मूक रहकर पीछे हट रही हैं, बराबरी की भागीदारी से मुकर रही है। इस सबके मद्देनजर महिलाएं अब पहले की अपेक्षा हर क्षेत्र में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चाहे वह शिक्षा हो, राजनीति हो, नौकरी हो यानि स्वावलम्बन के प्रति या सामाजिक सहभागिता के हर क्षेत्रों में अपनी जागरूकता के फलस्वरूप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। समाजशास्त्री पारीक (2001) के अनुसार आज की महिलाएँ जागरूक हैं, सचेत हैं। गाँवों में साक्षरता के प्रति होड़ मची है। राजनीति एवं फिल्म जगत ने भी उन्हें प्रभावित किया है। वास्तव में आज हर जगह महिलाओं का पूर्ण वर्चस्व है। यह प्रभुत्व सकारात्मक है। संचार माध्यमों का प्रसार भी तेजी से हुआ है। संचार माध्यम के विभिन्न कार्यक्रम विशेषतः टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ा है। ग्रामीण समाज में विशेषतः महिलायें तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उन पर यह प्रभावी रूप से अपना असर छोड़ रहा है। इससे महिलाओं की सोच, व्यक्तित्व एवं उनकी अनेकानेक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। साथ ही बच्चों पर उनके दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ा है। इससे उनका विकास तीव्र गति से हो रहा है वे तुलनात्मक रूप से जल्दी ही बड़े हो रहे हैं क्योंकि वे सारे समाज की गतिविधियों को टेलीविजन के पर्दे पर जीवन्त रूप में बचपन से देख रहे।

कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार आधारित तकनीकों के प्रयोग से न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है साथ ही, किसानों की आय बढाने में मदद मिली है साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें बीमा सुरक्षा देने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई–नाम के जरिए उन्हें उनकी उपज की वाणिज्य कीमत दिलाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कृषि बीमा के जरिए किसानों के जोखिम को कम कर उन्हीं खेती–किसानी से जोड़े रखने के पुरजोर प्रयास सरकार कर रही है। देश में पहली बार ई–पशुधन हॉट पोर्टल शुरु किया गया है। इससे बिना बिचौलियों के पशुधन तथा वीर्य खुराकों की खरीद–फरोख्त संभव हुई है। यह पोर्टल काफी सफल और उपयोगी साबित हो रहा है। किसानों तक नवीनतम जानकारियां पहुंचाने हेतु कई अन्य पहल की गई है। वेब–आधारित कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) पोर्टल बनाए गए हैं। और किसानों की सुविधा के लिए कई मोबाइल एप भी शुरू किए गए हैं।

सरकार इस राह की चुनौतियों को भी समझ रही है। अभी भी हजारों गांव बिजली आपूर्ति की समस्या, इंटरनेट कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि जल्द से जल्द इस दिशा में प्रगति हो। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार की संस्था, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना कार्यान्वित कर रही है जो डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों की देखरेख करेंगा। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड डिजिटल इंडिया परियोजना की सभी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी कर देगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंचार तकनीक में भारत का ग्रामीण जीवन, भारत के ग्रामीण गरीब का जीवन और भारत के किसान एवं पिछड़ी महिलाओं के जीवन बदलने की क्षमता है बशर्ते ग्रमीणों की न केवल नई तकनीक तक पहुंच हो, साथ ही वे उन्हें अपनाने के प्रति उत्साहित एवं प्रेरित हों।

इस तरह से शोध अध्ययन के अन्तर्गत पिछड़ी जाति की महिलाओं के विभिन्न आयामों एवं उनके विकासात्मक या नाकारात्मक पहलुओं पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा।

अवधारणात्मक विवेचन

सूचना का अदान–प्रदान व्यक्तिगत हो या समूह में, भाषण के द्वारा हो या आधुनिक युग के जन माध्यम द्वारा, संचार किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे समाज की मूल प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा जा सकता है। मानव समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताएँ समूह में

ही पूरी करता है और समूह, आवश्यकता की पूर्ति के साथ आचार संहिता और नियंत्रण शक्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। समाज के सामूहिक जीवन के संचालन के लिए आवश्यक है कि सामूहिक जीवन में पारस्परिक अन्तःक्रिया के आधार पर संबंध स्थापित करें। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक जीवन में पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करने के लिए सदस्यों में पारस्परिक अन्तःक्रिया की आवश्यकता होती है। अन्तःक्रिया के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचार कहे और इस प्रकार विचारों के आदान–प्रदान की प्रक्रिया अन्तःक्रिया और संबंधों की सृष्टि करेगी। अन्तःक्रिया और संबंधों की सृष्टि के लिए की जाने वाली चिंतन की अभिव्यक्ति चाहे वह किसी भी रूप में हो, संचार के नाम से संबोधित की जाती है।

संचार की प्रक्रिया के द्वारा ही समाज में व्यक्ति एक दूसरे से सम्बद्ध होते है। यह समाज में अन्तःक्रिया अन्त व्यवहार और समाज संरचना की स्थापना में सहायक है। इस दृष्टिकोण से संचार व्यवस्था न केवल समाज की निरन्तरता का सूचक है अपितु साथ ही साथ सामाजिक संरचना के निर्माण का भी प्रतीक है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि संचार समाज की निरन्तरता एवं स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण आधार है।

संचार के प्रकार

सरदाना, चंद्रकान्त एवं मेहता, कृ.शि. (2007) संचार मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं–1. वैयक्तिक संचार, 2. अंतवैयक्तिक संचार, 3. सामूहिक संचार, 4. जनसंचार।

समूह संचार :–

जब व्यक्तियों का एक समूह आमने–सामने विचार विमर्श, गोष्ठी आदि द्वारा विचारों का आदान–प्रदान करता है तो उसे समूह संचार कहा जाता है। इसमें भी ग्रहीता समूह की प्रतिक्रिया भी तुरंत देखने को मिलती है। यह एक प्रभावशाली संचार प्रक्रिया है तथा सदस्यों अथवा समूह को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। समूह संचार कई सामाजिक परिवेश में हो सकता है। जैसे–स्कूल, कालेज, प्रशिक्षण केन्द्र, चौपाल आदि।

समूह संचार प्रक्रिया में भाग लेने वाले घटक–

(क) संप्रेषक, (ख) संदेश, (ग) ग्रहीता, (घ) प्रभाव, (च) प्रतिपुष्टि

इस प्रकार के संचार में एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि एकत्रित व्यक्तियों का समूह होता है। सम्प्रेषक द्वारा प्रेषित सूचना को समूह एक साथ एक स्थान पर एक समय में प्राप्त करता है। इस प्रकार समूह संचार वह संचार कहा जाता है। जिसमें सूचना सूचना या संदेश एकत्रित समूह के लिए प्रेषित किया जाता है।

जनसंचार :–

जनसंचार वृहद समाज में स्त्रोत के संगठन द्वारा किसी माध्यम से संदेश विस्तृत जनता तक पहुँचाया जाता है उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि है।

जनसंचार की अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले वृहद समाज की अवधारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

जनसंचार का सामाजिक प्रभाव

प्रस्तुत शोध पत्र में जनसंचार के क्षेत्र में पिछड़ी जाति की महिलाओं के द्वारा सूचनादाताओं की पारिवारिक स्थिति को तालिका क्रमांक 1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1

सूचनादाताओं की पारिवारिक स्थिति

क्रमांक	पारिवारिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	एकांकी परिवार	44	88
2.	संयुक्त परिवार	4	8
3.	विस्तृत परिवार	2	4
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की पारिवारिक स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 44 (88 प्रतिशत) एकांकी परिवार, 4(8प्रतिशत) संयुक्त परिवार तथा 2(4 प्रतिशत) सूचनादाताओं से विस्तृत परिवार को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में 88 प्रतिशत एकांकी परिवार के साथ

सर्वाधिक सूचनादाताओं का एकांकी पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 2

सूचनादाताओं की पारिवारिक सदस्य संख्या की स्थिति

क्रमांक	पारिवारिक सदस्य	संख्या	प्रतिशत
1.	04 या इससे कम	3	6
2.	5–7	45	90
3.	08 या इससे अधिक	2	4
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की पारिवारिक सदस्य संख्या की स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 45 (90 प्रतिशत) 5–7 पारिवारिक सदस्य, 3(6 प्रतिशत) 04 या इससे कम तथा 2(4 प्रतिशत) सूचनादाताओं से साक्षात्कार करने पर 08 या इससे अधिक परिवार की संख्या को दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 90 प्रतिशत सूचनादाताओं की पारिवारिक सदस्य संख्या की स्थिति के साथ सर्वाधिक सूचनादाताओं का एकांकी पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 3

सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति

क्रमांक	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	45	90
2.	अविवाहित	01	2
3.	विधवा	2	4
4	विधुर	2	4
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 45 (90 प्रतिशत) विवाहित, 1(2 प्रतिशत) विधुरा, 2 (4 प्रतिशत) विधवा विवाह, 2(4 प्रतिशत) अविवाहित परिवार की संख्या को दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 90 प्रतिशत सूचनादाताओं की वैवाहिक की स्थिति के साथ सर्वाधिक सूचनादाताओं का विवाहित स्थिति को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 4

सूचनादाताओं का जाति आधारित विभाजन

क्रमांक	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	22	44
2.	पिछड़ा वर्ग	8	16
3.	अनुसूचित जाति	12	24
4	अनुसूचित जनजाति	8	16
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 22 (44 प्रतिशत) सामान्य, 8(16 प्रतिशत) पिछड़ा वर्ग 12 (24 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 8(16 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति वर्ग आधारित विभाजन की संख्या को दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 44 प्रतिशत सूचनादाताओं की जाति वर्ग आधारित विभाजन की स्थिति के साथ सर्वाधिक सामान्य वर्ग को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 5

सूचनादाताओं की जनसंचार स्थिति

क्रमांक	जनसंचार की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	जनसंचार	2	4
2.	रेडियो	11	22
3.	टेलीविजन	13	26
4	मोबाइल	24	48
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की जनसंचार की स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 2 (4 प्रतिशत) जनसंचार, 11(22 प्रतिशत) रेडिया के माध्यम से, 13 (26 प्रतिशत) टेलीविजन के माध्यम से,

24 (48 प्रतिशत) मोबाइल के माध्यम से को दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 48 प्रतिशत सूचनादाताओं की जनसंचार की स्थिति के साथ सर्वाधिक सूचनादाताओं का मोबाइल के माध्यम से स्थिति सुदृढ़ता को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 6

शिक्षा के आधार पर जनसंचार की स्थिति

क्रमांक	जनसंचार की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	समाचार पत्र	6	12
2.	टी.व्ही.	17	34
3.	रेडियो	5	10
4.	समाचार पत्र + टी.वी. रेडियो	12	24
5.	अन्य	10	20
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की जनसंचार की स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 6 (12 प्रतिशत) समाचार पत्र, 17(34 प्रतिशत) टी.व्ही. के माध्यम से, 5(10 प्रतिशत) रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र +टी.व्ही. रेडियो 12(24 प्रतिशत) समाचार पत्र + टी.व्ही. रेडियो के माध्यम से तथा अन्य 10(24 प्रतिशत) दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 34 प्रतिशत सूचनादाताओं की टी.व्ही. की स्थिति को बेहतर सूचना का माध्यम बताया है।

तालिका क्रमांक 7

उत्तरदाताओं की व्यवसायिक स्थिति

क्रमांक	व्यवसाय की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	गृहणी	42	84
2.	कामकाजी	8	16
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की जनसंचार की स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 42 (84 प्रतिशत) गृहणी घरेलू कार्यों के रूप में किसी न किसी कार्य से जुड़ी देखी गईं, 8(16 प्रतिशत) महिलाएं व्यवसाय के कार्यों में कामकाजी के रूप में देखी गई है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं की व्यवसायिक स्थिति को बेहतर व्यवसायिक कार्यों से संलिप्त बताया गया है।

तालिका क्रमांक 8

समाचार पत्र प्राप्त करने के स्रोत

क्रमांक	समाचार प्राप्त करने के स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं खरीदती हैं	26	52
2.	पड़ोसी से	15	30
3.	लायब्रेरी से	7	14
4.	अन्य	2	4
	योग	30	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार सूचनादाताओं की जनसंचार की स्थिति के सम्बन्ध में 50 उत्तरदाताओं में से साक्षात्कार करने से प्राप्त आंकड़ों में 26 (52 प्रतिशत) महिलाएं स्वयं समाचार पत्र खरीदती हैं, 15(30 प्रतिशत) महिलाएं व्पड़ोसी से समाचार लेकर पढ़ती हैं। 7(14 प्रतिशत) महिलाएं लायब्रेरी से समाचार लेकर पढ़ती हैं। 2(4 प्रतिशत) महिलाएं अन्य माध्यम से प्राप्त समाचार को लेकर पढ़ती हैं।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं की समाचार पत्र पढ़ने की स्थिति में स्वयं समाचार पत्र खरीद कर पढ़ते हुए देखा गया है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जनसंचार के क्षेत्र में विभिन्न तथ्यों को लेकर किये गये विश्लेषण से अवगत होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 88 प्रतिशत सूचनादाताओं की पारिवारिक सदस्य संख्या की स्थिति के साथ सर्वाधिक सूचनादाताओं का एकांकी पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है। प्राप्त आंकड़ों में से 90 प्रतिशत सूचनादाताओं की पारिवारिक सदस्य संख्या की स्थिति के साथ सर्वाधिक सूचनादाताओं का एकांकी पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है। प्राप्त आंकड़ों में से 90 प्रतिशत सूचनादाताओं की वैवाहिक की स्थिति के साथ सर्वाधिक सूचनादाताओं का विवाहित स्थिति को दर्शाता है।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों में से 44 प्रतिशत सूचनादाताओं की जनसंचार की स्थिति के साथ सर्वाधिक सूचनादाताओं का मोबाइल के माध्यम से स्थिति सुदृढ़ता को दर्शाता है। तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों में से 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं की व्यवसायिक स्थिति को बेहतर व्यवसायिक कार्यों से संलिप्त बताया गया है। उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं की समाचार पत्र पढ़ने की स्थिति में स्वयं समाचार पत्र खरीद कर पढ़ते हुए देखा गया है।

उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में जनसंचार के माध्यमों में सर्वाधिक लोकप्रिय संचार माध्यम मोबाइल है जिससे पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ–साथ बच्चे, बूढ़े एवं नवयुवक भी इसे आसानी से प्रयोग कर संचार के माध्यम से दूर–दराज के लोगों से संवाद स्थापित करते हैं इसके अलावा वर्तमान में डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा के कारण देश–विदेश में कहीं भी रहकर संचार माध्यम से जुड़कर जीवन के प्रत्येक पहलुओं में संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे जीवन–यापन करना आसान हो गया है।

संदर्भ स्रोत :–

1. पारिक, रमेश चन्द्र (2001)ःमहिलाओं का बढ़ा वर्चस्व,मई, योजना प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
2. ललिता खुराना, कुरुक्षेत्र (जुलाई 2013) ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स लोधी रेाड, नई दिल्ली पृ. 13
3. अंसारी, नियाज (2002)ःमहिला सशक्तिकरण वायदे और क्रियान्वयन अप्रैल, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
4. कौशिक, मीना (2002)ः महिलाएं स्वावलम्बन की ओर, अप्रैल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली
5. क्रानिकल (2002)ःसामाजिक मुद्दे क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा0लि0 नई दिल्ली।
6. कपाड़िया प्रेम (1992)ः मीडिया : ग्रामीण, सांस्कृतिक संवार नहीं पाया, नवम्बर, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली
7. डॉ. अर्जुन तिवारी, आधुनिक पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
8. जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, हिन्दी पत्रकारिता के कीर्तिमान, साहित्य संगम, इलाहाबाद।

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 1st Sept. 22 Paper Accepted : 10th Sept. 22

पारिवारिक जीवन में समाज के बदलते स्वरूप का अध्ययन

❑ नीति मिश्रा*

शोध सारांश

सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार है, जिसकी स्थिति का निर्धारण मूलतः व्यक्ति के परिवार व उसके नातेदारी व्यवस्था के आधार पर होता है। सामान्यतः परिवार में पति–पत्नी, बच्चे, विवाहित पुत्र व बहुएँ रहती है। यद्यपि ग्रामीण परिवार इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। प्रायः परिवार का सर्वोच्च मालिक घर का मुखिया ही होता है। इस दृष्टि से ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवार एक केन्द्रीय और मौलिक इकाई है (देसाई 1959)।

मुख्य शब्द–पारिवारिक जीवन में समाज के बदलते स्वरूप का अध्ययन

प्रस्तावना :–

परिवार समाज की मूलभूत इकाई है एवं समाज का सत्व है। विभिन्न समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों एवं विचारकों ने अलग–अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। कई विचारकों ने एक प्राथमिक समूह, एक महत्वपूर्ण समिति एवं एक मूलभूत संस्था के रूप में परिवार के समाजशास्त्रीय महत्व का वर्णन किया है। परिवार के इतने महत्व के कारण ही परिवार का समाजशास्त्र विकसित हुआ है। परिवार शब्द सामान्य व्यवहार में प्रचलित है। यह शब्द अंग्रेजी भाषा का फेमिली (Family) जर्मन भाषा का (Famile) फ्रेन्च भाषा का थ्ंउपससम आदि शब्द रोमन ला से सम्बन्धित हैं। आजकल यूरोप की अनेक भाषाओं में परिवार के लिए प्रयुक्त शब्दों से सामाजिक समूह का बोध होता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं (मराठी, हिन्दी, गुजराती और बंगला) में परिवार शब्द के अर्थ का विकास भी (Family) शब्द के अर्थों के विकास के सदृश ही हुआ है। परिवार शब्द का शाब्दिक अर्थ घेरने वाला है। संस्कृत भाषा में परिवार का प्रयोग अनुयायी वर्ग, सेवक वर्ग राजा के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी वर्ग आदि अर्थों में हुआ। संस्कृत में परिवार शब्द कुटुम्ब के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। कुटुम्ब के अर्थ में परिवार शब्द का प्रयोग केवल आधुनिक आर्य भाषाओं में ही पाया जाता है। जिस प्रकार प्रमुख राजा को सामन्त तथा परिचारक घेरे रहते थे और राजा उनका शासन करता था तथा उनका विशेषतः परिचारकों का पालन पोषण करता था, इसी प्रकार घर में एक प्रधान पुरूष के आश्रय में रहने वाले जो स्त्री पुरूष, बच्चे, दास आदि रहते थे वे सब प्रधान पुरूष के परिवार आधीन, आश्रित या सहायक होते थे। लेकिन

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

यह उल्लेखनीय है कि परिवार शब्द के आधुनिक अर्थ में दास या सेवक सम्मिलित नहीं किए जाते थे। बरजेस एवं लाक[1] ने परिवार की परिभाषा विस्तार से की है। उन्होंने परिवार के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डाला है। परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के बन्धनों से जुड़े हुए हैं। एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। पति पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्री और भाई–बहन अपने–अपने क्रमशः सामाजिक कार्यो और पति पत्नी में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तथा व्यवहार और सम्बन्ध रखते हैं। एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं और बनाये रखते हैं।

वर्तमान युग में मनुष्य ने आश्चर्यजनक वस्तुओं का अविष्कार किया है लेकिन इस सत्य का शायद ही कोई अपवाद हो कि परिवार और विवाह जैसी सुंदर संस्थाओं की खोज आज भी मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।' परिवार एक सर्वभौमिक संस्था तथा मानव समाज की प्राथमिक, मौलिक एवं आधारभूत इकाई है जिसका अस्तित्व आदिकाल से ही हर देश समाज और जाति में विद्यमान रहा है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। मनुष्य का जन्म और विकास, सामाजीकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है और उसी परिवार के प्रसार से समाज का निर्माण होता है। 'परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं और दूसरा रूप वह है जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं। परिवार की सार्वभौमिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि हममें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परिवार के उन रूपों में से किसी का भी सदस्य न हो।' कूले ने परिवार को प्रारंभिक समूह माना है जिसमें बच्चे के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। 'सामाजिक व्यवस्थाओं में यदि सन्तानोत्पत्ति की क्रिया रुक जाये, यदि बच्चों का पालन–पोषण न किया जाये और उन्हें अपने विचारों को आगामी पीढ़ी के लिए संचरण करना तथा एक–दूसरे से सहयोग करना न सिखाया जाए तो संभवतः समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाये।' परिवार वह विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण संस्था है जो वैध सन्तानोत्पत्ति करके, बच्चों का लालन–पालन करके, उन्हें रीति–रिवाज, परंपराओं, रहन–सहन के तरीकों तथा संस्कृति आदि से अवगत कराता है तथा प्रेम, आत्म, त्याग, कर्तव्य पालन, सहयोग आदि सद्गुणों का विकास करता है। 'परिवार मानव जाति के आत्म–संरक्षण, वंशवर्धन और जातीय जीवन की निरंतरता बनाये रखने का प्रमुख साधन है। मनुष्य मरणशील है, किन्तु मानव जाति अमर है। मृत्यु और अमृत्व इन दो विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ है।

परिवार, सत्ता और नियमों का प्रतिपादन, हस्तान्तरण एवं प्रभावशील बनाने वाली एक मौलिक व सार्वभौमिक संस्था है। आदिकाल से परिवार का अपना सत्तात्मक संगठन और स्वरूप चला आ रहा है। परिवार का मुखिया घर का यथार्थ शासक होता है। सत्ता की अपनी रूढ़ि, परम्पराएँ और कतिपय नियम होते हैं। ये नियम तथा परम्पराएँ अपने लघु रूप में परिवार में देखे जा सकता हैं। इन सभी का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी से होता रहता है। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए न केवल अनिवार्य होता है बल्कि उसके पालन करने में ही उसका हित है। वर्तमान में नवजागरण परिवार की एकात्मक सत्ता का क्षरण होता जा रहा है, जिसका कारण राजनैतिक संस्थाओं का शक्तिशाली होना व परिवार का शनैः शनैः विघटन होना। परिवार के नियम और तद्जनित अनुशासन शिथिल होते जा रहे हैं।

उत्तर वैदिक काल में साहित्य में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के समान अर्थो के रूप में पाया जाता है। कुल शब्द का अर्थ घर या ''वासस्थान'' है। उसमें रहने वाले लोगों का समूह भी लाक्षणिक रूप से कुल कहा जाता है। गोत्र शब्द का प्रयोग भी कुटुम्ब अथवा कबीले के अर्थ में प्रयोग हुआ है। परन्तु गोत्र शब्द कुल शब्द की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थो वाला है। गोत्र का अभिप्राय उन सम व्यक्तियों से होता है

जिनमें परस्पर कोई रक्त सम्बन्ध होता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे एक घर या एक स्थान पर ही निवास करते हों। किन्तु कुल से अभिप्राय व्यक्तियों के उस समूह से है जिनमें निश्चित रूप से रक्त सम्बन्ध होता है और जो एक ही घर में रहते हैं।[2]

डॉ. रिवर्स ने थ्ंउपसल शब्द से परिभाषित किए जाने वाले सामाजिक समूहों की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए उन्हें चार प्रकारों में विभाजित किया है और सब प्रकार के परिवारों का उन्हीं चार वर्गों में समावेश हो जाता है।[3]–(1) जीवशास्त्रीय अथवा एकांकी परिवार–जिसमें पति–पत्नी और उनकी सन्तान सम्मिलित होते हैं। इसमें वही व्यक्ति मूलतः सम्मिलित होते हैं जिनमें परस्पर सीधा प्रजनन सम्बन्ध होता है। (2) माता–पिता और केवल पिता के सम्बन्धियों का परिवार, (3) माता और केवल मातृ पक्ष के सम्बन्धियों का परिवार, (4) माता–पिता तथा दोनों पक्षों के सम्बन्धियों का परिवार।

प्रथम प्रकार के परिवार में केवल वे ही व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जिनका प्रजनन से सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए इसे एकाकी परिवार भी कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में विवाहित स्त्री पुरूष का केवल एक युगल होता है। इस युगल की सन्तान जब विवाह योग्य हो जाती है तो वह अपने जन्म के परिवार को छोड़कर नया परिवार बना लेती है। यूरोपीय देशों में जिनकी अर्थ व्यवस्था विशाल उद्योगों पर निर्भर है फेमिली शब्द का प्रयोग इसी प्रकार के परिवार के लिए होता है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोगार्डस[4] ने परिवार की व्याख्या अपने ढंग से की है। उनकी दृष्टि में परिवार शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता है। परन्तु इन विभिन्न प्रयोगों में अंशों का अन्तर है। यद्यपि इसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होता है। परिवार से कुछ लोग पति पत्नी उनके बच्चे समझते हैं। कुछ लोग परिवार में चाचा, चाची, दादा, दादी, चचेरे भाई उनकी स्त्रियों आदि को सम्मिलित कर लेते हैं। मातृ सत्तात्मक संस्कृति में नाना, नानी, मामा, मामी इत्यादि को भी परिवार ही समझा जाता है। परिवार की परिभाषा करते हुए मैकआइवर और पेज लिखते हैं कि वह समूह जो लिंग सम्बन्धों पर आधारित है।[5]

निमकाफ[6] ने परिवार की व्याख्या अपने अलग दृष्टिकोण से की है। उनके अनुसार परिवार कम अथवा अधिक समय तक रहने वाला वह समूह है जिसमें पति पत्नी बच्चे सहित अथवा स्त्री व पुरूष अलग–अलग बच्चे सहित भी परिवार कहला सकते हैं। निमकाफ के मतानुसार पति सहित बच्चा अथवा पत्नी सहित बच्चा भी परिवार के आकार का बोध के लिए पर्याप्त होता है।

उपरोक्त परिभाषा में परिवार की संरचना करने वाले घटक पति, पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्री तथा भाई–बहन आदि को सम्मलित किया गया है। परिवार के प्रकार्यों के अन्तर्गत गृहस्थी का निर्माण, सामाजिक कार्य एवं संस्कृति का निर्माण आदि को निहित किया गया है। अतः बरजेस एवं लाक की परिभाषा परिवार की संरचना, प्रकार्य एवं निर्माणकारी घटकों पर प्रकाश डालती है। प्रायः सभी समाजविज्ञानों ने न्यूनाधिक परिवार की व्याख्या को अपनी अध्ययन वस्तु में सम्मिलित किया है। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से परिवार सभ्यता और संस्कृति का एक ऐसा मूल उद्‌गम है जिसके माध्यम से किसी काल विशेष में घटित होने वाली सामाजिक घटनाओं की कारकीय व्याख्या की जा सकती है।

रॉस एलिन[7] ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि व्यक्ति का अस्तित्व व नैतिकता मूलतः उस संस्था या समूह में निहित है जिसका अन्तरंग सदस्य वह व्यक्ति होता है और ऐसी सामाजिक संस्था निस्संदेह परिवार ही है।[8] अतः नीतिशास्त्र भी परिवार को एक ऐसे समूह के रूप में लेता है जो आदर्शो का निर्माण करता है व लागू करता है और इस प्रकार मानव आचार को नियमित व नियन्त्रित करता है। अर्थशास्त्र में भी परिवार को विवेचन की इकाई के लिए लिया गया है। वहाँ परिवार उत्पादन और उपभोग की

प्राथमिक इकाई है। मनुष्य की असीमित आवश्यकताएँ हैं। वह परिवार में रहकर ही सबसे पहले इन आवश्यकताओं को अनुभव करता है। इन समस्त क्रियायें आर्थोपार्जन के लिए की जाती है। व्यक्ति परिवार में अकेला ही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कई परिवारों की मिलकर आर्थिक क्रियाएँ करती है। आपस में उत्पादन और वितरण कर अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टी करते हैं। प्रारम्भिक काल में तो परिवार उत्पादन एवं वितरण की प्रमुख इाकाई के रूप में कार्य करता था। समाज की जटिलता एवं आवश्कताओं में असीमित प्रसार के कारण परिवार के कार्यों का आर्थिक पहलू भी विस्तृत होता गया। फलतः परिवार आज के आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है।

किसी भी सामाजिक संरचना के यथार्थ का आधार परिवार होता है। इस बारे में अधिक मतभेद नहीं हैं। परिवार किसी भी समाज में एक विशिष्ट स्थिति एवं महत्व रखता है। परिवार के बिना समाज की कल्पना सर्वथा असम्भव है। आज साम्यवादी समाजों में भी परिवार विहीन जीवन एक विचार मात्र ही है। सामान्यतः परिवार का आरम्भ विवाह के साथ ही होता है। क्योंकि परिवार में पति–पत्नी को ही मूल इकाई के रूप में समविष्ट किया जाता है। संतानयुक्त परिवार विकसित श्रेणी में आता है। कुछ समाजों में निःसंतान दम्पत्ति वाला परिवार अपूर्ण परिवार माना जाता है। पूर्व इतिहास के अवलोकन करने पर यह बात ज्ञात होती है कि संतान परिवार की एक आवश्यक शर्त रही है। जिसके अभाव में केवल पति पत्नी को ही परिवार के रूप में मान्य नहीं किया गया है। परिवार में माता–पिता, भाई–बहन तथा अन्य रक्त सम्बन्धी भी अभिन्न रूप में जुड़े हुए हैं।

कई समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। परिवार एक सार्वभौमिक सच्चाई है। यह केवल मानव समाज में ही मिलता हो ऐसा नहीं है। पशु समाज में भी परिवार का अस्तित्व किसी न किसी रूप में मिलता है। सच तो यह है कि किसी भी सामाजिक संरचना को उसकी सम्पूर्णता में यदि समझना है और समझाना है तो हमें अनिवार्यतः परिवार से शुरू होना पड़ेगा। परिवार मानव समाज का इतना सर्वव्यापी और विराट यथार्थ है कि इसे किसी संकुचित और संक्षिप्त परिभाषा में बांधकर विश्लेषित करना सहज नहीं है। वैसे परिवार उसकी संरचना, प्रकार्यो और निर्माणकारी घटकों के माध्यम से समाज विज्ञानों में चर्चित होता रहा है।

वर्तमान में जहाँ परिवार की संरचना और संगठन में परिवर्तन हुए हैं वहीं उसके कार्य भी अब पहले जैसे नहीं रहे। उसके कुछ कार्य घट गए और कुछ बढ़ गए हैं। आधुनिक परिवार का सर्व प्रमुख कार्य सन्तानोत्पत्ति समझा जा सकता है। "यह परिवार का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सामाजिक कार्य है।"[9] अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में आज का परिवार व्यवहार में व्यक्ति को सबसे अधिक मात्रा में स्नेह प्रदान करता है। वस्तुतः बिना स्नेह के परिवार का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अतः आधुनिक परिवार का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह अपने सदस्यों में स्नेह विभाजन करे जो कि परिवार का जीवन है।10 समाज परिवार की आधारभूत ईकाई है। परिवार द्वारा किये जाने वाले कार्य अन्य संस्थाओं द्वारा नहीं किये जा सकते हैं। परिवार के कार्य निम्न है–

1. आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति–परिवार व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है। परिवार में बच्चों का पालन–पोषण व सामाजीकरण होता है। परिवार द्वारा सदस्यों की भोजन, वस्त्र आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

2. शारीरिक आवश्कताओं की पूर्ति–परिवार के अन्तर्गत रहकर प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे यौन–संतुष्टि, सन्तानोत्पत्ति आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

3. सामाजीकरण का कार्य–सामाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में ही बालक का सामाजीकरण प्रारम्भ होता है। बालक

परिवार के माध्यम से ही समाज के रीति–रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि का ज्ञान प्राप्त करता है।

4. उत्तराधिकार का निर्धारण–प्रत्येक समाज में सम्पत्ति एवं पदों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरण की व्यवस्था पायी जाती है। यह कार्य परिवार के माध्यम से ही होता है।

5. सामाजिक नियंत्रण का कार्य–परिवार सामाजिक नियंत्रण बनाये रखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। परिवार का मुखिया परिवार के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें अपनी सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं, मूल्यों के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करता है।

6. शिक्षात्मक कार्य–परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार में ही बालक के व्यक्तित्व का निर्माण प्रारम्भ होता है। परिवार के द्वारा दी गयी शिक्षाएँ जीवनपर्यन्त आत्मसात होती रहती है। परिवार में बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि का पाठ सीखता है।

7. सांस्कृतिक रक्षा का कार्य–परिवार ही समाज की संस्कृति की रक्षा का कार्य करता है। नयी पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। परिवार संस्कृति का हस्तान्तरण कर संस्कृति की निरन्तरता बनाये रखता है।

सारणी क्रमांक 1

आप के परिवार का स्वरूप कैसा है

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त	110	37.00
2	एकाकी	190	63.00
	योग	**300**	**100 प्रतिशत**

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से उनके परिवार के स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 37.00 प्रतिशत महिलाओं का परिवार संयुक्त परिवार है जबकि 63.00 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं का परिवार एकाकी पाया गया है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत अधिकांश महिलाओं जनप्रतिनिधियों के परिवार वर्तमान में एकाकी हो गए हैं।

एक लम्बे समय से विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा परिवार की जनसंख्या को नियन्त्रित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रभाव देखा जा सकता है। संचार माध्यमों द्वारा इसका प्रसार–प्रचार जन–जन तक करने का प्रयास किया गया है, शहरी पारिवारिक संरचना में बदलाव के साथ ग्रामीण समाज में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है।

सारणी क्रमांक 2

परिवार की सदस्य संख्या

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	दो से चार	190	63.00
2	पाँच से छः	40	13.00
3	सात से आठ	50	17.00
4	आठ से अधिक सदस्य	20	07.00
	योग	**300**	**100 प्रतिशत**

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

परिवार में सदस्य संख्या परिवार का स्वरूप निश्चित करता है तथापि संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार की पीढ़ियों की संख्या पर आधारित है जो किसी न किसी रूप में परिवार में सदस्यों की संख्या को निश्चित करती है। वर्तमान समय में कम संख्या वाले परिवारों की धारणा निर्मित हो रही हैं। वृहद परिवार को समस्या के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से उनके परिवार में सदस्य संख्या को जानने का प्रयास किया गया है। सारणी

के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 63.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में दो से चार सदस्य संख्या, 13.00 प्रतिशत परिवार में पाँच से छः, 17.00 प्रतिशत परिवार में सात से आठ सदस्य संख्या तथा 7.00 महिला परिवारों में आठ से अधिक सदस्य संख्या पायी गयी है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत अधिकांश महिलाओं जनप्रतिनिधियों के परिवार वर्तमान में दो से चार सदस्य ही पाए जाते हैं।

सारणी क्रमांक 3

परिवार में आपकी क्या प्रस्थिति है?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	मुखिया	70	23.00
2	सदस्य के रूप में	230	77.00
	योग	**300**	**100 प्रतिशत**

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से उनका परिवार में प्रस्थिति की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 23.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में वह स्वयं मुखिया का कार्यभार सम्भाले हुए हैं जबकि 77.00 प्रतिशत परिवार में वह सदस्य के रूप में रहती है। सारणी से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययनरत अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों के घरों में वह स्वयं एक सदस्य के रूप में ही रहती है। जो महिलाएँ मुखिया का पद सम्भाले हुए हैं उनके परिवार के पुरूष सदस्य या तो नहीं हैं या हैं भी तो वह इस पद से मुक्त हैं।

सारणी क्रमांक 4

परिवार के सदस्यों का आपके प्रति क्या दृष्टिकोण है?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छा	75	25.00
2	सामान्य	175	58.00
	खराब	50	17.00
	योग	**300**	**100 प्रतिशत**

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से उनका परिवार के सदस्यों के साथ उनका दृष्टिकोण को जानने की कोशिश की गयी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 25.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवारों का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण अच्छा, 58.00 प्रतिशत सामान्य तथा 17.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिधियों का परिवार के प्रति खराब दृष्टिकोण है। सारणी से प्रतीत होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों का उनके प्रति दृष्टिकोण सामान्य है।

सारणी क्रमांक 5

क्या आपके पति आपके पद से खुश रहते हैं?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	280	93.00
2	नहीं	20	07.00
	योग	**300**	**100 प्रतिशत**

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से उनके पति के व्यवहार को जानने की कोशिश की गयी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 93.00 प्रतिशत

महिलाओं जनप्रतिनिधियों के परिवारों में उनके पति उनके पद से संतुष्ट रहते हैं जबकि 7.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के पति उनके पद से खुश नहीं रहते हैं। सारणी से प्रतीत होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों के पति उनके पद से संतुष्ट हैं।

सारणी क्रमांक 6

क्या आपका परिवार पंचायत के कार्यों में आप का सहयोग करता है?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	75	25.00
2	नहीं	225	75.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से पंचायत कार्यों में परिवार के सहयोग की प्रवृत्ति को जानने की कोशिश की गयी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 25.00 प्रतिशत महिलाओं जनप्रतिनिधियों के परिवारों द्वारा उनके पंचायत सम्बन्धी कार्यों में सहयोग किया जाता है, जबकि 75.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के परिवारों द्वारा पंचायत कार्यों में कोई सहयोग नहीं किया जाता है। सारणी से प्रतीत होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों के परिवार उनके पंचायत कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं।

सारणी क्रमांक 7

पंचायत के कार्य करते हुए परिवार की जिम्मेदारी में परिवर्तन हुआ?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	275	92.00
2	नहीं	25	08.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से पंचायत कार्य से जुड़ने के उपरान्त उनके परिवारिक दायित्वों में परिवर्तन के प्रति जानकारी चाही गयी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 92.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि पंचायती कार्यों से जुड़ने के पश्चात् उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी में परिवर्तन हुआ है, जबकि 8.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मानती हैं। सारणी से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक जिम्मेदारियों में परिवर्तन हुआ है।

सारणी क्रमांक 8

आपको चुनाव लड़ने के लिए किसने प्रेरित किया

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	परिवार के सदस्यों ने	70	23.00
2	पति ने	150	50.00
3	गाँव के लोगों द्वारा	45	15.00
4	स्वयं का निर्णय	35	12.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से चुनाव लड़ने की प्रेरणा की जानकारी चाही गयी है, सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 23.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि परिवार के अन्य सदस्यों के प्रेरित करने पर, 50.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के पति के द्वारा कहने पर, 15.00 प्रतिशत गाँव के कहने पर तथा 12.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि स्वयं के निर्णय से चुनाव लड़ा है। सारणी से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों के पति द्वारा उन्हें चुनाव लड़वाया गया है। चूँकि कुछ सीटे महिला आरक्षण के द्वारा आरक्षित होने के कारण पति खुद चुनाव नहीं लड़ पाते, इस कारण वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं।

सारणी क्रमांक 9

आपके प्रतिनिधित्व से आपके परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	280	93.00
2	नहीं	20	07.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से पंचायती राज में प्रतिनिधित्व से परिवारिक की प्रतिष्ठा में वृद्धि सम्बन्धी जानकारी चाही गयी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 93.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि पंचायत में प्रतिनिधित्व से उनके परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुयी है, जबकि 7. 00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मानती हैं। सारणी से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों का मानना है कि पंचायती प्रक्रिया में जुड़ने के बाद से उनके परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुयी है।

सारणी क्रमांक 10

क्या आप निर्णय लेने में समर्थ हैं?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	110	37.00
2	नहीं	190	63.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से निर्णय लेने की क्षमता की जानकारी चाही गयी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 37.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि पंचायत में वे निर्णय लेने में समर्थ हैं जबकि 63.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मानती हैं। उनका मानना है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले परिवार, पति एवं गाँव वालों की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है क्योंकि इन्हीं के सहयोग से वे चुनाव जीतती हैं। सारणी से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं लेती हैं।

सारणी क्रमांक 11

आपको पूर्व में समाजसेवा का ज्ञान था?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	155	52.00
2	नहीं	145	48.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से पूछा गया था कि क्या पंचायत जनप्रतिनिधि होने के पहले भी उन्हें समाज सेवा का ज्ञान था, सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 52.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि पंचायत में प्रतिनिधि से पहले भी वे समाज सेवा के कार्य में लगी रहती थीं, जबकि 48.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मानती हैं। उनका मानना है कि पंचायत जनप्रतिनिधि से पहले वे गृह कार्य में संलग्न रहती थी, उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य अवश्यक समाज सेवा का कार्य करते थे।

सारणी क्रमांक 12

क्या आप मानती हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी से आपके पद युक्त कार्य में कठिनाई आती है?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	140	47.00
2	नहीं	160	53.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

सारणी क्रमांक 13

आपके परिवार के सदस्य आपके घरेलू कार्यों में सहयोग करते हैं?

क्र.	मत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	167	56.00
2	नहीं	133	44.00
	योग	300	100 प्रतिशत

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त सारणी के माध्यम से अध्ययनरत 300 महिला जनप्रतिनिधियों से पूछा गया था कि क्या आप परिवार एवं पंचायतों के कार्यों को सम्भालने में सक्षम हैं, सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 62.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि वह दोनों कार्यों को बखूबी सम्भाल लेती हैं जबकि 38.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि स्वीकार करती हैं कि यदि उनके परिवार के सदस्य सहयोग न करें तो वह दोनों कार्यों को सम्भालने में असमर्थ हैं।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आज के युग में मानव जीवन या समाज का प्रत्येक अंग अपने परम्परागत स्वरूप से बिल्कुल भिन्न हो गया है अर्थात् परिवर्तित हो गया है। अध्ययनरत महिला जनप्रतिनिधियों के परिवारों में भी परिवर्तन हुए है और हो रहे है। परिवार के विभिन्न पक्ष भी परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं। आधुनिक युग में परिवार की संस्कृति, सभ्यता, आचार–विचार, आदर्श आदि पूर्वाक्षेप से भिन्न होते जा रहे हैं इस कारण परिवार की संरचना भी प्रभावित हुई है। परिवार अपने कार्यात्मक आधार पर ही समाज एक मौलिक रूप धीरे–धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। इसके परम्परागत कार्यों को सार्वजनिक, व्यवसायिक तथा शासकीय संस्थाओं ने अपने हाथों में ले लिया है। अध्ययनरत परिवारों में अंधविश्वास तथा रूढ़िवादी भावनाओं में कमी आयी है। पहले की तुलना में परिवार की आत्मनिर्भरता में कमी आयी है। परिवार के सदस्यों की तुलना में आपसी सामंजस्य कम हुआ है। अध्ययनरत परिवारों में पारिवारिक अनुशासन में कमी आयी है। पहले की अपेक्षा वर्तमान में परिवार का आकार छोटा हुआ है। परिवार के मौलिक कार्यों के सम्पादन में नवीन विधियों, तरीकों और पद्धतियों का समावेश हुआ है। पारिवारिक संबंधों में शिथिलता तथा पारिवारिक कर्तव्यों की भावना में कमी आयी है। वर्तमान में युवाओं द्वारा वृद्धों की उपेक्षा की जाने लगी है।

संदर्भ स्रोत :–

1. A Family is a group of persons unitd by the tis of marriage, blood or adoption, constituting a single household, interacting and inter communicating with each other in their respective social role of husband and wife, mother and father, training a common culture. Burgess and Loeke – The Family, from Institution to Compaionship, Page 08. By The Macmillan Company, New York, 1954
2. डॉ. शिवराज शास्त्री–ऋग्वेदिक काल में परिवार का स्वरूप पृ. 7
3. Dr. Reverse – Social Organisation, P. 15
4. Maciver and Page – "The Family is a group difined by a sex relationship suficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children". Book – Society P. 328
5. Emory S. Bogardus, Book Sociology Chap. 3, P. 5
6. Meyer F. Nimkoff "Marriage and Family", Page 06
7. Ross Aileen D.-The Hindu Family in its Urban Setting, Oxford University Press, Toronto, 1961
8. वेस्टरमार्क–हिस्ट्री आफ वूमेन मैरिज
9. Folsom – The Family and Democratic Socicty, P. 187 Broad way House London, 1948
10. Mac Iver and Page – The Society, P. 5

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 10th Sept. 22 Paper Accepted : 20th Sept. 22

वैदिक धर्म एवं धार्मिक लक्षणों की उपयोगिता

❑ केशव कुमार मिश्रा*
❑ डॉ.राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी**

शोध सारांश

वैदिक धर्म का अर्थ वेद सम्मत धर्म से है वेदादि शास्त्रों में वर्णित करने अथवा धारण करने योग्य जो धर्म है उसे वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक काल 15000–5000 ईसा. पूर्व माना जाता है वैदिक धर्म में मनुष्यों के लिए नित्य अग्निहोत्र, यज्ञादि, दान, तर्पण सत्यभीषण, देवपूजन आदि का विशिष्ट विधान है वैदिक धर्म की अवधारणा कर्म प्रधान है। वैदिक धर्म वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था पर आधारित है। वैदिक धर्म को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। वैदिक धर्म को ही मानव जाति का एक मात्र धर्म बनाया गया है। वैदिक धर्म पुनर्जन्म को मानता है। इस कारण अच्छे–बुरे कर्मों के अनुरूप स्वर्ग–नरक की गति को स्वीकार किया जाता है। वैदिक धर्म मनुष्यों को एक ऐसे धर्म के सूत्र में बांधता है। जहाँ मनुष्यों को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा तथा पाप कर्म से बचने का मार्ग प्रसक्त करता है। जहाँ मनुष्यों को छल–दम्भ कपट, क्रोध, लोभ, असत्य, चोरी आदि पाप कर्मों को करने से रोकता है यही वैदिक धर्म का अर्थ तथा उद्देश्य को शोध पत्र में दर्शाने का अनुपम प्रयास है।

मुख्य शब्द–वैदिक, धर्म, धार्मिक, लक्षणों, स्वर्ग–नर्क, उपयोगिता, वर्णाश्रम, व्यवस्था, पाप, छल–दम्भ कपट, क्रोध, लोभ, असत्य, चोरी आदि।

प्रस्तावना

धर्म की परिभाषा, अर्थ, व्याख्या सभी ऋषियों आचार्यों द्वारा पृथक–पृथक वृहत रूप से शास्त्रों व स्मृति ग्रंथों में किया गया है और धर्म के लक्षणों का भी अलग–अलग मत प्रस्तुत किया गया है। लक्षण शब्द का अर्थ–

''लक्ष्यते ज्ञायते–ऽनेनेति लक्षणम्''

जिसके चिन्ह अथवा लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है उसे लक्षण कहते है। धर्म में विद्यमान गुणों का समूह ही धर्म के लक्षण है जिसे व्यासादि मनीषियों ने ग्रंथों के माध्यम से वर्णित किया है। सृष्टि के प्रथम मानव मनु जी ने धर्म के दस लक्षण बताये हैं–

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इन्द्रियजित, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध यह धर्म के लक्षण चारों आश्रय वाले द्विजातियों के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से अनेकों पुराणों में धर्म के अनेक लक्षण कहे गये हैं और अनेक देवताओं के द्वारा भी धर्म के विविध लक्षण कहे गये हैं।

* शोधार्थी (संस्कृत), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

धर्म के लक्षण पुराणों के अनुसार :–

1. श्रीमद्भागवत पुराणः–

श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार धर्म के तीस लक्षण कहे गये हैं। क्रमशः सन्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, संयम, इन्द्रिय संयम, अहिंसा, बह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरला, संतोष, समदर्शी, सेवा सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, अभिमान निवृत्ति मौन, आत्मचिंतन प्राणि मात्र के प्रति न्याय, जीवों के प्रति भगवत् बुद्धि, भगवद् लीला श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवद् पाद सेवा, पूजा, दास्य भाव, सख्य, आत्म–समर्पण यह तीस प्रकार के धर्म युक्त लक्षण इनका आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है।

''त्रिंशल्लणवान्राजन्सवीत्मा येन तुष्यति''[1]

धर्म शब्द का प्रयोग जहां–जहां किया गया वह निश्चय ही सकारात्मक ऊर्जा सम्पन्न सत्यनिष्ठ गुणों से युक्त व्यक्तित्व के रूप में किया गया जैसे–''रामो धर्मोवान् विग्रहः'' जब समाज/देश में श्री रामचन्द्र जी की चर्चा होती है तो उन्हें साक्षात् धर्म का विग्रहवान स्वरूप कहा जाता है क्योंकि उनमें धर्म के सभी लक्षण लक्षित होते थे आज भी राज्य की अवधारणा राम राज्य से की जाती है। धर्म का संबंध आत्मा से है प्राण से है जीव धर्म से ही सुख का अनुभव कर सकता है। आत्मा का आभूषण ही धर्म है। धर्म के लक्षणों से आभूषित धर्म मनुष्यों को इहलोक तथा परलोक में भी कीर्ति प्रदान करता है।

पद्मपुराण :–

पद्मपुराण पुराणों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें 5500 हजार श्लोक है इस पुराण में धर्म की विस्तार से व्याख्या की गयी है। इस पुराण में धर्म के दस अंग ही धर्म के लक्षण बताये गये हैं और इन्हीं दस अंगों के सहित ही धर्म की वृद्धि होती है। पद्मपुराण के दस लक्षण है जोकि निम्नलिखित है–

1. ब्रह्मचर्य, 2. सत्य, 3. तप, 4. दान, 5. संयम, 6. क्षमा, 7. शौच, 8. हिंसा, 9. अहिंसा, 10. अस्तेय

यह धर्म के दस लक्षण है व्याासजी धर्म के लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं धर्म मनुष्य का सर्वस्व हे मनुष्य को सर्वतोभावेन धर्म का ही आचरण करना चाहिए तथा धर्म का सर्वस्व यह है जो आचरण स्वयं के प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के साथ कदापि नहीं करना चाहिए। इस धर्मयुक्त धर्म का सर्वस्व सारभूत नियम का मनुष्य मात्र को सदैव पालन करना चाहिए।

ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते।
दानेन नियमेनापि क्षमा शौचेन वल्लभ।।
अहिसया शांव्या च अस्तेयेनापि वर्तते।
एतैर्दशभिरगैस्तु धर्म मेव सुसूचयेत।।[2]

पद्मपुराण के अनुसार सत्य, ब्रह्मचर्यादि धर्म के प्रमुख अंग है। अतः मनुष्य को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए सत्य धर्म का प्रमुख अंग है। धर्म के प्रमुख चार चरण कहे गये हैं। इन्हीं प्रत्येक चरणों में धर्म के गुण/लक्षण घटते–बढ़ते रहते हैं। धर्म जब चारों चरणों से युक्त होता है तब धर्म के सम्पूर्ण लक्षण पृथ्वी पर दिखाई देते हैं–धर्म के चार चरण– 1. तप, 2. पवित्रता, 3. दया, 4. सत्य

यह चारों चरण क्रमशः सत्युग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग में एक–एक करके नष्ट होते जाते हैं अतएव कलियुग अर्थात् वर्तमान युग में धर्म का सत्य रूपी चरण ही प्रबल रूप से विद्यमान है। अतः केवल सत्य का आचरण करके मनुष्य धर्मयुक्त जीवन निर्वाह कर सकता है। जहाँ धर्म का यह सत्य रूपी लक्षण (गुण) विद्यमान होता है वहाँ बाकी सारे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। जब धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है तब धर्म के उनतालीस लक्षण होते है जोकि धर्म के गुण होते यही गुण धर्म में नित्य–निरंतर निवास करते हैं–धर्म के उनतालीस लक्षण–1.सत्य, 2. पवित्रत, 3. दया, 4. क्षमा, 5. त्याग, 6. संतोष, 7. सरलता, 8. शम, 9. दम, 10. तप, 11. समता, 12. तितिक्षा, 13. उपरति,14. शास्त्रविचार, 15. ज्ञान, 16. वैराग्य, 17. ऐश्वर्य, 18. वीरता, 19. तेज, 20. बल, 21. स्मृति, 22. स्वतंत्रता, 23. कौशल, 24. कान्ति, 25. धैर्य, 26. कोमलता, 27. निर्भीकता, 28. विनय, 29. शील, 30. साहस, 31. उत्साह, 32. ओज बल, 33. सौभाग्य, 34. गम्भीरता, 35. स्थिरता, 36. आस्तिकता, 37. कीर्ति, 38.गौरव, 39. निरहंकरता।

यह धर्म के सम्पूर्ण लक्षण है–

सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम्।

शमो दमस्तपः साम्यं तिविक्षोपरतिः श्रुतम्।।[3]

जब पृथ्वी पर धर्म का पूर्ण विस्तार होता है और भगवत् अवतार होता है तब पृथ्वी में यह धर्म के सम्पूर्ण लक्षण परिलक्षित होते हैं तथा पृथ्वी अत्यंत सुख का अनुभव करती है त मेघ समयानुसार वर्षा करते हैं। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन तथा यज्ञादि पवित्र अनुष्ठान करते है हर ओर पृथ्वी में दिव्य यज्ञ की सुगन्ध व्याप्त हो जाती क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा में तत्पर रहते हैं। वैश्य कृषि गौर रक्षा तथा पालन करते हैं। शूद्र अपने से बड़े सभी वर्णों का श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं ऐसे धर्ममय सम्पूर्ण प्रकृति का आवरण हो जाता है किन्तु जैसे–जैसे युग बदलता है वैसे–वैसे धर्म का एक चरण कम होने लग जाता है और उस चरण से संबंधित लक्षण भी लुप्त होने लगते हैं इस प्रकार से कलियुग में धर्म का एक चरण शेष बचता है वो है सत्य इसीलिए धर्म के इस लक्षण का शास्त्रों में अधिक महत्व बताया गया है। जब मनुष्य सत्य का आश्रय लेता है तो उसका विनाश प्रलयकाल में भी नहीं होता मत्स्यपुराण के अंतर्गत राजा सत्यव्रत का उपाध्यान इसका प्रमाण है कि भयंकर प्रलयकाल में भी राजा सत्यव्रत सत्य की नौका पर सवार होकर सप्त ऋषियों के सहित भव सागर हो गये।

धर्म के लक्षणों की व्याख्या :–

1. **सत्य**–जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता चाहे जितनी विपत्ति की घड़ी आ जाए उसे सत्यवादी कह के संबोधन किया जाता है।
2. **पवित्रता**–पवित्रता का आव्य निर्मलता निश्छलता से है जिसका ह्रदय कायादि विकारों से रिक्त हो अथवा खाली हो।
3. **दया**–जो मनुष्य ही नहीं अपितु जीव मात्र पर करुणा का भाव रखे एवं कभी किसी को पीड़ा न दे और किसी की पीड़ा को देखकर उसे दूर करने की सम्पूर्ण चेष्ठा करें।
4. **क्षमा**–क्षमा धर्म का विशेष लक्षण (गुण) है क्षमा का अर्थ सहनशीलता है, अपराध को बिना प्रतिकार भावना के सह लेने की प्रवृत्ति क्षमा गुण है।
5. **त्याग**–त्याग एक अत्यंत पवित्र भावना है त्याग का अर्थ केवल वस्तु पदार्थ को छोड़ देना मात्र नहीं है वस्तुतः त्याग का वास्तविक अर्थ त्यागी हुई वस्तु अथवा पदार्थ का त्याग के पश्चात् चिंतन न होना ही त्याग हे।
6. **संतोष**–संतोष शब्द का अभिप्राय संतुष्टि से है मनुष्य जीवन में धर्माचरण से प्राप्त अर्थ में तृप्त होना ही संतोष गुण है।
7. **सरलता**–सरलता शब्द का अर्थ सहजता होने में है दिखावा मुक्त होकर वास्तविकता में स्थिर हो जाना सरलता है।
8. **शम**–शम का अर्थ शांति परख होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की विकास जीवन उथल–पुथल न हो जो विकास शून्य हो गया है।
9. **दम**–दम शब्द का अर्थ दमन होता है जो इन्द्रियों का बलपूर्वक निग्रह कर सकता हो शास्त्रों में कहीं–कहीं दम शब्द का प्रयोग इन्द्रिय संयम परिप्रेक्ष्य में भी किया गया है।
10. **तप**–तप शब्द का मूल अर्थ प्रकाश अथवा प्रज्वलन है जो सूर्य अग्नि में स्पष्ट होता है जब कोई मनुष्य तप करता है अग्नि के समान अपने विकारों का जलाकर भस्म कर देता तथा शुद्ध हो जाता है।
11. **समता**–समता शब्द का आशय समदर्शी से है जिस मनुष्य में धर्म का यह लक्षण प्रगट होता है वह किसी भी जीव के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता वह सब में भगवत् दर्शन करता है उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं होता है।
12. **तितिक्षा**–तितिक्षा का अर्थ जो क्षमायुक्त होकर शीत, बात, उष्णादि का सहन करता है और विलाप एवं चिंता नहीं करता ऐसे धर्म के लक्षण युक्त मनुष्य को तितिक्षावान कहते हैं।
13. **उपरति**–उपरति शब्द–उप्+रम्+किन से बनता है जिसका अर्थ विरतिः होता है जो इन्द्रिय संयम करके सांसारिक क्रियाओं को रोक देता है आदि शंकराचार्य ने उपरति का अर्थ स्वयं के धर्म का कड़ाई से पालन करना माना है।
14. **शास्त्रविचार**–धर्म के इस लक्षण का अभिप्राय यह है कि धर्मशील मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म को करने से पूर्व वह करने योग्य है या

नहीं यह शास्त्रों में करने योग्य कहा गया है या नहीं ऐसा शास्त्र विचार अवश्य करना चाहिए।

15. **ज्ञान**–अमरकोश ग्रंथ के अनुसार ज्ञान शब्द का अर्थ–''मोक्षोपयोगबुद्धि'' कहा गया है जो ज्ञान मनुष्य को आवागमन के चक्र से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त करा दे जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष न रहे वह ज्ञान है।

16. **वैराग्य**–वैराग्य शब्द का अर्थ विराग भाव से है विषयों के प्रति राग गरिष्ठ होता है जो सहज ही विषयों से अनासक्त हो जाता है और जिसकी दृष्टि में विषय तुच्छ हो जाते हैं वह वैराग्य युक्त हो जाता है।

17. **ऐश्वर्य**–ऐश्वर्य शब्द का अर्थ–ईश्वरस्य भावः संदर्भ में है अर्थात् जो धर्म का आश्रय लेता है उसमें समग्र ऐश्वर्य दृष्टिगोचर होने लगता है भगवत् विभूति रूप हो जाता है।

18. **वीरता**–वीरता शब्द का अर्थ कर्मठ होता है जिस मनुष्य में धर्म का यह लक्षण दिखाई देता है वह श्रेष्ठ वीर यज्ञादि कर्म में दक्ष होता है।

19. **तेज**–धर्म के इस लक्षण का अर्थ तेजस, तेजस्वी भाव में कहा गया है जिसकी आभा, कान्ति से चहुओर तेज फैल जाये जिसकी प्रतिभा की प्रशंसा दिक्–दिगन्तर तक फैली हो।

20. **बल**–बल शब्द का प्रयोग धर्म के लक्षण में ''बलते विपक्षान् हन्तीति'' अर्थ में लिया गया है अर्थात् शरणागत की रक्षा में बल का प्रयोग करना तथा अधर्म के विनाश के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है।

21. **स्मृति**–''अनुभूतविषयाऽसंप्रोषः स्मृतिः'' अनुभूत विषय ज्ञान अथवा अनुभव, संस्कार जनित जो ज्ञान की स्मृति होती है उसे स्मृति कहते हैं धर्म के लक्षणों में यह एक प्रधान लक्षण है जो व्यास, मनु, याज्ञवलक्य आदि ऋषियों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है इस कारण ये सब स्मृतिकार कहलायें।

22. **स्वतंत्रता**–स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त सुअवसर या परिस्थितियाँ प्रदान करना स्वतंत्रता का मतलब अनियंत्रित होना बिल्कुल भी नहीं है।

23. **कौशल**–''कुशलस्य भावः कर्म्म वा इति'' कौशल शब्द का अर्थ कुशलता होता है जिसके विषय में महाभारत ग्रंथ में कहा गया है ''दक्ष एव धर्मः'' अर्थात् दक्षता (कुशलता) धर्म का प्रमुख लक्षण है।

24. **कान्ति**–कांति शब्द का अर्थ 'सौन्दर्य' वैभव होता धर्म के लक्षण अर्थ में इसका प्रयोग मनुष्य के स्वभाव अर्थ में किया गया है कि धर्मशील मनुष्यों का स्वभाव सौन्दर्य युक्त शुभ होता है।

25. **धैर्य**–''धीरस्य भावः धैर्यः'' धैर्य धर्म का एक प्रमुख लक्षण है जिसका अर्थ धीरता धीरज होता है शास्त्रों में धर्म के इस लक्षण को प्रायः अधिक बार देखा जाता है क्योंकि स्थिर चित्त ही धैर्य है और प्रत्येक मनुष्य को धर्म के इस लक्षण को जीवन के हर मोड़ पर प्रयोग करना पड़ता है–श्री रामचन्द्र जिन्हें धर्म का स्वरूप कहा गया है उनकी जीवन गाथा ही उत्तम धैर्य का प्रमाण है।

26. **कोमलता**–धर्म लक्षणों में कोमलता का अभिप्राय 'मृदु, मृदुलता' है जिसमें यह लक्षण देखने को मिलता है वह मनुष्य मृदु भाषी होते है वे वाणी से भी किसी को आघात नहीं करते हैं।

27. **निर्भीकता**–निर्भीक होने की अवस्था ही निर्भीकता है धर्म के लक्षणों में प्रयोग होने का अर्थ भयहीनता है धर्मशील मनुष्य भयमुक्त होता है वह मृत्यु का भी भय नहीं करता है।

28. **विनय**–विनय शब्द का अर्थ ''प्रणति'' होता है धर्म के लक्षण अर्थ में विनय का अर्थ नम्रता से है धर्मात्मा मनुष्य ज्ञानार्जन के पश्चात् नम्र हो जाता है।

29. **शील**–धर्म के लक्षणों में शील का अत्याधिक महत्व है शील का संबंध चरित्र से है धर्मयुक्त मनुष्य शील सम्पन्न होता है।

30. **साहस**–यहाँ साहस का अर्थ–मन की दृढ़ता से है अर्थात् आत्मविश्वास धर्मात्मा मनुष्य प्रत्येक धार्मिक कार्य को आत्मविश्वास के साथ करता है।

31. **उत्साह**–अमरकोश ग्रंथ के अनुसार उत्साह शब्द का अर्थ, अध्यवसाय अथवा उद्यमः किया गया है अतः उद्यम (मेहनत) करना धर्म का लक्षण है।

32. **ओज बल**–धर्म के लक्षण में ओज बल का अर्थ ब्रह्मचर्य परख लिया गया है शरीर के प्रत्येक अंग और अवयवों में ओज व्याप्त होता है अतः ओज का यत्नपूर्वक रक्षण करना चाहिए।

33. **सौभाग्य**–यहाँ सौभाग्य शब्द का अर्थ परोपकारी, सबका मंगल चाहने वाला मंगलकारी संदर्भ में लिया गया है।

34. **गम्भीरता**–गम्भीरता शब्द का आशय मित्भाषी (कम बोलने वाला) है उचित तथा सारगर्भित वचनों को कहने वाला है।

35. **स्थिरता**–स्थिर होने का भाव, गुण या दशा उतावलापन न होना स्थिरता का मूलभूत् लक्षण है।

36. **आस्तिकता**–''अस्ति ईश्वर इति मतिर्यस्य'' जो ईश्वर और परलोक माना जाता है धर्म का यह लक्षण है वह आस्तिक माना जाता है धर्म का यह लक्षण धर्म के लक्षणों में विशेष माना गया है।

37. **कीर्ति**–कीर्ति का अभिप्राय पवित्र ''यश'' है धर्म का यह लक्षण जिस मनुष्य में स्थित होता है उसकी पवित्र कीर्ति पताखा दशों, दिशाओं में व्याप्त होती है उसकी चहुँ ओर प्रशंसा होती है।

38. **गौरव**–''उत्थानपूर्वक सत्कारः'' धर्म का यह लक्षण जिस मनुष्य में प्रगट होता है उसका अभ्युदय, उत्थान, अनायास ही हो जाता है उसे हर तरफ आदर सत्कार प्राप्त होने लगता है ''गुरुर्भावः कर्म्मवा'' जिसके कर्म पुण्यों से भारी हो जाये धर्म के इस लक्षण को गौरव कहते हैं।

39. **निरहंकरता**–अहंकार अन्तःकरण चतुष्टय में आता है तथा यह सूक्ष्य इन्द्रिय है इसे देखा नहीं जा सकता (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) धर्म का यह अति विशिष्ट लक्षण है इस लक्षण के आते ही मनुष्य कर्तायन के भाव से मुक्त हो जाता है यह अकर्ता का भाव ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग प्रसक्त करता है–जब तक मनुष्य कर्तायन का भाव रखता हे तब तक वह प्रत्येक कर्म के बंधन में बंधता जाता है–

''अहंकारविभूढात्या कर्ताहमिति मन्यते।।''[4]

अहंकार के वशीभूत होकर मूढ़ भाव को प्राप्त करके मनुष्य खुद को कर्ता मान लेता है जब तक यह अहंकार अन्तःकरण में रहता है तब तक मनुष्य धर्म के रहस्यों को भली–भाँति नहीं जान सकता और न ही कर्म बन्धनों से मुक्त हो सकता है इसलिए मनुष्य को प्रत्येक कर्म करते समय खुद को कर्ता न मानकर भगवान को ही कर्ता मानना चाहिए इससे वह कतीपन के भाव से मुक्त हो जाता है तब उसमें धर्म के इस लक्षण ''निरहंकरता'' का उदय होता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार से धर्म के विविध लक्षण कहे हैं। धर्म मनुष्यों के सुख के लिए है तथा धर्म के माध्यम से मनुष्य मर्यादा–अनुशासन के सूत्र में बंध जाता है शुभ कर्मों को ही करता है। धर्म मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु जीव, प्रकृति मात्र के लिए धर्म का एक अर्थ नियम भी है और मनुष्य कीट, पशु–पक्षी समस्त जीवों के कुछ आवश्यक नियम होते हैं और जब मनुष्य सत् प्रतिशत धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करता है तो उसे विविध धर्म के लक्षण प्रगट होते हैं उसी लक्षणों को धर्म का लक्षण कहा जाता है।

संदर्भ स्रोत :–

1. श्रीमद् भा.महा. 7/8–12
2. पद्मपुराण सृष्टि. 19/357–358
3. श्रीमद् भाग. 1/16/26–28
4. श्रीमद् भगवत् गीता 3/27

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 10th Sept. 22 Paper Accepted : 20th Sept. 22

संजीव के उपन्यासों में लोकपक्ष
(विशेष : पूरबी बयार)

❐ आशा त्रिपाठी*
❐ प्रो. दिनेश कुशवाहा**

शोध सारांश

संस्कृति हमारी सभ्यता की संवाहिका होती है। किसी राष्ट्र या देश की पहचान में उस देश की संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक संस्कृतियों से जुड़कर ही एक सम्पूर्ण संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृतियाँ एक ऐसा दस्तावेज होती हैं जो हमारी परम्परा को पुर्नजीवित करती है। इन्ही के माध्यमों से हम समाज की संस्कृति एवं सभ्यता को समझ पाते है।

साहित्य के निर्माण में लोक संस्कृतियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। रचनाकार जब साहित्य का सृजन करता है। तब वह कथावस्तु का चयन यथा संभव अपने समाज के उन पक्षों से लेता है। जिस पर सामान्यतः लोगों की नजर नही पड़ती है। जो घटना या क्रिया कलाप आमजन के लिये किसी काम के नही होते रचनाकार के लिए वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जब वह लेखनी के द्वारा समाज के सामने उसे वह, प्रस्तुत करता है। तब कहीं सामान्य व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो जाता है।

मूल शब्द– संजीव , लोकपक्ष, आदिवासियों, पूरबी बयार, उपन्यास।

व्याख्या– संजीव समकालीन समय के ऐसे ही रचनाकार हैं जिन्होने समाज के उन पक्षों पर लिखा। जिस पर लिखा तो गया किन्तु उनकी दृष्टि मे कुछ न कुछ छूट गया जिस पर लिखना जरूरी हो गया। उनके उपन्यासों एवं कहानियों में ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरी परिवेश तक का वर्णन है। संजीव की रचनाओं में हमे एक मिली जुली संस्कृति मिलती है। आदिवासी समुदाय का जब वे वर्णन करते हैं तब आदिवासियों के रहन–सहन, खान–पान, पहनावा आदि सभी का विस्तृत वर्णन करते चलते हैं। उनके तीज, त्योहार, गीत, लोकगीत सभी का वर्णन करते हैं।

संजीव के 'सूत्रधार' उपन्यास में आँचलिकता के साथ साथ भिखारी ठाकुर जैसे लोकनायक की जो छवि उभारी गई वह अद्भुत है। बेटी विदा होना की पीड़ा को लोक शैली में प्रस्तुत करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है।

'जंगल जहाँ शुरू होता है' उपन्यास में आदिवासियो थारू बालाएँ अपनी ही शैली मे नृत्य

* शोधार्थी (हिन्दी), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), मो. 8269881014
ई-मेल : ashatripathi130@gmail.com
शोध निर्देशक (आचार्य), विभागाध्यक्ष (हिन्दी विभाग), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रस्तुत कर रही है। रामनवमी के दिन लगने वाला सहोदरा माई की पूजा में सभी आदिवासी परिवार सहित बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, घोड़े, साइकिल, पैदल उस मेले मे सम्मिलित हो अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लेना चाहती हैं। संजीव के उपन्यासों में जादू, टोने, मंत्र टोटकों आदि का भी वर्णन है। जो कहानी को और यथार्थ परक बना देते है।

'पूरबी बयार' उपन्यास लोक संगीत पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमे महेन्द्र मिसिर जैसे लोक कलाकार को एक प्रतिष्ठित कलाकार में पंक्तिबद्ध कर दिया। उपन्यास में लोक गीत प्रचुर मात्रा में लिखे गये। उपन्यास पढ़कर यह लगता है कि संजीव को लोकगीतों से गहरा लगाव है। जैसे–

1. सूतल पिया के जगा दे कोइलिया तोरी मीठी बोलिया (पृ. 19)
2. अंगुरी में उसने बिया नागिनिया हे। (पृ. 21)
3. निदिया लागी मै सोई गई गुइयाँ (पृ. 57)
   खेलत रहती हम सुपली मउनिया ए ननदिया रे
   आयी गइले डोलिया कहार
   नाहि मोर लूर ढंग एको न रहनवाँ ।
   ए ननदिया मोरी रे
   लइके चलें ले ससुरार (पृ. 57–58)

यह उपन्यास महेन्दर मिसिर जैसे लोक कलाकार को विश्व पटल पर स्थान दिलाता है। उपन्यास की शुरुआत बिहार के मिश्रवलिया गांव से होती है। जहाँ पर महेन्द्र मिसिर का जन्म होता है। बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि न थी। पिता द्वारा बार–बार संस्कृत पढ़ने पर जोर दिया जाता रहा किन्तु महेन्दर की रुचि तो उस संगीत में थी जो दूर कहीं मंदिर से आ रही तबलों और ढोलकों की थाप में बंधी थी। महेन्द्र चाहते तो बहुत थे संगीत की दुनिया में जाना किन्तु परिवार की बंदिशे उन्हें रोक देती किंतु कब तक? अन्ततः भाग कर उस संगीत साधना से जुड़ जाते। जिसे संजीव इस तरह लिखते हैं–

''गुरु जी संस्कृत की ओर खींच रहे हैं।''
पिता शिक्षा की ओर।

मगर मन है कि लोकभाषा, गवनई, कीर्तन नाच, घोड़ा, गदका

अखाड़ा बनैठी और दण्ड–बैठक में लगा रहता है'' (पूरबी बयार पृ. 19)

यह उपन्यास महेन्दर मिसिर के बालपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक वर्णन किया। आर्थिक तंगी को झेलते हुये महेन्दर मिसिर कब पैसे छापने वाली कला से जुड़ जाते उन्हें एहसास ही नहीं होता। यह घटना उपन्यास में अल्परूप में उपस्थित है किन्तु कथाक्रम को आगे बढ़ाने में सहायक अवश्य हुई है। गोपीचंद जासूस पर महेन्दर मिसिर, का विश्वास तथा उसके द्वारा किया गया विश्वासघात पाठक को यह सीख देता है। निजता को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना व्यक्ति के लिए अधिक सुरक्षित रहता है।

इन सब घटनाओं के बावजूद भी श्रृंगार, रोमांस और विरह का जो चित्रण है वह अदभुत है। ''ढेलाबाई से प्रेम होने के बाद भी मालिक का नमक खाने की अदायगी कि ढेला बाई का अपहरण कर मालिक के हाथों सौंप दिया। वही ढेला बाई बाबू हलवन्तराय की कोठी पर गुलजारी बाई बन जाती है। ढेला बाई महेन्दर मिसिर को बार–बार कोसती और ठेस खाये हुये मन को जब भी मौका मिलता और कहती–

''बताओं तुमने मेरे साथ छल क्यों किया मेरे प्रियतमा मेरे प्यारे, तुम्हारी खुशी के लिए मैं जहर भी खा सकती थी गर तुम सच्चे बने रहते मेरे संग– बस! खैर जहर ही तो खा रही हूँ।'' (पृ. 74 पूरबी बयार)

संभवतः उस उपन्यास मे वह चीज प्रगट हो गयी जिससे संजीव के उपन्यास अछूते थे। सामाजिक बंधनों और मर्यादाओं को तोड़ते हुये महेन्दर मिसिर ने वह सब कुछ किया जो उनके मन को सुकून पहुँचा सके। पूरबी लोक गीतो की जो श्रृंखला उपस्थित है वह अन्यत्र नही मिलती । महेन्दर के पूरबीपन को संजीव जी कुछ इस तरह लिखते हैं–

''केसर बाई में दूसरे गीत का इसरार किया– निंदिया लागी मैं सोय गयी गुइँया।

महेन्दर के मन का स्वाद हल्का सा कड़ुवाया–

आपको मालूम है बाई कि मैं पूरबी गाता हूँ और लिखता हूँ। दूसरे के गीत नहीं। आपको पूरबी

या भोजपूरी सीखनी हो तो एक बात वरना मुझे इजाजत दीजिए। (पूरबी बयार पृ. 57)

लोक कला एवं लोक संस्कृति के सदैव पक्षधर रहे संजीव 'सूत्रधार' तथा 'पूरबी बयार' उनके दो ऐसे उपन्यास है जो बिहारी लोक कलाकार को साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठा दिलायी। 'पूरबी बयार' महेन्दर मिसिर के जीवन संघर्षो का वह दस्तावेज है। जिसमे प्रेम, प्रपंच, षडयंत्र, धोखा, आदि से जूझते व्यक्ति की कथा है। महेन्दर मिसिर का लोक कलाओं के प्रति जो रुझान था वह अतुलनीय है। वक्त तथा अर्थ की कमी ने उन्हें नकली नोट छापने की ओर मोड़ दिया। समाज, परिवार द्वारा उपेक्षित व्यक्ति आखिर करता ही क्या ?

किंतु उपन्यास में यह बात भी वार्णित है। महेन्दर मिसिर का साथ देने के लिए सभी तैयार थे। अंग्रेजी सरकार त्रस्त थी। किन्तु यह कार्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। बाबू हलवन्त राय द्वारा अगर अपमानित न होते और मंदिर बनवाने की प्रतिज्ञा न लिए होते तो कदाचित उस दुश्चक्र मे न फँसते। उनके एक आह्वान पर कोठेवालियाँ अपनी जान देने को हाजिर रहती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होने अपनी भागीदारी निभाई।

महेन्दर मिसिर के जीवन पर केन्द्रित यह उपन्यास अपने पूरबीपन तथा लोकगीतों की श्रृँखला प्रस्तुत करता है। महेन्दर मिसिर के जीवन के उन सभी पक्षों पर लिखा गया जिनसे समाज को अवगत कराया जा सके। संजीव की रचना को लिखने के पीछे का मूल कारण यह रहा कि लोक कलाकारों को पहचान दिलाना संजीव के दोनो ही उपन्यासों में लोकसंस्कृति एवं लोक कला के उन सभी पक्षों पर विचार किया गया जो समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते है।

निष्कर्ष–संजीव बाकी रचनाओं में भिन्न–भिन्न विमर्श और पक्ष अवश्य मिल जायगे। किन्तु लोक कलाकारों एवं लोकशैली को केन्द्र मे रखकर लिखा गया उपन्यास सूत्रधार और पूरबी बयार है। जिसमे पहला लोक कलाकार भिखारी ठाकुर पर केन्द्रित एवं दूसरा महेन्द्र मिसिर पर, ये दोनो ही कलाकार पूरब की भूमि बिहार से जुड़े। दोनो के संघर्ष तथा लोक कला के प्रति उनका समर्पण को संजीव ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है।

लोक कलाएँ समाज को आपस में बाँधने का कार्य करती हैं। लोकसंस्कृति किसी भी क्षेत्र विशेष की हो वह आमजन में एकता की भावना का विकास करती हैं। संजीव सदैव एकता के पक्षधर रहे। अपनी कहानियों में भी उन्होने सामाजिक संरचना तथा आज की आधुनिक जीवन शैली पर विचार किया। संजीव द्वारा लिखा गया यह उपन्यास विशेष है। जो हमे एक नई रचनाशीलता से परिचित कराता है। संभवतः संजीव का 'पूरबी बयार' उपन्यास लोककलाकार महेन्दर मिसिर की जीवनी हो सकती है। किन्तु लेखक द्वारा लेखन का जो संतुलन है वह अतुलनीय है। उपन्यास को पढ़ले समय पाठक को भटकाव नहीं होता। बहुत नई घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। उपन्यास रोचक है और पाठक को पढ़ने के लिये बाँधे रखता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. सूत्रधार – लेखक संजीव – राधाकृष्ण प्रकाशन
2. जंगल जहां होता है – राधाकृष्ण प्रकाशन
3. पूरबी बयार – लेखक संजीव – सेतु प्रकाशन

परिशिष्ट :– पूरबी बयार

1. पृ. 19
2. पृ. 21
3. पृ. 57
4. पृ. 57–58
5. पृ. 19
6. पृ. 74
7. पृ. 57

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 5.999
Paper Recieved : 15th Sept. 22
Paper Accepted : 20th Sept. 22

अनुसूचित जाति के महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन

❒ सरिता साकेत*
❒ डॉ. महानन्द द्विवेदी**

शोध सारांश

भारत की जाति व्यवस्था में समाज का आधार सीढ़ीनुमा है जिसमें समान ऊपर की ओर क्रमानुसार बढ़ता गया है। सामान्यतः जाति व्यवस्था में भाई चारे की भावना का अभाव पाया जाता है। यहाँ विभिन्न जातियों में हर जाति जातिगत रूप से आपस में भाई चारे का भाव रखती है किन्तु जातिगत से बाहर दूसरे के लिए भ्रातृत्व का कोई स्थान नहीं है। भारत में कोई भी सामाजिक शोध अध्ययन बिना जातिगत अध्ययन के सम्भव नहीं है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जाति है वह जाति से ही अपनी पहचान बनाता है। डॉ. अम्बेडकर का मानना है कि जाति और वर्ग की संस्कृति गरीब और अमीर के भेदभाव को पैदा करती है और यही ऊँच–नीच तथा मालिक और मजदूर जैसे समाज के स्थाई भागों का निर्माण करती है। यह संस्कृति सुविधा भोगी और सर्वहारा वर्ग का निर्माण करती है। यही वर्गों और जातियों के भेदभाव आपस में अत्याचार बिखराव, घमण्ड, अभिमान, लालच और स्वार्थ पैदा करते है और दूसरी ओर गरीबी, अपमान पतन, दासता को पैदा करती है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कभी भी पुरूषों के बराबर की नहीं रही है। स्त्री–पुरूष समानता के साथ ही समाज में महिलाओं की अपेक्षित भूमिका और व्यवहारिक भूमिका में सदैव विरोधाभास रहा है। शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं को तलाशने का प्रयास है।

मुख्य शब्द :– सतना, अनुसूचित, जातियों, सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तन, प्रभाव, सर्वहारा, महिला, भेदभाव।

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र), शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

प्रस्तावना :–

समाजशास्त्रीय अध्ययन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अध्ययन से सम्बंधित उत्तरदाताओं के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बंधित विशेषताओं का ज्ञान आवश्यक है। समाजशास्त्रीय अध्ययन सामाजिक सांस्कृतिक, प्रक्रियाओं, मनोवृत्तियों, व्यवहार प्रतिमानों के सम्बंध में जो प्राथमिक तथ्य प्राप्त करता है, जब अध्ययन में उत्तरदाताओं के सामान्य विशेषताओं का भली–भॉति ज्ञात हो। व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का उसके दृष्टिकोण और मनोभावों पर प्रभाव पडता है। लिंग आयु, सम्बंधी विभिन्नता, वर्गीय स्थिति में अंतर, शैक्षणिक उपलब्धि में पाये जाने वाली भिन्नता, व्यक्ति की मनोवृत्तियों व दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अतः सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन व विश्लेषण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के द्वारा प्रदर्शित किया है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और गतिशीलता, परिवर्तन व मानव व्यवहार में अत्यंत घनिष्ठ सम्बंध है। दुर्खीम (1912), पी.एन. सोरोकिन (1927), एण्डरसन (1961) बुओवर (1955) जिमसर व वैन्डिक्स (1959) मैकगुरी (1964) श्रीनिवास (1966) , स्टाव्कम (1967), हारपर (1968) ओ.एम. लिन्स (1969) और राव (1970) ने अपने अध्ययनों द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसके सामाजिक गतिशीलता में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है।

सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के विश्लेषण का एक पहलू अध्ययन की इकाईयों की परिचयात्मक जानकारी से सम्बन्धित तथ्यों के विश्लेषण से सम्बन्धित होता है। वस्तुतः सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत ईकाई से सम्बन्धित जिन समस्यात्मक पहलुओं का अध्ययन अभिलक्षित होता है, उनको समझने तथा उनके तथ्यात्मक विवेचन में इकाई की परिचयात्मक जानकारी से सम्बन्धित तथ्यों अत्याधिक महत्व होता है। वैसे भी परिचयात्मक जानकारी से सम्बन्धित तथ्य अध्ययन की इकाई की प्रकृति से सम्बन्धित तथा अध्ययन की इकाई की प्रकृति एवं विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक एवं विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जिससे इकाई से सम्बन्धित विविध समस्यात्मक पहलुओं को समझने एवं विश्लेषित करने में मदद मिलती है इस वास्तविकता को स्वीकारते हुए सामान्य रूप से प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता क्षेत्रीय स्त्रोत से अनुसंधान समस्या के विविध पहलुओं से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन करते समय इकाई की परिचयात्मक जानकारी से सम्बन्धित तथ्यों का भी संकलन करता है तथा तथ्यों के विश्लेषण के प्रारंभ में इन तथ्यों का विश्लेषण करके ही सम्पूर्ण संकलित तथ्यों के विश्लेषण का कार्य सम्पन्न करता है।

प्रस्तुत सामाजिक अनुसंधान में सतना जिले की चमार, बसोर, बेलदार, सुनकर, भंगी, मेहतर, बाल्मीक, जाटव, मोची, सतनामी, अहिरवार, रैदास, चिकवा, दहायत, धोबी, डुमार, खटीक, कोरी, कुम्हार, मदारी, नट, सपेरा, पासी आदि आरक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं की परिचयात्मक जानकारी के अन्तर्गत संकलित तथ्य महिलाओं की आयु, जाति, वैवाहिक प्रस्थिति, शैक्षणिक प्रस्थिति उनके परिवार की संरचना आदि पहलुओं से सम्बन्धित है। दुनियां में लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाता है किंतु समाज में पाए जाने वाले संसाधनों के आधे का भी लाभ नहीं उठा पाती है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के संबंध में यह दृष्टिकोण ओर भी संर्कीर्ण हो जाता है। सरकारी–गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक समरसता कार्यक्रम भी इन महिलाओं के विकास में सार्थक नजर नहीं आते है। यद्यपि अनुसूचित जाति की महिलाओं में षिक्षा का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ है जिस कारण उनके आचार–विचार व कार्यशैली में परिवर्तन संभव हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है।

जातीय संरचना :–

भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय हिन्दू सामाजिक व्यवस्था

पूर्णरूपेण जातीय संरचनाकृत है। हिन्दूओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण ही रहता है, क्योंकि खान–पान, शिक्षा, सामाजिक संपर्क, वैवाहिक संपर्क, पारिवारिक परिस्थितियों तथा आर्थिक कार्य विभाजन के अधीन प्रत्येक सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों पर इसका व्यापक व्यवहार परिलक्षित होता है। जाति का शास्त्रीय उद्देश्य होने के कारण सामाजिक स्तरीकरण में भारतीय जाति व्यवस्था अद्वितीय है।

प्राचीन काल में भारतीय जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी, किंतु कालान्तर में धीरे धीरे जाति व्यवस्था ने जन्म का आधार ले लिया। अनुसूचित जाति संरचना में चमार, कोरी, भंगी, बसोर, व कुम्हार समाज की संख्या ज्यादा है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने उत्तरदात्रियों की जातिगत परिस्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

तालिका क्रमांक – 1

उत्तरदात्रियों की जातिगत प्रस्थिति

क्रं. सं.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	चमार	23	46
2.	कोरी	20	40
3.	भंगी	4	8
4.	बसोर	3	6
योग		50	100

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सतना जिले के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जातियों के परिवारो से कुल 50 महिलाओं का चयन अध्ययन के लिए किया गया। इन में सर्वाधिक परिवार चमार समाज के होने कारण सर्वाधिक महिलाएँ इन्ही परिवारों से चयनित की गई इनकी संख्या 23 है जो कुल 50 महिलाओं का 46 प्रतिशत है। चमार जाति के परिवारों की संख्या के बाद कोरी समाज के परिवारों की संख्या है। इसलिए इन परिवारों से 20 महिलाएं अध्ययन के लिए चयनित की गई। जो कुल चयनित 50 महिलाओं का 40 प्रतिशत है। भंगी जाति के परिवारों की संख्या कम होने के कारण इन महिलाओं की संख्या कम है। इन जातियों की महिलाओं की संख्या क्रमशः 8 है। जो अध्ययन के लिए चयनित की गई। जो चयनित 50 महिलाओं का 3 का 6 प्रतिशत है।

आयु संरचना

हिन्दू मान्यता के अनुसार भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति को आयु के विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग दायित्व सौंपे गये है। आयु में अंतर के साथ साथ व्यक्ति की कार्य क्षमता, रूचि, दृष्टिकोण, दायित्वों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। वैसे तो यह माना जाता है कि अधिक आयु के व्यक्तियों को सांसारिक अनुभव कम आयु के व्यक्तियों से होता है, परन्तु शिक्षा, विज्ञान और तकनीकि ज्ञान के आधार पर वर्तमान समय में कम आयु के युवाओं को भी महत्व दिया जाने लगा है तथा यह मान्यता भी निर्मित हुई है कि युवा पीढ़ी देष कर्णधार पीढ़ी है जो कि प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने उत्तरदात्रियों की आयु का विश्लेषण किया है।

तालिका क्रमांक 2

उत्तरदात्रियों की आयु

क्रं.सं.	आयु समूह (वर्षों में)	उत्तरदात्री	
		संख्या	प्रतिशत
1.	20–30	17	34
2.	30–40	22	44
3.	40–50	9	18
4.	50–60	2	4
	योग	**50**	**100**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित महिलाओं की आयु 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है। सर्वाधिक महिलाएं 30–40 वर्ष की आयु समूह से सम्बन्धित है, एवं उनका प्रतिशत 44 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर 20–30 वर्ष के आयु समूह का वर्ग है, जिनकी संख्या 17 है एवं उनका प्रतिशत 34 प्रतिशत है तीसरा आयु समूह 40–50 वर्ष की महिलाओं का है। जिनकी संख्या 9 है एवं उनका प्रतिशत 18 है। चौथा आयु समूह 50–60 वर्ष की महिलाओं का है जिनकी संख्या 2 है एवं 4 प्रतिशत है।

शैक्षणिक स्थितिः–

आदिकाल से ही मानव द्वारा ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। मनुष्य की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया से व हस्तान्तरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गई है। ज्ञान की यह परम्परागत श्रृंखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य ने स्वयं की सामाजिक व आध्यात्मिक प्रगति की है। शिक्षा के द्वारा ही मानव ने अपना भौतिक व बौद्धिक एवं नैतिक विकास किया है। शिक्षा ही व्यक्ति को मानसिक विकास द्वारा उसे आदर्श व स्वस्थ नागरिक बनाती है। शिक्षा ही योग्य सामाजीकरण का प्रमुख साधन है शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है जोकि बाल्यकाल से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक चलती रहती है। उच्च शिक्षित व्यक्ति का प्रतिमान दृष्टिकोण व विचार करने का ढंग कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से भिन्न होता है अतः उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना जरूरी है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक परिस्थिति का विश्लेषण किया है।

तालिका क्रमांक 3

उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक प्रस्थिति

क्र.	महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	8	16
2.	अक्षरज्ञान	4	8
3.	प्राईमरी	3	6
4.	मिडिल	5	10
5.	हाईस्कूल	8	16
6.	इन्टर	9	18
7.	स्नातक	7	14
8.	स्नातकोत्तर	6	12
	योग	50	100

तालिका क्रमांक 3 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि चयनित 50 महिलाओ मे से 8 महिलाएं निरक्षर हैं जिनका प्रतिशत 16 है। 4 महिलाओं को मात्र अक्षर ज्ञान है जिनका प्रतिशत 8 हैं जिन्होंने केवल हस्ताक्षर करना सीख लिया है एवं थोड़े बहुत अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ने का प्रयास करती हैं। प्राइमरी व मिडिल तक पढ़ी हुई महिलाओं की संख्या क्रमशः 3 व 4 है। जिनका प्रतिशत 6 व 8 है। 8 महिलाएं हाईस्कूल तक तथा 8 महिलाएं इंटर तक पढ़ी है जिनका प्रतिशत क्रमशः 16 व 18 है। 7 महिलाएं स्नातक तक तथा 6 महिलाएं स्नात्तकोतर तक शिक्षित हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 14 व 12 है। इनमें से 2 महिलाऐं डॉक्टर 2 इंजीनियर व 1 वकील है।

पारिवारिक प्रतिमानः–

समाज में परिवार अत्याधिक महत्वपूर्ण समूह है मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संरचना है। समाज का संरक्षण और संवर्द्धन इसी पर अवलंबित

है। प्रत्येक व्यक्ति व समाज के लिए प्रमुख कार्यालय इकाई के रूप में परिवार द्वारा असीमित उत्तरदायित्व पूर्ण भाव से निवर्हन करने के कारण इसका योगदान अद्वितीय है।

समाज की प्रकृति एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक समाज में परिवार के कई स्वरूप सामने आये हैं। भारतीय परम्परागत में परिवार के कई स्वरूप सामने आये हैं। भारतीय परम्परागत समाज संयुक्त परिवारों के आदर्श को समाहित करता है। परन्तु वर्तमान समय में औद्योगीकरण व नगरीकरण बढ़ने से भारतीय समाज में परिवारों की स्थिति शनैः–शनैः प्रबल होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि आज भी भारतीय समाज में संयुक्त परिवार अस्तित्व में बना हुआ है।

प्रस्तुत अध्ययन में हमने उत्तरदात्रियों की पारिवारिक स्थिति को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। प्राप्त तथ्य निम्न सारणी में रख रहे हैं।

तालिका क्रमांक 4

उत्तरदात्रियों की पारिवारिक संरचना

क्रं.	पारिवारिक संरचना	उत्तरदात्री	
		संख्या	प्रतिशत
1.	एकांकी या मूल परिवार	29	58
2.	संयुक्त परिवार	21	42
	योग	**50**	**100**

अनुसूचित जाति की महिलाओं के परिवार की संरचना से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख तालिका क्रमांक 4 में किया गया है। अधिकांश महिलाओं जिनका प्रतिशत 58 प्रतिशत है के परिवार की संरचना एकांकी स्वरूप की है। 42 प्रतिशत महिलाएं संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। जहाँ तक परिवार के स्वरूप विशेष के प्रति लगाव और उसके महत्व की स्वीकृति की बात है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की वही स्थिति रही है जो स्थिति हृदय और प्राण की शरीर में होती है। कई पीढ़ियों और मूल परिवारों के सदस्यों का भिन्न शरीर और एक प्राण के रूप में एक होकर साथ–साथ जीवन–यापन करना संयुक्त परिवार की सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण विशेषता रही है। परन्तु औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण एवं इनसे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं ने संयुक्त परिवार के अस्तित्व में गहरा आधात पहुँचाया है। अब तेजी से एकांकी परिवारों का अस्तित्व प्रभाव में आ रहा है। यह प्रभाव शहर के सभी क्षेत्रों चाहे वह नगर का विकसित हिस्सा हो या गंदी बस्तियाँ में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह प्रभाव तेजी से फैल रहा है। परन्तु एकांकी या मूल परिवार के प्रभाव के व्यापक फैलाव के उपरान्त भी संयुक्त परिवार की आत्मा और अस्तित्व विद्यमान है। प्राप्त तथ्यों से इस अनुमान को बल मिलता है कि भविष्य में भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का अस्तित्व और उसके प्रति आस्था बनी रहेगी।

वैवाहिक स्थितिः–

विवाह भारतीय समाज की अनिवार्यता है विवाह ही परिवार एवं नातेदारी का आधार है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री व पुरूष परस्पर स्थायी संबंधों में बंधते हैं। हिन्दू मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनायें जागृत होती हैं। हिन्दूओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति पारिवारिक सुख पुत्र प्राप्ति सामाजिक एकता आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सामाजिकता की अनिवार्य स्थिति की दृष्टि से वैवाहिक दायित्वों की भागीदारी समान रूप से पति एवं पत्नी की है जो भारतीय परंपरा में ही नहीं अन्य समाजों में भी है पति तो जीविका के साधन जुटाने का कार्य करता है तो पत्नी मूलतः पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करती है।

प्रस्तुत अध्ययन में हमने उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के विष्लेशण का प्रयास किया है। प्राप्त तथ्य निम्न सारणी में रख रहे हैं।

तालिका क्रमांक 5
उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति

क्र.सं.	वैवाहिक प्रस्थिति	उत्तरदात्री	
		संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	32	74
2.	अविवाहित	3	6
3.	विधवा	2	4
4.	परित्यक्ता	7	14
5.	तलाकशुदा	6	12
	योग	50	100

तालिका क्रमांक 5 महिलाओं की वैवाहिक प्रस्थिति को प्रदर्शित कर रही है। अनुसंधान प्रतिदर्श से सम्मिलित महिलाओं में से 74 प्रतिशत महिलाऐं विवाहित हैं, इनमें सभी आयु की महिलाएं सम्मिलित हैं। 6 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है, जिनमें कुछ महिलाएं किसी कारणवश विवाह योग्य आयु होने पर भी विवाह बंधन में बंध नही पायी है। एवं कुछ महिलाएं उच्च तकनीकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अविवाहित है, एवं विलम्ब विवाह करने की इच्छुक हैं। 4 प्रतिशत महिलाएं विधवा एवं 14 प्रतिशत महिलाएं परित्यक्ता है इनमें 12 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक सांमजस्य न बैठने के कारण कानूनी तौर पर तलाक शुदा है। ये तथा इस वर्ग की महिलाओं की वैवाहिक प्रस्थिति से सम्बन्धित दशाओं और विशेषता को अभिव्यक्त करते हैं। हालांकि अधिकांश महिलाओं की वैवाहिक प्रस्थिति सामान्य पायी गयी है। परन्तु शेष 26 प्रतिशत महिलाओं की वैवाहिक प्रस्थिति से सम्बन्धित पाये गये तथ्य यह दर्शाते हैं कि इनमें से कुछ महिलाओं की प्रस्थिति भले ही बाहरी तौर पर समान दिखलायी देती है, परन्तु वह निशचित तौर पर विकृतियों अर्थात समस्याओं से युक्त है। 24 प्रतिशत महिलाओं का वैधव्य परित्यक्त या तलाकशुदा एवं अविवाहित जीवन जीने का तात्पर्य यह है कि ये महिलायें पुरूष के दुराचरण का शिकार बनती है।

निम्न जीवन दशा नशावृति एवं अन्य बुरी आदतों के प्रभाव से पुरूषों की जीवन प्रत्याशा न्यून होती जाती है। वे औसत आयु पूरी करने के पहले ही मृत्यु के शिकार हो जाते है और अपने पीछे जीवन साथी को विवश होकर वैधत्व जीवन जीने के लिए छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार या पुरुष बुरी आदतों एवं जीवन के प्रति निम्न सोच रखने के कारण ही अपने उग्र व्यवहार से अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं ये महिलाएं आए दिन घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। अन्ततांगत्वा जिसकी परिणति विवाह–विच्छेद एवं परित्याग से महिलाओं की ही जीवन दशा अपेक्षाकृत दयनीय होती है। पुरूष तो पुनर्विवाह या अन्य तौर तरीकों को अपना कर अपने जीवन को अनुकुल एवं सहज बनाकर जीने की व्यवस्था कर ही लेता है। विवशतायें और मजबूरियाँ तो महिलाओं के हिस्से के लिये छोड़ दी जाती है बहुत सी विवाहित महिलाएं ऐसी भी हैं। जो निरन्तर पतियों के क्रूर व्यवहार एवं प्रताड़ना से पीड़ित होती ही रहती है। यह बात अलग है कि वे समायोजन का प्रयास एवं पहल करते हुए अपने पतियों के साथ जीवन यापन करती रहती है।

उत्तरदाताओं का व्यवसाय :–

मानव आदिकाल से ही जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक क्रियाऐं करता चला आ रहा है आदि काल से ही अपना जीवन आरंभ कर आधुनिक औद्योगिक काल तक इस क्रियाओं करता आ रहा है। इस प्रकार व्यवसाय व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न होने के कारण वह अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनके साथ अनेक प्रकार की क्रियाऐं करता है और अंतः क्रिया करके उनके साथ संलग्न होता है उन्हे भी प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है स्वभावतः उनके दृष्टिकोण को और अभिवृत्तियों को निर्धारित करता है। इस कारण व्यवसायगत विभिन्नता व्यक्ति के दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं यह जानना आवश्यक था। अतः उक्त संदर्भ में उत्तरदाताओं के स्वयं या

उनके परिवारों का व्यवसायिक मूल्यांकन किया जा रहा है प्राप्त तथ्यों को हम निम्न सारिणी में रख रहे हैं–

तालिका क्र. 6

प्राप्त उत्तरदात्रियों की कार्यशील स्थिति की संख्या एवं प्रतिशत

क्र.	उत्तरदात्रियों की व्यवसायिक स्थिति	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	अध्यापन कार्य	4	8
2.	निजी व्यवसाय	5	10
3.	व्यवसायिक पेशा	4	8
4.	मजदूरी	7	14
5.	गृहकार्य	30	60
	योग	50	100

उक्त तालिका से प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि सर्वाधिक उत्तरदाता 60 प्रतिशत गृहणी है और केवल घर परिवार का ही कार्य करती हैं पर 18 प्रतिशत उत्तरदाता विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है इन उत्तरदाताओं में 14.00 प्रतिशत मजदूरी, 10 प्रतिशत निजी व्यवसाय, 8 प्रतिशत अध्यापन व 8 प्रतिशत अन्य सरकारी व गैरसरकारी संस्थानों में कार्यरत है।

प्राप्त तथ्यों के विशलेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने की स्वतंत्रता नहीं है और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण घरेलू व्यवस्था में ही इनकी क्रियाकलाप निर्धारित की गयी है व्यवसाय के क्षेत्र में यद्यपि महिलाऐं आगे बढ रही हैं फिर भी वह पुरूषों की अपेक्षा पीछे ही है।

परिवार की मासिक आयः–

आय के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, प्रस्थिति, संस्कृति, खान–पान, रहन–सहन व जीवन शैली में अंतर पाया जाता है। मनुष्य अपने जीवन स्तर को अधिक–से–अधिक उच्च स्तर पर लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, तथा अपनी मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसने कई साधनों (जैसे कृषि व्यापार, नौकरी आदि) का विकास किया है जिससे वह आय की प्राप्ति कर सके। सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय ही एक साधन होता है जो कि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता बल्कि समाज में प्रतिष्ठा, परिवार में महिलाओं की स्थिति, दृष्टिकोण, विकास तथा विचार धारा आदि को भी प्रभावित करता है।

तालिका 7

उत्तरदात्रियों की मासिक आय

क्रं.	मासिक आय (रूपयों में)	उत्तरदात्री	
		संख्या	प्रतिशत
1.	5000 से कम	19	38
2.	5000 से 10000	11	22
3.	10000 से 15000	9	18
4.	15000 से 20000	6	12
5.	20000 से 25000 के ऊपर	5	10
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका का अध्ययन उन 50 महिलाओं का है जो गृह कार्य के अतिरिक्त बाहरी कार्यों में संलग्न हैं। तालिका से सप्श्ट होता है कि 5000 से कम मासिक आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 19 है, जिनका प्रतिशत 38 है इनमें 11 महिलाऐं बाईयों के रूप में घरों व स्कूलों एवं अन्य कार्यालयों में काम करती हैं एवं 9 महिलाऐं प्रायवेट स्कूलों में प्राईमरी की शिक्षिकाऐं हैं 5,000 से 10,000 के बीच आय अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या 11 है, जिनका प्रतिशत 22 है इनमें 9 रोजनदारी महिला श्रमिका, 6 संविदा षिक्षिकाऐं व 5 के नीजी व्यवसाय हैं 10,000 से 15,000 हजार करे बीच आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 6 है जिनका प्रतिषत 12

है। इनमें 5 सरकारी स्कूल में नियमित शिक्षिकाऐं एवं 6 महिलाऐं निजी व्यवसाय में संलग्न हैं। 15,000 से 20,000 के बीच आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 5 है जिनका प्रतिशत 10 है। इनमें से 11 के निजी व्यवसाय एवं अन्य 5 महिलाऐं सरकारी कार्यालयों में में कार्यरत हैं। 20,000 से 25,000 या इससे अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या 6 है इनका प्रतिशत 12 है इनमें 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर व 1 वकील है।

व्याख्या :—

सर्वप्रथम शोध अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं की जातिगत प्रस्थिति का अध्ययन किया गया है। उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सतना जिले के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जातियों के परिवारो से कुल 50 महिलाओं का चयन अध्ययन के लिए किया गया। इन में सर्वाधिक परिवार चमार समाज के होने कारण सर्वाधिक महिलाएँ इन्ही परिवारों से चयनित की गई इनकी संख्या 23 है जो कुल 50 महिलाओं का 46 प्रतिशत है। चमार जाति के परिवारों की संख्या के बाद कोरी समाज के परिवारों की संख्या है। इसलिए इन परिवारों से 20 महिलाएं अध्ययन के लिए चयनित की गई। जो कुल चयनित 50 महिलाओं का 40 प्रतिशत है। भंगी जाति के परिवारों की संख्या कम होने के कारण इन महिलाओं की संख्या कम है। इन जातियों की महिलाओं की संख्या क्रमशः 8 है। जो अध्ययन के लिए चयनित की गई। जो चयनित 50 महिलाओं का 3 का 6 प्रतिशत है।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित महिलाओं की आयु 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है। सर्वाधिक महिलाएं 30—40 वर्ष की आयु समूह से सम्बन्धित है, एवं उनका प्रतिशत 44 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर 20—30 वर्ष के आयु समूह का वर्ग है, जिनकी संख्या 17 है एवं उनका प्रतिशत 34 प्रतिशत है तीसरा आयु समूह 40—50 वर्ष की महिलाओं का है। जिनकी संख्या 9 है एवं उनका प्रतिशत 18 है। चौथा आयु समूह 50—60 वर्ष की महिलाओं का है जिनकी संख्या 2 है एवं 4 प्रतिशत है।

उक्त प्रस्थिति तालिका क्रमांक 2 में षिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को प्रकट करती है। महिलाऐ तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रही है। स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा में व्यापक वृद्धि हुई है। 1883 में पहली बार एक महिला ने बी.ए. पास किया था । आज कला—विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेजों में लड़कियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रसार के कारण ही महिलाओं को बाल—विवाह पर्दा—प्रथा आदि से छुटकारा मिल सका है।

के.एम. पणिक्कर के अनुसार—स्त्री—शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली—झाड़ियों को साफ करना संम्भव हो गया है स्त्री—शिक्षा सभ्य समाज की आवश्यकता है। इससे दो परिवार शिक्षित होते है।

300 अनुसूचित जाति की महिलायें के शोध अध्ययन शैक्षणिक स्थिति निम्न प्रकार है। चयनित 50 महिलाओ मे से 8 महिलाएं निरक्षर हैं जिनका प्रतिशत 16 है। 4 महिलाओं को मात्र अक्षर ज्ञान है जिनका प्रतिशत 8 हैं जिन्होंने केवल हस्ताक्षर करना सीख लिया है एवं थोड़े बहुत अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ने का प्रयास करती हैं। प्राइमरी व मिडिल तक पढ़ी हुई महिलाओं की संख्या क्रमषः 3 व 4 है। जिनका प्रतिशत 6 व 8 है। 8 महिलाएं हाईस्कूल तक तथा 8 महिलाएं इंटर तक पढ़ी है जिनका प्रतिशत क्रमशः 16 व 18 है। 7 महिलाएं स्नातक तक तथा 6 महिलाएं स्नात्तकोतर तक शिक्षित हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 14 व 12 है। इनमें से 2 महिलाऐं डॉक्टर 2 इंजीनियर व 1 वकील है। तालिका—3 से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में भी उच्च शिक्षा के प्रति चेतना जागृत हुई है। परिवार समाज की आवश्यकता है समाज एक छोटा भाग ही परिवार कहलाता है। मनुष्य स्वभाव से परिवार में ही रहना पंसद करता है। आदिकाल से स्त्री—पुरूष दोनों साथ

रहते आये है। व्यक्तित्व विकास परिवार की संरचना पर निर्भर करता है। पहले परिवार कबीलों के रूप में दृष्टिगत होते थे। वर्तमान में संयुक्त व एकांकी परिवार दोनों ही प्रचलन है। नौकरी व्यवसाय आदि के लिए लोगों को दूसरे शहरों व देशों में जाना पड़ता है जिससे संयुक्त परिवार का विघटन व एकांकी परिवार में वृद्धि देखने को मिलती है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के परिवार की संरचना से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख तालिका क्रमांक 4 में किया गया है। अधिकांश महिलाओं जिनका प्रतिशत 58 प्रतिशत है के परिवार की संरचना एकांकी स्वरूप की है। 42 प्रतिशत महिलाएं संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। जहाँ तक परिवार के स्वरूप विशेष के प्रति लगाव और उसके महत्व की स्वीकृति की बात है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की वही स्थिति रही है जो स्थिति हृदय और प्राण की शरीर में होती है।

भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है तथा अनिवार्य है। विवाह धार्मिक कर्तव्यों, पारिवारिक सुख, वंश–वृद्धि सामाजिक एकता आदि उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। विवाह एक ऐसा सामाजिक बंधन है जो परिवार को जोड़ने के लिए प्रचलित थे जैसे बहम विवाह, राक्षस विवाह, स्वयवंर आदि। वर्तमान में विवाह अधिनियम बनाकर इसे एक सामाजिक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है।

तालिका क्रमांक 5 महिलाओं की वैवाहिक प्रस्थिति को प्रदर्शित कर रही है। अनुसंधान प्रतिदर्श से सम्मिलित महिलाओं में से 74 प्रतिशत महिलाऐं विवाहित हैं, इनमें सभी आयु की महिलाएं सम्मिलित हैं। 6 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित है, जिनमें कुछ महिलाएं किसी कारणवश विवाह योग्य आयु होने पर भी विवाह बंधन में बंध नही पायी है। एवं कुछ महिलाएं उच्च तकनीकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अविवाहित है, एवं विलम्ब विवाह करने की इच्छुक हैं। 4 प्रतिशत महिलाएं विधवा एवं 14 प्रतिशत महिलाएं परित्यक्ता है इनमें 12 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक सामंजस्य न बैठने के कारण कानूनी तौर पर तलाक शुदा है। समाज में विधवा विवाह व तलाकशुदा महिलाओं को पुनःविवाह की मान्यता न होने के कारण इनका जीवन कष्टप्रद होता है।

भारत में कार्यशील महिलाओं का इतिहास पुराना नहीं है। किन्तु महिलाओं ने सदैव घर व घर के बाहर खेत, खलियान, बागवानों में काम किया है। घरेलू कार्य के रूप में महिलाएं सदियों से सम्मिलित रही है किन्तु घर के बाहर कार्यशील होने में काफी समय लग गया है । वर्तमान समय में पुरूषों के समकक्ष महिलाएं भी कार्यशील है जिससे उनमें आर्थिक सुधार देखने को मिलता है।

शोध अध्ययन से पता चलता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 60 प्रतिशत गृहणी है और केवल घर परिवार का ही कार्य करती हैं पर 18 प्रतिशत उत्तरदाता विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है इन उत्तरदाताओं में 14.00 प्रतिशत मजदूरी, 10 प्रतिशत निजी व्यवसाय, 8 प्रतिशत अध्यापन व 8 प्रतिशत अन्य सरकारी व गैरसरकारी संस्थानों में कार्यरत है।

किसी भी परिवार की आय समाज में उसकी स्थिति को प्रकट करती है। वर्तमान समय में घर का खर्चा परिवार के एक सदस्य द्वारा चलाना सम्भव नहीं होता है अतः महिलाएं भी आर्थिक क्षेत्र में प्रवेष कर आय अर्जित कर रही है। महिलाओं द्वारा अर्जित आय से परिवार की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। तथा कार्यशील महिलाओं को समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है।

उपरोक्त तालिका का अध्ययन उन 50 महिलाओं का है जो गृह कार्य के अतिरिक्त बाहरी कार्यों में संलग्न हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि 5000 से कम मासिक आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 19 है, जिनका प्रतिषत 38 है इनमें 11 महिलाऐं बाईयों के रूप में घरों व स्कूलों एवं अन्य कार्यालयों में काम करती हैं एवं 9 महिलाऐं प्रायवेट स्कूलों में प्राईमरी की शिक्षिकाऐं हैं 5,000 से 10,000 के बीच आय अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या 11 है,

जिनका प्रतिशत 22 है इनमें 9 रोजनदारी महिला श्रमिका, 6 संविदा शिक्षिकाऐं व 5 के नीजी व्यवसाय हैं 10,000 से 15,000 हजार करे बीच आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 6 है जिनका प्रतिशत 12 है। इनमें 5 सरकारी स्कूल में नियमित शिक्षिकाऐं एवं 6 महिलाऐं निजी व्यवसाय में संलग्न हैं। 15,000 से 20,000 के बीच आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 5 है जिनका प्रतिशत 10 है। इनमें से 11 के निजी व्यवसाय एवं अन्य 5 महिलाऐं सरकारी कार्यालयों में में कार्यरत हैं। 20,000 से 25,000 या इससे अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या 6 है इनका प्रतिशत 12 है इनमें 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर व 1 वकील हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में सामाजिक न्याय संवैधानिक अधिकार, महिला कानून के बावजूद महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्नतर है। यह एक सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि आज महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। महिलायें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए यह स्थिति सामान्य है वे भी समाज में निरंतर आगे बढ़ रही है किन्तु पुरुषों के अधीन रहकर ही वे ऐसा कर पा रही है। महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता अधिकार कानूनन रूप से बहुत मिले है किन्तु उसका पालन बहुत कम किया जाता है इसलिए महिलायें आज भी स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इस ओर सरकार का जनहितकारी कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचे तभी अनुसूचित जाति के लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होकर समाज के मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ने के साथ उनके रहन–सहन एवं जीवन–यापन की शैली में परिवर्तन हो रहा है।

संदर्भ स्रोत :–

1. श्यामाचरण दुबे (1992)–परम्परा इतिहास बोध और संस्कृति राधाकृष्ण : नई दिल्ली
2. श्यामाचरण दुबे (1992)–संक्रमण की पीडा, वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली
3. श्यामाचरण दुबे (1994)–विकास का समाजशास्त्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
4. अमर कुमार (2006)–योगेन्द्र सिंह का समाजशास्त्र रावत पब्लिकेशंस जयपुर
5. एस0एल0 दोषी (2010)–भारतीय सामाजिक विचारक, रावत पब्लिकेशंस , जयपुर
6. रामशरण जोशी (2012)–आदिवासी समाज और शिक्षा ग्रंथ शिल्पी नई दिल्ली
7. योगेन्द्र सिंह (2002)–भारत में सामाजिक परिवर्तन संकट और समुत्थान परकता, जवाहर पब्लिशर्स
8. एम0एन0 श्रीनिवास (2011)–भारत के गॉव : (हिन्दी संस्करण) राज कमल प्रकाशन
9. एस0एल0 दोसी (2005)–भारतीय समाजः संरचना और परिवर्तन रावत पब्लिशर्स जयपुर पी0सी0 जैन
10. एम0एन0श्रीनिवास (1995)–यादों से रचा गॉव, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
11. जी0आर0मदन (2011)–परिवर्तन और समाज का विकास शास्त्र, विवके प्रकाशन, नई दिल्ली
12. श्यामाचरण दुबे (2005)–भारतीय ग्राम, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, हिन्दी संस्करण
13. राम आहूजा (2000)–भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशंस जयपुर
14. योजना के विभिन्न अंक।
15. कुरुक्षेत्र के अक्टूबर. 2017

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 15th Sept. 22 Paper Accepted : 20th Sept. 22

महिला बाल विकास में शासन द्वारा संचालित योजना की भूमिका

❐ अनुराधा त्रिपाठी*
❐ रजनी द्विवेदी**
❐ डॉ. एम.एन. द्विवेदी***

शोध सारांश

नारी का अपना समाज में एक अलग स्थान है। वह हर क्षेत्र में अब आगे आकर व हर कार्य को कर रही है। जो कार्य पुरुष करते थे या पुरुषों से अपेक्षा की जाती थी। आज वे सभी कार्य महिलायें भी कर सकती हैं। महिलाओं के विकास में शासन ने बहुत सी योजनायें संचालित की है, जिसका सभी महिलाओं को लाभ नही मिल पा रहा है। आज भी बहुत सी ऐसी महिलायें हैं, जो कुछ करना चाहती हैं पर उनके पास समय का अभाव होता है या फिर पाबंदी होती है या घर में इतना काम होता है कि वह और कार्यों के लिये समय नहीं निकाल पाती है, जिसके कारण आज भी महिलाओं की प्रगति रुकी हुई है। आज के समय की महिलायें हर क्षेत्र में आगे आकर सभी कार्यों को करना चाहती हैं, फिर चाहे कार्य जो भी हो। देश का विकास करने की भावना आज की महिलाओं में है और शासन भी उनकी इस इच्छा का सम्मान करती है और पूरा करने में महिलाओं को भरपूर योगदान दे रही हैं।

प्रस्तावनाः–

ऐसा नहीं है कि महिलायें इन मुद्दों तक ही खुद को सीमित रखना चाहती है। असलियत यह है कि पितृसत्तात्मक जीवन मूल्य हमारे संस्कारों में इस तरह से बस गये हैं कि हम अपने क्रियाकलापों से जाने–अनजाने उन्हें मजबूत ही बनाते हैं। इस स्थिति से न तो जीवन मूल्यों के दोगलेपन का एहसास होता है और न ही यह महसूस होता है कि वे मानव विरोधी है। यही कारण है कि 21वीं सदी के द्वार पर खड़े हुये इस देश में कई सदी अपनी तमाम खासियतों के लिये यह एक साथ मौजूद है, विज्ञान व टेक्नोलॉजी ने महिलाओं की परेशानी को बढ़ाया ही है। कन्या भ्रूणों की हत्या को इस परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में देखना चाहिए। महिलाओं की साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी और उनके शैक्षणिक जीवन में वृद्धि के बावजूद प्रसूति के दौरान मरने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ती जा

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (समाजशास्त्र), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
***प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शा. शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

रही है। इतना ही नहीं घर की सुरक्षित छत के नीचे उनको अपनों से ही खतरा बढ़ रहा है। स्त्रियों को अपमानित करने के नये–नये तरीके सामने आ रहे हैं। आँकड़ों की भाषा को यदि देश की आम स्त्री के जीवन चित्र में रूपांतरित किया जाये, तो यह प्रताड़ना, भेदभाव, असमानता, अत्याचार, उत्पीड़न व असुरक्षा के साथ बद से बदत्तर होती भयावह स्थिति महिलाओं का खाका प्रस्तुत करता है।

विकास के इतने भारी योगदान के बावजूद तीसरा दुनिया की नारी स्वास्थ्य, शिक्षा, उचित कमाई, जमीन का हक, कानूनी अधिकार व राजनैतिक शक्ति, बुनियादी अधिकारी से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आँकड़े 100 प्रतिशत सही है, क्योंकि इस बुनियादी हकों से वंचित महिलायें गरीबी व मजबूरी की जंजीर तोड़ेगी तो कैसे? यही कारण है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते भेदभाव के फलस्वरूप ही आज गरीबों में गरीब महिलायें ही हैं। कोई भी विकासशील देश अपने राष्ट्र की महिलाओं के पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक की आर्थिक योगदान को नकार नहीं सकता, चाहे आर्थिक उन्नति का प्रश्न हो या फिर बच्चों के कल्याण का मुद्दा, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की अहम भूमिका देखते हुये दावें के साथ कहा जा सकता है कि जिन–जिन देशों ने महिलाओं को ऊँचा दर्जा दिया है, उन सभी जगहों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनी है और राष्ट्र विशेष की आर्थिक प्रगति की रफ्तार में तेजी आई है। वास्तव में महिलाओं में भेदभाव का सिलसिला घर में नन्हीं सी बच्चियों या कन्या के जन्म से ही आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि माता के गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता लगाने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केन्द्र में कानून बन गया है, परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। इसी वजह से दहेज के दानव से बचने के लिये गरीब माँ–बाप जन्म से पहले ही कन्या के जीवन का अंत कर देते हैं, वैज्ञानिक उपलब्धियों ने लड़कियों के पैदा होने के अधिकार पर ही सवालिया निशान लगा दिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ''मूल अधिकार'' के संकल्प में महिला–पुरुष समानता को एक मार्ग दर्शन सिद्धांत के रूप में अपनाया है। गाँधी जी ने इस संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि ''महिलाओं का शोषण और दमन पुरुषों की हीन शिक्षा और महिलाओं द्वारा इन्हें स्वीकार किये जाने का ही परिणाम है'' स्वतंत्र भारत के संविधान में राष्ट्री आंदोलन की भावना के अनुरूप महिलाओं को न सिर्फ बराबरी का हक दिया गया है, बल्कि इनमें राष्ट्र को भी खास हक दिया गया है कि वह महिलाओं के हित में सकारात्मक उपाय अपना सकते हैं। इसके साथ–साथ संविधान में प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्त्तव्य माना जाता है कि वह ऐसी परम्पराओं को त्याग दे जो महिलाओं के मान–सम्मान की विरोधी है। वास्तव में भारतीय जनता ने राजनीतिक गुलामी से तो मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन वह गहरे तक व्याप्त रूढ़िवादिता से मुक्ती नहीं पा सकी है। संविधान लागू होने के 72 वर्ष बाद भी महिला और पुरुष के बीच गैर–बराबरी मौजूद है। है। आज भी महिला दोयम दर्जे की नागरिक है। महिला के साथ हिंसा और इनके यौन–शोषण के खिलाफ लड़ाई के तौर तरीके में नई धारा आ रही है। पिछले दो दशकों में उन कारकों को पहचानने और खोजने की निरंतर कोशिश की जा रही है, जो महिला और पुरुष की व्यावहारिक बराबरी के विरोध में है। ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओं, मान्यताओं और धार्मिक अनुष्ठानों को रेखांकित भी किया गया है, जो महिला और पुरुष की गैर–बराबरी को प्रोत्साहित करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्यः–

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य वर्तमान परिवर्तनशील समाज युग में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को कुछ महिलाओं के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, उससे उन्हें छुटकारा दिलाने के लिये शासन ने बहुत सी योजनायें लागू की हैं, जिससे महिलाओं का विकास हो सके और महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिये ऐसे बहुत सारे प्रतिमान है,

जिनका सहयोग लेकर महिलाओं कुछ नया कर सकती है–

प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है–

1. गर्भावस्था, बालिका–भ्रूण की पहचान करने पर रोक, महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत में 1/3 आरक्षण प्रदान करना और महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद शासन सहायता प्रदान करती है।
2. महिलाओं को अनैतिक कार्यों में दुरुपयोग करने वालों पर रोक लगाना।
3. महिलाओं के अश्लील प्रर्दान पर रोक लगाना।
4. सामान्य कार्य हेतु महिलाओं को पुरुषों के समान पारिश्रमिक का प्रावधान कराना।
5. विवाह में दहेज के लेन–देन पर रोक लगाना।
6. प्रसूति लाभ के लिये जो चिकित्सीय प्रमाण–पत्र की तिथि से मान्य कराना।
7. महिला कर्मचारी को अपने बच्चों को दूध–पिलाने हेतु आवश्यक रूप से अवकाश दिया जाना।

अध्ययन क्षेत्र का महत्वः–

प्रस्तुत शोध का महत्व महिलाओं के विकास में शासन ने महिलाओं के लिये बहुत सारी योजनायें व सुविधायें उपलब्ध करायी हैं, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म की महिला क्यों न हो, सभी को उन योजनाओं का शासन ने सामान्य अधिकार दे रखा है और यह उपयोगी भी साबित हुआ है। जो भी महिला कुछ करना चाहती है उन्हें शासन पूरी सुविधायें उपलब्ध कराती हैं, फिर वह कुछ कर सके और अपना और समाज का भला कर सके। इस तरह शासन बालिकाओं के लिये भी बहुत सारी सुविधायें उपलब्ध करायी है, जिसका अपने क्षेत्र में कुछ अलग ही महत्व है।

शोध प्रारूपः–

प्रस्तुत शोध पत्र में सतना जिले की महिलाओं व बालिकाओं को महिला बाल विकास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन 50 महिलाओं व बालिकाओं पर आधारित प्रस्तुत शोध पत्र में प्रश्नों की सूची बनाकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया गया है।

सारणी क्रमांक–01

विवरण	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	36	72.00
नहीं	14	28.00
योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 28 प्रतिशत बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी नहीं है। जिन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, उन्हें यह पता ही नहीं जबकि 72 प्रतिशत बालिकाएँ लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी रखती है।

सारणी क्रमांक–02

दृष्टिकोण	संस्था	प्रतिशत
सहमति	28	56.00
असहमति	6	12.00
अनिश्चित	10	32.00
योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 02 का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि आज भी 56 प्रतिशत महिलायें इस बात से सहमत है कि ऊषा किरण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ है जबकि 12 प्रतिशत महिलाओं ने असहमति जताई और 32 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण पर कोई मत प्रकट नहीं किया।

सारणी क्रमांक–03

विवरण	उत्तरदाता	प्रतिशत
समाज सेवा से	40	80.00
व्यक्तित्व निर्माण से	08	16.00
समय व्यतीत करना	02	04.00
योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 03 से विदित होता है कि एक तिहाई से ज्यादा 80 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि समेकित बाल विकास परियोजना समाज सेवा से संबंधित है। जबकि मात्र 04 प्रतिशत महिला उत्तरदाता इस परियोजना को समय व्यतीत करने से संबंधित मानती है। 16 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि समेकित बाल विकास परियोजना से व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

सारणी क्रमांक–04

विवरण	संख्या	प्रतिशत
मिल रहा है	35	70.00
नहीं मिल रहा है	10	20.00
जानकारी नहीं है	05	10.00
योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 04 से स्पष्ट है कि आज भी जिले में 70 प्रतिशत बच्चों को पोषण मिशन का लाभ मिल रहा है और 20 प्रतिशत को नहीं मिल रहा है और 10 प्रतिशत बच्चों को अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की जानकारी ही नहीं है।

सारणी क्रमांक–05

विवरण	संख्या	प्रतिशत
जागरुक है	37	74.00
जागरुक नहीं है	8	16.00
जानकारी नहीं है	5	10.00
योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 05 से स्पष्ट है कि हमने अपने सर्वे में पाया है कि आज भी जिले में 74 प्रतिशत बलिकायें सबला योजना के अंतर्गत जागरुक है और 16 प्रतिशत बालिकायें अभी भी जागरुक नहीं है एवं 10 प्रतिशत ऐसे बालिकाओं जिन्हें सबला योजना की जानकारी ही नहीं है।

सारणी क्रमांक–06

विवरण	संख्या	प्रतिशत
पूर्ण स्वास्थ्य	40	80.00
स्वास्थ्य	07	14.00
अस्वास्थ्य	03	06.00
योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 06 से ज्ञात है कि राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं के स्वास्थ्य में उत्तम स्वास्थ्य की 40 प्रतिशत बालिकायें हैं और 14 प्रतिशत स्वस्थ बालिकायें हैं और बाकी बची जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन बालिकाओं का प्रतिशत 06 है।

सारणी क्रमांक–07

विवरण	संख्या	प्रतिशत
लाभ मिल रहा है	30	60.00
लाभ नहीं मिल रहा है	20	40.00
योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 07 से विदित होता है कि समेकित बाल संरक्षण योजना का लाभ 30 प्रतिशत बच्चों को मिल रहा है वहीं 20 प्रतिशत बच्चों को योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

निष्कर्षः–

हमारे देश में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है पर बहुत ही कम जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि महिला को सभी जगह पर सम्मान मिले। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग है, जो महिलाओं की प्रगति नहीं देख सकते हैं और न ही उन्हें आगे बढ़ने देते हैं। आज भी कई क्षेत्रों में महिला पुरुषों की गुलाम है। वह वही करती हैं, जो उसे करने के लिये मजबूर किया जाता है। परन्तु वर्तमान समय में महिलाओं और बालिकाओं को शासन ने बहुत सारी सुविधायें उपलब्ध करायी है। जिससे उन्हें किसी के दबाव में न रहना पड़े। वह अपने मर्जी से पढ़ लिख सके और नौकरी, व्यावसाय एवं स्वरोजगार में अपने आपको प्रतिस्थापित कर समाज में सक्रिय सहभागिता का निर्वाहन कर सके और भी बहुत सारी योजनायें सरकार ने चलाई है, जिससे वह खुद भी कुछ कर सकती है, साथ ही ऐसी दुःखी महिलाओं की सहायता कर सकती। आज भी महिला पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। महिलायें वह सारे काम करती हैं जो पुरुष कर रहे हैं।

सुझावः–

महिला बाल विकास में शासन के द्वारा चलाई गयी योजनाओं के माध्यम से समाज की महिलाओं/बालिकाओं की स्थिति में काफी हद तक परिवर्तन हुआ है। महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ, समस्यायें काफी हद तक कम हुई है और भी कम करने का प्रयास इस अध्ययन के माध्यम से किया जायेगा।

स्वयं महिलाओं का मानना है कि शासन की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का निराकरण हुआ है। महिलाओं से चर्चा करने पर यह भी ज्ञात हुआ है कि जिन महिलाओं व बालिकाओं को योजनाओं के बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी, उन्हें भी योजनाओं का ज्ञान हुआ है। अंत में कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा चलायी गयी महिला बाल–विकास योजना के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं, जब हम इसमें पूर्णतः सफल होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. डॉ. (श्रीमती) मट्टू अनीता, सिंह डॉ. एन.एम. (2012) 'आधुनिक समाजशास्त्रीय निबंध पेज नं. 94, 95, 96। पत्र–पत्रिकाओंः–
1. नेट,
2. जिला सांख्यिकीय विभाग सतना (म.प्र.)
3. बढ़ते कदम बेहतर कल की ओर।
4. महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित योजनायें।
5. लाडली लक्ष्मी योजना।
6. बनी रहे मुस्कान।
7. सतना ने ठाना है कुपोषण मिटाना।

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 5.999
Paper Recieved : 10th Sept. 22 Paper Accepted : 20th Sept. 22

''लोक कल्याणकारी राज्य : जनोन्मुखी क्रियान्वयन एवं सहभागिता''

❐ रजनी द्विवेदी*
❐ डॉ. एम.एन. द्विवेदी**
❐ डॉ. रामनिवास पटेल***

शोध सारांश

'लोक कल्याणकारी राज्य' वास्तव में यह अवधारणा सबको पसंद है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध प्रचलित हुई यह अवधारणा आज दुनिया के अधिकतम राज्यों का आदर्श बन गयी है। टी.एच. ग्रीन को इस अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है तथा इंग्लैण्ड को पहला लोक कल्याणकारी राज्य की शुरूआत हुई और सरकार ने नियामिकीय कार्य के अलावा जन कल्याण के कार्य करने शुरू किये, जिसमें कृषि, पशुपालन, सिंचाई, खाद–बीज का वितरण, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाएं, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, लोगों के अच्छे जीवन स्तर के लिए ग्राम सड़क निर्माण, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, मध्यान्ह भोजन छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सहकारिता, बाढ़–सूखा पीड़ितों को अविलम्ब सहायता आदि जनोन्मुखी जिम्मेदारियाँ राज्य स्वयं के ऊपर ले लिया है जिसकी प्रशंसा जितनी ही की जाय उतना ही कम है। वास्तव में ऐसा ही राज्य से नागरिक अपेक्षा करते हैं, किन्तु इसका प्रभाव सकारात्मक तो हुआ है साथ ही नकारात्मक भी हुआ है, जिसमें जनता के कल्याण के बजाय क्रियान्वित करने वाले का कल्याण ज्यादा हुआ है। साथ ही जनता भी इसका सदुपयोग करने के स्थान पर दुरुपयोग की है तथा इसके मायने को समझने में न समझदारी दिखाई है।

प्रस्तावनाः–

आज समूची दुनिया से साम्राज्यवाद का अंत हो चुका है और साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन का सम्भवतः यही उद्देश्य ही था कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हो सके जो नागरिकों के जीवन को बेहतर से बेहतर बना सके और उन्हें आत्मनिर्भर तथा आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सके। उस राज्य के नागरिक जिम्मेदार और आत्मसम्मान का जीवन जी सकें। राष्ट्र ऐसा कार्य करे जिससे प्रत्येक वर्ग का कल्याण हो। राज्य में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग निर्भय होकर कर सकें, ऐसे अवसर उपलब्ध कराना राज्य का प्रथम

* शोधार्थी, शासकीय ठाकुर रण्मत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र), शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)
***सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान), शास. शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज, रीवा (म.प्र.)

दायित्व हो जाता है जिसका क्रियान्वयन राज्य मजबूरी में नहीं बल्कि अपना धर्म समझे तो राज्य के संसाधन का उपयोग पूर्णतः न्याय और समता पर आधारित हो और समूचे नागरिक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पानी आदि पूरी गारंटी के साथ प्राप्त हो सके। नागरिक अपने राज्य में खुशनुमा जीवन जिएं और उत्तरोत्तर तरक्की करें, उनके खुशी की अभिवृद्धि तथा कष्टों को न्यून किया जाय। राज्य से बीमारी, बेरोजगारी, भुखमरी, अज्ञानता तथा आश्रयाभाव का उन्मूलन हो तथा पुलिस राज्य का संचालन इस प्रकार किया जाय कि लोगों की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आये और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य किये जायं। राज्य का हर बच्चा स्कूल जाय, हर घर में स्वच्छ पीने का पानी एवं दोनों वक्त खाने के लिए खाद्यान्न ही हर आदमी का अपना मकान हो, हर आदमी राज्य के कार्यों में सहभागी होकर जनोन्मुखी कार्य ईमानदारी से लक्ष्योन्मुखी हो और हर कार्य का सार्थक परिणाम अवश्य निकले यही लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसके नागरिक खुले आसमान के तले स्वच्छ और खुली हवा ग्रहण करते हों, किन्तु आजादी के 75 वर्ष बाद भी जहाँ राज्य एक लोक कल्याणकारी राजय के रूप में कार्य कर रहा है इसके बावजूद भी अशिक्षा, भुखमरी, पेयजल की समस्या घातक बीमारियाँ आदि जैसी समस्याएँ हमारे पीछे हैं जिनका निदान कैसे होगा यह शोचनीय विषय है। इस शोध पत्र के माध्यम से उपरोक्त समस्याओं एवं लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व को समझने का प्रयास किया गया है।

लोक कल्याणकारी राज्य एक आधुनिक एवं अच्छे अभिशासन की संकल्पना है, किन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज विद्वान टी.एच. ग्रीन द्वारा यह अवधारणा विकसित कर दी गयी थी। इसीलिए ग्रीन को लोक कल्याणकारी अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है। इसके बाद आधुनिक राजनीतिक विचारकों में से लास्की ने सबसे पहले संसार का ध्यान पुलिस प्रशासन से हटाकर कल्याणकारी राज्य की ओर ले गये, परन्तु 'लोक कल्याणकारी राज्य' जैसे शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग आर्क विषय टैम्पिल ने अपनी कृत 'ब्पजप्रमद ंदक बैंतंबीउंद' में अधिनायकों के 'सत्ताधारी राज्य' शब्द के विरोध में किया। इसमें बीमारी, अज्ञानता,, गंदगी, गरीबी तथा बेकारी को दूर करने में राज्य की भूमिका की ओर संकेत किया गया। सन् 1943 में कार्ड विलियम बेवरीज की रिपोर्ट आई, जिसमें पाँच बड़ी बुराइयों की ओर संकेत किये गये– बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रयाभाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका का आग्रह किया गया। इसी बेवरीज रिपोर्ट को इंग्लैण्ड की एटली सरकार द्वारा लागू किया गया तथा इंग्लैण्ड विश्व का पहना लोक कल्याणकारी राज्य बना। आज इंग्लैण्ड में सामाजिक बीमा योजना लागू है। इस योजना के माध्यम से बूढ़े, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, विधवाएँ, बेकार लोग, योजना के अंतर्गत स्कूल में बच्चों को दूध देने, गर्भिणी और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को दूध और विशेष भोजन देने, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए अच्छी छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाएँ की गयी हैं। अन्य यूरोपीय देशों जैसे स्वीडन, नार्वे और डेनमार्क में विस्तृत कल्याणकारी योजनायें चालू हैं।

स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वशासित हुआ तब से अपना लक्ष्य बनाया– देश से बेकारी मिटाना, चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, बेकारों बूढ़ों बीमारों और अशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जना का जीवन स्तर ऊँचा उठाना तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी व अन्य सुविधाएँ प्रदान करना। अब प्रश्न यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य के ध्येय क्या है? उनके कार्य क्या हैं? उत्तर में कह सकते हैं कि एक समय राज्य के ध्येय पुलिसिया राज्य यानि के बल कानून व्यवस्था बनाये रखना हुआ करता था, जिसके स्थान पर राज्यों ने सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य करने शुरू किये जैसे–

अ. शांति और व्यवस्था की स्थापना

ब. कृषि, पशुपालन उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग का संवर्धन एवं व्यापार का नियमन एवं विकास

स. जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना

द. सार्वजनिक सुविधाओं जैसे– पेयजल, विद्युत, सड़क, निकासी, सिंचाई सुविधाएँ, परिवहन आदि की व्यवस्था करना;

ई. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना; आदि।

यानि राज्य पूर्णरूपेण जनोन्मुखी कार्य पूरी प्राथमिकता के साथ करता है तथा जन सहभागिता इसके क्रियान्वयन में होती है।

लोक कल्याणकारी राज्य (भारत) के सामने समस्याएँ

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और आजादी के बाद से लोक कल्याण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है यहाँ तक कि भारतीय संविधान के भाग–4 में नीति निदेशक तत्वों को स्थापित कर उनको पाने के लिए पूरी तरह खड़ी है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। कुछ समस्याएँ निम्नलिखित हैं, जिनका विश्लेषण तालिका के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया गया है–

1. बेरोजगारीः–

देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण हैं कृषि क्षेत्र में धीमा विकास, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण आर्थिक आयोजन, नये अवसरों की अपर्याप्तता। एन.एस.एस. की 66वीं रिपोर्ट[1] के अनुसार–

क्र.		ग्रामीण 2009–10	शहरी 2009–10	ग्रामीण 2004–05	शहरी 2004–05
1.	यू.पी.एस.एस.	1.6	3.4	2.0	2.3
2.	सी.डब्ल्यू.एस.	3.3	4.2	3.6	4.4
3.	सी.डी.एस.	6.8	5.8	6.6	8.2

2. निर्धनताः–

योजना आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2009–10 में निर्धनों की संख्या 3546.8 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 29.8 प्रतिशत है।2 2011–12 में स्थित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 38,005 तथा चालू मूल्यों पर 6,972 रुपये है।3

3. जनसंख्या विस्फोटः–

भारत एक जनसंख्या विस्फोट वाल गणराज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ हो गयी है जो विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है।4

4. महिलाओं के विरुद्ध हिंसाः–

लैंगिक दुर्व्यवहार अकेले दिल्ली में वर्ष 2010 में 2076 मामले दर्ज किये गये। प्रतिवर्ष 15 हजार से ज्यादा औरतें दहेज के नाम पर सतायी जाती हैं तथा औसतन 6000 प्रतिवर्ष औरतें दहेज हत्या की शिकार बनती है। औसत 42 लड़कियों का एक दिन में अपहरण किया जाता है।5

5. भ्रष्टाचारः–

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2011 के अनुसार 84 देशों की सूची में भारत का 67वाँ स्थान है जो बहुत ही खेदजनक है।6

6. मानवाधिकारः–

गरीब व निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों का सर्वाधिक हनन होता है। बाल श्रमिकों का नियोजन, बंधुओं मजदूर की प्रथा, आदिवासियों का शोषण, कार्यालयों, घरों तथा कार्य के अन्य स्थानों पर प्रायः यौन उत्पीड़न की घटनाएं घटती हैं। पुलिस अभिरक्षा में महिलाओं के शारीरिक शोषण आदि।7

7. अशिक्षाः–

जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता 74.04 प्रतिशत है जबकि अभी भी 25.96 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है। वैसे 74.04 प्रतिशत साक्षरता वास्तविक नहीं है यह एक औपचारिक आँकड़ा है। देश के कई हिस्से आज भी अशिक्षा के गर्त में हैं।8

8. जनस्वास्थ्यः–

मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग जैसी महामारी आज भी लाइलाज। भारत में 'सेव द चिल्ड्रन' के संयुक्त

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में नौ लाख नवजात शिशुओं ने पैदा होने के 1 माह के अंदर दम तोड़ दिया यानि भारत में शिशु मृत्यु दर उच्च है।9 अज्ञानता व अशिक्षा इसका कारण है।

9. खाद्य सुरक्षा तथा कुपोषणः—

दैनिक खाद्य उपलब्धता 2010 के अनुसार 438. 06 ग्राम है। जिसमें विगत वर्षों की तुलना में कमी आई है। उड़ीसा में आज भी कुपोषण से सर्वाधिक मृत्यु होती है।

10. प्राकृतिक आपदाएँः—

भारत को हमेशा किसी न किसी प्राकृतिक आपदाताओं से जूझना पड़ता है, प्रायः बाढ़, भूकम्प, सूखा, अकाल, तूफान, ओलावृद्धि, महामारी आदि भारत के किसी न किसी भाग में कोई न कोई आपदाएँ जरूर बनी रहती हैं। भारत में प्रतिवर्ष 2,672 लोग भूकम्प से, 1308 बाढ़ से, 8 सूखा, 104 भूस्खलन तथा 1219 व्यक्ति चक्रवात से हताहत होते हैं।10 (1967—2006) के बीच का आक्रकड़ा जनवरी 2021 तक कोरोना कोविड—19 से भारत में लगभग 1 लाख 323 लोगों की मौत हुई जो काफी भयावह था।

देश में चलाये जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाएँः—

विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए देश में कुछ मुख्य लोक कल्याणकारी योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण की योजनाएँ—

1. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सम्बद्ध कोचिंग योजना;
2. मैट्रिक के बाद विभिन्न छात्रावास;
3. लड़कियों के लिए छात्रावास;
4. पुस्तक बैंक योजना;
5. अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नीति;
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम;
7. आदिवासी सलाहकार परिषद्;
8. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रय स्कूल;
9. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायि प्रशिक्षण;
10. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद् (ट्राइफेड);

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाएँः—

1. परीक्षा पूर्व कोचिंग;
2. लड़के—लड़कियों के लिए छात्रावास;
3. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति;
4. मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति;
5. ओ.बी.सी. स्वयंसेवी संगठनों को सहायता;

महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रम

1. स्वयंसिद्धा;
2. स्वशक्ति परियोजना;
3. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम;
4. बालिका समृद्धि योजना;
5. विशेष कानूनः—
   - अ. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
   - ब. यौन उत्पीड़न का संरक्षण विधेयक 2005
   - स. दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961
   - द. सती प्रथा अधिनियम 1987
   - ई. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियमय 1990
6. जननी सुरक्षा योजना;
7. लाडली लक्ष्मी योजना (म.प्र.)
8. प्रतिभा किरण योजना (म.प्र.)
9. गाँव की बेटी योजना (म.प्र.)

ग्रामीण विकास एवं जन कल्याण योजनाः—

1. रोजगार गारंटी योजना;
2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना;
3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना;
4. जनश्री बीमा योजना;
5. आम आदमी बीमा योजना;
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना;
7. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008;

8. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि;
9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना;
10. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण;
11. निर्मल ग्राम योजना;
12. प्रधानमंत्री आवास योजना;
13. कृषि बीमा योजना;
14. सर्वशिक्षा अभियान;
15. वृद्धावस्था पेंशन योजना;
16. अन्नपूर्णा योजना;
17. दीनदयाल स्वास्थ्य योजना (म.प्र.)
18. नल–जल योजना।
19. इंदिरा गाँधी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम;
20. बाल आरोग्य मिशन (पोलियो उन्मूलन)।

इस तरह देखा जाय तो आज राज्य इतने सारे कार्यक्रम नागरिकों के लिए संचालित कर रही है जो राज्य के इतिहास में शायद ही कभी संचालित हुए होंगे। राज्य व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का जिम्मा खुद ले लिया है जन्म के समय माँ को प्रसूती सहायता की चिंता फिर बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य, पाँच वर्ष होने पर 14 वर्ष तक उसके प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था, स्कूल पहुँचने के लिए सायकल की व्यवस्था, स्कूल में किताबों की व्यवस्था, स्कूल में भोजन की व्यवस्था, फिर उच्च शिक्षा के कॉलेज की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था, शिक्षा लोन की व्यवस्था, शिक्षा पूरी होने पर रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए कम्पटीशन की तैयारी के लिये कोचिंग की व्यवस्था, नौकरियों में आरक्षण की उपलब्धता, उधर गरीबों के लिए राशन, मिट्टी का तेल उचित मूल्य पर, अन्य अशिक्षित बेरोजगारों के लिये 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता अनिवार्य करते हुए रोजगार गारंटी, अशक्त, वृद्धों के लिए पेंशन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेसहारा लोगों के लिये 25–25 किलो ग्राम अनाज प्रतिमाह नाममात्र के मूल्य पर उपलब्ध कराना। मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, किसानों के लिए खाद–बीज, सिंचाई की सुविधा यहाँ तक की कृषि बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूलय उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना। ऐसे कानूनों का निर्माण जिससे महिलाओं बच्चों सहित सम्पूर्ण नागरिकों की सुरक्षा पूरी प्राथमिकता के साथ हो सके। ग्रामीण एवं नगरीय विकास से संबंधित कार्य हर गाँव के लोग भी कर सके इसके लिए राजीव गाँधी ग्रामीण सघन विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। हर गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ग्रामवासियों को अपने सम्बन्ध में योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायत भवन का निर्माण। नागरिकों को छोटे–छोटे मामलों के लिए जिला स्तर पर दौड़ न लगाना पड़े इसके लिये ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना यहाँ तक कि आवासहीन व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराना भी राज्य अपने ऊपर ले रखी है। इतना ही नहीं गरीब परिवारों के लड़कियों की शादी कराना उन्हें स्वयं कन्यादान देना, उनके लिए मण्डल की व्यवस्था करना, त्वरित चिकित्सा के लिए आपातकालीन एम्बूलेंस चलाना। आग, बाढ़, भूकम्प, सूखा, भूस्खलन या अन्य दुर्घटनाओं में पीड़ितों की तुरंत सहायता करना जैसी अनगिनत योजनाएँ आज लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा चलाई जा रही है। वर्ष 2020 में जब कोरोना वायरस कोविड–19 की आपदा आई तब सरकार ने इसके लिए जनता के हितार्थ व्यापक पैमाने पर राहत कार्य किया तथा वैक्सीन का निर्माण कर जनता तक उपलब्ध कराया। जिसकी जितनी तारीफ की जाय उतनी ही कम है। वास्तव में राज्य अच्छी सरकार की पूरी अपनी भूमिका में है जो ऐसी कभी नहीं थी। ए.किंग ने वास्तव में सही ही कहा है कि ''एक समय था जब मानव दुनिया के संचालन के लिए ईश्वर की ओर देखता था और अब वह ईश्वर की ओर नहीं राज्य (शासन) की ओर देखता है।'' ए. किंग का यह कथन आज के लोक कल्याणकारी राज्य पर एकदम फिट बैठता है। मनुष्य का साथी आज राज्य है और मनुष्य अब पूरी तरह इस पर निर्भर हो गया है क्योंकि जन्म से मृत्यु तक राज्य का हाथ मनुष्य के सिर पर रहता है।

लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रभावः—

यह कहना एकदम सत्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य ने इस धरती पर मनुष्य के जीवन का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है और मनुष्य अब निश्चिंत जीवन जीने का पूरी तरह आदी हो गया है, मनुष्य की यही निश्चिंतता शासन, प्रशासन और मनुष्य को स्वयं बेखौफ भी बनाया है तथा हमारे सामने कई सवाल भी खड़े किये हैं। सवाल ये है कि क्या राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएँ उन हितग्राहियों तक पहुँच रही हैं, जिनके लिए बनायी गयी हैं? क्या इनका समुचित लाभ हितग्राही प्राप्त कर पा रहा है? क्या नागरिक आत्मनिर्भर होने के बजाय राज्य पर निर्भर होते जा रही हैं? कहीं ये योजनाएँ व्यक्ति को अकर्मण्य तो नहीं बना रही हैं? कहीं ये योजनाएं क्रियान्वयनकर्ता को तो नहीं लाभान्वित कर रही है? ढ़ेरों सारे ऐसे सवाल भी मन में पैदा होते हैं जिनका हल ढूँढ़ना जरूरी है।

संदर्भ स्रोत :—

1. भारत में रोजगार एवं बेरोजगार, 2009—10 एन.एस.एस.ओ. के मुख्य संसूचक
2. योजना आयोग रिपोर्ट 2011—12
3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (एन.एस.ओ.) की रिपोर्ट 2011—12
4. CENSUS of India 2011
5. नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट,
6. ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल रिपोर्ट, 2011
7. सामाजिक परिवर्तन, इंडिया टाइम ग्रुप
8. सेंसस ऑफ इण्डिया, 2011
9. क्रानिकल, अक्टूबर, 2011
10. फायनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एन.आई.डी.एम, 2009

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 15th Sept. 22
Paper Accepted : 20th Sept. 22

भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में योग-क्रियाओं, आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं शैल्य चिकित्सकीय शिक्षा से जुड़ी पद्धतियों का अध्ययन

❐ डॉ. कल्पना दीक्षित*

शोध सारांश

चिकित्सा शिक्षा का इतिहास बताता है कि तकरीबन सभी सभ्यता और संस्कृति ने बीमारियों के इलाज के लिए अपनी अलग प्रणाली विकसित की; हालांकि तरीके अलग–अलग थे। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही बीमारियों को रोकने, अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और लंबे जीवन को लेकर दिलचस्पी रही है। इस शोध पत्र में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ं योग–क्रियाओं, आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं शैल्य चिकित्सकीय शिक्षा से जुड़ी पद्धतियों का समावेश करने का प्रयत्न किया गया है।

मुख्य शब्द–चिकित्सा, ंयोग–क्रियाओं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, शैल्य, चिकित्सकीय, शिक्षा, रोग आदि।

प्रस्तावना :–

भारतीय शिक्षा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ पूरक चिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा जैसी शब्दावलियों का इस्तेमाल अक्सर स्वास्थ्य की दुनिया में व्यापक रूप से किया जाता है। पश्चिमी दुनिया और पूरब के देशों, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी जिन यों का जिक्र और इस्तेमाल होता है उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पारंपरिक चीनी चिकित्सा आदि शामिल हैं, जो चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के जरिये विकसित हुए हैं। पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक व मानसिक बीमारयों की रोकथाम, उसे समझने और इलाज की अलग–अलग देसी संस्कृतियों से जुड़े जिन सिद्धांतों, विधियां और अनुभवों का इस्तेमाल होता है, उसे ही पारंपरिक चिकित्सा, कहा जाता है।

पूरक चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा रू स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी वैसी परंपराएं जो देश की अपनी पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा नहीं हैं और प्रचलित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पूरी तरह से समाहित नहीं हैं। कुछ देशों में पारंपरिक चिकित्सा शब्द के बदले पूरक चिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही, एक साथ, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक व पूरक चिकित्साः इसमें दोनों शब्दों–पारंपरिक और पूरक का जिक्र किया गया है, जिसमें उत्पाद, प्रणाली और इस प्रणाली से इलाज करने वाले सभी शामिल हैं।

* लेक्चरर, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज, आरी, झाँसी (उ.प्र.)

इन तमाम शिक्षा पद्धतियों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो इसे पारंपरिक और पूरक चिकित्सा कहा जाता है। अलग–अलग प्रकृति के बारे में संक्षेप में जानकारी पेश करना, भारत में एएसएम की समीक्षा पेश करना, आगे की राह के बारे में सुझाव देना है, क्योंकि देश का मकसद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) यानि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ना है।

भारत में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा की समृद्ध विरासत रही है, लिहाजा इस लेख में इसके लिए चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियां जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारतीय/देसी प्रणालियां शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर आयुर्वेद और सिद्ध के अलावा भारत में विकसित नहीं होने वाली प्रणाली होम्योपैथी भी इस दायरे में है। इस लेख का मकसद (1) पुरातन काल में विकसित हुई चिकित्सा की चिकित्सा का इतिहास बताता है कि तकरीबन सभी सभ्यता और संस्कृति ने बीमारियों के इलाज के लिए अपनी अलग प्रणाली विकसित की; हालांकि तरीके अलग–अलग थे। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही बीमारियों को रोकने, अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और लंबे जीवन को लेकर दिलचस्पी रही है। प्राचीन काल में सभी समाजों और सभ्यताओं में चिकित्सा का अपना–अपना स्वरूप था मिस्र से जुड़ी; चीनी; भारतीय; मेसोपोटामियाई; यूनानी; रोमन और अरबी आदि। इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को संबंधित सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ईसा पूर्व 3,000 से 3,500 ईसा पूर्व के आसपास हर सभ्यता में चिकित्सा की अलग–अलग प्रणाली शुरू हुई, जिसने ईसा पूर्व 200 के आसपास एक–दूसरे को प्रभावित करना शुरू किया और 800 ईस्वी के आसपास अरब चिकित्सा के विकास के साथ इन चिकित्सा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर संयोजन देखने को मिला। वैज्ञानिक या आधुनिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 15वीं सदी के मध्य से हुई है। यह तकरीबन 4,500 वर्षों (2500 ईसा पूर्व) के दौरान तैयार हुई चिकित्सा की प्राचीन प्रणाली की बुनियाद पर विकसित हुई।

प्राचीन काल में चिकित्सा शिक्षा का विकास

भारतीय चिकित्सा शिक्षा : भारत में चिकित्सा शिक्षा की उत्पत्ति 3,000 ईसा पूर्व हुई। माना जाता है कि इस काल में आयुर्वेद की शुरुआत हुई। इसके अलावा, दवाओं की सिद्ध प्रणाली भी भारतीय प्रणाली है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का काल भारतीय चिकित्सा के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौर में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में आत्रेय, चरक और सुश्रुत जैसे दिग्गज ने महत्वपूर्ण कार्य । किए। इनमें से आत्रेय (तकरीबन 800 ईसा पूर्व) को पहला प्रमुख भारतीय चिकित्सक माना जाता है। चरक (200 ईस्वी) ने चरक संहिता लिखा और वह अपने समय के सबसे लोकप्रिय चिकित्सक थे। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा का पिता माना जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा (800 ईसा पूर्व 400 ईस्वी के बीच)। 800 ईस्वी के आसपास चरक और सुश्रुत संहिताओं का फारसी और अरबी भाषाओं में अनुवाद हुआ और भारतीय चिकित्सा पद्धति जापान के अलावा भारत–चीन. इंडोनेशिया, तिब्बत, मध्य एशिया में फैली। मिस्र की चिकित्साः मिस्र की सभ्यता चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उन्नत थी और माना जाता है कि इम्होटेप (2,800 ईसा पूर्व) के शासनकाल में चिकित्सा प्रणाली उन्नति के चरम पर थी।

चीनी चिकित्सा : 2,700 ईसा पूर्व से चीनी चिकित्सा के दस्तावेजी रिकॉर्ड हैं। उस वक्त की कुछ चिकित्सा परंपराओं का पालन अब भी विभिन्न स्वरूपों में किया जाता है। मेसोपोटामियाई चिकित्सारू मेसोपोटामियाई सभ्यता में बेबीलोन के राजा के नाम पर हम्मूराबी संहिता 2,000 ईसा पूर्व में तैयार की गई थी, जिसका मकसद स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सकों के लिए दिशा–निर्देश मुहैया कराना था।

यूनानी चिकित्सा– 460 ईसा पूर्व–136 ईसा पूर्व के दौरान यूनानी चिकित्सा का विकास अपने चरम पर था और यूनानी चिकित्सा में एसक्लियस (तकरीबन 1200 ईसा पूर्व) और हिपोक्रेटिस (460–370

ईसा पूर्व) यूनानी चिकित्सा में बड़े नाम थे। हिपोक्रेटिस या बुकरात को 'चिकित्सा का पिता माना जाता है और के नैतिक सिद्धांतों में उनके द्वारा तैयार किए गए मसौदे को अब भी मान्यता दी जाती है।

रोमन चिकित्साः रोमन चिकित्सा प्रणाली युनानी चिकित्सा से निकली है। रोमन के राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति नहीं राज्य को सर्वोच्च माना गया है और यहीं से सार्वजनिक स्वस्थ्य का विचार पैदा हुआ। रोमन चिकित्सा प्रणाली में रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर भी जोर था और यह सिर्फ रोगों के इलाज तक सीमित नहीं थी। साथ ही, यह उस वक्त के या पहले के दौर की अन्य चिकित्सा प्रणालियों से भी जुड़ा था। गैलेन (130–205 ईस्वी) मशहूर रोमन चिकित्सा शिक्षक थे, जिनकी शिक्षाओं का सिलसिला 16वीं सदी के मध्य तक चलता रहा, जब शारीरिक विज्ञान से जुड़े ज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति हुई। अरबी चिकित्सा (यूनानी चिकित्सा) : 500 ईस्वी से 1,500 ईस्वी तक रोमन चिकित्सा साहित्य का अरबी में अनुवाद किया गया। इससे बगदाद, डमस्कस और काहिरा में यूनानी चिकित्सा का जन्म हुआ। 800 से 1300 ईस्वी के दौर को अरबी चिकित्सा में स्वर्णिम युग कहा जाता है। अबू बकर (865 ईस्वी–925 ईस्वी) और इब्न सीना (980 ईस्वी–1037 ईस्वी) अरब चिकित्सा में दो बड़े नाम हैं।

20वीं सदी के मध्य में दवाओं के इस्तेमाल से इलाज की ऐसी पद्धति आई जो प्रतिक्रिया पैदा करता है और इससे बीमारी की स्थिति या इसके कारण का असर खत्म जाता है। धीरे–धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और इसे अब एलोपैथिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। एलोपैथी भारत और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में चिकित्सा का सबसे प्रचलित माध्यम है। अक्सर एलोपैथिक चिकित्सा के अलावा अन्य प्रणालियों को पारंपरिक, पूरक या चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियां कहा जाता है। भारत और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियां पिछले तीन दशकों में चिकित्सा की पारंपरिक और वैकल्पिक प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने के लिए काफी पहल की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च 1955 में भारतीय औषधि प्रणाली और होम्योपैथी का एक अलग और पूर्णकालिक विभाग बनाया था।

भारत में पारंपरिक/देसी/वैकल्पिक चिकित्सा विधियां –

आयुर्वेद चिकित्सा की आयुर्वेदीय प्रणाली का विकास तकरीबन 5,000 साल पहले (3,000 ईसा 'जीवन का विज्ञानश होता है और इसमें शुद्धीकरण, उपशमन, औषधि में विभिन्न आहार, व्यायाम बात है। हालांकि, आयुर्वेद चिकित्सा का इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए किया जाता है, पूर्व) हुआ। आयुर्वेद शब्द का मतलब और बीमारियों के कारकों से बचने की लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग रोग निरोधक मामलों और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। आयुर्वेद का भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और यह केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिसा में ज्यादा लोकप्रिय है।

यूनानी चिकित्साः यूनानी चिकित्सा की उत्पत्ति अरब के इलाके में हुई। हालांकि, बीतते वक्त के साथ इसने मिस्र, सीरियाफारस, भारत, चीन और मध्य पूर्व के अन्य देशों की समकालीन प्रणालियों से जानकारियों को ग्रहण किया। यूनानी चिकित्सा में मरीज का इलाज भोजन, व्यायाम, मसाज और सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। भारत में यूनानी चिकित्सा की शुरुआत 10वीं सदी के आसपास हुई और इसका इस्तेमाल फिलहाल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसे– इराक, राज्यों में होता है।

होम्योपैथीः 'होम्योपैथी शब्द यूनानी शब्द 'होमोइस' और श्पाथोजश से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रमशः श्एक ही तरह काश और 'तकलीफ' होता है। इसकी उत्पत्ति जर्मनी में हुई और यह भारत में 1810–1839 के आसपास आया। होम्योपैथी 'विष से

विष दूर होता है' के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रचलन कई देशों में है और भारत में यह चिकित्सा की दूसरा सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। होम्योपैथी का प्रचलन पूरे देश में है और यह उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, और उत्तर–पूर्वी राज्यों में ज्यादा लोकप्रिय है। हाल के वर्षों में होम्योपैथी की लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट हुई है।

गुजरात सिद्धः इस प्रणाली की उत्पत्ति भारत हुई और यह देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। यह मरीज, उसके परिवेश, उम्र, लिंग, नस्ल, निवास, आहार, भूख और शारीरिक स्थिति के आधार पर रोग का पता लगाता है। सिद्ध पद्धति में मरीजों के इलाज के लिए खनिज और खनिज पदार्थों जुड़ी दवाओं और अजैविक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति की प्रकृति मुख्य तौर पर उपचारात्मक है। सिद्ध साहित्य तमिल में है और इसका प्रचलन बड़े पैमाने पर देश के तमिलभाषी क्षेत्रों, केरल और विदेश में है। सोवा–रिग्पाः इस शब्द का मतलब 'आरोग्य का विज्ञान' है और यह दुनिया की बेहद प्राचीन और लिखित चिकित्सा परंपरा मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत से हुई और मुख्य तौर पर इसका उपयोग भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस में किया जाता है। भारत में इस पद्धति का प्रयोग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), धर्मशाला, लाहौल और स्पीति (हिमाचल प्रदेश) और लद्दाख क्षेत्र (जम्मू–कश्मीर) और दिल्ली के कुछ हिस्सों में किया जाता है। का इस्तेमाल अब जीवन की सभी परिस्थितियों में तर्कसंगत, योग और प्राकृतिक चिकित्सा : योग की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। योग सकारात्मक और आध्यात्मिक रवैया अख्तियार कर जीवनशैली को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। बीमारियों की रोकथाम और इसे कम करने और सेहत को बेहतर बनाने में योग की भूमिका को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। योग का प्रचलन देशभर में है और यह अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) इलाज की दवामुक्त प्रणाली है, जहां शरीर की स्व–आरोग्य क्षमता, अविषात्क्ता के अलावा सेहमतंद जीवन के सिद्धांतों के आधार पर प्राकृतिक तत्वों से इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े आम तौर–तरीकों में काउंसलिंग, भोजन और उपवास चिकित्सा, गीली मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, एक्युप्रेशर, एक्युपंक्चर, चुंबक चिकित्सा और योग चिकित्सा शामिल हैं।

नवंबर 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग कर दिया गया। नवंबर 2014 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र आयुष मंत्रालय बनाया गया। भारत सरकार ने 2002 में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी पर राष्ट्रीय नीति बनाई थी। पिछले कई वर्षों में इस दिशा में लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों में प्रदाताओं की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2017 के आखिर तक आयुष प्रणालियों के तहत राज्य और केंद्र सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य (केंद्र रेलवे, कोयला और श्रम मंत्रालय व शोध सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस); परिषद और राष्ट्रीय संस्थान) इकाइयों से जुड़े 3,943 अस्पताल और 27,698 डिस्पेंसरी थी।

मार्च 2018 में 7,73,668 आयुष चिकित्सक थे और इनमें ज्यादातर आयुर्वेद की विशेषज्ञता वाले और इसके बाद होम्योपैथ चिकित्सक हैं। आयुष प्रणाली के तहत स्नातक कोर्स कराने वाले 622 संस्थान (सालाना सीटों की संख्या 40,151) हैं और 201 संस्थान परा–स्नातक कोर्स (सालाना सीटों की संख्या 5,486) की पेशकश करते हैं। (सारणी 1)

भारत की मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा नीति में सेवाए सबैया बसने और कार्यबल समेत स्वास्थ्य के सभी रों पर आयुष को पूरी तरह से नीति से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। नीतिगत प्रस्ताव में कार्यस्थल,

को बढ़ावा देने के अहम माध्यम के तौर स्कूल और समुदाय में सेहत और तंदुरुस्ती पर योग को शामिल करने पर फोकस किया गया है। आयुष सेवाओं के उपयोग की हिस्सेदारी कुल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग का 5–10 फीसदी है (भारत सरकार 2014)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2015–16 में भारत ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को मिलाकर) पर 63,000 करोड़ रुपये खर्च हुए।

सारणी–1

भारत में पारंपरिक और वैकल्पिक संसाधनों की उपलब्धता और उत्पादन क्षमता (मार्च 2017)

चिकित्सा यॉं	पहले से रजिस्टर्ड चिकित्सक	स्नातक कोर्स		स्नातकोत्तर कोर्स	
		संस्थानों की संख्या	सालाना सीटें	संस्थानों की संख्या	सालाना सीटें
आयुर्वेद	42884	338	21387	135	4122
यूनानी	49566	49	2705	11	127
सिद्ध	8505	09	520	02	94
प्राकृतिक चिकित्सा	2242	25	1630	03	45
होम्योपैथी	284471	201	13909	50	1098
कुल आयुष	773668	622	40151	201	5486

स्त्रोत– नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया, 2018

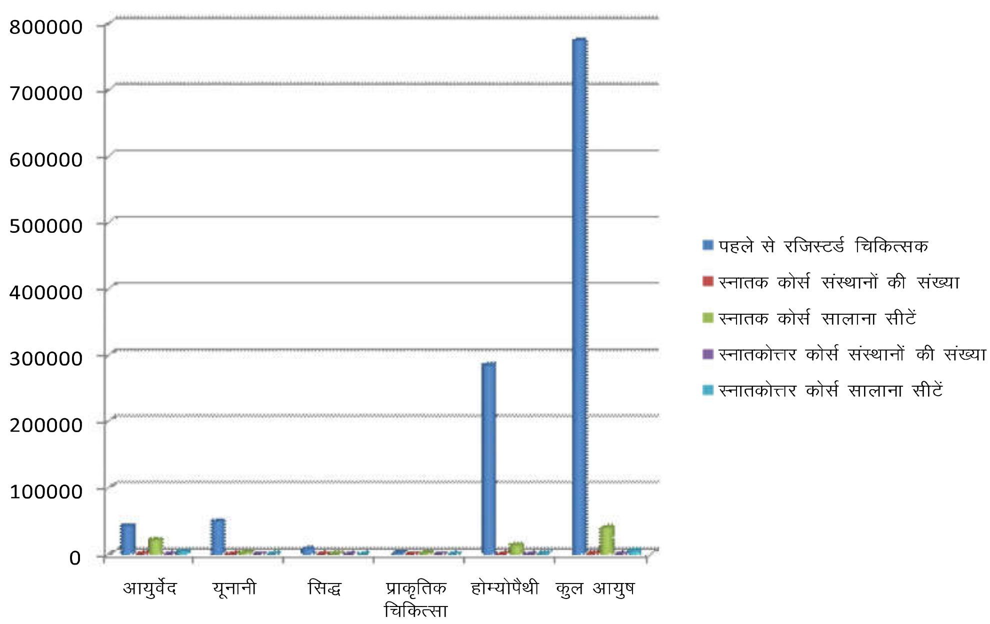

आरेख क्रमांक 1 भारत में पारंपरिक और वैकल्पिक संसाधनों की उपलब्धता और उत्पादन क्षमता (मार्च 2017)

भारत की मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मे सेवाएं मुहैया कराने और कार्यबल समेत स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर आयुष को पूरी तरह से नीति से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। नीतिगत प्रस्ताव में कार्यस्थल, स्कूल और मे सेहत समुदाय और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के अहम माध्यम के तौर पर योग को शामिल करने पर फोकस किया गया है। आयुष सेवाओं के उपयोग की हिस्सेदारी कुल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग का 5–10 फीसदी है।

किए, जो देश में 5,28,484 करोड़ कुल स्वास्थ्य खर्च का तकरीबन 12: है। विचार–विमर्श और आगे की राह चिकित्सा के क्षेत्र में एलोपैथिक व परंपरागत और पूरक स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच सहयोग मजबूत करने प्रमुख वजह परंपरागत और गैर–संक्रामक बीमारियों का बढ़ता बोझ है। भारत में राज्य स्तर पर बीमारियों को लेकर हुए अध्ययन में गैर–संक्रामक बीमारियों के बढ़ते बोझ की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें रोग निरोधक और संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऊंचे स्तर पर प्रावधान की जरूरत है। कई परंपरागत और पूरक चिकित्सा प्रणालियों (विशेष तौर पर आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी) में बड़े पैमाने पर सेहत और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है।

वैश्विक स्तर पर मौजूद चलन स्वास्थ्य प्रणालियों में कार्य को दूसरे माध्यमों में सौंपने की तरफ इशारा करते हैं। मसलन एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने वाले बाकी काडर को सौंपा जाए। संसाधनों की कमी वाले देशों में इस तरह की रणनीति काफी कारगर है। दरअसल, इसका मकसद श्डॉक्टर केंद्रित रणनीति से 'टीम आधारित' रणनीति की तरफ बढ़ना है, जहां हर तरह के प्रदाता (डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली, दवा निर्माता, काउंसलेर) अलग और पूरक भूमिकाएं निभाएं। भारत इस क्षेत्र में कुछ प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी काफी कुछ और किए जाने की जरूरत है और निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा की वैकल्पिक यों के सहारे चिकित्सकीय शिक्षा के तहत पहले से मौजूद मानव संसाधनों की सक्रियता को बढ़ने के बाद ही यह संभव हो सकेगा।

आयुष मंत्रालय का सृजन नवंबर 2014 में किया गया। आयुष विभाग का बजट वित्त वर्ष 205–16 से पहले का दिखाया गया है। आंकड़े भारतीय रुपये और करोड़ में हैं और वास्तविक खर्च का आंकड़ा वित्त वर्ष 2017–18 तक लिए संशोधित है और वित्त वर्ष 2018–19 के अनुमान और वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमान।

अभी इस सिलसिले में सभी स्तरों पर जो प्रयास चल रहे हैं, उसे सरकारी नेतृत्व और वित्त पोषण के जरिये समर्थन की जरूरत है। परंपरागत और पूरक चिकित्सा प्रणाली के अलग–अलग पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि लोगों को बेहतर ढंग से इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। योग और अन्य परंपरागत और पूरक चिकित्सा के असर को लेकर प्रकाशित शोधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों पर इसी तरह शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है। पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय नीति के जरिये ज्ञान का आधार तैयार करने; क्षमता निर्माण; गुणवत्ता के स्तर को और मजबूत करने समेत इस क्षेत्र में ज्यादा रणनीतिक तरीके से काम करने की जरूरत है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणाली को समग्र तरीके से शामिल करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा संबंधी देखभाल और यूएचसी को आगे बढ़ाने को लेकर भारत और वैश्विक, दोनों स्तर पर ध्यान दिया

जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में सभी स्तरों पर पहल की जरूरत है। यह तभी मुमकिन है, जब स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए परंपरागत और पूरक चिकित्सा क्षेत्र की संभावनाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग खुद से जागरूक तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सेवाओं का विकल्प चुनने में सक्षम हों।

प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रणाली और यूएचसी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना, गैर–संक्रामक बीमरियों के बोझ को समझना और पारंपरिक व पूरक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य संसाधन की उपलब्धता जैसे उपायों के जरिये भार सेहतमंद देश बनने की राह पर चल सकता है। इसके लिए रोग–निरोधक और रोग निवारक स्वास्थ्य सेवाओं की भी जरूरत होगी और परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली को पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों से जोड़ना होगा। देश के नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी हालत सुधारने और देश में यूएचसी को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के अधिकतम इस्तेमाल के लिए रणनीति तैयार करना मौजूदा वक्त की जरूरत है।

संदर्भ :–

1. भारत सरकार (2019) भारत का केंद्रीयबजट वित्त मंत्रालय। http% www.indiabudget.gov.in\
2. भारत सरकार (2019)। आयुष मंत्रालय 2019\http%@@ayush-gov-in@
3. भारत सरकार (2018) । नेशनल हेल्थ एकाउंट्स ऑफ इंडिया 2015–16; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली। लिंक–http%@ @nhsrcindia-org@ updates@ national &health&accounts&estimates&india & 2015 &16
4. भारत सरकार (2018) । राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018. http%@@www-cbhidghs-nic-in@ Write ReadData @ 1892s@ Before»> 20Chapter1-pdf
5. भारत सरकार (2014) 1 71वें राष्ट्रीय सैंपल सर्वे डेटा की रिपोर्ट : http%@@mospi-nic-in@sites@default@files@nationaldatabank@ ndb&rpts&71-htm भारत सरकार (2019)। भारत का केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय https%@@www-indiabudget-gov-in@
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2013)। डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2014–231 डब्ल्यूएचओ; जेनेवा 2013 : https%@@www-who-int@medicines@ publications@traditional@ trm&strategy14&23@en@
7. कुप्पुस्वामी मुदलियार के.एन., उत्तमारायन के. एस.., सिद्ध वैद्य तिरत्तु, 19998, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी, चेन्नई–600106 द्वारा प्रकाशित।
8. उत्तमारायन के.एस.., सिद्धर मारुतवांगा चुरुक्कम (1983), भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निदशालय, चेन्नई–600106 पृ. 1–382
9. http\\ayush.gov.in\
10. http\\siddhacouncil.in\

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 10th Sept. 22
Paper Accepted : 25th Sept. 22

अनुसूचित जाति की महिलाओं में सशक्तीकरण सामाजिक, आर्थिक चुनौतियाँ

❐ अनूपा साकेत*
❐ डॉ. महानन्द द्विवेदी**

शोध सारांश

अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति की बेहतरी के लिए कार्यरत सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों/एनजीओ/अनुसूचित जाति सेवा एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के द्वारा मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों और सरकार ने इन जातियों की बेहतरी के लिए और क्या कर सकती है ? इस बारे में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। इस शोध पत्र में उक्त अवधारणाओं को मूर्तिरूप देने का एक अभिनव प्रयास है।

मुख्य शब्द :– अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक रूप से चुनौती।

प्रस्तावना :–

संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत प्रावधान, सिविल अधिकार संरक्षा अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा हाथ से सफाई करने वालों को रोज़गार एवं सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के बावजूद छुआछूत आज भी वास्तविकता बनी हुई है। इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। कई राज्यों में हाथ से सफाई करने की परम्परा खुल्लम–खुल्ला या गुप्त रूप से आज भी कायम है। इसे तत्काल समाप्त किया जाए।

प्रवासी अनुसूचित जाति को उस राज्य में लाभ नहीं दिया जाता है जहां उन्होंने प्रवास किया है, कारण यह है कि जाति विशेष का नाम उस राज्य विशेष में वैध अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। मूल राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्रों को ऐसे राज्यों में वैध प्रमाण–पत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए जहां अनुसूचित जाति प्रवासित हुई है।

विशेष घटक उप–योजना का नाम विशेष घटक योजना के मूल नाम के रूप में बहाल किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति के विकास कार्यक्रम

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र), शासकीय एन.के.एस. (पी.जी.) महाविद्यालय, मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

प्रारंभ करने के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

एससीपी के लिए संसदीय अधिनियम के माध्यम से मिशन मोड पर मग्रेगा के अनुरूप संसद की स्वीकृति वर्तमान प्रणाली का विकल्प हो सकती है। कार्यान्वयन या प्रवर्तन के सभी प्रभारी कर्मचारियों (अनुसूचित जाति की ओर ध्यान दिए बिना) को असफलता और दोषों के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। सरकारी आदेश का पालन न करने पर अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

सांविधिक राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणों का एक वर्ष के भीतर गठन। आवश्यकता आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एससीपी निधियों की एकल विंडो प्रणाली सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण होना चाहिए। एससीपी निधियों को योजना अभिमुख लाभार्थियों, अनुसूचित जाति परिवारों में वितरण हेतु भूमि की खरीद, शिक्षा, आवास एवं स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य कोचिंग केन्द्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एनएससीडीए के माध्यम से तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा सेवा सुरक्षण कौशल विकास पर खर्च की जानी चाहिए।

आवासीय छात्रावास और विद्यालय खोले जाने चाहिए जिनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो। 14–18 वर्षों तथा 18–20 वर्ष की आयु वर्गों में सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में समग्र नामांकन अनुपात निम्नतर था। उच्चतर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर में सम्पूर्ण दर की तुलना में अधिक वृद्धि हुई ।

अनुच्छेद 330, लोक सभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान करता है। हाथ से सफाई करना, मैला ढोना, मृत जानवरों को हटाना, चमड़े का काम, ढोल बजाने के रूप में गंदे व्यवसाय की प्रथा प्रचलित है ।

अनुसूचित जाति महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से सोचनीय है। अनुसूचित जाति में महिला साक्षरता निम्न है। वे कठिन मजदूरी करती हैं तथा कृषि कार्य में संलग्न रहती हैं जिससे वे प्रमुख कार्य बल होती हैं। बाह्य कार्य के लिए घर से बाहर जाना तथा नियोक्ता के साथ बातचीत करने से उनके साथ यौन शोषण से सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। उदाहरणार्थ, 15 अनुसूचित जाति समुदाय जिनमें चमार, मोची, कुम्हार, मुशर, डोम, बसोर इत्यादि जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 60–70 हजार के आस–पास है उनकी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर की तुलना में 20 प्रतिशत या उससे भी कम है।

कृषि संबंधी जनगणना, 2007 के अनुसार, अनुसूचित जाति द्वारा कृषि जोत भूमि का हिस्सा उनके 20 प्रतिशत का कुल कृषि जोत भूमि 12.7 प्रतिशत का था। अनुसूचित जाति द्वारा प्रति जोतभूमि औसत क्षेत्र सभी सामाजिक वर्गों के लिए 1.4 हेक्टेयर की तुलना में केवल 0.91 हेक्टेयर ही था। अनुसूचित जाति अधिकांशतः कृषि मजदूर के रूप में हैं। कृषि मजदूरी के लिए ऊंची जाति के जमींदारों पर उनकी निर्भरता तथा चिरकाल तक अधीनता उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में जीने को बाध्य करती है। शौचालय और बिजली सुविधाएं निम्नतम थी क्योंकि 36.80 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो ग्रामों में रहती है वह गरीबी रेखा से नीचे रह रही है (अन्य 28.30 प्रतिशत)।

सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति के परिवारों में एनेमिक महिलाओं और बच्चों की उच्चतर प्रतिशतता तथा उच्चतर पौषणिकता का अभाव तथा अनुसूचित जाति की निम्नतर स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है।

अनुसूचित जाति के लिए आय की अधिकतम सीमा नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति में कोई क्रीमीलेयर नहीं है। इसलिए अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता के लिए आय मानदंड/सीमाओं को हटाया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सेवाओं की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के लिए मुख्यालय में एक

शिकायत निगरानी सूचना प्रणाली लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष ने न्यायपालिका में आरक्षण देने पर बल दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यभार के अनुकूल कार्मिकों की संख्या बढ़ाने और सभी रिक्त पदों को भरकर ही आयोग के कार्यकरण को सुदृढ़ किया जा सकता है। जिन राज्यों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या व्यापक रूप से अधिक है उनमें 8 नये राज्य कार्यालय खोलना तथा मौजूदा 4 राज्य कार्यालयों का उन्नयन भी इसके लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक मामलों की जांच–पड़ताल करने के लिए उपाध्यक्ष, सदस्यों और सिविल सोसायटी के अग्रगण्य व्यक्तियों की अध्यक्षता में निम्नलिखित 15 समितियों का गठन किया गया है जो निम्नानुसार हैं –

(i) अनुसूचित जाति पर अत्याचार संबंधी समिति।
(ii) एससीपी और एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों की प्रभावी उपयोगिता संबंधी समिति।
(iii) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास संबंधी समिति।
(iv) 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को पट्टा/भूमि आबंटन संबंधी समिति।
(v) न्यायपालिका में आरक्षण संबंधी समिति।
(vi) रोज़गार और आरक्षण संबंधी समिति
(vii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यकरण के सुदृढ़ीकरण संबंधी समिति।
(viii) छात्रवृत्ति/भुगतान/शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा।
(ix) अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए नवीकरण/नई योजनाएं।
(x) अनुसूचित जाति के अधिकारों/सुरक्षणों/योजनाओं की जागरुकता हेतु अभियान।
(xi) अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति से संबंधित समस्याओं की समीक्षा।
(xii) अनुसूचित जाति की सूची में दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को शामिल करने के मुद्दे पर अध्ययन।
(xiii) निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी समिति।
(xiv) सफाईकर्ता समुदाय की दशा में सुधार। हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना।
(xv) अनुसूचित जाति कर्मचारियों के लिए सुरक्षणों की समीक्षा।

अब तक निम्नलिखित समितियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं–

(i) पदोन्नति में आरक्षण
(ii) न्यायपालिका में आरक्षण।
(iii) हाथ से सफाई करने वालों, सफाई कर्मचारियों का सशक्तिकरण।
(iv) प्रवासी अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र जारी करना।

सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अत्याचार और सेवा सुरक्षण से संबंधित मामलों पर तथा संयुक्त सचिव ने अनुसूचित जाति के आर्थिक और विकास पर प्रस्तुतीकरण किया। (प्रस्तुतीकरण अनुबंध–2 और 3 पर है)

विचार–विमर्श के दौरान निम्नलिखित मुद्दों को भी शामिल किया गया।

सेवा सुरक्षणों पर.

(i) निजी क्षेत्रों में आरक्षण को सरकार द्वारा आरंभ करना चाहिए।
(ii) कम्पनी बोर्डों में अनुसूचित जाति सदस्यों को शामिल किया जाना।
(iii) राज्य और केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग क्षेत्रों इत्यादि में अनुसूचित जाति एसोसिएशनों को सामान्य यूनियनों के समकक्ष मान्यता।
(iv) पदों को समाप्त करने के लिए पद आधारित रोस्टर प्रणाली पर विचार करना चाहिए तथा रिक्ति आधारित रोस्टर को पुनः लागू किया जाना चाहिए।
(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्रों के स्थान पर एकल अखिल भारतीय जाति प्रमाण–पत्र प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
(vi) झूठे जाति प्रमाण–पत्र के धारकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर–

राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए पृथक बजट तैयार करना चाहिए। राज्यों में अनुसूचित जाति निधि का दुरुपयोग या अनुसूचित जाति निधि को अन्य कार्यों पर खर्च करने पर रोक लगानी होगी। सरकारी भूमि की पहचान करके उसे सिंचाई सुविधाओं के लिए सरकारी सहायता से खेती के लिए अनुसूचित जाति में वितरित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति को भूमि हकदारी का कार्य त्वरित गति से किया जाना चाहिए।

सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श अनुसूचित जाति गांव उपयुक्त होने चाहिए। निजी स्कूलों में आरक्षण होना चाहिए। स्कूलों को अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुसूचित जाति को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालयों/महाविद्यालयों और अस्पतालों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र में जाति का नाम का उल्लेख करने वाले कॉलम को हटा देना चाहिए। बेरोज़गार अनुसूचित जाति को प्रति माह कम से कम 3000.00 रुपए बेरोज़गार भत्ते के रूप में दिए जाने चाहिए। सभी सहायता अनुदान योजनाओं का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए ।

सिविल अधिकारों के संरक्षण तथा अत्याचार पर.

अधिकारी को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही करने पर अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधान के अन्तर्गत पदच्यूत किया जाना चाहिए। चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है अतः उसे हटाने पर विचार करना चाहिए। अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने चाहिए और ऐसे न्यायालयों में अन्य मामलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

अन्य सुझाव –

(i) आयोग को दी गई न्यायिक शक्ति सहित इसे विधिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट नियमित रूप से संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त तथ्यों के विचार–विमर्श को संक्षेप में दोहराते हुए, अपने वक्तव्यों पर संतोष जाहिर करते हुए आशा की जाती है कि एनजीओ, सिविल सोसायटी के सदस्य और अनुसूचित जाति के कल्याण एसोसिएशन अनुसूचित जाति के अधिकारों के प्रति ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है जिसे भविष्य की योजनाओं में शामिल कर अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने की पहल होगी तो समाज में अनुसूचित जाति महिलाओं का सशक्तीकरण से समरसता में सुधार होगा और सामाजिक विद्रूपताओं से छुटकारा मिल सकेगा और अनुसूचित जाति के लोगों में सुरक्षा की भावना जागृति उत्पन्न होगी और वर्तमान समय में उनके रहन–सहन में बदलाव देखने को मिलेगा जिससे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश की प्रगति में अपना मुख्य रूप से योगदान कर सकेंगा और सामाजिक ताना–बाना मजबूत होगा।

संदर्भ स्रोत :–

1. सेवा एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों/सदस्यों, एनजीओ और सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।
2. योजना के विभिन्न अंक
3. कुरुक्षेत्र पत्रिका के विभिन्न अंक।

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 15th Sept. 22 Paper Accepted : 25th Sept. 22

Yield Analysis of Isabgol (*plantago ovata* Forssk.) With Special Reference to Rewa District

❒ Dr. Ashish Dwivedi*

ABSTRACT

Isabagol popularly known as isabgol ki Bhusi or blonde psyllium blonde botanically known as **Plantago ovata** forsk belonging to the family plantaginaceae. It is annual herb and its height is 30 to 45 c.m. It is nearly Stemless softly hairy plant. Present paper deals with the production of seed or isabgol husk in the Rewa district. Isabgol absorbs moisture and forms a tasteless mucilaginous substance which constitute the drug. It has remarkable property as a thicker and also used for making Ice-creams.

keyword-HI(harvest Index), Sy (seed yield), q\hec. (quintal per hectare), By (biological yield)

Introduction

Isabgol commercially cultivated in Rabi season. India hold the monopoly both in production and trade of psyllium in the world. In India it is grown in North Gujrat, Rajasthan, and in scattered areas of Madhya Pradesh and Haryana . In India presently the cultivation area of this crop is nearly 70,000 hectare. it is sole exporter of isabgol seed and husk to the world market and about 80-90 % produce is exported. In Madhya Pradesh it is cultivated in Mandsaur, Ratlam, Neemach , Jaora, Dhar, Indore and some other scattered areas. It's yield is varying from 8 to 12 quintal per hectare.

Methods-seed yield (sy)- seed yield per plot for all the plots have been recorded and conversion in to quintal per hectare (qèhec.) by using common conversion factor.

Biological yield(by) **-** Addition of seed yield for every plot was made and there after converted into quintal per hectare by using common conversion factors while calculating by we can take only the above ground parts into consideration.

Harvest Index (%)- It is the ratio of economic yield to the total Biological yield expressed in percentage .It represents the efficiency of photo synthesis translocation to economic parts.(synder and carlson 1984)

$$HI(\%) = \frac{\text{economic yield}}{\text{biological yield}} \times 100$$

* **Guest faculty Botany, Govt. college Beohari district Shahdol**

Year 2020-21

	Seed yield q/hec.	Biological yield q/hec.	Harvest index%
plot A	9.18	70.15	13.08
plot B	10.75	68.37	15.72
plot C	10.36	65.39	15.84

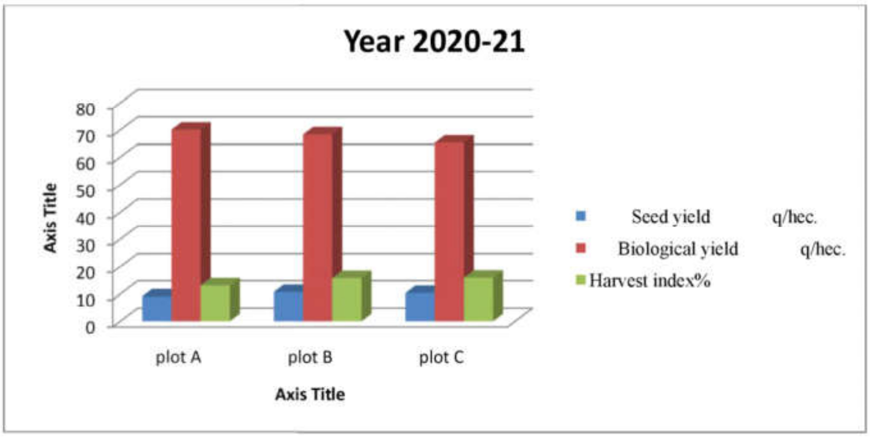

Year 2021- 22

	Sy(q/hec.)	By(q/hec.)	Hi %
plot A	10.16	61.23	16.59
plot B	10.89	62.47	17.43
plot C	10.63	63.85	16.64

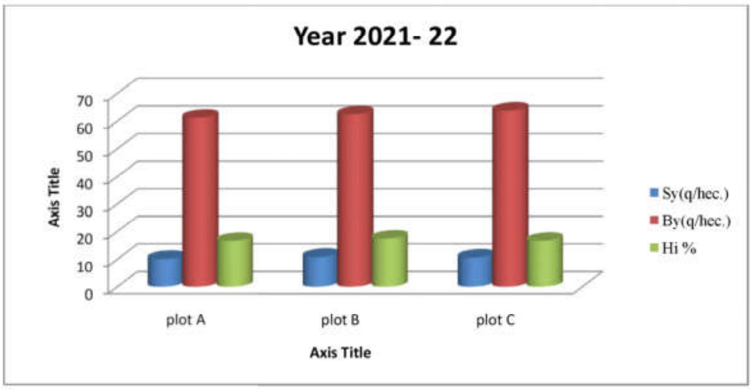

Observation & Results-

Seed yield -The result revealed seed yield at plot B is maximum 10.75q\hec. In the year 2020-21 and same in the year 2021-22 the plot B again show maximum yield 10.89q\hec.

Biological yield- The result revealed that maximum Biological yield was registered at plot A 70.15q\hec. In the year 2020-21 and in the year 2021-22 maximum Biological yield reported in plot C 63. 85q\hec.

Harvest Intex- The result revealed that maximum harvest index percentage have been reported in plot C 15.84**%** in the year 2020-21 and in the year 2021-22 plot B shows maximum harvest index 17.43**%.**

The present research study provide some very useful and important result for selection of isabgol crop the seed yield Biological yield and harvest index shows the future cultivation in Rewa district.

Reference-

1. Synder F.V. and G.E.carlson (1984) - selecting for partitioning of photosynthetic products in crops adv. agron 37:47-72
2. Watson D.J.(1952) the physiological basis for variation in yield adv. agron.4:101-145
3. yadav.R.D., G.K. Keshwa and S.S. Yadav (2003) - Effect of integrated use of FYM, urea and sulphur on growth and yields of isabgol journal of medicinal and aromatic plant science , 25: 268 -671
4. Yield and quality of Isabgol (Plantago ovata Forsk) as Influenced by Planting Geometry and Nutrient Levels under Eastern Dry Zone of Karnataka - June 2021 . International Journal of Environment and climae change DOI : 10.9734\ijecc\2021\v11430395.

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 15th Sept. 22 Paper Accepted : 25h Sept. 22

1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम : विजयराघवगढ़ के ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह

❐ डॉ. रचना कोरी*

शोध सारांश

1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी विजयराघवगढ के तरूण जागीरदार ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह थे। जिन्होंने आसपास के जागीरदारों को संगठित किया और 3000 सिपाहियों की सेना खड़ी कर ली उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि अधिकारी तहसीलदार को अपनी रियासत से हटा दिया और मिर्जापुर जाने वाले मार्ग पर पूरा अधिकार कर लिया तथा डाक के घोड़े रोक लिये। विजयराघवगढ़ जबलपुर के उत्तर में स्थित है उनकी सीमा और रीवा राज्य की सीमा छूती है। इस समय हुए स्वतन्त्रता संग्राम के घटनाक्रम को इस शोध पत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास है।

प्रस्तावना :–

प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानकारी हुई कि विजायराघवगढ़ के तरूण जागीरदार ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह ने आस–पास के जागीरदारों को संगठित किया और लगभग 3000 सिपाहियों के साथ अपनी सेना खड़ी कर ली थी। अंग्रेज अधिकारी को जब यह समाचार मिला तो उन्होने तत्काल अपनी सेनाओं को उनके खिलाफ भेजने का निर्णय लिया। पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लिखा है जबलपुर जिले के विद्रोही आन्दोलन के एक उल्लेखनीय नेता विजयराघवगढ के युवक और वीर ठाकुर सरयू प्रसाद थे। विजय राघवगढ कभी मैहर राज्य का अंश था।1 मैहर राज्य दो भाइयों में बंटा एक भाई को विजय राघवगढ ओर दूसरे को मैहर राज्य मिला।सरयू प्रसाद सिंह को 1865 ई. में गिरफतार कर लिया गया और उन्हे आजीवन कारावास का दण्ड मिला परन्तु उन्होने मार्ग में ही आत्मदाह कर लिया सरयू प्रसाद सिंह के अधिकार में जो भू भाग था उसका कुछ भाग रीवा और नागौद को प्राप्त हुआ।

बरौंधा के श्री दलगंजन सिंह

1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम में बरौंधा केन्द्र रहा क्यों कि रणमत सिंह के ग्राम पडरा के एक बाग मे दो ब्रिटिश अफसरों को मार दिया गया था। राज्य से विकट बदला लिया गया। बरौधा में दलगंजन सिंह की समाधि ब्रिटिश सेना द्वारा गोला बारी के प्रमाणों से युक्त है।

मनराज सिंह दुबे ठाकुर साहब

मिसिरगंवा श्री मनराज सिंह दुबे 1000 व्यक्तियों की एक फौजी टुकड़ी रखे हुये थे। 1857 में जब मिर्जापुर से रीवा गदर को समाप्त करने आई उसकी एक टुकडी ने रात्रि रास्ते में मिसिरगंवा में विश्राम किया, अपने

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास), शासकीय जे.एस.टी.पी.जी. महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.)

सिपाहियों के साथ मनराज सिंह ने उस टुकडी पर हमला कर उनके सभी हथियार छीन लिये और अंग्रेजी टुकडी को भगा दिया। वे अपना सा मुंह लिये मिर्जापुर वापस चले गये। उनके पन्ती श्री धर्मराज सिंह दुवे डिप्टी कलेक्टर निवासी रमकुड़वा तहसील मउगंज के यहां इस प्रकार का एक लेख उपलब्ध है।2

ठाकुर जगमोहन सिंह

ठाकुर जगमोहन सिंह सोनौरी; त्योंथर, के निवासी थे। ठाकुर रणमत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने कर्नल बेरिंग से टक्कर ली। इस लड़ाई में ठाकुर जगमोहन सिंह घायल हुए। उन्होने घुमन में भी अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। घुमन की गढ़ी के युद्ध में यहां के ठाकुर शहीद हुए थे।

ठाकुर गरूड़ सिंह एवं भरत सिंह

1857 में सोहागपुर में विद्रोह का स्वर बुलंद करने के लिए ठाकुर गरूड़ सिंह एवं उनके भाई भरत सिंह का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए उनके समक्ष अपनी स्वाधीनता घोशित करने का अदम्य साहस किया। सोहागपुर के विद्रोह को रीवा महाराज रघुराज सिंह का परामर्श प्राप्त था।

हारौल हरचंद राय

हारौल हरचंद राय महाराजा रघुराज सिंह के विश्वासपात्र थे। वे काफी लंबे समय तक रीवा राज्य के दीवान भी थे। अंग्रेजों के विरोध में वे ठाकुर रणमत सिंहए लाल श्यामशाह, हशमत अली, रणजीत राय दीक्षित आदि क्रांतिकारियों के प्रमुख साथी बनें और क्रांति की व्यूह रचना कर अंग्रेजों का प्रतिरोध किया।3

1857 की कान्ति के वीर सेनानी रणजीत राय दीक्षित

1857 की क्रांति के वीर सेनानियों में एक प्रमुख नाम रणजीत राय दीक्षित का है। रणजीत राय दीक्षित डभौरा के जागीरदार थे तथा क्रांतिकारियों को धन तथा बल दोनों से सहयोग देते रहे अगस्त 1857 में जब बाबू कुंवर सिंह रायपुर सोनौरी ठाकुर जगमोहन सिंह के यहां पहुंचे डभौरा के रणजीत राय दीक्षित ने ठाकुर रणमत सिंह को सुरक्षा प्रदान की और अंतिम दम तक ब्रिटिश सेना से लड़ते रहे और अन्त में अपने प्राण न्योछावर कर दिये। इस प्रकार 1857 ई. के स्वतन्त्रता आन्दोलन में विन्ध्य क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों ने इस आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की स्वतन्त्रता के लिये अपने आपको कुर्बान कर दिया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में देश के छोटे–छोटे रियासतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।4

स्वतन्त्रता आन्दोलन का द्वितीय चरण 1885–1947 तक

1885 से 1892 तक राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा उदारवादी एवं सुधारवादी थी। इस युग का नेतृत्व मध्यम वर्ग के ऐसे भारतीयों के हाथ में था जो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे। वैधानिक साधनों द्वारा शासन में सुधार के लिये प्रयत्नशील थी क्यों कि ब्रिटिश शासन ने न्याय और लोकतंत्र के विचारों में विश्वास था। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन को प्रभावशाली कर दिया। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के लिये अभिशाप और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये वरदान बन गया।1909 का मार्ले मिन्टों सुधार हिन्दू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने के लिये पृथक मुस्लिम निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था के रूप में 1909 के अधिनियम के रूप में पारित हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारतीयों का युद्ध में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति पर उनकी माँगे पूरी की जायेगी। 1915 में होमरूल आन्दोलन प्रारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य युद्ध में सहायता के बदले स्वशासन प्राप्त करना था।13 अप्रैल 1916 को होमरूल लीग की स्थापना इसके पश्चात् 1 सितम्बर 1916 को एनीबीसेन्ट ने मद्रास में अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की। होमरूल आन्दोलन एक वैधानिक संघर्ष था। यद्यपि शासन द्वारा आन्दोलन का दमन किया गया। फरवरी 1919 में भारत में केन्द्रीय विधानसभा में एक विधेयक रखा जिन्हें रौलट एक्ट या काला कानून कहा जाता है। यह एक्ट दण्डात्मक प्रतिबंधात्मक और सरकारी नियन्त्रण को विस्तार प्रदान करने वाला अधिनियम था। इसके पश्चात् 13 अप्रैल को जलियाँवाला बाग का भीषण नरसंहार हुआ जिसने समस्त देश को क्रोध और भय से भर दिया। 4 सितम्बर 1920 को

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। यहीं पर असहयोग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। यह कहा गया कि कांग्रेस की अहिंसक असहयोग की नीति तब तक चलेगी जब तक स्वराज्य की स्थापना न हो जायेगी और अन्याय दूर न हो जायेगें। असहयोग आन्दोलन के अर्न्तगत कार्यक्रमों में प्रमुख था सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों की स्थापना करना। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा स्वदेशी कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती थी।

गाँधी जी ने वर्ष 1922 में सामूहिक सविनय अवज्ञा कार्यक्रम तैयार किया इसके लिये गुजरात के बारडोली को चुना। जहाँ 8 फरवरी से भूमिकर अदा न करने के लिये सत्याग्रह किया जाना था। इसके पूर्व ही 4 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा निकाला गया कांग्रेस का जुलूस चौरीचोरा के निकट सड़क पर होकर गुजरा तो कुछ पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें गालियाँ दी। भीड़ उलट पड़ी पुलिस के सिपाहियों ने गोली चलाई थोड़ा सा गोलीबारूद जो उनके पास था, समाप्त हो गया और वे सुरक्षा के लिये थाने में चले गये। उस समय तक भीड़ अनियंत्रित हो गई और उसने थाने में आग लगा दी जिसमें सभी सिपाही मारे गये। अतः गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया।5

12 मार्च 1930 को गाँधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारम्भ हुई। 6 अप्रैल को गाँधी जी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। और सम्पूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन फैल गया, गाँधी जी ने इस आन्दोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया था। विद्यार्थी सरकारी विद्यालय छोड़ दें विदेशी वस्त्र जला देना चाहिये, गाँव–गाँव नमक बनाने का अभियान, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देना चाहिये तथा शासकीय कर्मचारी को नौकरी से त्याग पत्र दे देना चाहिये। सरकार ने इस आन्दोलन के प्रतिबन्ध के लिये दमन के अनेक कदम उठाये।

14 जुलाई 1942 के महात्मा गाँधी ने विचारों को क्रियान्वित करने के लिये वर्धा में बैठक की।7 अगस्त को पूरे दिन भर और देर तक रात्रि में भी समिति ने वर्धा में पारित किये प्रस्ताव पर विचार किया। मौलाना आजाद ने सभापतित्व किया और वर्धा के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहा कि भारत छोड़ो नारे का अर्थ भारतीयों के हाथों में संपूर्ण सत्ता हस्तांतरण से न्यूनाधिक कुछ भी नहीं है। 8 अगस्त को काँग्रेस महासमिति में दिये गये अपने भाषण में महात्मा गाँधी ने घोषणा की कि यह संघर्ष 'करो या मरो' का संघर्ष होगा। सरकार ने इस आन्दोलन के दमन की पूर्ण योजना तैयार कर ली थी। 9 अगस्त को रात्रि के तीसरे पहर में काँग्रेस के समस्त उच्चतम नेता महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकारिणी समिति के सदस्य तथा 20 अन्य नेता बंबई में गिरफ्तार कर लिये गये ले जाया गया और पूना राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से जनता अपना सन्तुलन खो बैठी। आन्दोलन हिंसक रूप ले ली। सरकार ने आन्दोलन का दमन करने के लिए लाठी चार्ज किए और मशीनगनों से गोलियाँ चलाई गई। 24मार्च 1946 को कैबीनेट मिशन भारत पहुँचा, निर्णायक चर्चाएँ हुई। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्ट्रेफर्ड क्रिप्स तथा ए. वी. अलेक्जेंडर विभिन्न राजनीतिक नेताओं के तर्को तथा दावों के साथ कई दिन तक उलझते रहे। 5 से 12 तक इस त्रिदलीय सम्मेलन ने एक योजना पर चर्चा की, जिसके अनुसार देश में तिमजिली शासन पद्धति प्रांत, प्रांतसमूह तथा संघ स्थापित होनी चाहिए। 12 मई 1942 केबिनेट मिशन दिल्ली आ गया 16 मई 1942 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित कर दी। यह योजना काँग्रेस व मुस्लिम लीग की माँगों का समन्वय थी इसीलिये दोनों ने यह योजना स्वीकार कर ली। जुलाई 1946 में केबीनेट मिशन योजना के अर्न्तगत संविधान सभा के लिये निर्वाचन हुये जिसमें काँग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया। यह देखकर जिन्ना को घोर निराशा हुई और मुस्लिम लीग ने यह योजना अस्वीकृत कर दी।6

मुस्लिम लीग ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सीधी कार्यवाही का आश्रय लेने का निश्चय किया। 16 अगस्त 1946 की तारीख निश्चित हुई। कलकत्ते के महान् हत्याकाण्ड की भयंकर घटनाए दूषित आन्दोलन का प्रत्यक्ष फल थी। अंग्रेजों ने यह

विचार किया कि यदि शीघ्र ही कुछ निर्णय न किया तो भारत की स्थिति खराब हो जायेगी।

23 मार्च 1947 को लार्ड माउंटबेटन के भारत आगमन के पश्चात् विभाजन को आधार मानकर उन्होंने कांग्रेस व लीग से वार्तालाप करके एक योजना बनाई। 18 मई को लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम परामर्श के लिए लंदन गये। वे 30 मई को भारत वापस लौटे दिल्ली में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया। 3 जून 1947 को माउण्टबेटन ने भारतीय समस्या को हल करने के लिए अपनी योजना पेश की। इस योजना के अनुसार भारत के बँटवारे को स्वीकार कर लिया गया। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में संविधान निर्मात्री परिषद की दिल्ली में बैठक हुई। दूसरे दिन प्रातः दिल्ली ऐतिहासिक लाल किले पर भारत का तिरंगा झण्डा फहराया गया।7

कांग्रेस की स्थापना एवं रीवा (1885–1890 तक)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। कांग्रेस की लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा इसके द्वारा देश के कोने–कोने में राजनीतिक चेतना जागृत करना, यह अपने अस्तित्व के प्रथम पाँच वर्षों में यह एक अग्रणी राजनीतिक संस्था बन गई। 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन श्री व्योमेशचन्द्र बनर्जी की और दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में कलकत्ता में हुआ वास्तव में इस अधिवेशन को ही कांग्रेस की वास्तविक क्रियाशीलता का श्रेय दिया जा सकता है। सन् 1885 से 1890 तक राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा उदारवादी एवं सुधारवादी थी। इस युग का नेतृत्व मध्यम धनिक वर्ग के ऐसे भारतीयों में केन्द्रित रहा ये वैधानिक साधनों द्वारा शासन में सुधार के लिये प्रयत्नशील थी क्यों कि इनका ब्रिटिश शासन के न्याय और लोकतंत्र के विचारों में विश्वास था।8

कांग्रेस की इस अत्यन्त उदारवादी एवं सुधारवादी विचारधारा में जिसमें उत्तरदायी शासन की माँग विधान परिषदों के निर्वाचित होने कार्यकारिणी परिषद के प्रश्न पूछने बजट पर बहस करने तथा सेना के भारतीयकरण की सीमित माँगे ही रखी गई थी किन्तु ब्रिटिश शासन इस उदार माँगों को भी स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस को एक शत्रुता पूर्ण संस्था समझने लगी थी। देशी राज्यों में जन–जागृत तो बहुत बाद में आई जब कि ब्रिटिश भारत में जन. जागृत सन् 1885 में ही शुरू हो गई थी। इसके दो कारण थे पहला यह कि कांग्रेस नेतृत्व की यह नीति थी कि अपना कार्य क्षेत्र ब्रिटिश भारत तक ही रखा जाए । उनकी सोच यह थी कि यदि भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त कर लिया गया तब राजशाही को समाप्त करना सरल हो जाएगा। दूसरा कारण देशी नरेशों ने अपनी जनता को कूपमंडूक बना कर रखा। राज्यों में न रेल निकलने दी न अखबार आने दिए और न ही कोई संगठन खड़ा होने दिया न ही कोई आन्दोलन खड़ा होने दिया। जब देशी राज्यों की प्रजा ने कांग्रेस नेतृत्व पर बहुत जोर डाला तब कहीं कांग्रेस नेतृत्व ने देशी राज्य लोक परिषद के गठन की अनुमति दी।

सन् 1885 ई. में देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय रीवा के नरेश व्यंकट रमण सिंह नाबालिग थे तथा रीवा दरबार का शासन अंग्रेजों के हाँथ था। महाराजा व्यंकट रमण सिंह के हाँथों में सत्ता आते ही राष्ट्रीय आन्दोलन को गति मिल गयी। जिसका प्रभाव रीवा राज्य पर भी पड़ने लगा। रीवा फौज के प्रधान सेनापति लाल बल्देव सिंह ने राष्ट्रीय आन्दोलन का खुलकर समर्थन किया।

स्वाधीनता आन्दोलन 1890–1900 तक)

अपने अस्तित्व के प्रथम पंद्रह वर्षों तक कांग्रेस पर नरमपंथियों का प्रभाव रहा जो सुधारों के लिए सवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे तथापि वे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के मुखर आलोचक भी थे। 1901 में प्रकाशित रमेशचन्द्र दत्त की रचना 'इकानामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर पर्याप्त जनमत जागृत दिया। दादाभाई नौरोजी ने 1891 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में भारत के आर्थिक दोहन एवं धन निष्कासन पर विचार दिया। यह नया युग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षितिजों में परिवर्तनों का युग था।

भारत के राष्ट्रीय जीवन में अकाल और सूखे की स्थिति रही। सर्वप्रथम अकाल 1995–96 तक पड़ा। जिसमें भीषण दुर्भिक्ष और महामारी यदि भारतीयों के उत्पीड़न और कष्ट का अद्भुत कारण था तो उससे भी अधिक दयनीय और कष्टप्रद तत्कालीन शासन की दुर्भिक्ष निवारण नीति थी। इसकी पुनरावृत्ति 1898–99 में हुई। सरकार ने अकाल पीड़ितों की कोई भी सहायता नहीं की। मृत्यु संख्या 3 लाख हजार तक पहुँच गई थी। कांग्रेस अधिवेशनों के मंचों से भी लगातार सरकार की त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीतियों की आलोचना हो रही थी तथा गरीबी और बेरोजगारी के लिए उसे ही दोषी ठहराया जा रहा था।

देश के राजनीतिक क्षितिज पर 1895 तथा 1900 के बीच तूफान के संकेत परिलक्षित हो रहे थे। 1895 के पूना अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों का एक वर्ग जो पश्चिमी सभ्यता की तुलना में भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ समझता था प्रभावशाली हो रहा था। 12 जून 1896 को पूना के प्लेग कमिश्नर मि. रैण्ड ने सैनिकों का दुरूपयोग किया जिसके फलस्वरूप श्री रैण्ड़ और लैफिटनेन्ट एमर्स्टन की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने पर लोकमान्य तिलक को 1897 में अठारह महीने की सजा दिया गया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों से सम्पूर्ण देश में क्रोध एवं प्रतिशोध की लहर फैल गई।

इस प्रकार से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि – 15 नवम्बर 1895 महाराजा वेंकटरमण सिंह को पूर्णरूप से राज्याधिकार प्रदान कर दिया गया। उनके शासन काल में 1895–96 ई. तक 1899–1900 ई. और 1907 ई. में भीषण अकाल पड़े। व्यंकटरमण सिंह ने राहत कार्य का प्रबंध करवाया और विकलांगों एवं वृद्धजानों को अन्न, वस्त्र, और रूपये प्रदान किये। साथ ही किसानों को बीज और तकाबी ऋण उपलब्ध करवाकर प्रजा वात्सल्य की मिसाल प्रस्तुत की। उनकी इस प्रकार की सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जी. सी. एस. आई. का खिताब प्रदान किया था।9

संदर्भ स्रोत :–

1. श्रलावेट हिस्ट्री ऑफ इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेन्ट, पृ. 107
2. श्सिरोल, इण्डिया ओल्ड एण्ड न्यू., पृ. 177–178 श्डी. जी. तेंदुलकर, महात्मा, द लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गाँधी, खण्ड 2 (बम्बई 1952) पृ. 100
3. के.आर. बम्बसाल, भारतीय शासन और राजनीति, पृ. 239–240 डॉ. अम्ला प्रसाद, द इण्डिया रिवोल्ट ऑफ 1942, पृ. 72–73 2
4. बी.पी. मेनन, द ट्रान्सफर ऑफ पावर इन इण्डिया, पृ. 294 बी.पी. मेनन, द ट्रान्सफर ऑफ पावर इन इण्डिया, पृ. 386
5. ए.एम. एण्ड एस.जी. जैदी (सं.) द इनसायक्लो पीडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, खंड 1 (एस. चंद एण्ड कं. नई दिल्ली 1976) पृ. 323
6. आर.सी. अग्रवाल भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, पृ. 76 पं. जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास की झलक पृ. 628
7. मध्यप्रदेश संदेश / 15 अगस्त 1987 / अ–183 । सन् 1875 ई. से 1895 ई. तक रीवा में सीधे अंग्रेजों का शासन था। उस काल को यहां श्सुपरिन्टेडेन्टी कालश कहा जाता है। यादवेन्द्र सिंह, रीवा राज्य का इतिहास, पृष्ठ 149
8. एग्नेस ठाकुर, मध्यप्रांत और बरार में दलीय राजनीतिक तथा स्वाधीनता आंदोलन (नई दिल्ली 1988), पृ. 2–3 फैजर दृ इण्डिया अन्डर कर्जन एण्ड आफटर, पृ.4 3 के. आर. बम्बाल भारतीय राजनीति और शासन, पृ. 75–76 श्प्रयागदत्त शुक्ल, क्रान्ति के चरण (नवचेतना प्रकाशन, जबलपुर 1976), पृ. 76–77
9. डॉ. अखिलेश, समाजवादी आन्दोलन, गायत्री पब्लिकेशन, 2002, पृ. 5

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 20th Sept. 22 Paper Accepted : 25th Sept. 22

महिला उत्पीड़न एवं विधिक प्रावधान : समकालीन परिदृश्य

❐ शीतल सूरोठिया*
❐ डॉ. सुनीति श्रीवास्तव**

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की समस्या एवं निराकरण का क्रमबद्ध विश्लेषण किया गया है तथा महिलाओं की भारतीय समाज में भूमिका एवं सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है। महिलाओं की प्राचीन काल में स्थिति से आधूनिक काल तक हुए परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। साथ ही विभिन्न संवैधानिक एवं नीतिगत प्रयासों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। महिलाओं की वर्तमान में बदलती हुई भूमिका एवं कार्य क्षेत्रों को दर्शाया गया है। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। साथ ही वैश्विक संगठनों द्वारा दिए गए वाक्यांशों को सम्मिलित किया गया है। महिलाओं की स्थिति में किये जाने वाले सुधारों, सामाजिक एवं नीतिगत मुद्दों को सम्मिलित कर महिलाओं के अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जाय, यह सुझाव भी शोध पत्र में समाहित किये गये हैं।

मुख्य शब्द :–समान सहभागिता, सामाजिक स्थिति, महिला उत्पीड़न, महिला उत्थान, राजनीतिक इच्छाशक्ति, लैंगिक भेदभाव एवं घरेलू हिंसा आदि।

प्रस्तावना :–

किसी भी समाज की उन्नत स्थिति में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिला की किसी समाज में सकारात्मक स्थिति एवं सम्मानजनक स्थिति एक समृद्ध एवं विकसित समाज का द्योतक होती है। विकसित समाज में महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का अधिकार प्राप्त होता है साथ ही सामाजिक रूप से समानता की स्थिति प्राप्त होती है।

भारत में भी महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में सम्मानजनक रही है। वैदिक काल में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्री को सुख संपत्ति, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक के रूप में निरूपित किया गया है भारतीय समाज में स्त्रियों की समान सहभागिता एवं विशेष स्थान व सम्मान की गौरवपूर्ण परंपरा रही है जो भारतीय संस्कृति को भिन्न एवंमौलिक बनाती हैं सूत्र वाक्य ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता '' पौराणिक काल से महिला की सामाजिक स्थिति को निरूपति करता है। मध्य काल से ही महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होती गयी और स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्थिति संतोषजनक नहीं रहीं।

स्वतंत्रता संघर्षो में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संविधान सभा में भी महिलाओं के

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शासकीय बापू (नवीन) महाविद्यालय, नौगांव, जिला- छतरपुर (म.प्र.)
** प्राध्यापक (समाजशास्त्र), कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

अधिकारों की वकालत की गई एवं संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों व प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिकारों को अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है अनुच्छेद 15 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को रोजगार का अवसर देता है। अनुच्छेद 39 सुरक्षा तथा रोजगार का समान कार्य के लिए समान वेतन भी स्थापित है।

वास्तव में महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई स्कूल कालेजों में पढ़ाई के साथ उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई तभी आज देश में सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाएं अपने गुण और शिक्षा के दम पर ही बड़ी संख्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, अधिकारी, प्रशासनिक क्षेत्र वकील और इंजीनियर नजर आती हैं कला साहित्य एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में महिलाओं ने अपनी पहुंच बनाई है लेकिन साथ ही यह भी सच है कि आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों के साथ राजनीतिक क्षेत्र में जिस अनुपात में उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी उतनी संभव नहीं हो पाई है।

इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति में अधिकांश महिलाओं की स्थिति की दयनीय बनी हुई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आजादी के छह दशक के दौरान समाज में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में मूल समस्याओं का निराकरण आज भी चुनौती का विषय है। जहाँ एक ओर महिलाओं के कार्य क्षेत्रों का दायरा बढ़ रहा है वहीं महिलाओं को विभिन्न प्रकार की रूकावटों का सामना करना पड़ रहा है। यह रूकावटें आधी आबादी के गरिमामय जीवन जीने के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। साथ ही क्षमता विकास में अड़चन पैदा करती हैं।

भारतीय संविधान भी सभी नागरिकों को समान रूप से विभिन्न अधिकार प्रदान करता है जो निम्न हैं–समता का अधिकार,धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध हेतु प्रावधान लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मानव व्यापार और बलात श्रम निषेध पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार पुरुष और स्त्री दोनो के समान कार्य के लिए समान वेतन और इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न कानूनों नियमों उपबंधों के तहत संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 विशेष विवाह अधिनियम 1954 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 दहेज निषेध अधिनियम 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 स्त्री अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम 1986 सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 महिला कर्मकार अधिनियम 1993 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, 19 मार्च 2013 को भारतीय संसद ने भारत में महिलाओं को यौन हिंसा से अधिक प्रभावी ढंग से बचाने के लक्ष्य के साथ एक नया कानून पारित किया। यह आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम, 2013 के रूप में आया जो आगे भारतीय दंड संहिता 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करता है आदि प्रावधानों ने महिलाओं को संरक्षण विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत प्रदान कर दिया है इसके अलावा (हिंसा महिलाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और महिलाओं को समाज में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती हैं। यह उनके परिवारों उनके समुदाय और देश को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। स्वास्थ्य

देखभाल पर अधिक दबाव से लेकर कानूनों खर्च और उत्पादकता में नुकसान तक इसकी जबरदस्त लागत है।) (2) हिंसा से मुक्त रहने के लिए एक महिला के अधिकार को अतंर्राष्ट्रीय समझौते जैसे कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर 1993 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा द्वारा बरकरार रखा गया है।

लेकिन महिलाएँ आज भी समाज में उपेक्षित एवं असहाय होने के संकट से जूझ रही हैं । विभिन्न सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी) के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दिन प्रतिदिन महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों में वृद्धि हो रही है।

महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न जैसे भ्रूण हत्या दहेज प्रथा बलात्कार दहेज हत्या अपहरण ऑनर किलिंग आदि अपराध महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न (अपराध) एवं निम्न सामाजिक स्थिति के विभिन्न कारण विद्यमान है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव महिलाओं के पिछड़ेपन एवं सामाजिक विभेद मुख्य कारण है। जिस कारण महिलाओं में जानकारी का अभाव होता है एवं आर्थिक पक्ष भी कमजोर होता है। जिस कारण महिला निर्णय न ले पाने के दुष्चक्र में फंस जाती है। कानून का लचीलापन एवं न्यायपालिका द्वारा निर्णय देने में की गई देशी अविश्वास को जन्म देती है। जिस कारण महिलाएँ शोषण उत्पीड़न आदि के मामले में शिकायत करने से बचती हैं एवं खर्चीली लंबी न्याय प्रक्रिया में जाने से संकोच करती हैं।

हिंसा महिलाओं की सामान्य भलाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और महिलाओं को समाज में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती हैं। यह उनके परिवारों उनके समुदाय और देश को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक दबाव से लेकर कानूनी खर्च और उत्पादकता में नुकसान तक इसकी जबरदस्त लागत है।

शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी महिलाओं में असुरक्षा को बढ़ावा देती है। पुलिस व्यवस्था का महिलाओं के प्रति पर्याप्त लचीला ना होना तथा महिला थानों की कमी के कारण महिलाओं में असुरक्षा का भाव पैदा होता है।(हिंसा का अनुभव करने वाली लगभग 86 प्रतिशत महिलाओं ने कभी मदद नही मांगी और 77 प्रतिशत पीड़ितों ने किसी को भी घटना का उल्लेख नही किया।)

सामाजिक स्तर पर गौर करें तो हम पाते हैं कि विभिन्न सामाजिक महिला विरोधी कुरीतियाँ आज भी विद्यमान हैं। जिस कारण महिलाओं को भेदभाव को सहन करना पड़ता है साथ ही समाज में समानता के साथ अधिकार नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए योजनाओंका सुचारू रूप से लागू न होना न होना भी महिलाओं की निम्न स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण है।

सुझाव :–

महिलाओं की समाज में समान भागीदारी एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए कुछ आवश्यक सुझाव को अमल में लाया जाए तो जहां एक ओर महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों में पर्याप्त रूप से कमी की जा सकती है वही दूसरी ओर महिलाओं के हितों का संरक्षण भी किया जा सकता है।

प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करना, महिला आयोग की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाना, घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियम दहेज प्रतिरोध अधिनियम जैसे प्रावधानों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना पुलिस व्यवस्था को विशेष रूप से महिला पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना एवं शिकायत का निवारण निश्चित समस अवधि में करना। न्यायपालिका द्वारा मामलों की निश्चित समयावधि में निर्णय देने साथ ही महिला हितों संबधित मामलों को त्वरित लागू करना।

इसके साथ ही महिला को राजनीतिक रूप से सशक्त करना एवं भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है स्वास्थ संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देना एवं शिक्षा के

स्तर को बढ़ाना आर्थिक रूप से क्षमता का विकास करना महिलाओं में समग्र विकास के लिए सभी मंत्रालयों विभागों को जेंडर बजटिंग जैसे साधनों के उपयोग से सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त करना।

उपसंहार :–

जहाँ एक ओर आर्थिक सामाजिक विकास में तीव्रता बढ़ रही है वही दूसरी ओर आधी आबादी के हितों के संरक्षण में अनदेखी की जा रही है। किसी भी देश के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है आज हमारे देश के विकास में महिलााओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं महिला अनुकूल सामाजिक बदलाव महिलााओं के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। समानता और न्याय के साथ समावेशी विकास का हमारा चिर प्रतीक्षित स्वप्न भी तभी साकार होगा जब महिलाओं को गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा समानता का अधिकार प्राप्त होगा लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा।

संदर्भ सूची :–

1. https:\\www.unwomen.org\en\what-we-do\ending violence-against-women(UN)
2. https:\\en.m.wikipedia.org\wiki\Domes-tic_ violence_in_india(UN)
3. https:\\www.unwomen.org\en\what-we-do\ending-violence-against-women (UN 1)
4. https:\\www.unwomen.org\en\what-we-do\ending-violence-against-women(UN 3)
5. https:\\www.thehindu.com\data\data-domestic-violence-complainsts-ata 10-year- high-during-covid-19
6. lockdown\article31885001.ece
7. गुप्ता, एस.पी. एवं गुप्ता, ए. (2013), आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन सांख्यिकी सहित, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन एण्ड टिस्ट्रीब्यूटर्स।
8. जैन एवं अन्य (2018), शोध घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकार, गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कालर्ली रिसर्चस् इन एलाइड एजुकेशन, वॉल्यूम–105(03) पृष्ठ सं. 166–169।
9. सिंह, एन. एवं विश्नोई, आर. (2015), आजमगढ़ जनपद में महिलाओं एवं लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्राय, ऐ जर्नल ऑफ एडवांस मैनेजमेंट आईटी एण्ड सोशल साइंसेस, वॉल्यूम–5(7), पृष्ठ सं. 9–14।
10. कुमारी सरिता (2015) ग्रामीण महिला उत्पीड़न के कारण स्वरूप एवं निदान, शोध जर्नल अंक 2 (3) आई.एस.एस.एन. 2349–5162, पृ. सं. 1829–1835
11. गुप्ता, रंजना (2017), महिलाओं के प्रति (विरुद्ध) घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न– एक अध्ययन, स्कालर्ली रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमिनिटी साइंस एण्ड इंग्लिस लैंगवेज, वॉल्यूम 4/19 पृष्ठ सं. 4420–4427
12. राम आहूजा (2003) सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंन्धान, रावत पब्लिकेशन जयपुर
13. मुखर्जी, डॉ. रवीन्द्र नाथ, (2014), सामाजिक शोध व सांख्यिकीय पृष्ठ क्रमांक 118

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 25th Sept. 22 Paper Accepted : 30th Sept. 22

उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप

❒ डॉ. अनूप कुमार मिश्र*

शोध सारांश

वेद भारतीय अथवा विश्ववाङ्मय के उपलब्ध प्राचीनतम एवं प्रशस्ततम ग्रन्थरत्न हैं तथा परा– अपरा उभय विद्याओं से संवलित हमारी सनातन संस्कृति के सर्वस्व हैं। स्वर्णिम अतीत को सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित करने वाले विमल दर्पण हैं और आज भी विज्ञान के परम प्रकर्ष युग में हमारा देश भारत इसी वेदरूपी अनुपम निधि के कारण विश्वगुरुत्व के महनीय पद पर प्रतिष्ठित है।

वास्तव में वेद सकल ज्ञान–निधान हैं' सर्वज्ञानमयो हि सः समस्त विषयों का साधु निरूपण करते हैं। ब्रह्म तो वेदों का प्रमुख प्रतिपाद्य हैं, इसकी सुस्पष्ट प्रतीति स्वयं वेद शब्द के निर्वचन से होती है –

'विदन्त्येभिर्धर्मब्रह्मणी क्रियाज्ञानमयं ब्रह्म वेति वेदाः' वेदों के द्वारा धर्म–कर्त्तव्याकर्त्तव्य तथा ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का बोध होता है। वास्तव में मन्त्र ही ब्रह्म है और ब्रह्मस्वरूप इन्हीं मन्त्रों के व्याख्यान हैं ब्राह्मणग्रन्थ–''मन्त्रस्तु ब्रह्म तद्व्याख्यानं ब्राह्मणम्''इस तरह ब्रह्म ही है वेदों का प्रतिपाद्य।प्रस्तुत शोध आलेख में उपनिषदों में किये गये ब्रह्म स्वरूप निरूपण को स्पष्ट किया गया है।

शब्द कुंजी – उपनिषद्, ब्रह्म स्वरूप, वैदिक ज्ञान परम्परा।

ब्रह्मशब्द का निर्वचन –

बृहति वर्धते इति ब्रह्म, बृह + मनिन्। वृद्धि अर्थ वाली बृंह धातु से मनिन् प्रत्यय के योग से ब्रह्मशब्द की निष्पत्ति हुई है। वही ब्रह्म है जो निरतिशयरूप से वृद्धि को प्राप्त करता है। वृहदारण्यकोपनिषद् मे बृहद्रूप, सर्वात्मरूप होने से परमतत्त्व को ब्रह्म की संज्ञा से सम्बोधित किया गया है। इसलिए सब कुछ ब्रह्ममय है–''बृहत्वात् सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्म एतत्सर्वम्''

इस निर्वचन के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप का प्रकाशन होता है जो बृहत्तम है, सभी काल एवं सभी देश में अवस्थित है। कहीं पर और किसी समय में जिसका अभाव नहीं है जो नित्य विभुव्यापक सर्वान्तर्यामी अनादि अनन्त अखण्ड पूर्ण है।

ब्रह्म का लक्षण–

ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण निराकार निरवयव गुणातीत होने से अनिर्वचनीय है, केवल अनुभवगम्य हैं। श्रुतियों में अनेक प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप प्रकाशन का प्रयास किया गया है। स्वरूप तथा तटस्थ दोनों प्रकार के लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं–

* सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, योगविज्ञान विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

स्वरूपलक्षण –

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म'

ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षण : अपरोक्ष अनुभूति 24 में प्रयुक्त सत्य ज्ञान अनन्त विज्ञान सत् चित् आनन्द इत्यादि पद ब्रह्म के विशेषण या गुण धर्म नहीं है, अपितु स्वरूप के प्रकाशक हैं। सत्य का अभिप्राय है कि अपने निश्चित स्वरूप से कभी भी व्यभिचरित न होना, यह ब्रह्म विशुद्ध ज्ञानमय विभाजनरहित अखण्ड अनन्त एवं पूर्ण है। ब्रह्म सत् है असत् नहीं, किसी काल और किसी देश में इसका अभाव नहीं है, यह सर्वत्र, सदैव विद्यमान है। ब्रह्म चित् है अचित नहीं, आनन्दरूप है, दुःखरूप नहीं। ब्रह्म में अभावरूपता अचेतनता दुःखरूपता का व्यावर्तन करने के लिए सत्–चित्–आनन्द पदों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अखण्डता पूर्णता एकत्व है। जो सत् है वही चित् है और वही आनन्दरूप भी इस प्रकार ब्रह्म के इस स्वरूप लक्षण में प्रयुक्त पदों द्वारा लक्ष्य ब्रह्म का असत्य परिवर्तनशील विकारी जड़ दुःखरूप इस जगत् से व्यावर्तन किया गया है। सत्–चित्–आनन्द आदि पद पृथक्– पृथक् लक्ष्यों का कथन नहीं करते, अपितु एक ही समान लक्ष्य अखण्ड अद्वय को लक्षित करते हैं।

ब्रह्म को अन्त रहित अनन्त कहा गया है। यह अनन्त रूपता त्रिविध होती है–

1. देशकृत अनन्ता 2. कालकृत अनन्तता तथा 3. वस्तुकृत अनन्तता ब्रह्म विभुव्यापक है, अतः देशगत परिच्छेद न होने से यह देश की दृष्टि से अनन्त है। ब्रह्म नित्य है, अतः कालगत परिच्छेद न होने से यह काल की दृष्टि से अनन्त है तथा सर्वगत होने से इस ब्रह्म में वस्तुगत परिच्छेद नहीं है, अतः वस्तु की दृष्टि से भी यह अनन्त है। यही पारमार्थिक त्रैकालिक सत्य है।

वास्तव में नामरूप गुणधर्मादि से सर्वथा विरहित होने के कारण शब्दों द्वारा ब्रह्म का भावात्मक वर्णन सम्भव नहीं है, यह वर्णनातीत अनिर्वचनीय है।इसलिए श्रुतियों में ब्रह्म का निषेधमुख से वर्णन किया गया है।

**''अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्''1**

यह ब्रह्म शब्द–स्पर्श–रूप–रस–गन्धरहित अव्यय है। इसलिए श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं, इन्द्रियातीत है। यह वाणी द्वारा वर्णनीय नहीं है तथा मन से भी अग्राह्य है।

''न तत्र चक्षुर्गच्छति, यच्चक्षुषा न पश्यति, यच्छोत्रेण न श्रृणोति, न वाग्गच्छति, यद्वाचानभ्युदितम् यन्मनसा न मनुते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह''2यह समस्त कलाओं से रहित, सकल दोष विवर्जित क्रियारहित शान्त स्वरूप वाला है। हाथ पैरों से विरहित होने पर भी सब कुछ ग्रहण करने वाला, वेगपूर्वक गमन करने वाला, बिना आँखों के देखने वाला, बिना कानों के सुनने वाला, सकल ज्ञातव्य पदार्थों को जानने वाला पर स्वयं अज्ञेय है–

**निश्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्।
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः।
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुयं पुरुषं महान्तम्।।3**

इस परम तत्त्व ब्रह्म में स्थूलता, सूक्ष्मता, लघुता दीर्घता सभी का निषेध है गार्गी से ऋषियाज्ञवल्क्य ब्रह्म का यही निषेधात्मक निरूपण करते हैं– ''अस्थूलमनण्वइस्वमदीर्घमलोहितम्''

निषेधात्मक रूप से इसी प्रकार निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण माण्डूक्योपनिषद् में किया गया है–

**नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रशं नोभयतः प्रज्ञ न
प्रज्ञानधनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्।4**

यहाँ पर ब्रह्म को निर्गुण निराकारादि कथन करने का अभिप्राय शून्य, अभावरूपता नहीं, अपितु शब्दों द्वारा वर्णन की अनिर्वचनीयता है। ब्रह्म तो सर्वगुण सर्वाकार वाला भी है।

ब्रह्म का तटस्थ लक्षण–

निर्गुण निराकार निरवयव निष्प्रपञ्च अद्वय अद्वितीय यही ब्रह्म सगुण य साकार सावयव सप्रपञ्च विविध रूपों वाला बन जाता है। इन दोनों ब्रह्म में मूलतः कोई भेद नहीं है। नामरूपात्मिका इस सृष्टि के

उद्भव–स्थिति–प्रलय का हेतु यही ब्रह्म है। यह सृष्टि कार्य है और ब्रह्म ही है इसका कारण। ब्रह्म में पूर्वतः निहित इस सृष्टि का आविर्भाव होता है तथा ब्रह्मरूपी अधिष्ठान के कारण ही इस सृष्टि की स्थिति बनी हुई है तथा इसी ब्रह्म में इस सृष्टि का तिरोभाव भी होता है। इस प्रकार ब्रह्म ही इस सृष्टि का कर्त्ता–धर्ता तथा संहर्ता है।

''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति''

यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। छान्दोग्योपनिषद् में ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को समास रूप में किया गया है। तज्जलानितिप्रस्तुत ब्रह्म से उद्भूत यह जगत् तज्ज तल्ल तथा तदन है। सकल सृष्टि ब्रह्म से उद्भूत होती है अतः तज्ज है। यह सृष्टि पुनः ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। अतः यह तल्ल है तथा अपनी स्थितिकाल में वह सृष्टि इसी ब्रह्म के कारण अनन, प्राणन, जीवन धारण करती है अतः यह तदन है, इस प्रकार नामरूपात्मिका इस सृष्टि के उद्भव–स्थिति–प्रलय का हेतु यह एक ही अद्वय ब्रह्म है, यही इसका तटस्थ लक्षण है। अपने में निहित इस सृष्टि की अभिव्यक्ति करके वह ब्रह्म इसी में प्रवेश कर जाता है।

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्–

इसीलिए चेतनाचेतन वैविध्यपूर्ण नामरूपात्मिका यह सकल सृष्टि ब्रह्ममय तदभिन्न तद्रूप है–

''सर्वं खल्विदं ब्रह्म'
पुरुष एवेदं सर्वम्,
'ईशा वास्यमिदं सर्वम्'
'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।''

यह सृष्टि ब्रह्म का ही अविकृत परिणाम है यथा सर्प बिना किसी विकार के अनेक आकृतियों को दण्डाकार,कुण्डलाकार धारण कर लेता है उसी प्रकार यह ब्रह्म बिना किसी विकृति के इस जगत् के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। अतः ब्रह्म ही यह जगत् है, पर वह इसके बाहर भी है।

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। श्रुति सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित करती है कि यह परमपुरुष अनन्त शिरो वाला, अनन्त आँखों वाला, अनन्त पैरों वाला है। इस भूमि को चारों तरफ से घेरकर वह दशाङ्गुल अधिक –

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्।।
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यपच्च भाव्यम्।।5

दशाङ्गुलम् यह उपलक्षण है। वह पृथिवी की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। भूत– वर्तमान भविष्यत् यह त्रैकालिक जगत् वह पुरुष ही है। यह व्यक्त जगत् उसका चौथाई भाग है और उसकी अव्यक्त महिमा बहुत अधिक है। उसकी महत्ता की कोई इयत्ता नहीं है–

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादमृतं दिव स इदं सर्वं भवति, आत्मैवेदं सर्वम् ब्रह्म एवेदं सर्वम्, सर्व ह्येतद् ब्रह्म,इत्यादि रूप से ब्रह्म की सर्वव्यापकता तथा अनिर्वचनीयता का श्रुति स्थान–स्थान पर निरूपण करती है।

सृष्टि ब्रह्म की क्रीडा –

यह सृष्टि ब्रह्म की क्रीडा, लीला है। आत्मकीडनार्थ रमणार्थ उसने इस नानारूपा सृष्टि का सृजन किया है। घ्में वह ब्रह्म अकेला, एकाकी था उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपने रमण के लिए उसने इस सृष्टि की रचना की। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम् ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूत भवद् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत्किंचन मिषत्। स एकाकी न रेमे एकोऽहं बहु स्याम प्रजायेय। स ईक्षत लोकान्बु सृजा नु तदक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति स वै नैव रेमे तस्मादेकाकीन रमते, स द्वितीयमैच्छत् बृहदा स इमाँल्लोकानसृजत।।

इस तरह वह एकाकी ब्रह्म अनेक बन गया और इस सृष्टि में वह सर्वत्र ओतप्रोत परिव्याप्त हो गया। यथा निराकार रूप में अग्नि सर्वत्र परिव्याप्त है भेदरहित रूप में, पर प्रज्वलित होने पर साकाररूप में आधारभूत

वस्तुओं के आकार से अनेक रूपों वाला हो जाता है। उसी प्रकार यह ब्रह्म समस्त प्राणियों में इस जगत् में लघुतम से महत्तम तक सर्वत्र अनुस्यूत ओतप्रोत है –

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च।।
हंसः शुचिषद् वसुन्तरिक्षसद होता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्।
नृषद् वरसदृतसद् व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्।
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान्।
एक सद् विप्रा बहुधा वदत्वाग्नि यमं मातशिवानमाहुः।।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।

ब्रह्म ही सृष्टि का निमित्त एवम् उपादान कारक–

यह एक ही अद्वय अक्षर ब्रह्म नामरूपात्मिका इस सृष्टि का निमित्त एवम् उपादान दोनों कारण बनता है। माया इसकी सृजनात्मिका शक्ति है। इससे उपहित हुआ मायावी ब्रह्म स्वचैतन्यांश की प्रधानता से निमित्त तथा स्वोपाधि माया की प्रधानता से उपादान कारण बनता है। यथा तन्तुजालरूपी कार्य के प्रति एक ही लूता निमित्त तथा उपादान दोनों कारण बनती है :

यथोर्णनाभि सृजते गृहणते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति।
यतः सत पुरुषात्कंशलोमानिधारासम्भवतीह विश्वम्।।

अक्षर अद्भय होने पर भी मायाशक्ति के प्रभाव से स्वयं में निहित इस सृष्टि की वह अभिव्यक्ति करता है और पुनः इसमें प्रविष्ट होकर ओतप्रोत हो जाता है । अतः सकल सृष्टि तन्मय तद्रूप हो जाती है, पूर्णरूप में वही सर्वत्र अवस्थित है –

सर्वं खल्विदं ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।

सृष्टि की कारणता एवम् अधिष्ठान के विषय में जिज्ञासा की गई है और उसका सुन्दर समाधान प्रस्तुत किया गया है। वह कौन सा वन था, उस वन का वह कौन सा वृक्ष था जिसको तरास करके इस द्युलोक और पृथिवी लोक की रचना की गई तथा भुवनों को धारण करने वाला कौन है, ऋषि ने उत्तर दिया है। कि ब्रह्म ही वह वन था और उस वन का ब्रह्म ही वह वृक्ष था जिसको तरास करके इस द्युलोक और पृथिवीलोक की रचना हुई तथा ब्रह्म ही इन भुवनों को धारण कर रहा है –

किस्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद् यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारणन्।।
ब्रह्म वन ब्रह्म स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टलक्षुः द्य
मनीषियो मनसाय ब्रह्म जयतिष्ठद् भुवनानि धारयन्।।

सृष्टि प्रक्रिया का सुष्ठु निरूपण ऋग्वेद के पुरुष एवं नासदीय सूक्तों में किया गया है। पर एवम् अपर ब्रहा–पारमार्थिक दृष्टि से यह ब्रह्म अद्वय अद्वितीय अखण्ड पूर्ण एक निर्गुण निराकार निर्विशेष निरवयव निरप्रपञ्च है, पर यही सगुण साकार सविशेष सावयद सप्रपञ्च बन जाता है। सर्व भवन सामर्थ्यरूपा माया इसकी सृजनात्मिका शक्ति है यह इसकी उपाधि है। इस प्रकार ब्रह्म के दो रूप हैं–1.निरूपाधिक तथा 2. सोपाधिक।

मायोपाधिरहित ब्रह्म ही पर ब्रहा है, यही निर्गुण निराकार कारण ब्रह्म है और मायोपाधि विशिष्ट ब्रह्म ही अपर ब्रह्म है। यह सगुण साकार कार्यब्रह्म है। बृहदारण्यकोपनिषद् में ऋषि याज्ञवल्क्य ने मायावी अपर ब्रह्म को मूर्त ब्रह्म तथा मायारहित पर ब्रह्म को अमूर्त ब्रह्म कहा है–

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपं मूर्तं चामूर्तं च।मर्त्यं चामर्त्यं च स्थितं यच्च सच्चासच्च।।

ब्रह्मा– परस्पर विरुद्ध गुणों का समन्वय –

परमतत्त्व ब्रह्म की महिमा सीमातीत अनवगाह्य है। निर्गुण होते हुए भी यह सगुण सर्वगुण संवलित है। परस्पर विरुद्ध गुणों का इसमें मञ्जुल समन्वय है।

तदेजति तन्त्रैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्राह्मतः।।

इसलिए शब्दों द्वारा भावात्मक रूप में इस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन सम्भव नहीं है। यह अव्याख्येय अनिर्वचनीय सर्वथा वर्णनातीत है। पर सर्वाधिपति सर्वाधार सर्वनियन्ता सर्वकारण होने से यही ब्रह्म ज्ञातव्य भी है और जीवात्मा इससे अभिन्न है। अतः श्रुति का उपदेश है– 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः'वाक्यों और महाकाव्यों के माध्यम से इनमें एकत्व तद्रूपता का बोध कराया गया है–''अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि सर्व खल्विदं ब्रह्म''इस जीव ब्रह्मैक्य की अनुभूति से जीव अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तथा इस अनुभूति का व्यावहारिक प्रयोजन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। समस्त प्राणियों में एकत्व अभिन्नता का दर्शन होता है–''यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्''सम्पूर्ण विश्व एक ही परिवार हो जाता है। इसी अध्यात्मचिन्तन की देन है

''अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसां।
उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्''6

और इसी का फल है'सर्वे भवन्तु सुखिनः। परस्पर सौहार्द सौमनस्य सहयोग भाव बना रहता है और समष्टिगत कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्ति होती है और भारतीय अध्यात्मचिन्तन, मनीषा की यही उदात्ततम भूमि है और ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र यहीं पर चरितार्थ होता है

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति।।7

निष्कर्ष :–

वास्तव में ब्रह्म अनुभूति का विषय है। यह रसरूप आनन्द स्वरूप है, इस अनुभूति के होते ही परमानन्द की प्राप्ति हो जाती है–''रसो वै सः। रस होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति''अतः वेदों का अध्ययन परमावश्यक है जो पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु एक सुन्दर स्वाध्यायोऽध्येतव्यः जीवन प्रणाली प्रस्तुत करते हैं।

सन्दर्भ :–

1. कठोपनिषद् 3/15
2. केनोपनिषद् 1
3. श्वेताश्वतरोपनिषद् 6/19
4. माण्डूक्योपनिषद् 7
5. शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय 31 मन्त्र 1
6. नीतिश्लोक
7. ऋग्वेद

SHODH CHETNA – YEAR-8, VOL. 3 (JULY TO SEP., 2022) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 5.999
Paper Recieved : 25th Sept. 22 **Paper Accepted : 30th Sept. 22**

हिंदुस्तानी संगीत में समय का प्रमाण : एक अध्ययन

❐ **प्रकाश मिश्रा***

शोध सारांश

समय ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य अवयव है, जिसका चिंतन अत्यंत गूढ़ विषय है, इसका कोई ओर– छोर नहीं है यह अनंत है, यह भूत भविष्य तथा वर्तमान आदि रूपों में व्याप्त है। जिस काल अथवा समय का हम अनुभव करते हैं या प्रयोग में लाते हैं वह अनादि अनंत काल का खंड मात्र है। जिसे घटित घटनाओं के आधार पर हम मान्य करते हैं। जिसे हम व्यवहार में लाने के लिए अथवा समझने के लिए काल खंड को किसी प्रमाण के आधार पर निश्चित करते है।

प्रमाणिक काल मापन शताब्दी, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट, सेकेंड के रूप में किया जाता है।संगीत एक ललित कला है एवं इस पर भी परिस्थिति जन्य घटनाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि यह एक क्रियात्मक कला है संगीत में लगने वाले समय, काल का मापन ताल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ताल एक काल खंड है जो ताल गत अवयवों के आधार पर संगीत को प्रतिष्ठा प्रदान करता है तथा प्रमाणिक बनाता है।

शब्द कुंजी :– काल, मान, क्रिया, समय, मापन, प्रमाण।

श्कल् संख्यानेश धातु से 'घञ्' प्रत्यय करने पर काल शब्द बनता है अर्थात् गणना के अर्थ वाली 'कल्' धातु से 'घञ्' प्रत्यय करने पर काल शब्द निर्मित होता है– 'कलयते अनेन इति काल'।

'काल' एक प्रकृति प्रदत्त स्वतन्त्र तत्त्व है, जिसका अध्ययन एक अत्यन्त गहन विषय है। इसका कोई आदि–अन्त नहीं है। यह भूत, वर्तमान तथा भविष्य रूप में उल्लिखित किया जाता है। काल को स्थायी या अस्थायी रूप में घटित घटनाओं के आधार पर अनुभव किया जाता है। जिस 'काल' का हम अनुभव या जीवन में प्रयोग करते हैं, वह अनादि–अंत स्वरूप काल का एक खण्ड मात्र होता हैय जिसे घटित घटनाओं के आधार पर हम मान्य करते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति–जन्य घटनाओं के आधार पर भी काल–विभाजन करने का प्रयास निरन्तर होता रहा है। काल–खंड को अनुभव करने, समझने एवं व्यवहार में लाने के लिए काल खंड का कोई प्रामाणिक काल मान निश्चित किया जाता है। प्रामाणिक कालमापन शताब्दी, वर्ष, माह, सप्ताह, दिवस (दिन–रात), घंटे, मिनट, सेकेंड के रूप में किया जाता रहा है।

* शोधार्थी, अनवद्ध वाद्य विभाग, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)

'संगीत' एक कला है एवं इस पर भी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति–जन्य घटनाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यह एक क्रियात्मक कला है, जो मानव–जीवन की परम्परा से जुड़ी है। संगीत–कला मनुष्य के उच्चारण तथा अंग–प्रायोजित घटन–क्रिया से सम्बन्ध रखती है, जिसमें काल– निर्वहण अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है। संगीत के अन्तर्गत गायन, वादन तथा नृत्य – तीनों कलाओं का समावेश प्राचीन काल से वर्तमान काल तक सर्वमान्य है। संगीत–सन्दर्भ में लगने वाले काल के लिए उच्चारण–क्रिया एवं घटन क्रिया– ये दोनों क्रियाएँ लक्षण रूप या अवस्था–रूप में विद्यमान होती हैं। दो भौतिक वस्तुओं या मानव अंग से भौतिक वस्तु पर किए गए टकराव या घर्षण से निर्मित तथा प्राणिमात्र के उच्चारण से निर्मित वह ध्वनि या आवाज जो कानों को अच्छी लगे, संगीतोपयोगी ध्वनि के रूप में प्राचीन काल से सर्वमान्य है। उच्चारण क्रिया से निर्मित ध्वनि को स्वर–सापेक्ष तथा टकराव या 'कल् संख्याने' धातु से 'घञ्' प्रत्यय करने पर काल शब्द बनता है। अर्थात् गणना के अर्थ वाली 'कल्' धातु से 'घञ्' प्रत्यय करने पर काल शब्द निर्मित होता है– 'कलयते अनेन इति काल'।

'काल' एक प्रकृति प्रदत्त स्वतन्त्र तत्त्व है, जिसका अध्ययन एक अत्यन्त गहन विषय है। इसका कोई आदि–अन्त नहीं है। यह भूत, वर्तमान तथा भविष्य रूप में उल्लिखित किया जाता है। काल को स्थायी या अस्थायी रूप में घटित घटनाओं के आधार पर अनुभव किया जाता है। जिस 'काल' का हम अनुभव या जीवन में प्रयोग करते हैं, वह अनादि–अंत स्वरूप काल का एक खण्ड मात्र होता हैय जिसे घटित घटनाओं के आधार पर हम मान्य करते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति–जन्य घटनाओं के आधार पर भी काल–विभाजन करने का प्रयास निरन्तर होता रहा है। काल–खंड को अनुभव करने, समझने एवं व्यवहार में लाने के लिए काल खंड का कोई प्रामाणिक काल मान निश्चित किया जाता है। प्रामाणिक कालमापन शताब्दी, वर्ष, माह, सप्ताह, दिवस (दिन–रात), घंटे, मिनट, सेकेंड के रूप में किया जाता रहा है।

'संगीत' एक कला है एवं इस पर भी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति–जन्य घटनाओं का प्रभाव पडना स्वाभाविक है। यह एक क्रियात्मक कला है, जो मानव–जीवन की परम्परा से जुड़ी है। संगीत–कला मनुष्य के उच्चारण तथा अंग–प्रायोजित घटन–क्रिया से सम्बन्ध रखती है, जिसमें काल– निर्वहण अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है। संगीत के अन्तर्गत गायन, वादन तथा नृत्य – तीनों कलाओं का समावेश प्राचीन काल से वर्तमान काल तक सर्वमान्य है। संगीत–सन्दर्भ में लगने वाले काल के लिए उच्चारण–क्रिया एवं घटन क्रिया– ये दोनों क्रियाएँ लक्षण रूप या अवस्था–रूप में विद्यमान होती हैं। दो भौतिक वस्तुओं या मानव अंग से भौतिक वस्तु पर किए गए टकराव या घर्षण से निर्मित तथा प्राणिमात्र के उच्चारण से निर्मित वह ध्वनि या आवाज जो कानों को अच्छी लगे, संगीतोपयोगी ध्वनि के रूप में प्राचीन काल से सर्वमान्य है। उच्चारण क्रिया से निर्मित ध्वनि को स्वर–सापेक्ष तथा टकराव या घर्षण–क्रिया से निर्मित ध्वनि को स्वर–निरपेक्ष कहा गया है। स्वर–सापेक्ष तथा स्वर–निरपेक्ष, दोनों प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति में निश्चित ही कोई समय–काल लगता है। संगीत–सन्दर्भ में स्वर (नाद या ध्वनि) की उत्पत्ति मानव कंठ से मान्य रही है तथा उसकी तारता–तीव्रता का सम्बन्ध अनेक प्राणियों के कंठ से निर्मित ध्वनि स्वरूपों से स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा है।

मानव कंठ से उत्पन्न ध्वनियों के स्वर स्वरूप को आधार मानकर ही वाद्यों से उत्पन्न ध्वनि या स्वरों को अनुहार– रूप में मान्य किया गया है। घटन–क्रिया (स्वरोच्चारण, आघात या घर्षण) के संयोग–वियोग–संयोग अर्थात् दो घटन–क्रियाओं के मध्य लगने वाले समयकाल को संगीत–सन्दर्भ में काल मान के रूप में मान्य किया जाता है। स्वर–सापेक्ष या स्वर–निरपेक्ष

क्रियाओं के मध्य लगने काल–समय हमेशा निश्चित ही हो, यह सम्भव नहीं हो सकताय और इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संगीत मनीषियों एवं ग्रन्थकारों ने प्रामाणिक काल मान स्थापित करने के लिए अपने ग्रन्थों में व्याख्या–रूप में काल मान का विवेचन किया है।

संगीत में लगने वाले समय–काल का मापन 'ताल' स्वरूप से होता है। 'ताल' एक कालखंड है, जो तालगत तत्त्वों के आधार पर निर्मित होकर संगीत (गीत–बाय–नृत्य) को प्रतिष्ठापित कर उसे रंजक बनाता है। आवृत्ति या आवर्तन प्रणव–काल, वस्तु या कालखंड–स्वरूप ताल को नापने के लिए भी छोटे स्वरूप के काल–खंड के रूप में काल मापक इकाई को आधार माना गया, जिसे श्मात्राश कहा गया। 'मात्रा' शब्द की व्युत्पत्ति परिमाण–सूचक 'मा' धातु से हुई है। यह संस्कृत का शब्द है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में उच्चारण के परिमापन हेतु स्व–दीर्घ अक्षरों के उष्पारण–काल को परिमाण मापक ग्राह्य कर उसे मात्रा कहा जाता था। वेदोपनिषदों व पुराणों में मंत्रोच्चार में ह्रस्व–दीर्घ उच्चारण–मात्राओं के साथ–साथ 1, 2, 3 आदि आंकिक मात्राओं का उल्लेख भी किया गया है। संस्कृत साहित्य में अक्षरानुसारी कालमापन को 'मात्रा' कहा है। ऋक्, गाथा तथा सामगान में छंदोगत स्वरूप में एक लघु (हस्व) अक्षरोच्चारण के काल–परिमाण को 'मात्रा' कहा गया है। पारिभाषिक शब्द 'मात्रा' का अध्ययन करने पर इसके कई अर्थ निकलते हैं जैसे–हस्व–दीर्घ बक्षरोच्चारण, एक सूक्ष्म कालमान (कालचंड), पंचनिमेष, कला (घटन–क्रिया), पाँच लघु–अक्षरोच्चारण, हस्त–क्रिया आदि। स्वर–सापेक्ष या स्वर–निरपेक्ष घटन–क्रिया की गति या लय को ध्यान में रखकर मात्रा–स्वरूप–कालखंड को मध्य–गति या मध्यलय को आधार मानकर लघु रूप में मान्य किया गया।

प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के उपलब्ध संगीत–प्रन्दों, यथा–याज्ञवल्क्य–शिक्षा, नाट्यशास्त्र, संगीत–रत्नाकर अभिनव भारती संगीत–मकरंद, संगीतोपनिषद्–सारोबार संगीत–सूर्योदय, रसकौमुदी, संगीतदर्पण, अभिनव तालमंजरी, आर्यभटीय बृहत्संहिता संगीत–शिरोमणि, ताल–दशप्राण–दीपिका, संगीत–समयसार आदि में, संगीत–संदर्भ में काल स्थापन स्वरूप के अंतर्गत मात्रा रूपी कालखंड का उल्लेख किया गया है।

वर्तमान काल में, भारतीय संगीत में मध्य लय को आधार मानकर एक मात्रा के लिए लगन वाला समय (काल) एक सेकेंड का कालमान सर्वमान्य है। पूर्व में ही कहा गया है कि स्वर सापेक्ष (उच्चारण) और स्वर निरपेक्ष क्रियाओं में लगने वाला समय (काल) निश्चित हो, यह सम्भव नहीं है। इसी कारण ग्रन्थों में मात्रा–रूपी कालमान (दो घटन–क्रियाओ के मध्य के समय) को अलग–अलग रूप में बताया गया है। हम अब वर्तमान संगीत में भी मान्य उसी प्रन्थोक्त 'एक सेकेंड की मात्रा के समय (काल) का विवेचन करेंगे।'

1. याज्ञवल्क्य शिक्षा– इस ग्रन्थ में सूर्य रश्मि से आलोकित चार अणुओं के समष्टिगत रूप को 'मात्रा' कहा गया है।

2. नाट्यशास्त्र– इसमें पाँच निमेष के काल को मात्रा कहा गया है। ताल–सन्दर्भ में कला–काल के प्रमाण से मात्रा मान्य की गई है। पाँच निमेष अर्थात् कितना काल यह स्पष्ट नहीं है (पाँच निमेष–काल लगभग एक सेकेंड का होता है) 'बृहत्संहिता' में वराहमिहिर ने काल–सम्बन्धी जो गणित दिया है, उसके अनुसार 5 निमेष–काल 16 से 15 सेकेंड का होता है (गणित–सूत्र आगे दिया गया है)

3. अभिनव भारती– इसमें पाँच लघु अक्षरों के उच्चारण–काल को 'मात्रा' कहा गया है।

4. संगीत–रत्नाकर (कलानिधि टीका)–इसमें व्यवहारानुसार चार या आठ लघु अक्षरोवारण–काल को देशी सन्दर्भ में 'मात्रा–काल' बताया गया है। इसके आधार पर द्रुतादि कालमान देशी संगीत में स्थापित किए जा सकते थे।

5. मानसोल्लास–इस ग्रन्य में पाँच हस्व अक्षरों के शीघ्रता से उच्चारण काल को 'मात्रा–काल' कड़कर ताल संदर्भ में उसे श्लघुश बताया गया है।

6. संगीतोपनिषद्, संगीत सारामृत एवं संगीत–वर्पण– इन ग्रन्थों में भी पाँच लघु लघु के 'मात्रा–कालमान' कहकर ताल–सन्दर्भ में उसे लघु (मात्रा) बताया गया है। कालमान से आधे कालमान को 'द्रुत' तथा दुगुने कालमान को 'गुरु' कहा गया है।

7. संगीत–शास्त्र तथा ताल और छंद– इनमें पाँच लघु अक्षरोच्चारण–काल को मान्य करते हुए देशी (द्रुत, अणुद्रुत) सन्दर्भ में चार लघु अक्षरोच्चारण को भी मान्यता प्रदान की गई है।

8. वर्तमान काल– अब एक अक्षर अथवा एक अंक के उच्चारण–काल को श्मात्राश कहा जाता है, जिसका कालमान एक सेकेंड सर्वमान्य है। विशेष– सम्भव है, भरतोक्त श्पाँच निमेषश को बाद के ग्रन्थकारों ने पाँच लघु (ह्रस्व) अक्षरों के रूप में समझा हो।संगीत पारिजात में 7 अंगों द्वारा काल प्रमाण निर्धारित किया गया है 7 अंगों के मिश्रण से चाहे जितनी ताल बन सकते हैं इन अंगों की गणना अक्षर कालू से की जाती है अक्षर काल का मात्रा प्रमाण किस प्रकार माना गया है अनु द्रुत एक मात्रा द्रुत दो मात्रा द्रुत विराम तीन मात्रा लघु चार मात्रा लघु विराम 6 मात्रा गुरु 8 मात्रा 12 मात्रा और का पद 16 मात्राएं प्राचीन काल में मात्रा की उत्पत्ति पक्षियों की वाणी द्वारा मानी जाती थी नेवला आधा मात्रा तीतर एक मात्रा कौवा दो मात्रा आजकल मात्रा का काल प्रमाण हृदय की धड़कन और घड़ी की चाल से किया जाता है

अभिनव ताल मंजरी के अनुसार–'काल' अर्थात् समय, जो कि ताल रचना का मूल तत्व है। ताल के रूप में जो काल के खंड बनाये गये हैं वह काल ही प्रमाण हैं, जिसका माध्यम घनवाद्य है। काल को ही मात्राओं द्वारा बांधकर ताल की रचना की जाती है–

हस्तद्वयस्य संयोगे वियोगे चापि सर्वदा।
व्याप्तिमान्य समादिष्टरू सकालस्तालसंज्ञकः।।

अर्थात् दोनों हाथों के मिलाने व अलग करने में जो सदैव व्याप्तिमान है, वही तालसंज्ञक 'काल' है। 'काल' के दो भेद कहे गये हैं –1. सूक्ष्म काल 2. स्थूल काल। क्षण, लव, काष्ठा, निमेष, कला व चतुर्मार्ग इन छरू समय खंडों को 'सूक्ष्मकाल' एवं अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत व काकपद को 'स्थूलकाल' कहा गया है। इस प्रकार काल का क्रम निम्नानुसार हुआ–

आठ क्षण–	एक लव
आठ लव–	एक काष्ठा
आठ काष्ठा	एक निमेष
आठ निमेष	एक कला
दो कला	एक त्रुटि, चतुर्मार्ग या बिन्दु
	दो त्रुटि, चतुर्मार्ग या बिन्दु
एक अणुद्रुत	
दो अणुद्रुत	एक द्रुत
दो द्रुत	एक लघु
दो लघु	एक गुरु
तीन लघु	एक प्लुत
चार लघु	एक काकपद

संगीत दर्पण में ताल के दस प्राणों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर श्कालश नामक प्राण को अवस्थित किया है। ग्रन्थकार के अनुसार, क्षण आदि के आधार पर जिसकी गणना की जाती है, वहीं ताल की दृष्टि से काल है। दर्पणकार आगे कहते हैं, कि केवल क्षण आदि के माध्यम से ताल को गीत तक ले जाना सम्भव नहीं है। उसके लिए अणुद्रुत और द्रुत की अवधारणा को स्वीकार करना आवश्यक है। इसके साथ ही दर्पणकार द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया है, कि ताल मूलतः काल से उत्पन्न होता है तथा द्रुत आदि के द्वारा सम्यक भाव से युक्त होता है–

क्षणादिरूपो यः कालः स प्राणत्वेन कीर्त्यते
गीतादेस्तु मितिं कुर्वन् स एवायाति तालताम्
अणुद्रुतं समारभ्य ताळकालोत्रकथ्यते।
क्षणादिरूपकालेन तालो नेतुं नशक्यते
तालः कालजनिः प्रोक्तः सोऽवच्छिन्नो दुतादिभिः।

दर्पणकार ने आन्जनेय के मत के आधार पर 'क्षण' का मानक निश्चित किया है। इसके अनुसार सौ कमल पत्रों में एक साथ सुई के भेदन करने में जितना समय लगता है, उसी समयावधि को 'क्षण'

कहा जाता है। इसके पश्चात् काल के भिन्न–भिन्न मापदण्ड भी निश्चित किये गये हैं।

आधुनिक विद्वानों ने भी ताल के दस प्राणों में प्रथम प्राण काल को विशेष महत्त्व दिया है। घन वाद्य का प्रमाण काल अवश्य है, लेकिन निस्सीम काल नहीं बल्कि ताल के रूप में जिस काल के खण्ड बनाये गये हैं वह है। काल अनादि अनंत निःसीम है, जिसका ज्ञान असंभव है लेकिन खण्ड बनाकर ही उसका ज्ञान होता है। इसीलिए सेकेण्ड, मिनट, घण्टे, दिन, महीने, वर्ष आदि के रूप में उसका परिच्छेद करना पड़ता है। इसी तरह संगीत में भी काल के ज्ञान के लिए काल का परिच्छेद करना यानी खण्ड बनाना आवश्यक है। संगीत में काल को नापने का माध्यम घन वाद्य और साधन ताल है। इसी प्रकार देवेन्द्र प्रताप जौहरी ने काल पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया है, कि– श्काल की अखण्डता तथा उसका व्यापक व्यवहार एवं निर्वाह प्रकृति की समस्त रचनाओं में भिन्न–भिन्न रूप से दृष्टिगोचर है। परन्तु संगीत जो एक श्रव्य कला है, में काल का रूप लय से प्रदर्शित व ताल से प्रतिष्ठित होता है स्वर माध्यम के रूप में विद्यमान रहता है। योगमाया शुक्ल ने स्वर के रूप में प्रयुक्त ध्वनि और ताल के रूप में प्रयुक्त होने वाला काल दोनों ही संगीत के मूलभूत आधार हैं। इस प्रकार उल्लेख करते हुए काल के साथ–साथ ध्वनि के महत्त्व को भी स्वीकार किया है।

पं. मुकुन्द नारायण भाले के अनुसार सबसे पहला तत्व श्कालश है, क्योंकि श्तालश मूलतः काल पर ही आधारित होता है। काल यानी समय। ताल वास्तव में समय ही नापता है, इसलिए तालो कालः या कालो तालः भी कहा गया है। यही इसकी पहली परिभाषा है। एक आवर्तन के लिए जितना समय हमने तय किया है, वह काल है। ताल की शर्त यही है कि इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस प्रकार ताल का आवश्यक तत्व है– काल अर्थात समय।

प्राचीन काल से ही काल–मान के सन्दर्भ में कुछ गणितीय कालमानों का उल्लेख प्राप्त होता है यथा–

1. दिवस, घटिका, पल, असु, गुरु, लघु।
2. दिवस, घटिका, कला, काष्ठा, निमेष, तत्पर, त्रुटि।
3. माह, दिवस, नाडी, विनाडी, गुरु, लघु।
4. दिवस, मुहूर्त, कला, काष्ठा, निमेष।

उपर्युक्त कालमानों के गणितीय सूत्रों के आधार पर वर्तमान में प्रचलित एक मात्रा का कालमान एक सेकेंड ही सर्वमान्य है।

सन्दर्भः–

1. मराठे मनोहर भालचन्द्रराव, ताल वाद्य शास्त्र, शर्मा पुस्तक सदन लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
2. शास्त्री के. वासुदेव, दामोदर पंडितकृत संगीत दर्पण ग्रन्थ, प्रकाशन– सरस्वती महल तंजौर।
3. प्रो. पंडित भाले मुकुंद नारायण, (से.नि.) साक्षात्कार, इं. क. सं. विश्वविद्यालय, खैरागढ़
4. पंडित शास्त्री एस. सुब्रमन्य, शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रन्थ, the adyar librery, 1953
5. पंडित अप्पा तुलसी काशीनाथ विरचित, अभिनव ताल मंजरी, अनुवादक– डॉ. पुरु दधीच, संपादक मुकेश गर्ग, संस्करण 17–2015।
5. भास्कर विनय, संगीत में ताल का महत्त्व, संगीत पत्रिका कला विहार, 1969
6. जौहरी डॉ. देवेन्द्रप्रसाद, संगीत में ताल, पत्रिका छायानट, अंक 43–1987

जी.एच. पब्लिकेशन

(पुस्तक सूची)

हमारे नवीनतम प्रकाशन

• छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का सामाजिक संदर्भ	बलदाऊ राम साहू	450.00
• ''रीवा अंचल के सरयूपारीण ब्राह्मण वंशावली का ऐतिहासिक अनुशीलन''	डॉ. सुशीला पाण्डेय (तिवारी)	999.00
• रीवा राज्य के बघेल राजाओं की आर्थिक नीतियों का ऐतिहासिक अध्ययन (1755 ई. से 1948 ई. तक)	डॉ. जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय	999.00
• क्रान्ति से परिवर्तन	सं. डॉ. श्रीकान्त शुक्ल	400.00
• छत्तीसगढ़ के छत्तीस रतन (छत्तीसगढ़ी भाषा)	कन्हैया साहू 'अमित'	300.00
• फुरफुन्दी (छत्तीसगढ़ी बाल कविता संग्रह)	कन्हैया साहू 'अमित'	150.00
• बघेली बिरबाही (बघेली भाषा)	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	120.00
• पशुपालन एवं पशु चिकित्सा (एक संक्षिप्त परिचय)	डॉ. राहुल शर्मा, डॉ. शिवांगी शर्मा डॉ. राजकुमार पटेल, डॉ. रमेश मिश्रा डॉ. सुनील नायक, डॉ. अंकुर खरे	500.00
• Livestock Health, Nutrition, Disease Diagnosis and their Management	Raj Kumar Patel, Adesh Verma Nitin Bajaj, Amit Jha, Jayant Goel Rahul Sharma, Suman Kumar	500.00
• Augmentation of Fertility and Correction of Reproductive Disorders in Livestock	Nitin Bajaj, Amit Jha, Adesh Verma Suman Kumar, Yogesh A. Chatur Raj Kumar Patel	500.00
• Text Book of Animal Behaviour and Welfare	Manoj Ahirwar, Shashi Pradhan Deepika Diana Jesse Ariand, Raj Kumar Patel, Adesh K. Verma	400.00

हमारे आगामी प्रकाशन

• **पर्यटन**	सी.पी. तिवारी
• **Civil Engineering Construction Materials**	Dr. Nisha Pandey
• **सामान्य एवं आंगिक भेषज विज्ञान**	डा. सचिन जैन, डा. विधि गौतम डा. राजेश शर्मा, डा. क्षेमशंकर श्रमण डा. अर्पिता श्रीवास्तव
• **गौवंश में प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान**	डा. जे.एस. राजौरिया डा. ए.के. सिंह डा. बी.के. ओझा डा. ए.के. झा डा. एस.एस. तोमर
• **प्रेमचन्द की अनमोल कहानियाँ**	सं. गौरान्शी कुशवाहा

पुस्तक मँगाने का नियम

- प्रत्येक पुस्तक पर 20% कमीशन दिया जायेगा एवं डाक व्यय फ्री रहेगा।
- पुस्तक के मुद्रित मूल्य में 20% धनराशि काटकर शेष धनराशि हमारे Phone Pay No. में जमाकर उसका स्क्रीन शाट तथा अपना पूरा पोस्टल पता एवं अपना मोबाइल नं., हमारे Whatsapp No. 9532481205 पर भेज दें।
- आदेशित पुस्तकें आपके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दी जायेंगी।

Phone Pay No. : **9532481205**
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. No. : **394302010996632**
IFSC : **UBIN0807095**

हमारे प्रकाशन जी.एच. पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित पुस्तकें

शिक्षा

वैदिक चिन्तन मंजूषा	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	350
शतपथ संदर्शन	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	400
शिक्षा में सुधार चुनौतियाँ अपार	डॉ. प्रेम भारती	395
वैदिक शिक्षा के विविध आयाम	डॉ. प्रेम भारती	395
शिक्षाप्रद प्रेरक प्रसंग	डॉ. प्रेम भारती	350
शिक्षा की समस्याएँ	शारदा देवी	250

पर्यावरण

वेद, यज्ञ और पर्यावरण	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	400
पर्यावरण सुरक्षानाम शतकम् *(संस्कृत)*	डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी	300

विधि

आधुनिक हिन्दू विधि *(संस्कृत) (धर्मशास्त्रीयविधि सहितः)*	प्रो. वेद प्रकाश उपाध्याय	750

योग एवं स्वास्थ्य

योगसार संग्रह	डॉ. रश्मि पाठक	500
योग एक कल्पवृक्ष	डॉ. प्रेम भारती	300
शंख थेरेपी	डॉ. प्रेम भारती	250
योग समग्र जीवन की ओर	कौशल किशोर	400

पशुपालन एवं स्व-रोजगार

खरगोश पालन (छात्र संस्थान)	डॉ. एस.पी. वर्मा	150
बटेर पालन (छात्र संस्थान)	डॉ. एस.पी. वर्मा	100
बत्तख पालन (छात्र संस्थान)	डॉ. एस.पी. वर्मा	130

(उक्त तीनों पुस्तकें रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र. के बी.एस-सी. एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम में है।)*

पशु पालन एवं पशु चिकित्सा	डॉ. राहुल शर्मा	500

धर्म एवं संस्कृति

वैष्णव महापुराणों में श्रीकृष्ण	डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी	500
चित्रकूट के घाट से	डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी	200
महाकवि कालिदास का सन्देश	डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी	100
भारतोत्तर नाट्याचार्यों का योगदान	डॉ. बलजीत कौर	100
बुद्ध ज्ञान रसायन	शीतला प्रसाद मौर्य	400
युद्ध के नीतिशास्त्र का समीक्षात्मक अध्ययन *(रामायण एवं महाभारत के सन्दर्भ में)*	डॉ. सीमा सैनी	450
संस्कृत ग्रन्थों में राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधारा *(आचार्य बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य एवं कामान्दक के सन्दर्भ में)*	डॉ. सन्ध्या कुमारी	700
उपनिषदों की प्रेरक कथाएँ	डॉ. विभा श्रीवास्तव	400
वैदिक साहित्य में दाक्षायण यज्ञ	डॉ. मीनाक्षी उपाध्याय	500
श्रीमानस भ्रम भंजनी	रामदेव प्रसाद सोनी	400
द्वादश ज्योतिर्लिंग	ओंकार क्रान्तिकारी	200

शब्दकोश

किहिनी, कहनूति उखान कोश *(बघेली-हिन्दी)*	रवि रंजन सिंह	750
मिल बाँचें बघेली हिन्दी *(बघेली-हिन्दी शब्दकोश)*	प्रो. अम्बिका प्रसाद तिवारी	400
विपरीतार्थक शब्दकोष	बी.आर. पनेरू	340

इतिहास

तब और अब रीवा	रविरंजन सिंह	550
रीवा राज्य के बघेल राजाओं की आर्थिक नीतियों का एतिहासिक अध्ययन (1755 ई. से 1948 ई. तक)	डॉ. जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय	999
काँटे (जीवन का सच) भाग-1	सोमदत्त त्रिपाठी	600
काँटे (जीवन का सच) भाग-2	सोमदत्त त्रिपाठी	600
वीरांगना दुर्गावती	सोमदत्त त्रिपाठी	250
क्रान्ति से परिवर्तन	सं. डॉ. श्रीकान्त शुक्ल	400

संस्कृत

आधुनिक हिन्दूविधि	प्रो. वेदप्रकाश उपाध्याय	750
वेदतत्वविमर्शः	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	500
यजुर्वेद अग्नि तत्व विमर्शः	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	400
शुक्ल यजुर्वेदीय गर्भाधानादि षोडश संस्कार-पद्धति विमर्शः	आचार्य केदारनाथ द्विवेदी	350

कृष्णयजुर्वेदीया कठोपनिषद	प्रो. वेद प्रकाश उपाध्याय	250

बघेली साहित्य

बघेली व्याकरण	सोमदत्त त्रिपाठी	250
पिता का आम वृक्ष *(कहानी संग्रह)*	डॉ. रामसिया शर्मा	300
जगन्नाथ केर परसाद	सीताशरण गुप्त	300
किस्सन केर पोथन्ना	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	250
मिल बाँचे बघेली हिन्दी	प्रो. अम्बिकाप्रसाद तिवारी	400
किहिनी कहनूति उखान कोश	रवि रंजन सिंह	750
बघेली बिरबाही	सं. डॉ. सूर्य नारायण गौतम	120

छत्तीसगढ़ी साहित्य

छत्तीसगढ़ के छत्तीस रतन *(छत्तीसगढ़ी)*	कन्हैया साहू 'अमित'	300
छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का सामाजिक संदर्भ	बलदाऊ राम साहू	450
सुन्दरकाण्ड *(छत्तीसगढ़ी)*	श्रीमती धनेश्वरी सोनी 'गुल'	50
फुरफुन्दी *(छत्तीसगढ़ी बाल कविता संग्रह)*	कन्हैया साहू 'अमित'	150
नचई अरु फटाका फोरई *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	बलदाऊ राम साहू	90
चोर के जीव पुतकी मा *(छत्तीसगढ़ी लोक कथाएँ)*	बलदाऊ राम साहू	140
चलित प्रयोगशाला *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डॉ. रामसिया शर्मा	90
तरिया (पोखर) *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डॉ. रामसिया शर्मा	90

साहित्य, जीवनी, संस्मरण एवं प्रेरक प्रसंग

विश्व की महान महिलाएँ	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	300
संकल्प *(नाटक संग्रह)*	उमेश कुमार 'निराला'	120
स्मृतियों के इन्द्रधनुष	स्वामी विजयानन्द	400
तड़प *(दलित चेतना पर आधारित कहानी संग्रह)*	बृजलाल कोरी	250
मुखाग्नि *(दलित चेतना पर आधारित उपन्यास)*	बृजलाल कोरी	250
नैतिक कहानियाँ	गौरान्शी कुशवाहा	300
राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ	डा. प्रेम भारती	400
महान शिक्षाशास्त्री श्री राधाकृष्णन	डा. प्रेम भारती	250
भारत की महान नारियाँ	कमल नयन गुप्ता	400
शरतचन्द्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ	मनीष भारतीय	300
प्रेरक बोध कथाएँ	डा. प्रेम भारती	350
हमारे हरिजन सन्त	अविचल द्विवेदी	395
घाघ भड्डुरी की लोक कहावतें	महाकवि घाघ	300
दिव्य औषधियाँ	चन्द्रप्रकाश शुक्ल	395
वैदिक गणित	डा. प्रेम भारती	395
जयशंकर प्रसाद की अनमोल कहानियाँ	जयशंकर प्रसाद	400
ध्यान : एक वैज्ञानिक चमत्कार	डा. प्रेम भारती	395
कुम्भ *(कहानी संग्रह)*	डा. रामसिया शर्मा	300

बाल साहित्य

कुएँ का भूत	डा. रामसिया शर्मा	100
घमंडी हाथी	डा. रामसिया शर्मा	100
शहर में बन्दर	डा. रामसिया शर्मा	100
उड़ गौरैया ऊँचे उड़	डा. रामसिया शर्मा	130
भारत रत्न प्रधानमंत्री	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	60
भारत रत्न महिलाएँ	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	60
हमारा शरीर	डा. निशा गुप्ता	60
दुनिया के अनोखे जीव-जन्तु	सन्तोष दुबे	60
शिक्षाप्रद लघुकथाएँ	गौरान्शी कुशवाहा	60
दादी का आशीर्वाद	गौरान्शी कुशवाहा	60
श्रेष्ठ बाल कहानियाँ	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	60
फुरफुन्दी *(छत्तीसगढ़ी बाल कविता संग्रह)*	कन्हैया साहू 'अमित'	150
नचई अउ फटाका फोरई *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	बलदाऊ राम साहू	90
चोर के जीव पुतकी मा *(छत्तीसगढ़ी लोक कथाएँ)*	बलदाऊ राम साहू	140
चलित प्रयोगशाला *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डा. रामसिया शर्मा	90
तरिया (पोखर) *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डा. रामसिया शर्मा	90
हमारी पृथ्वी	श्रीमती करूणा श्रीवास्तव	50

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211 003
e-mail : ghpublication@gmail.com
शाखा कार्यालय : **आर.एल. विश्वकर्मा,** अंगूरी बिल्डिंग, रीवा (म.प्र.)
Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205, 9827262820

G.H. PUBLICATION

Registered Office :
121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003
E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com
Branch Office :
R.L. VISHWAKARMA
C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)